

1/4e/;izns'k jkti= 1/4vlk/kkj	2
e/;izns'k 'kklu ty lalk/ku foHkkx	95
03 MP-PIM Consti-	131
e/;izns'k 'kklu ty lalk/ku foHkkx	156
05Participatory Irrigation Management	203
06 PIM Act (Amendment) 2013	215
07 MP PIM ACT -1999 (Amendment)	229
08 Participatory Irrigation Management	233
09 Participatory Irrigation Management	234
10 Participatory Irrigation Management	237
11 Participatory Irrigation Management	249

म.प्र. कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999

अध्याय	नियम क्रमांक एवं विषय	पेज क्रमांक
अध्याय—एक	1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
	2. परिभाषा	1
अध्याय—दो	3. निर्वाचनों के लिए प्रशासनिक तंत्र	2
	4. जिला निर्वाचन प्राधिकारी	2
	5. निर्वाचन अधिकारी की जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करना	3
	6. सहायक निर्वाचन अधिकारी/अधिकारियों की नियुक्ति	3
	7. सहायक निर्वाचन अधिकारी के कृत्य	3
	8. निर्वाचन अधिकारी के कृत्य	3
	9. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	3
	10. पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति	3
अध्याय—तीन	11. निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सूचना	4
	12. विशेष निर्वाचन कार्यक्रम	6
	13. अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन	6
	14. नामनिर्देशन पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमाम्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं	7
	15. प्रतिभूति निक्षेप	8
	16. नाम निर्देशनों का प्रकाशन	10
	17. नाम निर्देशन पत्रों की जांच	10
	18. अभ्यार्थिता वापस लेना	11
	19. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	12
	20. अविरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा	13
	21. मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु	13
	22. अभिकर्ताओं की नियुक्ति	13
	23. मतदान	15
	24. मताधिकार	16
	25. मतदान केन्द्र की व्यवस्था	16
	26. मतपेटियों को तैयार किया जाना	17
	27. मतपत्र का प्ररूप	18
	28. मतपत्र का जारी किया जाना	19

	29. निर्वाचन द्वारा मतदान की गोपनियता को बनाए रखना तथा मतदान की प्रक्रिया	20
	30. दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाता	21
	31. महिला निर्वाचकों को सुविधाएं	21
	32. निर्वाचकों की पहचान	21
	33. निविदत्त मत	22
	34. पहचान को चुनौती	22
	35. प्रतिरूपण के विरुद्ध संरक्षण	24
	36. खराब तथा वापस किया मतपत्र	24
	37. मतदान बंद किया जाना और मतदान के पश्चात् मतपेटियों तथा लिफाफों को सील करना	25
	38. मतपत्रों, मतपेटियों, पैकेटों आदि का लेखा	26
	39. मतपेटियों को खोलने की जांच तथा मतों की गणना	27
	40. गणना के लिए नियत स्थान पर प्रवेश	29
	41. मतपत्रों का रद्द किया जाना	29
	42. मतपत्रों की पुनर्गणना	31
	43. मत बराबर होना	32
	44. मतों की गणना के समय विघ्न	32
	45. उपयोग किये गये मतपत्रों को सीलबंद करना	33
	46. मतपत्रों का कपड़े के थैले (बैग) में अंतरण	33
	47. नए मतदान की दशा में मतों की गणना	33
	48. परिणाम की घोषणा	34
	49. निर्वाचन प्रमाण-पत्र का प्रदान करना	34
	50. परिणाम का प्रकाशन	34
	51. मतपत्रों का निपटारा	35
	52. आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन	35
	53. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना	37
	54. कतिपय मामलों में सरकार की शक्ति	38
	55. कतिपय मामलों में तारीख आदि नियत करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति	38
अध्याय—चार	56. प्रबंध समिति के सदस्य/वितरिका समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन	38
	57. मतदाता सूची का/निर्वाचन की सूचना को संप्रदर्शित करना	39
	58. निर्वाचन सूचना की तारीख, स्थान तथा समय को हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित करना	39
	59. निर्वाचन का गुप्त मतदान तथा एक दिन में संपन्न कराना	39
	60. सम्यक रूप में निर्वाचन की घोषणा	39

	61. अध्यक्ष प्रबंधन समिति के लिए पृथक मतपत्र करना	40
	62. मतदान की समाप्ति पर मतगणना	40
	63. मतों की समानता पर लॉट द्वारा निर्वाचन	40
	64. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन पश्चात् अभिलेख तैयार करना	40
	65. निर्वाचन अधिकारी द्वारा तारीख में परिवर्तन का अधिकार	41
	66. निर्वाचन के लिए वितरिका समिति के कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य	41
अध्याय—पांच	67. प्रबंध समिति के सदस्य और परियोजना समिति के सभापति (चेयर पर्सन) का निर्वाचन	41
	68. मतदाता सूची को संप्रदर्शित करना	41
	69. निर्वाचन की सूचना, तारीख, स्थान तथा समय का कम से कम दो दिन अग्रिम देना	41
	70. निर्वाचन का गुप्त मतदान द्वारा एक दिन में संपादन व निर्वाचन के विभिन्न चरणों के लिए समय सारणी	42
	71. एक अभ्यर्थी की दशा में सहमत घोषणा	42
	72. प्रबंध समिति के सभापति तथा सदस्यों के लिए पृथक मतपत्र	42
	73. मतगणना की तुरंत व्यवस्था व परिणाम की घोषणा	42
	74. मतों की समानता पर लाट द्वारा निर्वाचन	43
	75. परिणाम के तत्काल बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभिलेख तैयार करना	43
	76. निर्वाचन अधिकारी द्वारा तारीख में परिवर्तन	43
	77. निर्वाचन के समय परियोजना समिति के आधे सदस्यों की उपस्थित आवश्यक	43
अध्याय—छह	78. निर्वाचन याचिका फाइल करने की रीति, समय—सीमा तथा फीस	43—44

प्ररूप

प्ररूप क्र. एवं विषय	पेज क्रमांक
1. जल उपभोक्ता संथा (संथाओं) के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचन हेतु सूचना	45
2. जल उपभोक्ता संथा के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन हेतु सूचना	46
3. जल उपभोक्ता संथा हेतु नाम निर्देशन पत्र	47—48
4. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य हेतु प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची	49
5. विधिमान्यतः नाम निर्विष्ट अभ्यर्थियों की सूची	50
6. नाम वापसी की सूचना	51
7. अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना	52

8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	53
9.	निर्वाचन नियम 20 (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा	54
10.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति	55
11.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति	56
12.	गणना अभिकर्ता की नियुक्ति	57
13.	निविदत्त मतपत्रों की सूची	58
14.	चुनौती दिए गए मतपत्रों की सूची	59
15.	मतपत्र लेखा	60—61
16.	अंतिम परिणाम पत्रक	62
17.	निर्वाचन नियम 48(1) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा	63
18.	निर्वाचन प्रमाण पत्र	64
19.	प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन की सूचना	65
20.	वितरिका समिति का नाम निर्देशन पत्र	66—67
21.	प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची	68
22.	जांच के बाद वैध नाम निर्देशनों की सूची	69
23.	अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना	70
24.	अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूची	71
25.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	72
26.	मतपत्र—वितरिका/प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु	73
27.	मतपत्र—वितरिका/प्रबंध समिति के सदस्य पद हेतु	74
28.	निर्वाचन के परिणाम की घोषणा	75
29.	परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन की सूचना	76
30.	परियोजना समिति —नाम निर्देशन पत्र	77—78
31.	परियोजना समिति के प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य पद के लिए नाम निर्देशनों की सूची	79
32.	जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची	80
33.	अभ्यर्थी द्वारा की गई अभ्यर्थिता वापसी की सूचना	81
34.	अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना	82
35.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची	83
36.	मतपत्र (परियोजना/प्रबंध समिति के सभापति के लिए)	84
37.	मतपत्र (परियोजना/प्रबंध समिति के सदस्य के लिए)	85
38.	निर्वाचन नियम 73 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा	86
	संशोधन पत्रक	87—89

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 751 बुधवार,

दिनांक 24 नवम्बर, 1999 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकत्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

अध्याय-एक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 हे।
(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषा :-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999);
 - (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;
 - (ग) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है निर्वाचन लड़ने वाला कोई व्यक्ति;
 - (घ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए जिले का कलेक्टर;

- (ड.) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (च) “रिटर्निंग अधिकारी” से अभिप्रेत है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी;
- (छ) “मतदाता सूची” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची;

अध्याय—दो

3. **निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र :—** (1) अधिनियम की धारा 33 के अधीन नियुक्त किया गया राजस्व संभाग का आयुक्त, उसकी अधिकारिता के भीतर निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजन के लिए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी होगा।
 - (2) कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन संचालित किए जायेंगे।
 - (3) जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा। इन नियमों के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा भी उसकी अधिकारिता के भीतर किया जा सकेगा, जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकारी किया जाए।
 - (4) जिले के अपर कलेक्टर अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा। जिले में यथा स्थिति तहसीलदार या अनुविभागीय (सब-डिवीजनल) अधिकारी (राजस्व) उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा।
 - (5) अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी और उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो उन्हें जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं। जिला निर्वाचन प्राधिकारी उस क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथा , वितरिका समिति या परियोजना समिति के बारे में इन नियमों के अधीन उसमें निहित की गई शक्तियों में से किसी भी शक्ति का जिले में किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा।
4. संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के सामान्य अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी प्रबंध समिति के सदस्यों, जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों के निर्वाहनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्यों के संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

5. प्रबंध समिति के सदस्य तथा जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष के स्थानों को भरने के लिए और परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्य के पद के प्रत्येक निर्वाचन के लिए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो यथा संभव राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी होगा जो तहसीलदार की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
6. जिला निर्वाचन प्राधिकारी, किसी निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी होगा।
7. निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा:
8. किसी भी निर्वाचन में, निर्वाचन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह समस्त ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन उपबंधित की गई रीति में निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हों।
9. जिला निर्वाचन प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं, उतने मतदान केन्द्र उपलब्ध कराएगा, जितने कि निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों और मतदान केन्द्रों और उन क्षेत्रों या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए उन्हें क्रमशः उपलब्ध कराया गया है, दर्शाते हुए एक सूची ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा, जैसा कि निर्वाचन प्राधिकारी निदेश दे।
10. (1) जिला निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे अन्य मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त

नहीं करेगा जिसे निर्वाचन में यह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया गया है या जो अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है :

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है या अन्यथा कार्य कर रहा है, भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर सकेगा।

परन्तु यह और भी कि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष के लिए मतदान का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया मतदान कार्मिक या इस नियम के अधीन उसके द्वारा निमित प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी भी किसी अन्य निर्वाचन पद हेतु जिसके लिए कि साथ-साथ निर्वाचन सम्पादित किया जाना है मतदान संचालित करा सकेगा।

(2) मतदान अधिकारी, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे ऐसा निर्देशित किया जाए, तो इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि कोई पीठासीन अधिकारी बीमारी के कारण या अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहता है तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा, जिसे कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी किसी अनुपस्थिति के दौरान से कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, किया जायेगा।

(4) पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र पर लोक व्यवस्था बनाये रखे और यह देखे कि मतदान निष्पक्ष में सम्पन्न हो।

अध्याय—तीन

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष का निर्वाचन

11. निर्वाचन के लिए सार्वजनिक सूचना :— (1) अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् और जल उपभोक्ता संथा की अवधि का अवसान होने पर या मृत्यु, त्याग—पत्र या वापिस

बुलाने पर ऐसे पद की रिक्ति होने पर जल उपभोक्ता संस्था के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन किया जाएगा।

(2) संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देशों के अध्यक्षीन रहने हुए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में तथा अनुकूल इस निमित्त जारी किए जाएं। अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुरूप जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन के लिए प्ररूप 1 में सूचना प्रकाशित करेगा।

(3) व्यतिक्रमी सूची, प्ररूप 1 में सूचना के प्रकाशन की तारीख के 15 दिन अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी।

स्पष्टीकरण : व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) के अधीन उससे शौध्य किसी राशि का 3 वर्ष या अधिक कालावधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी होने पर जल उपभोक्ता संस्था के निर्वाचन के लिए प्ररूप -2 में हिन्दी भाषा में सार्वजनिक सूचना देगा जो मुख्य स्थानों पर ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें

(5) निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए नियत तारीखें, निम्नलिखित के अध्यक्षीन होंगी:—

(क) नाम निर्देशन — पत्र भरने की अंतिम तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के पश्चात् चार दिन से पूर्व की और दस दिन के पश्चात की नहीं होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो:

(ख) नामनिर्देशन—पत्रों की जांच की तारीख, नामनिर्देशन—पत्र भरने की अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन की होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो।

- (ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तथा समय नामनिर्देशन-पत्रों की जांच के लिए नियम दिन के बाद आने वाले तीसरे दिन के अपरान्ह तीन बजे के पश्चात् का नहीं होगा, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो।
- (घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको/जिनको कि मतदान किया जाएगा, वह तारीख या उन तारीखों में से प्रथम तारीख ऐसी तारीख होगी जो अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात् से दसवें दिन से पूर्व की नहीं होगी;
- (ङ.) मतदान, नियत दिन को पूर्वान्ह 8 बजे प्रारंभ होगा और अपरान्ह 2 बजे समाप्त होगा। मतदान के ठीक बाद, मतगणना प्रारंभ होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

- 12. विशेष निर्वाचन कार्यक्रम :-** इन नियमों अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्वाचन प्रक्रिया में कोई व्यवधान होता है या किसी न्यायालय के आदेशों के कारण या लेखबद्ध किए जाने वाले अन्य वैध कारणों से निर्वाचन कार्यक्रम को परिवर्तित किया जाना हो तो निर्वाचन प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह या तो सामान्यता या विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संस्था के संबंध में निर्वाचन कार्यक्रम को, नियम 11 के उपनियम (5) को ध्यान में लाए बिना, इस प्रकार परिवर्तित करें, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे और निर्वाचन अधिकारी उसे प्रभावी करेगा।

परन्तु जहां नामनिर्देशन से प्रारंभ होने वाले निर्वाचन कार्यक्रम इस नियम के अधीन पुनः अधिसूचित किया गया जाता है तो पूर्व में किए गए नामनिर्देशन अग्राह्य हो जायेंगे और नियम 15 के अधीन जमा राशि यदि कोई हो, लौटा दी जायेगी।

- 13. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन –** (1) कोई भी व्यक्ति, जल उपभोक्ता संस्था और वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष और परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य के पद को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हैं। प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र जल उपभोक्ता संस्था के लिए प्ररूप 3 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 20 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 30 में होगा और अभ्यर्थियों और उनके प्रस्तावक द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित करके और नियत तारीख को या उसके पूर्व विनिर्दिष्ट समय के बीच अभ्यर्थी द्वारा या उसके

प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी, नाम निर्देशन-पत्र पर घोषणा पर, हस्ताक्षर करेगा।

(2) जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के सदस्य या अध्यक्ष और परियोजना समिति के सदस्य या सभापति के पद के अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक वे व्यक्ति होंगे जिनके नाम क्रमशः उस जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति या परियोजना समिति की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत हों।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी पृथक् नामनिर्देशन-पत्र पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) किसी अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचक पद के लिए एक से अधिक प्रस्तावकों द्वारा अलग-अलग रूप से एक पृथक् नामनिर्देशन प्ररूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र नहीं भरे जाएंगे।

14. नामनिर्देशन-पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं:-

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी, नियत तारीख को या उसके पूर्व या तो स्वयं या उसके प्रस्तावक द्वारा प्ररूप-3 में सम्यक् रूप से पूर्ण और अभ्यर्थी द्वारा और प्रस्तावक के रूप में संबंधित जल उपभोक्ता संथा के पात्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र नियम 11 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान और स्थान पर प्राधिकृत निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उन्हें तत्काल उस क्रम में जमाएगा जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए और जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 3 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप-20 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप-30 में यथा उपबंधित रसीद देगा और निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति इस बात से स्वयं का समाधान कर लेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथा दर्ज अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम तथा उनका संख्यांक, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम तथा संख्यांक के अनुरूप ही है, जहां आवश्यक हो वहां वह यह निर्देश दे सकेगा कि नामनिर्देशन प्ररूप को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिससे वह निर्वाचक नामावली के अनुसार हो सके।

(3) निर्वाचक अधिकारी, जब वह मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का निर्वाचन कर रहा हो तो वह केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देगा, किन्तु नामनिर्देशन की छानबीन

पर उसे औपचारिक रूप से स्वीकृत या नामंजुर करते समय वह अपने द्वारा अंगीकृत निर्वाचन को उसके लिए कारण देते हुए अभिलिखित करेगा।

15. प्रतिभूति निक्षेप :- (1) (क) जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य और अध्यक्ष के पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी तब तक सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने अपना नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय के पूर्व निर्वाचन अधिकारी के पास प्रतिभूति निक्षेप के रूप में दो सौ रूपए की राशि नकद जमा न की हो या करवाई हो और उसके लिए रसीद अभिप्राप्त न की हों।

(ख) वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य दोनों ही पद पर निर्वाचन लड़ने की वांछा रखने वाले अभ्यर्थी अपना नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी के पास क्रमशः रु. 500 (पांच सौ रूपए) और रुपये 300 (तीन सौ रूपए केवल) की राशि नकद प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेगा या जमा करवाएगा। कोई भी अभ्यर्थी तब तक सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने उक्त प्रतिभूति निक्षेप जमा न कर दिया हो।

(ग) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) तथा सदस्य के पदों पर, निर्वाचन लड़ने की वांछा रखने वाला अभ्यर्थी, नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय के पूर्व निर्वाचन अधिकारी के पास क्रमशः रुपये 1000 (रुपये एक हजार केवल) और रुपये 600 (रुपये छह सौ केवल) नकद राशि प्रतिभूति निक्षेप और उसके लिये अभिप्राप्त की गई रसीद जमा करेगा या जमा करवाएगा। कोई भी अभ्यर्थी तब तक सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने पूर्वोक्त प्रतिभूति निक्षेप न कर दिया हो।

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों में नामनिर्दिष्ट किया गया हो वहां उससे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) यदि उस निमित्त नियत किये गये समय के भीतर कोई नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप जमा किया गया है या ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसका नामनिर्देशन रद्द हो गया है या यदि वह नियम 18 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, सम्बन्ध में जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि उस व्यक्ति को तत्काल लौटा दी जाएगी। जिसके द्वारा वह जमा की गई हो और यदि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व

किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कोई प्रतिभूति निक्षेप की राशि, जो उसके द्वारा जमा की गई हो उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दी जाएगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं की गई हो तो उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हों।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप जमा किया जा चुका हो, निर्वाचित नहीं होता है और उसे मतदान में प्राप्त वैध मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतदान में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या के अष्टमांश (1/8) से अधिक नहीं है तो उसका जमा प्रतिभूति निक्षेप सरकार को सहपहृत हो जाएगा।

(4) किसी अभ्यर्थी के संबंध में जमा प्रतिभूति निक्षेप यदि उसे उपनियम (3) के अधीन समपहृत नहीं किया गया है तो वह यथास्थिति अभ्यर्थी को या उस व्यक्ति को, जिसने कि उसकी ओर से उसे जमा किया हो, नियम 52 के अनुसार निर्वाचन के परिणाम में प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन के भीतर लौटा दिया जाएगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन किसी व्यक्ति को लौटाये जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वैध प्रतिनिधि को लौटाया जाएगा।

(6) इन नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा, प्राधिकृत कोई व्यक्ति, निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् एक आदेश पारित करेगा कि क्या उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप वापिस किया जाएगा या समपहृत किया जाएगा। संबंधित जल उपभोक्ता संस्था का सक्षम प्राधिकारी, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप किया है या उसके वैध प्रतिनिधि को प्रतिभूति निक्षेप लौटा देगा, यदि ऐसा प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदेय है, उस नियम (2) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण की दशा में, निर्वाचन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप जमा किया है ऐसे समपहरण के लिए कारणों को देते हुए एक आदेश संसूचित करेगा।

(7) यथास्थिति, जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/परियोजना समिति में जमा निर्वाचन प्रतिभूति निक्षेप, आक्षेप फीस आदि के मुद्दे प्राप्त की गई रकमें, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों में उपबंधित किसी कारण के लिए संबंधित व्यक्ति को किए गए किन्ही प्रतिदायों की कटौती करने के पश्चात् सरकारी खाते में विप्रेषित की जाएगी।

16. **नामनिर्देशनों का प्रकाशन :-** उक्त प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख पर, नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट समय का अवसान होने के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, प्राप्त किए गए समस्त नामनिर्देशनों की एक सूची, जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 4 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 21 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप-31 में हिन्दी भाषा में उसके कार्यालय में एक सूचना सहित प्रकाशित करेगा कि विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर नामनिर्देशन पर जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे।

17. **नामनिर्देशन-पत्रों की जांच-** (1) नामनिर्देशन की जांच के लिए नियत की गई तारीख पर अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा कि नियम, 16 के अधीन विनिर्दिष्ट किया जो उपस्थित हो सकेगा। कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होने के लिए हकदार नहीं होगा। तथापि निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्तियों को उसकी सहायता करने के लिए प्रवेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे। निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की, जो कि पूर्वोक्तानुसार प्राप्त किए गए हैं, जांच करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी तब नामनिर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों पर जो कि किसी नाम निर्देशन पर की जाए विनिश्चय करेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्व-प्रेरणा से संक्षिप्त जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) अभ्यर्थी, अधिनियम की धारा 14 के अधीन, यथा स्थिति जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित हैं; या

(ख) कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या दोनों के नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत नहीं है; या

(ग) कि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक नियम 13 या 15 के किन्हीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है; या

(घ) कि नामनिर्देशन-पत्र में अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप सही नहीं है।

परन्तु निर्वाचन अधिकारी लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि या ऐसी कमी, जो सारवान स्वरूप की नहीं है के आधार पर नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकार नहीं करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए उसके कारणों का एक संक्षिप्त वितरण लेखबद्ध करेगा। जांच, यथा समय नियम, 16 के अधीन इस नियत की गई तारीख को पूर्ण की जाएगी और कार्यवाहियों का कोई भी स्थगन किसी अभ्यर्थी को उसकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध उद्भूत किए गए प्रतिविरोध का खण्डन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के सिवाय सामान्यतया अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए यथा स्थिति जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/परियोजना समिति में प्रवृत्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/परियोजना समिति का तब तक एक निर्वाचक है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाये कि वह अधिनियम में उल्लिखित किसी निरर्हता के अध्यधीन है।

(5) समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की जांच और उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित विनिश्चय को अभिलिखित करने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची, यथास्थिति जल उपभोक्ता संस्था के लिए प्ररूप 5 में वितरिका समिति के लिए प्ररूप 22 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 32 में अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा।

18. अभ्यर्थिता वापस लेना – (1) कोई भी अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संस्था के लिए प्ररूप 6 में वितरिका समिति के लिए प्ररूप 23 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 33 में स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा और ऐसी सूचना ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, उसके नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात और जल उपभोक्ता संस्था के मामले में नामनिर्देशकों की जांच के लिए नियत किये गये दिन के उत्तरवर्ती तीसरे दिन अपराह्न 3 बजे तक और वितरिका समिति और परियोजना समिति के मामले में उसी

तारीख को अपरान्ह 1 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे के मध्य किसी भी समय, न कि उसके पश्चात्, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो, निर्वाचन अधिकारी को परिदत्त करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा। निर्वाचन अधिकारी वापसी की सूचना और उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान की विशुद्धता के बारे स्वयं का समाधान होने पर जल उपभोक्ता संथा हेतु प्ररूप 6 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 23 में ,परियोजना समिति के लिए प्ररूप 33 में उपबंधित किए गये अनुसार उसके लिए रसीद देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन वापसी की सूचना प्राप्त होने पर यथाशक्य शीघ्र जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 7 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 24 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 34 में वापसी की सूचना प्रकाशित करवाएगा।

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है, उसी निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी के रूप में वापसी को रद्द करने या पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

19. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन – (1) निर्वाचन अधिकारी, नामनिर्देशनों की जांच के दो दिन पश्चात्, जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 8 में और उसी दिन वितरिका समिति के लिये प्ररूप 25 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 35 में हिन्दी भाषा में ऐसे व्यक्तियों की, जिनके नामनिर्देशन अस्वीकृत नहीं किये गये हैं और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं ली है एक सूची तैयार करेगा और उसके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित करेगा।

(2) सूची में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में वर्णक्रम के अंतर्विष्ट होंगे और उन्हें उनके नामनिर्देशन पत्र के अनुसार किया जाएगा और यदि मतदान आवश्यक पाया गया तो उसमें उप नियम (3) के अधीन उन्हें आवंटित सुभिन्न चिन्ह भी विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) यदि मतदान आवश्यक समझा जाए तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को, ऐसे निदेशों के अधधीन रहते हुए, जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं, एक चुभिन्न चिन्ह न्यस्त करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां कोई चिन्ह उपनियम (3) के अधीन अभ्यर्थी को न्यस्त किया जाए, वहां ऐसे अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसे न्यस्त किये गये चिन्ह से संबंधित सूचना तत्काल दी जाएगी और उसका प्रतिरूप (स्पेसीमेन) प्रदान किया जाएगा।

20. अविरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा – (1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा।

(2) यदि विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट एक ही अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थी को जल उपभोक्ता संस्था के लिये प्ररूप 9 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 28 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 38 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

21. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु – यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान होने पर, मतदान प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारंभ की जाएंगी, मानो कि नया निर्वाचन हो :

परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में कोई नया नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो कि मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट रहा था।

परन्तु यह और भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने के पूर्व नियम 18 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना दे दी है, ऐसे प्रत्यादिष्ट होने के पश्चात् निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये अपात्र होगा।

22. अभिकर्ताओं की नियुक्ति – (1) (क) किसी जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष के पद के किसी निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी, किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में उसे दो प्रतियों में निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करते हुये दी जायेगी जो नियुक्ति में उसके अनुमोदन के प्रमाण स्वरूप उसकी एक प्रति पर अपनी मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर करके एक प्रति निर्वाचन अभिकर्ता को वापस करेगा।

(ख) निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन से संबंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा, जैसा कि इन नियमों के द्वारा या उसके अधीन एक निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने के लिये प्राधिकृत हों।

(2) (क) ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में एक अभिकर्ता और एक रिलीफ अभिकर्ता होगा।

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 11 में की जायेगी और मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने के लिये मतदान अभिकर्ता को सौंपी जायेगी।

(ग) किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने उप नियम (2) के अधीन उसकी नियुक्ति का दस्तावेज सम्यक् रूप से पूर्ण करते हुए और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करके, पीठासीन अधिकारी को परिदत्त न कर दिया हो।

(घ) कोई मतदान अभिकर्ता, मतदान से संबंधित से कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत हों।

(3) (क) प्रत्येक अभ्यर्थी मतगणना के लिये नियत स्थान या स्थानों पर उतनी संख्या में मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा। जो कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 में दो प्रतियों में की जायेगी जिसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना अभिकर्ता को, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मतगणना के लिये नियत किये गये समय के एक घण्टे अपश्चात् उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) मतगणना अभिकर्ता, मतों की गणना के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा उनके अधीन प्राधिकृत किए जाएं।

(4) (क) प्रत्येक निर्वाचन में, जहां कि मतदान हो, ऐसे निर्वाचन में निर्वाचन लड़नेवाला प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(ख) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी स्वयं या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसा कोई कार्य या बात कर सकेगा जो कि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता, यदि नियुक्त किया जाता तो इन नियमों द्वारा या उनके अधीन करने के लिये प्राधिकृत होता, या वह कोई ऐसा कार्य या बात करने में किसी मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सहायता कर सकेगा।

(5) जहां कोई कार्य या बात, मतदान या मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किये जाने के लिए इन नियमों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है तो इस प्रयोजन के लिये नियत किये गये समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति, यदि कार्य या बात सम्यक् रूप से अन्यथा कर दी गई है, किये गये कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं करेगी।

23. मतदान : (1) यदि मतदान किया जाना हो तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक पीठासीन अधिकारियों को तुरन्त नियुक्त करेगा और उनकी सेवाओं के लिये सरकार द्वारा नियत किये गये पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगा। निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के लिये इतनी संख्या में मतदान अधिकारी की व्यवस्था करेगा जितने कि आवश्यक हों, और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचकों की पहचान करने के लिये पीठासीन अधिकारी की सहायता करने हेतु एक या अधिक पहचान अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी यह देखेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से संचालित हों और उस उद्देश्य के लिये एक समय में प्रवेश दिये जाने के लिये निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करने के लिये मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखेगा और —

(क) अभ्यर्थियों और मतदान प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में नियुक्त किया गया एक मतदान अभिकर्ता,

(ख) कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस या अन्य लोक सेवक,

- (ग) मतदान अधिकारी और ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश दें,
- (घ) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
- (ङ) निर्वाचक के साथ उसकी गोद में का बालक, और
- (च) ऐसा व्यक्ति जो किसी दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथ है जो कि बिना सहायता के नहीं चल सकता, को छोड़कर समस्त व्यक्ति अपवर्जित रहेंगे।

(3) जहां कोई महिला निर्वाचक परदा करने के कारण, उप नियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये पहचान अधिकारी द्वारा पहचानी न जा सके तो उससे अपने किसी निकटतम नातेदारों द्वारा पहचाने जाने की अपेक्षा तब तक की जा सकेगी, जब तक कि वह अपनी पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी का अन्यथा समाधान नहीं कर देती है।

स्पष्टीकरण — यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति इस उप नियम के अर्थ के अंतर्गत निकटतम नातेदार है या नहीं तो इसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

24. मताधिकार :- समस्त निर्वाचक, नियमों के अधीन उपलब्ध कराये गये मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगे।

25. मतदान केन्द्र की व्यवस्था :- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे :-

- (क) मतदान क्षेत्र सुसंगत मतदाता सूची में उन निर्वाचकों का अनुक्रमांक, जो मतदान केन्द्र पर, मतदान के हकदार हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो इस प्रकार हकदार मतदाताओं का विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना :
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, उनके, अनुक्रमांक और उन्हें दिये गये चिन्ह, और

- (ग) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक या अधिक पृथक् प्रकोष्ठ अन्तर्विष्ट होंगे जिसमें निर्वाचक मतदान करेंगे।

नोट : मतदान केन्द्र में संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मतदाताओं को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था होनी चाहिए :

- (2) मतदान बूथ पर दो मतपेटियां होंगी, उनमें से एक प्रबंध समिति के सदस्य के लिये और दूसरी जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिये रहेगी :

परन्तु जहां जल उपभोक्ता संथा के निर्वाचन के लिये मतदाताओं की संख्या कम है वहां जिला निर्वाचन प्राधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या पर निर्भर रहते हुये अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये मत डालने हेतु एक मतपेटी का उपयोग कर सकेगा।

- (3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचक नामावली या उसके ऐसे भाग की प्रतियों के साथ जिनमें मतदान के हकदार निर्वाचकों के नाम अन्तर्विष्ट हों पर्याप्त संख्या में मतपेटियां और ऐसे अन्य कागज (पेपर) तथा मतपत्रों पर चिन्ह लगाने हेतु निर्वाचकों के लिये आवश्यक वस्तुएं, स्टेशनरी और प्ररूप, जो आवश्यक समझे जाएं, उपलब्ध करायेगा।

26 मतपेटियों का तैयार किया जाना — (1) जहां मतपेटी सुरक्षित रखे जाने के लिये पेपर सील का उपयोग किया जाता हो, वहां पीठासीन अधिकारी, पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं के, जो कि उस पर करने की वांछा करें, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

- (2) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् मतपेटी में उसके लिये नियत स्थान में इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील चिपकायेगा और तब सुनिश्चित करेगा और ऐसी रीति में पेटी को सुरक्षित करके सील करेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये स्थान खुला हो।

- (3) किसी मतपेटी को सुरक्षित रखने के लिये उपयोग में लाई गई सील ऐसी रीति में की जायेगी कि पेटी बंद हो जाने के पश्चात बिना सील तोड़े उसका खोला जाना संभव नहीं हो.

(4) जहां पेपर सील का उपयोग मतपेटी सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक नहीं है, वहां पीठासीन अधिकारी ऐसी रीति में मतपेटी सील कर सुनिश्चित करेगा कि उसमें मत डालने के लिये स्थान खुला हो और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो उन्हें सील लगाने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(5) किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग की गई प्रत्येक मतपेटी के भीतर तथा बाहर दोनों तरफ लेबिल के साथ निम्नलिखित चिन्हित होगा :

(क) मतदान केन्द्र का वर्णन,

(ख) मतपेटी का अनुक्रमांक (केवल मतपेटी के बाहरी तरफ लेबिल पर मतपत्र के एक ओर भरा जायेगा), और

(ग) मतदान की तारीख,

(6) पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतपेटी खाली है और उपनियम (5) में निर्दिष्ट लेबिल है।

(7) मतपेटी तब बन्द की जाएगी, सील की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं की नजर में रखी जाएगी।

(8) पीठासन अधिकारी, मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मतदान अभिकर्ता तथा उपस्थित अन्य को मतदान के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली मतदाता सूची की यथा स्थिति चिह्निन्त् ,प्रति या चिन्हित प्रतियां प्रदर्शित करेगा।

27 मतपत्र का प्ररूप — (1) प्रत्येक मतपत्र उससे संलग्न प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) के साथ होगा और उक्त मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, निर्देश दें।

(2) प्रत्येक मतपत्र किसी निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व :-

(क) मुद्रांकित होगा और उसके पीछे ऐसे ब्यौरे लिखे होंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

मतदान केन्द्र का नाम तथा क्रमांक,

जल उपभोक्ता संस्था का नाम,

राजस्व सर्किल का नाम,

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पीछे पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे।

28 मतपत्र का जारी किया जाना – (1) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी किया जाता है उसके अव्यवहित पूर्व पीठासीन अधिकारी, –

(क) मतदाता सूची में यथा कथित रूप से निर्वाचक का क्रमांक, नाम तथा विवरण आहूत करेगा, और

(ख) उसके प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की मतदाता सूची का क्रमांक रिकार्ड करेगा तथा उक्त प्रतिपर्ण पर उक्त निर्वाचक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा या अंगूठे का निशान लगवाएगा:

परन्तु कोई मतपत्र निर्वाचक को तब तक परिदत्त नहीं किया जायेगा तब तक कि वह उक्त मतपत्र के प्रतिपर्ण पद अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है या अंगूठे का निशान नहीं लगा देता है।

(2) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी प्रत्येक मामले में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के नीचे लाइन खींचेगा तथा जहां निर्वाचक कोई महिला वहां महिला निर्वाचक के नाम के बांये हाथ की तरफ भी सही (✓) का निशान लगायेगा।

(3) यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसके बाएं हाथ की तर्जनी (फोर फिंगर) की त्वचा और नाखून की जड़ के बीच के कोर पर अलोप्य स्याही से चिन्ह लगायेगा।

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक को जारी किये गये मतपत्रों का अनुक्रमांक नोट नहीं करेगा।

29 निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना तथा मतदान की प्रक्रिया :-

(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 28 के अधीन या इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन मतपत्र जारी किया जाता है, मतदान केन्द्र के भीतर गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिये इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा—

(2) निर्वाचक यथास्थिति मतपत्र या मतपत्रों को प्राप्त कर, शीघ्र —

(क) मतदान प्रकोष्ठों में से एक में जायेगा,

(ख) मत पत्र पर उक्त प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये साधन से अभ्यर्थी को जिसको कि वह मत देने का आशय रखता हो, आवंटित चिन्ह पर या उसके पास निशान अंकित करेगा,

(ग) मतपत्र या मतपत्रों को पहले खड़ा और उसके बाद आड़ा इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त बना रहे,

(घ) मुड़ा हुआ मतपत्र विनिर्दिष्ट मतपेटी में डालेगा, और

(ङ) दिये गये निकास द्वारा मतदान केन्द्र छोड़ेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी असम्यक विलम्ब के मत डालेगा।

(4) किसी भी निर्वाचक को मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश की अनुज्ञा नहीं होगी तबकि कोई दूसरा निर्वाचक उसके भीतर हों।

(5) यदि ऐसा निर्वाचक जिसको मतपत्र जारी किया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी इंकार करता है तो उसे जारी किया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके निर्देश के अधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) पीठासीन अधिकारी मतपत्र वापस लेने के पश्चात् उसके पीछे शब्द “रद्द किया गया” मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित” को अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे समस्त मतपत्रों को एक पृथक् लिफाफे में रखा जायेगा जिसके ऊपर शब्द “मतपत्र—मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित” अंकित रहेंगे।

(7) किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिये ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन ऐसा मतपत्र वापस लिया गया है दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत की, यदि कोई हो, गणना नहीं की जाएगी।

30 दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाता — (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धत्व या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र पर चिन्ह पहचानने तथा उस पर निशान लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक की इच्छानुसार मतपत्र पर उसका मत रिकार्ड करेगा, उसे इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त रहे और मतपेटी में उसे डालेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन कार्य करते समय गोपनीयता का पालन करेगा और प्रत्येक ऐसे दृष्टांतों का संक्षिप्त रिकार्ड रखेगा किन्तु उस रीति को इसमें कोई मत दिया गया इसमें उपदर्शित नहीं किया जायेगा।

31 महिला निर्वाचकों को सुविधाएं — महिला निर्वाचकों को संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार विशेष सुविधाएं दी जा सकेंगी।

32 निर्वाचकों की पहचान :- जब कोई व्यक्ति स्वयं मतदान के लिये उपस्थित होता है और उसे मतपत्र प्रदान किये जाने से पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी स्वप्रेरणा से और यदि किसी अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित में से या तो एक या दोनों प्रश्न कर सकेगा :-

- (1) क्या आप निम्नलिखित रूप में नामांकित व्यक्ति हैं (नामावली से समस्त प्रविष्टि पढ़कर).
- (2) क्या आपने वर्तमान निर्वाचन में इस मतदान केन्द्र पर या किसी अन्य मतदान केन्द्र पर पूर्व में मतदान किया है ? और व्यक्ति को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा

जब तक कि वह उससे पूछे गये प्रश्न या प्रश्नों के बिना शर्त उत्तर, ऐसे प्रश्नों में से प्रथम सकारात्मक और द्वितीय नकारात्मक में नहीं दे देता। इसमें उल्लिखित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में पाया जाता है, मतपत्र दिये जाने हेतु हकदार होगा।

33 निविदत्त मत – (1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट मतदाता दर्शाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसे मतदाता के रूप में पूर्व में ही मतदान कर लिये जाने के पश्चात मतपत्र के लिये आवेदन करता है तो वह अपनी पहचान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर, जैसा कि पीठासीन अधिकारी पूछे, निम्नलिखित उपबंध के अधीन रहते हुए मतपत्र को (इसमें इसके पश्चात इन नियमों में “निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट” है) उसी रीति में, जैसा कि कोई अन्य मतदाता चिन्हित करें, चिन्हित करने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किया जाने के पूर्व प्ररूप 13 में की सूची में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा।

(3) निविदत्त मतपत्र मतदान में उपयोग में लाए गए, मतपत्र के समान होगा, सिवाय इसके कि यह :—

(क) मतदान केन्द्रों में उपयोग के लिये जारी किये गये मतपत्रों के बंडल के नीचे से उत्तरोत्तर मामलों में क्रमवार लिया जाएगा ; और

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के हाथ से तथा अपने हस्ताक्षर से शब्द “निविदत्त मतपत्र” सहित उसके पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा।

(4) निर्वाचक, मतदान प्रकोष्ठ में निविदत्त मतपत्र देने के पश्चात् और उसके मोड़कर मतपेटी में डालने के स्थान पर पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशिष्टतया रखे गये एक लिफाफे में रखेगा।

34 पहचान को चुनौती :— (1) कोई भी मतदान अभिकर्ता, कोई विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान को चुनौती, पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक ऐसी चुनौती के लिये पांच रुपये की राशि नकद में पहले जमा करने पर दे सकेगा।

- (2) इस प्रकार जमा किये जाने पर पीठासीन अधिकारी :-
- (क) चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण की शास्ति की चेतावनी देगा;
 - (ख) मतदाता सूची में सुसंगत प्रविष्टि पूर्णतः पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ही है ;
 - (ग) प्ररूप 14 में आपत्ति किये गये मतों की सूची में उसके नाम तथा पते की प्रविष्टि करेगा; और
 - (घ) उससे अपेक्षा करेगा कि वह उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करे या अंगूठे का निशान लगाए।
- (3) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् चुनौती के बारे में संक्षिप्त जांच करेगा और उप प्रयोजन के लिये :-
- (क) चुनौती के सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु चुनौतीकर्ता और उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान के सबूत की साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :
 - (ख) उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन हेतु कोई भी आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा तथा शपथ पर उसके उत्तर की अपेक्षा कर सकेगा ; और
 - (ग) चुनौतीकर्ता तथा किसी अन्य व्यक्ति को, जो साक्ष्य देना चाहता हो, शपथ दिला सकेगा।
- (4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी यह समझता है कि चुनौती सुस्थित नहीं हुई है तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मत देने के लिये अनुज्ञात करेगा तथा यदि वह समझता है कि चुनौती सुस्थित हो चुकी है, तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मतदान करने से वंचित कर देगा।
- (5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावनापूर्ण नहीं दी गई है तो वह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप, सरकार को

समपहृत हो जायेगा और किसी अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे चुनौतीकर्ता को वापस कर देगा।

35 प्रतिरूपण के विरुद्ध संरक्षण :- (1) प्रत्येक निर्वाचक जिसकी पहचान के बारे में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसकी बांयी तर्जनी का निरीक्षण किये जाने की तथा अलोप्य स्याही से उस पर निशान लगाए जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) किसी निर्वाचक की बांयी तर्जनी के संबंध में इस नियम में किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि जहां निर्वाचक की बांयी तर्जनी नहीं है वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी अन्य उंगली से ही और ऐसे मामले में, जहां उसके दोनों हाथों की उंगलियां नहीं हैं वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसकी बांयी या दाईं भुजा से, जो भी वह रखता हो, है.

(3) पीठासीन अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मतदान करने के लिये मतपत्र देने से इंकार कर दें, यदि मतपत्र के लिये आवेदन करते समय ऐसे व्यक्ति को उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अलोप्य स्याही का निशान पूर्व से ही लगा है .

36 खराब तथा वापिस किया गया मतपत्र — (1) ऐसा निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र के प्रति आवश्यकता की है, पीठासीन अधिकारी को अपना मतपत्र परिदत्त करने पर और उसकी अनवधानता से उसका समाधान हो जाने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकेगा और इस प्रकार वापस किये गये मतपत्र तथा ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा “खराब रद्द किया गया” चिन्हित किया जायेगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् विनिश्चय करता है कि उसका उपयोग नहीं करना है तो वह पीठासीन अधिकारी को उसे वापस कर देगा और इस प्रकार वापस किया हुआ मतपत्र तथा मतपत्र का प्रतिपर्ण, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा “वापस किया गया रद्द किया गया” चिन्हित किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) तथा उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त मतपत्र, एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे।

37 मतदान बंद किया जाना और मतदान के पश्चात् मतपेटियों और लिफाफों को सील करना – (1) पीठासीन अधिकारी, नियम 11 के उपनियम (5) के खण्ड (ड.) के अधीन मतदान बन्द करने के लिये नियत किये गये समय पर मतदान को बन्द कर देगा और उसके पश्चात् मतदान केन्द्र में किसी भी निर्वाचक को प्रवेश नहीं देगा :

परन्तु मतदान बन्द होने के पूर्व उपस्थित समस्त निर्वाचकों को मत देने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई निर्वाचक मतदान बन्द होने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित था तो यह पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, मतदान के बन्द होने के पश्चात् मतपेटी के दीर्घ (स्लिट) को बन्द करेगा और जहां मतपेटी में दीर्घ छिद्र को बंद करने के लिये कोई यांत्रिकी युक्ति नहीं है तो वह दीर्घ छिद्र को सील करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को अपनी मुद्रा लगाने के लिये अनुज्ञान करेगा। उसके पश्चात् मतपेटी को सील बन्द किया जायेगा तथा उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

(4) जहां प्रथम मतपेटी पूरी भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग किया जाना आवश्यक हो तो दूसरी मतपेटी का उपयोग करने से पूर्व प्रथम पेटी बन्द की जायेगी, उसे सील किया जायेगा और उसे सुरक्षित रखा जायेगा जैसा कि उप नियम (3) में यथा उपबन्धित हैं

(5) इस नियम के पूर्वगामी उपबन्ध किसी मतदान केन्द्र के ऐसे पीठासीन अधिकारी को लागू नहीं होंगे जिसको संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी ने निर्देश जारी कर उपनियम (6) के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये हैं।

(6) किसी ऐसे मतदान केन्द्र में, जैसा कि उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये, पीठासीन अधिकारी, मतदान बन्द होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र –

(क) उस मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों में के समस्त मतपत्रों को, उनकी जांच या उसकी गणना किये बिना तथा मतपत्र की गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखते हुये उपस्थित मतदान अभिकर्ता को यह प्रदर्शित करने के

पश्चात् कि थैला या लिफाफा (कवर) खाली है, कपड़े के थैले या क्लाथ लाइन कवर में अंतरित करेगा; और

(ख) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को, प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने तथा उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिये वह खाली रखी गई है, अनुज्ञात करेगा।

(7) उपस्थित मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान बन्द होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निम्न को पृथक् पैकेटों में रखेगा और अपनी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा सहित, जैसा कि उनकी मुद्रा लगाने के लिये विनिश्चय किया जाए, सील करेगा :

(एक) निविदत्त मतपत्र,

(दो) बिना उपयोग किये मतपत्र,

(तीन) खराब तथा वापस किये गये मतपत्र,

(चार) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति,

(पांच) निविदत्त मतदाताओं की सूची,

(छः) नियम 34 के उपनियम (2) में उल्लिखित विवरण या विवरणों सहित उन मतों की सूची, जिनके संबंध में चुनौती दी गई है,

(सात) उपयोग किये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण, और

(आठ) नियम 29 के अधीन मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किये गये मतपत्र।

(8) प्रत्येक पेकेट को क्रमांकित किया जाएगा तथा उसमें उसकी विषय वस्तु, निर्वाचन तथा मतदान केन्द्रों के विवरण की बाबत एक टिप्पण होगा। जहां मतदान केन्द्र पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है, वहां पीठासीन अधिकारी प्ररूप 15 में विवरण सहित “निरंक” रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

38 मतपत्रों, मतपेटियों, पैकेटों आदि का लेखा – (1) पैकेटों के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपेटियों में मतपत्रों तथा अप्रयुक्त, खराब, वापिस किये गये तथा निविदत्त

मतपत्रों की संख्या दर्शाते हुए प्ररूप 15 में दिया गया एक पृथक् विवरण संलग्न होगा।
पीठासीन अधिकारी तब निर्वाचन अधिकारी को ऐसे स्थान पर निम्नलिखित परिदत्त
करेगा या करवाएगा, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें :

- (क) मतपेटियां या यथास्थिति, नियम 37 में निर्दिष्ट थैलियां (बैग्स) या लिफाफें,
- (ख) मतपत्रों का लेख या लेखे,
- (ग) नियम 37 में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट या सीलबन्द पैकेटों के सेट, और
- (घ) मतदान में उपयोग में लाये गये समस्त अन्य कागज-पत्र।

(2) निर्वाचन अधिकारी, समस्त मतपेटियों, पैकेट तथा अन्य कागज-पत्र के सुरक्षित
परिवहन के लिये यथोचित इन्तजाम करेगा और उनको तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जब
तक कि मतों की गिनती शुरू नहीं हो जाती है।

39 मतपेटियों को खोलने की जांच तथा मतों की गणना — (1) (क) मतगणना, इस
निमित्त नियम किये गये दिन तथा स्थान और समय पर शुरू की जायेगी।

(ख) निर्वाचन अधिकारी, मतदान के लिये नियत की गई तारीख के कम से कम तीन
दिन पूर्व या तारीखों के प्रथम दिन स्थान या स्थानों, जहां कि मतों की गिनती होनी है
और वह तारीख तथा समय, जिसको गणना शुरू होगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके
निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में उसकी सूचना देगा :

परन्तु यदि निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से यह पाता है कि ऐसा करना
आवश्यक है तो वह इस प्रकार तारीख, समय तथा स्थान या स्थानों या उनमें से किसी को,
प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को इसकी लिखित सूचना देकर परिवर्तित कर
सकेगा।

(ग) मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जायेगी।
निर्वाचन अधिकारी ऐसी संख्या में गणना सहायकों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह मतों
की गणना करने में अपनी सहायता के लिये आवश्यक समझे।

(घ) सिवाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में उसकी सहायता के लिये नियुक्त किया है प्रत्येक अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि को जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया है उपस्थित होने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया है या कोई भी व्यक्ति, जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन से सम्बद्ध है मतों की गणना में सहायता के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) (क) निर्वाचन अधिकारी, एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग की गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोल सकेगा या खुलवायेगा तथा ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और प्ररूप 15 में मतपत्र के भाग दो में लेखा अभिलिखित करेगा।

(ख) यथा पूर्वोक्त अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और प्ररूप 15 के भाग एक की मद 3 में यथा दर्शित मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की कुल संख्या में से उसकी मद 4 में यथा दर्शित रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या और उसकी मद 5 में यथा दर्शित पत्रों की संख्या घटाकर आई संख्या के बीच के फर्क यदि कोई हो को भी प्ररूप 15 के भाग 2 में अभिलिखित किया जायेगा।

(ग) मतगणना के लिये किसी मतपेटी को खोलने से पूर्व, वहां उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को पेपर सील या ऐसी अन्य सील का जो उस पर लगी हो तथा उनका समाधान करने के लिए कि मतपेटी, जैसी की तैसी दशा में है, निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) निर्वाचन अधिकारी इस बात से स्वयं का समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटी के साथ किसी भी प्रकार से वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

(ङ.) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ हुई है तो वह उस मतपेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा तथा उस मतदान केन्द्र के संबंध में नियम 44 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, यथासाध्य मतों की गणना निरंतर चालू रखेगा तथा किन्हीं आवश्यक अन्तरालों के दौरान, जिनके दौरान मतगणना स्थगित की जाए, निर्वाचन से संबंधित

मतपत्रों, पैकेटों तथा अन्य दस्तावेजों को, उसकी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा, जैसी कि उन पर लगाने की वांछा की जाए, के अधीन रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी रखवाएगा।

40 गणना के लिये नियत स्थान पर प्रवेश :- पीठासीन अधिकारी मतगणना के नियत स्थान पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश अपवर्जित करेगा –

- (क) ऐसे व्यक्ति जो गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों के रूप में ज्ञात हों, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिये नियुक्त करें;
- (ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- (ग) निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक; और
- (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधि जिसे अभ्यर्थियों द्वारा लिखित में गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो।

41 मतपत्रों को रद्द किया जाना – (1) ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जैसे कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्रवार की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपत्र को रद्द कर देगा –

- (क) यदि उस पर कोई चिन्ह या लिखावट है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके; या
- (ख) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं है जिससे मत उपदर्शित हो, उस पर और कहीं चिन्ह लगा है या मतपत्र में स्पष्टतः अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी के चिन्ह के पास या इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से कोई चिन्ह लगा है ; या
- (ग) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया गया है ; या
- (घ) यदि उस पर मत उपदर्शित करते हुए कोई निशान ऐसी रीति में दिया गया है जो यह शंकास्पद बनाता हो कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है ; या

- (ड.) यदि वह एक नकली मतपत्र है ; या
- (च) यदि वह ऐसा क्षतिग्रस्त या बिगड़े स्वरूप में है जिससे वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न की जा सके ; या
- (छ) यदि उसका अनुक्रमांक या उसकी डिजाइन, यथास्थिति, उस मतपत्र के अनुक्रमांक या डिजाइन से भिन्न है जो विशिष्ट मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिये प्राधिकृत किया गया है ; या
- (ज) यदि उस पर दोनों सुभेदक चिन्ह नहीं है तथा हस्ताक्षर, नहीं है जो नियम 27 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए :

परन्तु जहां निर्वाचन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित कोई ऐसी त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की गलती या असफलता के कारण हुई है, जो मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के कारण निरस्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि मतपत्र केवल ऐसे आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि मत उपदर्शित करता हुआ निशान अस्पष्ट या एक से अधिकवार लगाया गया है, यदि उस तरीके से, जिससे मतपत्र पर निशान लगाया गया है, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मत दिया गया है।

- (3) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतपत्र को निरस्त करने से पूर्व उपस्थित प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को मतपत्र का निरीक्षण करने हेतु युक्ति-युक्त अवसर अनुज्ञात करेगा, किन्तु उसको इसे या अन्य मतपत्र का प्रयोग करने को अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (4) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतपत्र पर जिसको वह निरस्त करता है, शब्द “निरस्त” तथा निरस्त करने का आधार संक्षिप्त रूप में या तो स्वयं के हाथ से या रबर स्टाम्प द्वारा प्रष्टांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा।
- (5) इन नियम के अधीन निरस्त किये गये समस्त मतपत्र एक साथ बांधें जायेंगे।

(6) प्रत्येक मतपत्र की गणना जो इस नियम के अधीन निरस्त नहीं किये गये हैं, एक अधिमान्य मत के रूप में की जायेगी :

परन्तु ऐसे कवर, जिनमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट हों, खोले नहीं जाएंगे और किसी ऐसे मतपत्र की गणना नहीं की जायेगी।

(7) किसी जल उपभोक्ता संस्था में उपयोग की गई समस्त मतपेटियों में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों की गणना पूर्ण होने के पश्चात, निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम-पत्रक (रिजल्ट शीट) में प्रविष्टियां करेगा तथा विशिष्टियों की उद्घोषणा करेगा।

(8) मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय केवल जांच के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

42 मतों की पुनर्गणना :- (1) नियम 41 के उपनियम (7) के अधीन की गई ऐसी उद्घोषणा के बाद, कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता, निर्वाचन अधिकारी को मतों की या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना करने के लिए उन आधारों को कथित करते हुए जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करे आवेदन कर सकेगां

(2) ऐसे आवेदन किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी, मामले को विनिश्चित करेगा तथा आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उसे पूर्णतः निरस्त कर सकेगा, यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता हो।

(3) उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा तथा उसके लिये कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यदि निर्वाचन अधिकारी, मतों की पुनर्गणना या तो पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात करने का उपनियम (2) के अधीन विनिश्चय करता है तो वह —

(क) नियम 40 तथा 41 के अनुसार पुनर्गणना के लिये इन्तजाम करेगा ;

(ख) ऐसी पुनर्गणना के बाद प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक में आवश्यक सीमा तक संशोधन करेगा ;

(ग) उसके द्वारा इस प्रकार किए गये संशोधनों की उद्घोषणा करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या की उद्घोषणा कर दिये जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक पूर्ण करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद और या द्वितीय पुनर्गणना के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किये जाएंगे।

43 मत बराबर होना :- यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात् किन्ही अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर होना पाया जाता है तथा उनमें से कोई अभ्यर्थी एक मत की बढ़त से निर्वाचित घोषित हो सकता है, तो निर्वाचन अधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तुरंत विनिश्चय करेगा मानों कि जिसको लाट निकालता है उसने अतिरिक्त मत प्राप्त किया था।

44 मतों की गणना के समय विध्न :- (1) यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पूर्व किसी समय किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर उपयोग किये गये मतपत्र, निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा से अविधिमान्यतः ले लिये जाये या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिए जाए या खो जाएं अथवा इस सीमा तक क्षतिग्रस्त या बिगाड़ दिये जाएं कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके तो निर्वाचन अधिकारी मामले रिपोर्ट संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल करेगा।

(2) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, समस्त तात्त्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् या तो, -

(क) मतों की गणना को रोकने का निदेश दे सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान कराने के लिए दिन तथा समय नियत कर सकेगा तथा इस प्रकार नियत तारीख और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे; या

(ख) यदि यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नये मतदान का परिणाम, निर्वाचित अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह

निर्वाचन को फिर से चालू करने तथा पूर्ण करने के लिये और उस निर्वाचन के जिसके संबंध में मतों की गणना हो गई है, आगे संचालन और पूर्ण करने के लिए समुचित समझे।

(3) इन नियमों तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्ध किसी तथा प्रत्येक ऐसे नए मतदान को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान को लागू होते हैं

45 उपयोग किये गये मत-पत्रों को सीलबन्द करना :- (1) प्रत्येक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्र तथा निरस्त मतपत्र उसके बाद पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधे जायेंगे और अलग-अलग बांधे गए बंडल, पृथक्-पृथक् पैकेट में होंगे जो निर्वाचन अधिकारी की मुद्रा सहित सीलबन्द होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के, उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता चाहे तो उस पर उनकी मुद्रा लगा सकते हैं तथा इस प्रकार सीलबन्द पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित होंगे, अर्थात् —

(क) मतदान केन्द्र का क्रमांक, वार्ड का क्रमांक/जल उपभोक्ता संस्था/जनपद पंचायत का नाम ; तथा

46 मतपत्रों का कपड़े के थैले (बैग) में अंतरण :- नियम 40, 41, तथा 45 को उपबन्ध, जहां तक हो सके, मतपत्रों की गणना और उन मतों के संबंध में लागू होंगे जिनका मतपेटियों से कपड़े के थैलों में या क्लाइथ लाइन कवर में अन्तरण नियम 37 के उपनियम (6) के अधीन किया जाएगा :

परन्तु उक्त नियमों में मतपेटी के संबंध में प्रत्येक निदेश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह ऐसे थैले या लिफाफे के प्रति संदर्भ है जिसमें मतपेटी की अंतरवस्तु अंतरित कर दी गई है।

47 नए मतदान की दशा में मतों की गणना :- (1) जब नियम 52 के उपनियम (7) के अधीन नया मतदान किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी, उस मतदान के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसी तारीख और समय तथा स्थान पर, जो कि उसके द्वारा इस निमित्त नियत किया जाए और जिसके लिये अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पूर्व में सूचना दे दी गई हो, मतों की गणना पुनः प्रारंभ करेगा।

(2) ऐसी और गणना में, जहां तक हो सके, नियम 38 और 45 के उपबंध लागू होंगे।

48 परिणाम की घोषणा :- (1) नियम 43 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां तक वे किसी विशिष्ट मामले में लागू होते हों, निर्वाचन अधिकारी :-

(क) प्ररूप 17 में ऐसे अभ्यर्थी की, जिसे कि सर्वाधिक वैध मत प्राप्त हों, (नियम 41 के अधीन निर्वाचित होना) घोषणा करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी और जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा, और

(ख) प्ररूप 16 में निर्वाचन के परिणाम की प्रविष्टियां पूर्ण करेगा तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक (शीट) की प्रतियां, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को फीस का भुगतान करने पर, जो कि अन्य सरकारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रभारित की जाती है, प्रदाय की जाएगी. प्ररूप 17 की प्रतियां भी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपये का भुगतान करने का प्रदान की जायेगी। जिला निर्वाचन प्राधिकारी या निर्वाचन अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऊपर निर्दिष्ट प्रमाणित प्रतियां जारी करेगा।

49 निर्वाचन प्रमाण-पत्र का प्रदान करना — यथास्थिति, नियम 20 के अधीन या नियम 50 के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी यथाशक्यशीघ्र, ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप 18 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा तथा अभ्यर्थी से इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की हुई अभिप्राप्त करेगा और अभिस्वीकृति, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करते हुए जिला निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल भेजेगा।

50 परिणाम का प्रकाशन — निर्वाचन अधिकारी, संबंधित जल उपभोक्ता संस्था के कार्यालय में सूचना पट्ट पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना सम्यक् रूप से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा।

51 मतपत्रों का निपटारा :- (1) निर्वाचन अधिकारी, परिणामों की घोषणा के पश्चात विवरणी की एक प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उन मतपत्रों का जिनकी गणना की हुई हो, जो निरस्त हों या निविदत्त हों, पैकेट सौंपेगा। यह पैकेट खोले नहीं जायेंगे और निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के सिवाय, उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण या उन्हें पेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, पैकेट और मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां एक वर्ष के भीतर वापस करेगा और इसके पश्चात् जब तक कि निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये उन्हें नष्ट करवा देगा।

52 आपात स्थितियों में मतदान का स्थान :- (1) जहां किसी मतदान केन्द्र पर की कार्यवाहियां किसी बलवा अथवा खुली हिंसा या अन्य कारण से गंभीररूप से बाधित या अवरुद्ध हो या जहां बड़ी संख्या में निर्वाचक, किसी मतदान केन्द्र पर किसी दैवीय घटना, जैसे बाढ़ या अग्नि के कारण मतदान करने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ हों वहां पीठासीन अधिकारी, जिला निर्वाचन प्राधिकारी के आदेशों की प्राप्ति के लंबित रहने तक मतदान रोकेगा। इस तथ्य की सूचना कि मतदान इस प्रकार रोक दिया गया है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर उपस्थित व्यक्तियों को तुरंत दी जायेगी।

(2) जहां कोई पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान को रोकता है तो वह नियम 37 तथा 38 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा तथा परिस्थितियों की एक विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त भेजेगा जो उसे अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल अग्रेषित करेगा।

(3) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी उस पर यह आदेश करेगा कि :-

(क) मतदान केन्द्र पर मतदान उतने घंटों के लिये चालू किया जाये जितने के लिए वह पूर्व अवसर पर नहीं हुआ था बशर्ते कि कम से कम 50 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले हो ; या

- (ख) पूर्व अवसर पर मतदान केन्द्र पर की गई मतदान की कार्यवाही को अनदेखा किया जाये और उसे मतदान केन्द्र पर पूर्ण समय के लिये नया मतदान कराया जाये, जिसके लिये यह पूर्व अवसर पर किया गया होता ; और
- (ग) इस उपनियम के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश अंतिम होगा
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित किसी आदेश में :-
- (क) निम्नलिखित के संबंध में विवरण होगा -
- (एक) वह तारीख जिसको तथा वह समय, जिसके बीच यथास्थिति मतदान या नया मतदान किया जाएगा ; और
- (दो) वह तारीख जिसको कि तथा वह स्थान और समय जिस पर कि नियम 47 के अधीन निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना प्रारम्भ करेगा ; और
- (ख) निर्वाचन अधिकारी द्वारा, खण्ड (क) के अधीन मतदान की तारीख, स्थान तथा समय नियत करने की घोषणा का सम्बंधित मतदान क्षेत्र में व्यापक प्रचार, ऐसी रीति में, जैसा के जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, किया जाएगा।
- (5) (क) जहां कोई आदेश उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन मतदान के जारी रखने के लिये पारित किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन नई कार्यवाही करेगा तथा उपनियम के अधीन नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारी को, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त पैकेट वापिस कर देगा।
- (ख) पीठासीन अधिकारी अनुवृत्ति मतदान प्रारंभ के ठीक पूर्व से व्यक्तियों की उपस्थिति में, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, पैकेट खोलेगा और उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में उसके लिए नियत किए गये समय पर ऐसा मतदान प्रारंभ करेगा।

(ग) अनुवृत्ति (कंटीन्यूएशन) मतदान में पीठासीन अधिकारी केवल ऐसे निर्वाचकों को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा जिन्होंने पूर्व अवसर पर मतदान नहीं किया हो।

(घ) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे निर्वाचन में डाले गये मतों की गिनती तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अनुवृत्ति मतदान या नया मतदान पूर्ण नहीं हो जाता।

(ङ.) निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां कि अनुवृत्ति मतदान होना है, सीलबन्द पैकेट, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति अन्तर्विष्ट हो, मतपेटी तथा ऐसी अन्य सामग्री, जो कि मतदान के लिये अपेक्षित हो प्रदान करेगा।

(6) जहां उननियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन नए सिरे से मतदान कराने का कोई आदेश पारित किया जाता है वहां निर्वाचन अधिकारी, नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन नए सिरे से कार्यवाही करेगा तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सभी दृष्टि से, संबंधित मतदान केन्द्रों पर इस प्रकार नया मतदान कराया जायेगा मानों कि ऐसे मतदान केन्द्र पर वह प्रथम बार कराया जा रहा हो।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम के अधीन आने वाले मामलों में कोई नया नामनिर्देशन नहीं होगा।

(7) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपनियम (3) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व किसी भी समय या यथास्थिति से आदेश पारित किये जाने के पश्चात् किन्तु अनुवृत्ति मतदान या नया मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य से स्वयं का समाधान हो जाने पर, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को उस तथ्य की सूचना देगा, निर्वाचन के संबंध में आगे की समस्त कार्यवाहियां रोक देगा और सभी दृष्टि से, निर्वाचन की ऐसी कार्यवाहियां नए सिरे से शुरू करेगा जैसी कि नए निर्वाचन के लिए की जाती है :

परन्तु शेष उन अभ्यर्थियों के मामले में, नए नामनिर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि मतदान रोके जाने के समय नामनिर्दिष्ट हो चुके थे।

53 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :- जल उपभोक्ता संस्था के सदस्य या अध्यक्ष के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि

के भीतर, इन नियमों तथा उनके अधीन किये गये आदेशों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने पर भरी जायेगी।

- 54 कतिपय मामलों में सरकार की शक्ति :-** यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में, नियमों के अधीन की गई जांच से संसक्त से अन्यथा किसी भी निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में विवादों का विनिश्चय करने के लिए या अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह प्रश्न सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।
- 55 कतिपय मामलों में तारीख आदि नियत करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति :-** इन नियमों के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार या संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विशिष्टतया किसी जल उपभोक्ता संस्था के मामले में नामनिर्दिशेन फाइल किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन संबंधी कार्यवाही या उससे संबंधित या उससे संबंधित सभी या उसके किसी भी चरण के लिये इन नियमों द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट या नियत की गई तारीखों से भिन्न तारीखें तथा कालावधि नियत करने के लिये, सशक्त कर सकेगा।

अध्याय – चार

प्रबंध समिति के सदस्य तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

- 56** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन, धारा 5 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में किया जायेगा निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा,

- 57 निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा उसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर, निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।
- 58 निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 19 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों को, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में भेजी जायेगी।
- 59 निर्वाचन मतदान द्वारा कराया जायेगा तथा एक दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा –
- (1) नामनिर्देशनों की प्राप्ति पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक
 - (2) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 12.30 से अपरान्ह 1.00 बजे तक
 - (3) नामनिर्देशनों की वापसी अपरान्ह 1.00 से अपरान्ह 1.30 तक
 - (4) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 2.00 बजे
 - (5) निर्वाचन की दशा में मतदान अपरान्ह 3.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक
 - (6) मतगणना तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद,
- परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया नियम 13 से 19 के अनुसार होगी।
- 60 यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जायेगा। यदि केवल एक विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 28 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

- 61 निर्वाचन की दशा में मतपत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में प्ररूप 26 तथा 27 में हिन्दी भाषा में तैयार किये जायेंगे जो अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सदस्यों के पद के लिये पृथक् से तैयार किए जायेंगे तथा निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित रूप में संचालित किया जाएगा।
- 62 मतदान की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी पृथक्-पृथक् रूप से, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिये गये मतों की गणना करने की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा अभ्यर्थियों को निम्नानुसार प्ररूप 28 में निर्वाचित घोषित करेगा:—
- (1) अभ्यर्थी जिसने अध्यक्ष पद के लिये दिये गये मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त किये हैं, वितरिका समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित ; तथा
 - (2) अभ्यर्थी जिसने दिये गये मतों में अवरोही क्रम में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, वह उस वितरिका समिति की प्रबंध समिति के स्ट्रेंथ की सीमा तक प्रबंध समिति के सदस्य के पदों पर यथा निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- 63 दो अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लाट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
- 64 निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार पर अपने आद्यक्षर सहित अनुप्रमाणित कर हस्ताक्षर करेगा तथा कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहु संख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर भी एक सूचना अपने हस्ताक्षर से, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन व्यक्ति का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी जो वितरिका समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित हुआ है दी जायेगी।

- 65 इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से नियम 56 के अधीन बुलाए गए विशेष सम्मिलित की तारीख में, परिवर्तन का समय-समय पर निदेश दे सकेगा तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।
- 66 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्य के निर्वाचन के संचालन के लिये कोई सम्मिलन तब तक नहीं होगा जब तक कि वित्तिका समिति के कम से कम आधे सदस्य, जो निर्वाचन में मतदान के हकदार हैं, उपस्थित नहीं होते।

अध्याय – पांच

प्रबंध समिति के सदस्य और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) का निर्वाचन

- * 67. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन धारा 7 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में, अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में होगा। निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।
68. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा इसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।
- * 69. निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुये प्ररूप 29 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) और (दो) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में दी जायेगी।

* म.प्र. कृषक संगठन निवाचन नियम 1999 के नियम 67 एवं नियम 69 में संशोधन, म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 311 दिनांक 12 जून 2003 द्वारा किया गया। पेज क्रमांक 87

70.निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा और एक ही दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

- (1) नामनिर्देशनों की प्राप्ति पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक
- (2) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 12.30 से अपरान्ह 1.00 बजे तक
- (3) नामनिर्देशनों की वापसी अपरान्ह 1.00 से अपरान्ह 1.30 तक
- (4) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 2.00 बजे
- (5) विरोध की दशा में मतदान अपरान्ह 3.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक
- (6) मतों की गिनती तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद,

परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया निर्वाचन नियम के अध्याय 3 के नियम 11 से 19 के अनुसार होगी।

71. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जायेगा यदि एक ही विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 38 में सम्यक् रूप से यथानिर्वाचित घोषित करेगा और एक प्रति संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

72.चुनाव की दशा में, प्रबंध समिति के सभापति और सदस्यों के पदों के लिए पृथक्-पृथक् रूप से, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हिन्दी भाषा में वर्णक्रमानुसार नाम अन्तर्विष्ट करते हुए मतपत्र प्ररूप 36 तथा 37 में तैयार किये जायेंगे और निर्वाचन, इस प्रकार संचालित कराए जायेंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें

73 निर्वाचन अधिकारी पृथक् से प्रबंध समिति के सभापति तथा सदस्यों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दिये गये मतों की गणना की तुरंत व्यवस्था करेगा तथा अभ्यर्थियों को निम्नानुसार प्ररूप 38 में यथानिर्वाचित घोषित करेगा :-

- (1) अभ्यर्थी जो सभापति के पद के लिये दिये गये मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के पद पर यथानिर्वाचित; या

- (2) अभ्यर्थी जिसने दिये गये मतों में अवरोही क्रम में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं, वह उस परियोजना समिति की प्रबंध समिति के स्ट्रेंथ की सीमा तक प्रबंध समिति के सदस्य के पद पर यथानिर्वाचित।
- 74 दो अभ्यर्थियों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लॉट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
- 75 निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार को अनुप्रमाणित करते हुए अपने आद्याक्षर सहित हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के सदस्य तथा परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना भी प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति ऐसे अभ्यर्थी को भी जो परियोजना समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है, दी जायेगी।
- 76 इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचित अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से, नियम 56 के अधीन बुलाए गए जिसे सम्मिलित की तारीख में परिवर्तन का समय-समय पर निर्देश दे सकेगा और जिला निर्वाचन प्राधिकारी और संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।
- 77 अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्य के निर्वाचन के लिये कोई सम्मिलन तब तक नहीं होगा, जब तक कि वितरिका समिति के आधे सदस्य, जो निर्वाचन में मतदान के हकदार हैं, उपस्थित नहीं हों।

अध्याय—छह

*78. निर्वाचन याचिका फाइल करने की रीति, समय—सीमा तथा फीस

निर्वाचन के परिणाम या इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित कोई व्यक्ति, समय—सीमा के भीतर उसके लिए, सम्यक् रूप से फीस का भुगतान करके, नीचे यथा उल्लिखित अधिकारियों को एक निर्वाचन याचिका फाइल कर सकेगा—

- (एक) जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को फाइल की जाएगी।
- (दो) वितरिका समिति तथा परियोजना समिति के सदस्यों और अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका संबंधित जिले के कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को फाइल की जाएगी।

* म.प्र. कृषक संगठन निवाचन नियम 1999 के नियम 78 को जोड़ा गया। संशोधन, म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 220, दिनांक 26 अप्रैल 2006 द्वारा किया गया। पेज क्रमांक 88—89

(तीन) याचिका ग्रहण करने के लिये तीस दिन की कालावधि की संगणना, मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से की जाएगी जिसमें असफल रहने पर याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी।

(चार) उक्त याचिका फाइल करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा फीस रुपये 200/- संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को जमा की जाएगी और तत्पश्चात् यह फीस कार्यपालन यंत्री द्वारा शीर्ष 0702-01 (राजस्व प्राप्तियां) के अधीन प्रेषित की जाएगी जो किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगी तथा समपहत हुई समझी जाएगी।

(पांच) संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अंतिम तथा याचिकाकर्ता पर आबद्धकर होगा तथा किसी भी दशा में कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।

(छह) किसी निर्वाचन के पूर्ण होने और निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की दशा में, ऊपर यथा उल्लेखित समस्त ऐसे मामलों में निर्वाचन याचिका फाइल करने के लिये समय सीमा, निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से तीस दिन की होगी।

परन्तु कोई याचिका तीस दिन की विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता, संबंधित अधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर याचिका प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था तथा कोई याचिका मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से छह मास की कालावधि से परे ग्रहण नहीं की जाएगी।

प्ररूप 1

(नियम 11 (2) देखें)

जल उपभोक्ता संथा (संथाओं) के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन हेतु सूचना

जिला में

यह एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला में जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा.

1. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे—
क. तारीख को
ख. समय बजे से बजे तक
2. नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तारीख
3. अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख
4. मतदान की तारीख
5. निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना की तारीख
6. परिणामों की घोषणा एवं प्रकाशन की तारीख

संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी/

जिला निर्वाचन प्राधिकारी.

प्ररूप 2

(नियम 11(4) देखिए)

जल उपभोक्ता संस्था के प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिये निर्वाचन हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि –

1. जल उपभोक्ता संस्था का प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन किया जाना है।
2. नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को, तारीख से तक 10.30 बजे (पूर्वाह्न) से 5.00 बजे (अपरान्ह) तक परिदत्त किये जा सकते हैं।
3. नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नाम निर्देशन पत्रों की जांच (स्थान) पर तारीख को बजे की जाएगी।
5. अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में को अपरान्ह 3 बजे के पूर्व परित्त की जा सकती है।
6. निर्वाचन कराये जाने की दशा में मतदान तारीख को 7.00 बजे से 13.00 बजे तक कराया जाएगा।
7. मतदान समाप्ति के पश्चात् मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके पश्चात् परिणाम तुरन्त घोषित किये जाएंगे।

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 3

(नियम 13(1) देखिए)

जल उपभोक्ता संस्था

नाम निर्देशन-पत्र

1. जल उपभोक्ता संस्था को प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य का नाम
2. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम या क्रम संख्या
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम
4. पिता अथवा पति का नाम
5. अभ्यर्थी की निर्वाचन नामावली में क्रम संख्या
6. आयु
7. लिंग
8. व्यवसाय का पूरा नाम
9. प्रस्तावक का पूरा नाम
10. निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक की क्रम संख्या
11. प्रस्तावक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं निर्वाचन हेतु पात्र हूँ एवं निर्वाचन में खड़ा होने का इच्छुक हूँ तथा ऊपर दर्शाई गई मेरी आयु सही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त घोषणा का मेरे (अधिकारी का नाम) समक्ष श्री द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिसे श्री ग्राम द्वारा मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना गया।

ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर, जो मंडल राजस्व अधिकारी पद

निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे प्रस्तुत किया गया(व्यक्ति का नाम)

स्थान, तारीख तथा समय

निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम निर्देशन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने का अधिकारी का विनिश्चय.

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र को नियम 8 के अनुसार समझा दिया है और नियमानुसार विनिश्चय करता हूँ.

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति और जांच की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन के लिए/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से (निर्वाचन हेतु) अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र मुझे स्थान, ... तारीख, ... समय तारीख समय अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को (समय) स्थान पर की जाएगी।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 4

(नियम 16 देखिए)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु

..... (तारीख) को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	आयु	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अभ्यर्थी की क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का मतदाता सूची में प्रस्तावक की क्रम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

नाम निर्देशन पत्रों की जांच तारीख को पूर्वान्ह/अपरान्ह
(स्थान) पर की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख :

या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

(नियम 17(5) देखिए)

विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची

जिले का नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/जल उपभोक्ता संस्था
का नाम जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के
अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन.

आबंटित क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4. आदि		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 6

(नियम 18 (1) देखिए)

नाम वापसी की सूचना

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं, ... उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमानतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी, एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि मैं अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में (नाम) श्री द्वारा (तारीख) को (समय) दी गई।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी हेतु सूचना के लिये प्राप्ति स्वीकृति

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री
..... द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में भी
..... द्वारा मुझे अपने अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में भी
..... द्वारा (तारीख) को (समय) दी गई

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 7

(नियम 18(2) देखिए)

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद
हेतु निर्वाचन

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज उसकी/उनकी अभ्यर्थिता वापस ली.

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4. आदि		

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 8

(नियम 19(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद
हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	आबंटित/समनुदेशित चिन्ह
1.		
2.		
3.		
4. आदि		

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

(नियम 20(2) देखिए)

निर्वाचन नियमों के नियम 20(2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियमों के नियम 20 (2) के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ।

नाम :

पता:

.....

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

(नियम 22(1)(क) देखिए)

निर्वाचन अधिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद
हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं उक्त निर्वाचन में जल उपभोक्ता संस्था
..... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु अभ्यर्थी, एतद् द्वारा श्री
..... निवासी को आज तारीख से उक्त निर्वाचन हेतु अपना
निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं

स्थान:

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं, उक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं एतद् द्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूं।

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 22(2)(ख) देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद
हेतु निर्वाचन

मैं एक अभ्यर्थी/श्री
..... जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद् द्वारा श्री
को के मतदान हेतु नियत में स्थित मतदान
केन्द्र क्रमांक पर उपस्थित होने हेतु मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं

अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं एतद् द्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूं।

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 22(3)(ख) देखिए)

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में दिया जाए)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन प्रति

निर्वाचन अधिकारी

मैं एक अभ्यर्थी/श्री
जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को
.....(स्थान) पर मतगणना में उपस्थित रहने हेतु मेरे मतगणना
अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं।

मतगणना अभिकर्ता का नाम

मतगणना अभिकर्ता का पता

1.

2.

3.

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं/हम मतगणना अभिकर्ता/अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हैं।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं एतद् द्वारा उक्त नियुक्ति को स्वीकार और अनुमोदित करता हूं।

स्थान:

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 33(2) देखिए)

निविदत्त मतपत्रों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक, अनुभाग क्रमांक, जल उपभोक्ता संस्था का नाम	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर या मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान	मतपत्र का क्रमांक, जो उस व्यक्ति जो पूर्व में ही मतदान कर चुका है, प्रदाय किया गया है
1	2	3	4	5	6

स्थान:

तारीख :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 34(2)(ग) देखिए)

चुनौती दिए गए मतों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्र.संख्या	जल उपभोक्ता संस्था की मतदाता सूची में निर्वाचकों की संख्या/केन्द्र क्रमांक	निर्वाचक का नाम	चुनौती दिए गये व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान एवं उसका पता	चुनौती देने वाले का नाम	पहचान करने वाले के यदि कोई हो तो हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	मतदान अधिकारी का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय (रिफंड) प्राप्त होने पर चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान:

तारीख :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतपत्र लेखा

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

तथा नाम जल उपभोक्ता संथा

क्रम संख्या से तक

कुल संख्या

1. प्राप्त मतपत्र
2. मतपत्र जो उपयोग में नहीं लाये गये
(अर्थात् जो मतदाताओं को प्रदाय नहीं किये गये)
(क) मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित
(ख) मतदान अधिकारी के हस्ताक्षरों के बिना
*कुल (क + ख)
3. *मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र (1-2=3)
4. मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र जो मतपेटी में नहीं डाले गये
क. नियम 20 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र
ख. अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र
ग. निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग किये गये मतपत्र
*कुल (क + ख + ग)
5. *मत पेटी में पाये जाने वाले मतपत्र
(3-4 = 5)

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

* (क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है .)

भाग-2

गणना परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
आदि		

दो- निरस्त किये गये मतपत्र

तीन - योग

क्या मद क्रमांक 3 के सामने दर्शाये गए मतपत्रों की कुल संख्या भाग-1 की मद क्रमांक 5 के सामने दर्शाये गये योग के अनुरूप हैं, अथवा इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क जानकारी में आया है।

स्थान:

तारीख:

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 16

(नियम 42(5) तथा 48(1)(ख)देखिए)

अन्तिम परिणाम पत्रक

(मतदान केन्द्र पर मतदान के परिणाम के अभिलेखन हेतु उपयोग किया जाए)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	मतदान केन्द्र की क्रम संख्या	के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या				वैध मतों की कुल संख्या	निरस्त किये गये मतों की कुल संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
		क	ख	ग	घ				

मतदान केन्द्रों पर कुल दर्ज किये गये मतों की कुल संख्या

मतपत्र पर दर्ज किये गये मतों की संख्या

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी

(नियम 48(1)(क) देखिए)

(जब किसी स्थान के लिये निर्वाचन होना हो, तब निर्वाचन में उपयोग के लिये)

निर्वाचन नियमों के नियम 50 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 के नियम 50 के अनुसार

मैं, घोषित करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संस्था
की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए.

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य

नाम

पता

.....

हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी

ऐसे शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हों.

प्ररूप 18

(नियम 49 देखिए)

निर्वाचन प्रमाण-पत्र

मैं जल उपभोक्ता संथा के लिये
निर्वाचन अधिकारी, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि (दिवस)
. 19 को मैंने श्री को जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध
समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और उसके प्रमाण
स्वरूप मैंने उसे यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।

निर्वाचन अधिकारी

मुद्रा

(नियम 58 तथा 59 देखिए)

सिंचाई प्रणाली की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के
पद हेतु निर्वाचन की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि –

1. सिंचाई प्रणाली की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को किया जाएगा।
2. नाम निर्देशन पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख)..... को पूर्वान्ह 11.00 से 12.00 अपरान्ह के मध्य (स्थान) पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं।
3. नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को 12.30 अपरान्ह से 1.00 अपरान्ह के मध्य (स्थान) में की जाएगी।
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (तारीख) को 1.00 अपरान्ह से 1.30 अपरान्ह के मध्य (स्थान) में दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को 15.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. गणना, मतदान पूर्ण होने पर प्रारंभ की जाएगी और परिणाम उसके बाद तुरन्त घोषित कर दिए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 20

(नियम 13(1) देखिए)

वितरिका समिति

नाम निर्देशन—पत्र

1. पद का नाम
(क) अध्यक्ष, प्रबंध समिति
(ख) सदस्य, प्रबंध समिति
2. जल उपभोक्ता संथा का नाम, जिसके लिये वह अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है
.....
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता या पति का नाम
5. आयु
6. लिंग
7. (क) व्यवसाय
(ख) स्थायी पता
अस्थायी पता
8. प्रस्तावक का पूरा नाम
9. जल उपभोक्ता संस्था जिसके लिये वह अध्यक्ष घोषित किया गया
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूँ कि मैं पात्र हूँ और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूँ.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पूरा नाम

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे(व्यक्ति)

द्वारा (स्थान) में तारीख और समय प्रस्तुत किया गया।

निर्वाचन अधिकारी या

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय

मैंने, इस नाम निर्देशन पत्र की जांच की और निम्नानुसार विनिश्चय करता हूँ

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु पावती और जांच हेतु सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी श्री का नाम निर्देशन पत्र मुझे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा (तारीख) (समय) को दिया गया।

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को (समय) स्थान में की जाएगी।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 21

(नियम 16 देखिए)

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिये
तारीख को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव जल की उपभोक्ता संथा का नाम

नाम निर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.30 बजे अपरान्ह से 1.00
बजे अपरान्ह के बीच (स्थान) में की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 22

(नियम 17 (5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

वितरिका समिति का नाम

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य का निर्वाचन

बंटाित	अभ्यर्थी का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
आदि		

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख:

(नियम 18(1) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

..... वितरिका समिति की प्रबंध के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मैं, ... उपरोक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी के रूप में एतद् द्वारा सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं.

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख:

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा तारीख को (स्थान) में परिदत्त की.

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 24

(नियम 18 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

..... वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिये निम्नलिखित विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज उसकी/उनकी अभ्यर्थिता वापस ले ली है।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
आदि		

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख:

प्ररूप 25

(नियम 19(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
आदि	

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख:

प्ररूप 26

(नियम 61 देखिए)

मतपत्र

..... वितरिका समिति/प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मतपत्र

मतदाता की क्रम संख्या

हस्ताक्षर/

पंजीयन क्रमांक

अंगूठा निशान

..... वितरिका समिति/प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

	अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के वर्ण क्रमानुसार	खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाये
1.	नाम	☐
2.	नाम	☐
3.	नाम	☐
4.	नाम	☐
5.	नाम	☐
6.	नाम	☐

1. वितरिका समिति का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 27

(नियम 61 देखिए)

..... वितरिका समिति

प्रबंध समिति का सदस्य

मतदाता की क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर /

अंगूठा निशान

..... वितरिका समिति

प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

	अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के वर्ण क्रमानुसार	खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाये
1.	नाम	☐
2.	नाम	☐
3.	नाम	☐
4.	नाम	☐
5.	नाम	☐
6.	नाम	☐

1. वितरिका समिति का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 28

(नियम 62 देखिए)

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

नियम 62 के अनुसार, मैं घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी
..... वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद हेतु, सम्यक् रूप से,
निर्वाचित किये गये।

नाम:

पता:

स्थान

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 11(4) देखिए)

..... सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य के पद
हेतु निर्वाचन सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि –

1. सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को कराया जायेगा।
2. नाम निर्देशन-पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख) को (स्थान) पर पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं।
3. नाम निर्देशन पत्र के प्ररूप अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नाम निर्देशन पत्रों की जांच हेतु (तारीख) को (स्थान) 12.30 अपरान्ह से 1.00 बजे अपरान्ह के मध्य की जाएगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना तारीख को (स्थान) में अपरान्ह 1.00 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे के मध्य दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराये जाने की स्थिति में मतदान तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. गणना, मतदान पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ की जाएगी एवं परिणाम उसके बाद तुरन्त घोषित कर दिये जाएंगे।

स्थान:

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 30

(नियम 13(1) देखिए)

परियोजना समिति

नाम निर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम
- (क) प्रबंध समिति का सभापति
- (ख) प्रबंध समिति का सदस्य
- * 2 . उस जल उपभोक्ता संस्था / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक ,जिसके लिए वह अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता अथवा पति का नाम
5. आयु
6. लिंग
7. (क) व्यवसाय
- (ख) स्थायी पता
8. प्रस्तावक का पूरा नाम
- *9. उस जल उपभोक्ता संस्था / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक ,जिसके लिए वह अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(नाम बड़े अक्षरों में)

तारीख

* म.प्र. कृषक संगठन निवाचन नियम 1999 के प्ररूप 30 के अनुक्रमांक 2 . एवं 9 .में संशोधन, म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 311 दिनांक 12 जून 2003 द्वारा किया गया । पेज क्रमांक 87

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पात्र हूँ एवं निर्वाचन में खड़ा होना चाहता हूँ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम बड़े अक्षरों में)

यह नाम निर्देशन-पत्र मुझे श्री (व्यक्ति)
द्वारा (तारीख) को (स्थान) में
समय बजे प्रस्तुत किया गया।

निर्वाचन अधिकारी या

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र का परीक्षण किया है तथा निम्नानुसार विनिश्चय करता हूँ

.....

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी

नाम निर्देशन-पत्र के लिए पावती और जांच हेतु सूचना

(नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्रदाय करने के लिए)

नाम निर्देशन-पत्र का क्रम संख्या

श्री का
..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य
..... के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का नाम निर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) को
(समय) अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

सभी नाम निर्देशन-पत्रों की जांच तारीख को (समय)
..... (स्थान) पर की जाएगी।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी

(नियम 16 देखिए)

..... परियोजना समिति के सभापति/सदस्य पद के लिये तारीख

. को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	* जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	* प्रस्तावक की जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8

सभी नाम निर्देशन-पत्रों की जांच की तारीख की
 12.30 बजे अपरान्ह से 1.00 बजे अपरान्ह के मध्य
 (स्थान) में की जाएगी.

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

* म.प्र. कृषक संगठन निवाचन नियम 1999 के प्ररूप 31 के कालम (4.) एवं कालम (8.) में संशोधन, म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 311 दिनांक 12 जून 2003 द्वारा किया गया। पेज क्रमांक 87

(नियम 17 (5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

परियोजना समिति का नाम

परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य का निर्वाचन

आबंटित क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	* उस जल उपभोक्ता संस्था / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. आदि		

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख:

* म.प्र. कृषक संगठन निवाचन नियम 1999 के प्ररूप 32 के कालम (3.) में संशोधन, म.प्र. राज्य (असाधारण)
क्रमांक 311 दिनांक 12 जून 2003 द्वारा किया गया। पेज क्रमांक 87

प्ररूप 33

(नियम 18(1) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा दी गई अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य हेतु निर्वाचन

मैं उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट
अभ्यर्थी, ... एतद् द्वारा, सूचना देता हूं कि मैं
..... अभ्यर्थिता वापस लेता हूं

स्थान :

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा
तारीख को (समय) दी गई।

स्थान

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 34

(नियम 18 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य हेतु निर्वाचन निम्नलिखित वैधानिक रूप से निर्देशित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के इस निर्वाचन हेतु उसकी/उनकी अभ्यर्थिता आज वापस लेते हैं।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज अपनी अभ्यर्थिता वापस ली है।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
आदि		

स्थान

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 35

(नियम 19(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
आदि	

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख:

(नियम 72 देखिए)

मतपत्र

..... परियोजना समिति/प्रबंध समिति के सभापति के लिये मतपत्र

मतदाता की क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

..... परियोजना समिति/प्रबंध समिति के सभापति के लिये मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

	अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के वर्ण क्रमानुसार	खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाये
1.	नाम	☐
2.	नाम	☐
3.	नाम	☐
4.	नाम	☐
5.	नाम	☐
6.	नाम	☐

1. परियोजना समिति का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 72 देखिए)

..... परियोजना समिति

प्रबन्ध समिति का सदस्य

मतदाता की क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर /

अंगूठा निशान

..... परियोजना समिति प्रबंध समिति

का सदस्य

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

	अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के वर्ण क्रमानुसार	खाने में दिए गये स्थान में उतने अभ्यर्थियों के सामने (✓) चिन्ह लगाये जितनी प्रबंध समिति में पदों की संख्या है
1.	नाम	☐
2.	नाम	☐
3.	नाम	☐
4.	नाम	☐
5.	नाम	☐
6.	नाम	☐

1. वितरिका समिति का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 73 देखिए)

निर्वाचन नियमों के नियम 73 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियम के नियम 73 के अनुसार, मैं घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित अभ्यर्थी परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति/सदस्य पद हेतु, सम्यक् रूप से, निर्वाचित हो गया है/हो गये हैं.

नाम :

पता :

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रणजीत चक्रवर्ती, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 1999

क्र. एफ-32-1-99-मध्यम-इकत्तीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1-99-मध्यम-इकत्तीस, दिनांक 24 नवम्बर 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

रणजीत चक्रवर्ती, उपसचिव

संशोधन : (मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 311, गुरुवार, दिनांक 12 जून 2003 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय ,वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 10 जून 2003

क्र 32-1-99-म-इकतीस-384-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 67 में शब्द तथा अंक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्थान पर शब्द तथा अंक "अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) और (दो) " स्थापित किए जाएं,
2. नियम 69 में, शब्द तथा अंक अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के स्थान पर शब्द तथा अंक "अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के खण्ड (एक) और (दो) " तथा शब्द तथा अंक अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्थान पर शब्द तथा अंक "अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) और (दो) " स्थापित किए जाएं,
3. प्ररूप 30 में, -
(क) अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-
" 2 . उस जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक ,जिसके लिए वह अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया ."

(ख) अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-
" 9 . उस जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक ,जिसके लिए वह अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया ."
4. प्ररूप 31 में -
(क) कालम (4) में शब्द "वितरिका समिति का नाम " के स्थान पर शब्द " जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक " स्थापित किए जाएं,

(ख) कालम (8) में शब्द " प्रस्ताव की वितरिका समिति का नाम " के स्थान पर शब्द " प्रस्तावक की जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक " स्थापित किए जाएं,
5. प्ररूप 32 के कालम (3) में शब्द " उस वितरिका समिति का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है " के स्थान पर शब्द " उस जल उपभोक्ता संथा / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है " स्थापित किए जाएं,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
विजय गुप्ता,उपसचिव

संशोधन : (मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 220 बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2006 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय ,वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्र 32-1-99-म-इकतीस-855-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 77 के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय तथा नियम जोड़े जाएं, अर्थात्—

अध्याय—छह

78. निर्वाचन याचिका फाइल करने की रीति, समय—सीमा तथा फीस

निर्वाचन के परिणाम या इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित कोई व्यक्ति, समय—सीमा के भीतर उसके लिए, सम्यक रूप से फीस का भुगतान करके, नीचे यथा उल्लिखित अधिकारियों को एक निर्वाचन याचिका फाइल कर सकेगा—

- (एक) जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को फाइल की जाएगी।
- (दो) वित्तिका समिति तथा परियोजना समिति के सदस्यों और अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका संबंधित जिले के कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को फाइल की जाएगी।
- (तीन) याचिका ग्रहण करने के लिये तीस दिन की कालावधि की संगणना, मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से की जाएगी जिसमें असफल रहने पर याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी।

- (चार) उक्त याचिका फाइल करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा फीस रुपये 200/- संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को जमा की जाएगी और तत्पश्चात् यह फीस कार्यपालन यंत्री द्वारा शीर्ष 0702-01 (राजस्व प्राप्तियां) के अधीन प्रेषित की जाएगी जो किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगी तथा समपहत हुई समझी जाएगी।
- (पांच) संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अंतिम तथा याचिकाकर्ता पर आबद्धकर होगा तथा किसी भी दशा में कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।
- (छह) किसी निर्वाचन के पूर्ण होने और निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की दशा में, ऊपर यथा उल्लेखित समस्त ऐसे मामलों में निर्वाचन याचिका फाइल करने के लिये समय सीमा, निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से तीस दिन की होगी।

परन्तु कोई याचिका तीस दिन की विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता, संबंधित अधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर याचिका प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था तथा कोई याचिका मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से छह मास की कालावधि से परे ग्रहण नहीं की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.के. श्रीवास्तव, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2006

क्र. 32-1-99-मध्यम-इकतीस 855-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस-855, दिनांक 26 अप्रैल 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.के. श्रीवास्तव, अपर सचिव

मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999

नियम क्रमांक एवं बिषय	पेज क्रमांक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
2. परिभाषायें	1
3. साधारण निकाय का सम्मिलन	1
4. सम्मिलन की सूचना	2
5. सम्मिलन निकाय के लिये गणपूर्ति	2
6. सम्मिलन का कार्यवृत्त	2
7. संकर्म हाथ में लेने की प्रक्रिया	3
8. कृषक संगठन की सामाजिक संपरिक्षा	7
9. कार्य योजना और जल बजट	9
10. जल विनियम	10
11. लेखे/वित्त	11
12. अभिलेखों का संधारित किया जाना	12
13. शुल्कों का उद्ग्रहण और संग्रहण	13
14. वित्तीय संपरीक्षा	14
15. सक्षम प्राधिकारी के कृत्य	15—16
प्ररूप क्रमांक एवं बिषय	पेज क्रमांक
1. तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर	17
2. कार्य खण्डों का रजिस्टर	18—19
3. भवन एवं भूमि रजिस्टर	20
4. पौधे-घास अन्य विविध सम्पत्ति का रजिस्टर	21
5. संयंत्र रजिस्टर	22

6.	जलाशय गेज एवं निस्सारण रजिस्टर	23
7.	नहरजन गेज निस्सारण रजिस्टर	24
8.	कमाण्ड क्षेत्र रजिस्टर	25
9.	सिंचित क्षेत्र एवं मांग रजिस्टर	26
10.	रोकड़ बही	27
11.	अस्थायी प्राप्ति रसीद	28
12.	बिल एवं मेंमों रजिस्टर	29
13.	चेक एवं मेंमों रजिस्टर	30
14.	विशेष शुल्क रजिस्टर	31
संशोधन पत्रक		32—34

**मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 703, सोमवार,
दिनांक 18 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित)**

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999

क्र. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् –

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषायें – इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों –

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999)

(ख) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

3. साधारण निकास का सम्मिलन – (1) साधारण निकायों के सम्मिलन, अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (त), धारा 18 के खण्ड (ठ) एवं धारा 19 के खण्ड (ज) के अधीन वर्ष में कम से कम दो बार, एक बार खरीफ के पूर्व तथा एक बार रबी सीजन के पूर्व, होंगे, सम्मिलन, यथास्थिति सभापति (चेयरपर्सन)/अध्यक्ष की अध्यक्षता में होंगे तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(2) साधारण निकाय का सम्मिलन अध्यक्ष या प्रबंध समिति के सदस्यों के बहुमत के संकल्प द्वारा या संगठन के उन सदस्यों के, जिन्हें मतदान का अधिकार है, कम से कम एक तिहाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता द्वारा किसी भी समय बुलाया जा सकेगा।

(3) साधारण निकाय का सम्मिलन राज्य सरकार या आयुक्त, आयकर या कृषक संगठन की उच्चस्तरीय समिति से निर्देश की प्राप्ति पर, लोक महत्व के अत्यावश्यक विषयों के संबंध में, बुलाया जा सकेगा।

4. **सम्मिलन की सूचना –**

(1) प्रत्येक सम्मिलन की सूचना कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा समस्त सदस्यों को अग्रिम में कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी जिसमें सम्मिलन का स्थान, तारीख समय और कार्यसूची भी होगी:

परन्तु आपात मामलों में सम्मिलन, तीन दिन की अग्रिम की सूचना का बुलाया जा सकता है।

(2) सूचना व्यक्तिशः या डाक द्वारा या प्रकाशित करके या डोंडी पिटवाकर दी जा सकेगी और सबद्ध संगठन के सूचना पट्ट पर चिपकाई जाएगी।

5. **साधारण निकाय के लिये गणपूर्ति –**

(1) सम्मिलन के लिये गणपूर्ति, संबंधित संगठन के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(2) यदि सम्मिलन के लिये गणपूर्ति नहीं है तो सम्मिलन स्थगित हो जायेगा तथा ऐसी तारीख तथा समय पर बुलाया जाएगा, जैसा कि प्रबंध समिति अवधारित करें। ऐसे स्थागित सम्मिलन के लिये आपूर्ति आवश्यक नहीं होगी तथा उपस्थित सदस्य कारबार का संव्यवहार, जिसके लिये सम्मिलन बुलाया गया है, कर सकेंगे।

(3) साधारण निकाय के सम्मिलन में, केवल कार्यसूची में विनिर्दिष्ट मदों (आइटम) पर ही चर्चा की जाएगी। अन्य किन्हीं विषयों पर, सभापति (चेयरपर्सन)/अध्यक्ष की स्पष्ट अनुमति या सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के विनिश्चय के बिना चर्चा नहीं की जाएगी।

6. **सम्मिलन का कार्यवृत्त—** साधारण निकाय की प्रत्येक कार्यवाही, इस प्रयोजन के लिए रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी तथा यथास्थिति सभापति (चेयर पर्सन)

या अध्यक्ष या उस व्यक्ति द्वारा जिसमें सम्मिलन की अध्यक्षता की है, अधिप्रमाणित की जाएगी। कार्यवृत्त की एक प्रति उसके ठीक उच्चतर समिति के प्राधिकारी की भेजी जायेगी।

7. **संकर्म हाथ में लेने की प्रक्रिया** – अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (ख) तथा (ढ), धारा 18 के खण्ड (ख) तथा (ज)तथा धारा 19 के खण्ड (ख) तथा (झ) के अधीन संकर्मों को हाथ में लेने के प्रयोजनों के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी –

1. **संधारण संकर्म के लिये सिस्टम निदान (सिस्टम डायग्नोसिस) –**

- (एक) प्रत्येक कृषक संगठन की प्रबंध समिति और सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक फसल सीजन (खरीफ तथा रबी) के प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के माध्यम से सिस्टम की स्थिति का अवधारण करने का कार्य हाथ में लेगा।
- (दो) कृषक संगठन, प्रत्येक जलीय संरचना का निरीक्षण करेगा और इसकी प्रास्थिति को अभिलिखित करेगा।

2. **समस्त संकर्मों को निम्नानुसार प्रवर्गित किया जाएगा—**

- (एक) सामान्य प्रचालन और संधारण संकर्म जिसमें सामान्य मरम्मत सम्मिलित है, जैसे कि—

- क. डिसिल्टिंग,
- ख. जड़ों का निकालना,
- ग. तटों की मरम्मत
- घ. पलस्तर लगाने का कार्य (रिवेटमेंट)
- ड. शटर्स की मरम्मत
- च. मेसनरी एवं लाईनिंग की मरम्मत
- छ. स्कू गियरिंग शटर्स की सफाई तथा आइलिंग
- ज. पेंटिंग, रंग रोगन आदि
- झ. आकस्मिक टूट की मरम्मत और
- ज. परीक्षण पथ का रख-रखाव

- (दो) छोड़े गये मरम्मत कार्य (पुनर्वास संकर्म)—

- क. स्लूस का पुननिर्माण
- ख. ड्राप्स रेग्यूलैटर का पुननिर्माण/मरम्मत,
- ग. जल माप उपकरणों का पुननिर्माण
- घ. प्रणाली का पुनरुद्धार, और

(तीन) मूल कार्य—

- क. प्रणाली का आधुनिकरण और
- ख. सिंचाई प्रणाली में कोई अन्य निर्माण संकर्म, उपरोक्त कार्य जल संसाधन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन कृषक संगठन द्वारा ऐसी दर पर निष्पादित किया जाएगा जो प्राक्कलित दर से अधिक न हो।

3. **सामान्य कार्य और संधारण संकर्म** की पहचान भागीदारिता वाक थ्रू ,सभापति (चेयर पर्सन) अध्यक्ष प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर भागीदारिता वाकथ्रू आयोजित करेंगे और समस्त खतरनाक प्रभाव क्षेत्र की पहचान करेंगे जिन्हें कि उपरोक्त सूची के अनुसार मरम्मत की तुरन्त आवश्यकता है, सक्षम अधिकारी, हाथ में लिए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची तैयार करने में कृषक संगठन की सहायता करेगा।
4. **पूर्विकता संकर्म** — कृषक संगठन की प्रबंध समिति इस प्रकार तैयार की गई सूची की चर्चा करेगी और तुरन्त किये जाने वाले संकर्मों की पूर्विकता नियत करेगी।
5. **प्राक्कलन तैयार करना—** सक्षम प्राधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा यथा संधारित जलीय विशिष्टियों के अनुसार इस प्रकार की पूर्विकता के कार्य के लिए एक पखवाड़े के भीतर प्रचलित अनुसूची की दरों पर प्राक्कलन तैयार करेगा।
6. **प्रशासकीय अनुमोदन** — कृषक संगठन की प्रबंध समिति निधियों की उपलब्धता के अध्याधीन रहते हुए, तैयार किए गए प्राक्कलन के लिए प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करेगी। प्रत्येक प्रशासकीय अनुमोदन, प्ररूप-1 में प्रशासकीय अनुमोदन के रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

***7. तकनीकी निर्बाधन —**

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी निर्वाधन प्रदान करने की शक्तियां निम्नानुसार होंगी :-

1. विशेष मरम्मत :-

(क)	कार्यपालन यंत्री	रु.	1,00,000.00 तक
(ख)	अधीक्षण यंत्री	रु.	10,00,000.00 तक
(ग)	मुख्य अभियंता		पूर्ण शक्ति

2. सामान्य मरम्मत :-

(क)	उपयंत्री (सक्षम प्राधिकारी)	रु.	20,000.00 तक
(ख)	सहायक यंत्री	रु.	50,000.00 तक
(ग)	कार्यपालन यंत्री		कृषक संगठन को उपलब्ध कराई गई निधि के भीतर पूर्ण शक्ति.

(ख) कोई सक्षम प्राधिकारी उससे निम्नतर प्राधिकारी में निहित, तकनीकी निर्वाधन प्रदान कर सकेगा,

(ग) सक्षम प्राधिकारी, नियमों में अनुलग्न प्ररूप-1 में तकनीकी निर्वाधन के रजिस्टर समस्त तकनीकी निर्वाधन, अभिलिखित करेगा और

(घ) तकनीकी निर्वाधन, प्रकासकीय अनुमोदन से अधिक नहीं होगा

(ङ.) वित्तिका समिति, परियोजना समिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी खण्ड 7(क) में उल्लेखित वित्तीय शक्तियों के अनुसार उसके नियंत्रणाधीन किसी समुचित अधिकारी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी निर्वाधन कारित करवाएगा।

* म.प्र. कृषक संगठन नियम 1999 के नियम 7 के उपनियम (7) के खण्ड (1) में संशोधन, म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 663 दिनांक 18 अक्टूबर 2000 द्वारा पेज क्रमांक 32 से देखें।

8. संकर्म हाथ में लेने की रीति—

- क. कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा यथा अनुमोदित संकर्म, कृषक संगठन द्वारा स्वयं निष्पादन के लिए हाथ में लिए जाएंगे।
- ख. कृषक संगठन का सभापति (चेयरपर्सन)/अध्यक्ष या प्रबंध समिति सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, कोई भी संकर्म प्रत्यक्ष रूप से निष्पादित नहीं करेगा।
- ग. निष्पादित किए गए संकर्म का मूल्य प्राक्कलित व्यय से अधिक नहीं होगा, और
- घ. सक्षम प्राधिकारी, कृषक संगठन द्वारा भुगतान करने हेतु किए गए कार्य का परिणाम स्थिर करने के लिये प्रारंभिक माप और अंतिम माप अभिलिखित करेगा।

9. परिकल्पित जैवकीय विवरणों का संधारण और अनुषक्ति— सक्षम प्राधिकारी, अनुमोदित जलीय विवरण के संधारण और अनुषक्ति के लिए उत्तरदायी होगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि किसी सिंचाई प्रणाली का परिकल्पित जलीय विवरण परिवर्तित नहीं किया जाए, वह कृषक संगठन का पर्यवेक्षीय संकर्म में मार्गदर्शन करेगा।

10. संकर्मों पर परिसीमा — किसी भी कृषक संगठन को किसी सिंचाई प्रणाली के परिकल्पित जलीय विवरण में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं होगी, किसी अतिक्रमण पर अधिनियम की धारा 23 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दांडिक उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

11. हाथ में लिए जाने वाले संकर्मों की सूची का प्रकाशन — (क) हाथ में लिए जाने वाले संकर्मों को कृषक संगठन के कार्यालय और क्षेत्र के भीतर के अन्य सार्वजनिक स्थानों और संस्थाओं में प्रदर्शन के माध्यम से विस्तृत रूप से प्रचारित किया जाएगा।

(ख) सूची के साथ, संकर्मों के अन्य विवरण, प्राक्कलन, मूल्य और निष्पादन के तरीके को विस्तृत प्रचार दिया जाना चाहिये, और

(ग) यदि कोई सदस्य, हाथ में लिए गए संकर्म से संबंधित किसी अभिलेख को चाहता है तो वह कृषक संगठन द्वारा नियत की गई फीस के भुगतान पर ऐसा कर सकेगा।

12. अन्य निधि या अतिरिक्त अभिदाय सम्मिलित करने की स्वतंत्रता – सदस्य या तो नगद में या सामग्री या श्रम के रूप में स्त्रोतों में अभिदाय करने के लिए स्वतंत्र है।

13. किए गए संकर्म का सबूत – सक्षम प्राधिकारी कृषक संगठन द्वारा किए गए कार्य को अभिलिखित करने के लिए लेवल फील्ड बुक और माप बुक संधारित करेगा।

14. किए गये कार्य के लिए भुगतान— रुपये 1000/— के ऊपर के किए गए संकर्मों के लिए समस्त चेक द्वारा किए जाएंगे। कृषक संगठन, किए गए समस्त भुगतानों को तारीखवार रोकड़—बही में अभिलेख संधारित करेगा।

15. मूल संकर्म – कोई कृषक संगठन, अपने कार्यक्षेत्र के भीतर किसी मूल संकर्म को निम्नलिखित के अधीन ले सकेगा, अर्थात्—

- क. विनिर्दिष्ट अनुमोदन – ऐसा करने के लिए ऐसी शक्तियों से निहित किए गए प्राधिकारी से प्राप्त किया जाएगा।
- ख. संकर्मों के लिए प्राक्कलन, जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और संकर्म कृषक संगठन को जहां कहीं भी वे आगे आए ऐसे संकर्मों के निष्पादन के लिये प्राक्कलित दरों पर भाड़े पर दिया जायेगा।
- ग. यदि कृषक संगठन, किसी संकर्म को हाथ में लेने को सहमत हो जाते हैं तो जल संसाधन विभाग के साथ एक करार किया जाएगा।
- घ. कृषक संगठन को संकर्म पारी के बाहर पैदावार के पाक्षिक आधार पर या उससे पूर्व भी जैसा कि परस्पर विनिश्चय किया जाए भुगतान किया जाएगा।
- ड. जहां कृषक संगठन आगे नहीं आते हैं वहां “संकर्म विभाग निर्देशिका” के अधीन विहित की गई प्रक्रिया का सरकार द्वारा समय—समय पर दिये गये किसी निर्देश का अनुसरण किया जाएगा .

8. कृषक संगठन की सामाजिक संपरीक्षा— (1) प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर कृषक संगठन निम्नलिखित विवरण के अनुसार सामाजिक संपरीक्षा संचालित करेगा –

(एक) सामाजिक संपरीक्षा, जल के बजट के विरुद्ध जल का उपयोग और प्रत्येक कृषक संगठन को उपलब्ध निधियों के संबंध में प्रणाली के संधारण के लिए उपगत व्यय दोनों ही के लिए की जाएगी।

(दो) सामाजिक संपरीक्षा निम्नलिखित के लिए होगी—

क. जल वितरण में समानता

ख. उत्पादन में वृद्धि

ग. उत्पादकता में वृद्धि

घ. फसल परिवर्तन

ड. बहु फसल

च. जल उपयोग क्षमता,

छ. संकर्मों के निष्पादन के लिए संसाधनों का उपयोग

ज. पूर्ववर्ती सीजन की तुलना में कृषक संगठन के जोते गए क्षेत्र में सुधार और

झ. किए गए संकर्मों की गुणवत्ता

2. कृषक संगठन के अधीन, समस्त हिताधिकारियों को इस प्रकार की गई सामाजिक संपरीक्षा प्रत्येक कृषक संगठन के कार्यालय के सूचना फलक पर एक सूची, जिसमें खर्च की गई निधियों के संदर्भ में उद्भूत लाभ अन्तर्विष्ट होंगे, चिपका कर अवगत कराया जाएगा।
3. जब कभी भी कोई संकर्म हाथ में लिया जाए, संकर्म का प्राक्कलित मूल्य, निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित संकर्म की मद, संकर्म के निष्पादकों का विवरण आदि, संकर्म स्थल पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि कृषक संगठन के अधीन प्रत्येक हिताधिकारी को निष्पादित किए जाने वाले संकर्म के विवरण तथा उपगत होने वाले व्ययों की जानकारी हो जाए।
4. सक्षम प्राधिकारी, सामाजिक संपरीक्षा के संचालन में समस्त सहायता देगा राजस्व और कृषि अधिकारी भी अपेक्षित सहायता देंगे।
5. इस प्रकार संचालित की गई सामाजिक संपरीक्षा को अभिलिखित किया जाएगा और उसकी एक प्रति जल उपभोक्ता संथा (एसोसिएशन) के मामले में वितरिका समिति को, वितरिका समिति के मामले में परियोजना समिति को और परियोजना समिति की दशा में शीर्ष समिति और सरकार को भेजी जाएगी।

6. संपरीक्षक, सामाजिक संपरीक्षा में पाई गई त्रुटियां, यदि कोई हों, के परिशोधन पर अपने विनिर्दिष्ट विचार के साथ अपनी वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट में सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट को सम्मिलित करेगा।

9. **कार्य योजना और जल बजट** – कृषक संगठन के लिए जल बजट (1) संबंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति उसके नियंत्रण के अधीन कार्य क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहायता से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार जल बजट तैयार करेगी –

(एक) परियोजना समिति, खरीफ सीजन के आरम्भ के एक माह पूर्व, ऐसे निर्देशों के अध्यक्ष रहते हुए, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएं, जलाशय में प्रत्याशित भीतरी बहाव और विद्यमान उपलब्धता को बनाएगी और समस्त वितरिका समितियों को जल का आबंटन बनाए रखेगी, वितरिका समिति बदले में जल उपभोक्ता संथा को उसकी अधिकारिता में उपलब्ध कराए गए जल को आबंटित करेगी:

परन्तु माध्यम सिंचाई परियोजना की दशा में परियोजना समिति, जल जल उपभोक्ता संथा को आबंटित करेगी।

(दो) कोई कृषक संगठन, अपने सदस्य घटकों को जल वितरित करने में पेयजल के या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, ध्यान रखेगा जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(तीन) परियोजना समिति रबी सीजन के लिए रबी सीजन के प्रारम्भ होने पर जल की वास्तविक उपलब्धता पर आधारित सिंचाई के लिए खुले रखे जाने के लिए क्षेत्र का अवधारण करेगी, इस प्रकार उपलब्ध जल वितरिका समितियों और जल उपभोक्ता संस्था के बीच साम्यापूर्ण आबंटित किया जाएगा। मध्यम या लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में साम्यापूर्ण आबंटन, एक कालावधि के लिए प्रत्यय चक्रानुक्रम अपनाकर प्राप्त किया जाएगा।

(चार) कृषक संगठन में से प्रत्येक, ऐसी कार्य योजना तैयार करेंगे तो पाक्षिक आधार पर निकाले जाने वाले जल की मात्रा विनिर्दिष्ट करेगा।

(पांच) जल निकालने की, कृषक संगठन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गेज बिन्दु पर प्रत्येक दिन, मानिटर की जाएगी।

- (छह) मंदोक्ती और वितरण का पुनर्विलोकन प्रत्येक पाक्षिक की समाप्ति पर और लिए गये सुधार उपायों से किया जाएगा।
- (सात) प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर, तत्संबंधी कृषक संगठन, सिंचित किए गए क्षेत्र, जल आपूर्ति की मात्रा और फसलों की सीमा के साथ प्राप्त किए गए और उपयोग में लाए गए जल की एक रिपोर्ट तैयार करेगी।
- (आठ) कृषक संगठन, जल बजट में त्रुटियों और विचलन (भूल आदि) का विश्लेषण करेगा और निकटतम उच्चतर श्रेणी को रिपोर्ट करेगा।
- (नौ) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में, जल उपभोक्ता संथा, कार्य योजना, जल निकासी का दिनांक का विनिश्चय करेगी जो कि तालाब में संग्रहण / भीतरी बहाव पर अवलंबित रहते हुए सिंचाई के लिए खुला छोड़ा जाएगा।

10. जल विनियमन – 1. जल बजट तैयार करने के पश्चात्, कृषक संगठन, जल विनियमन की एक योजना निम्नानुसार तैयार करेगा—

- (क) निकासी और बंद की दिनांक समस्त सदस्यों को अग्रिम रूप से सूचित कर दी जाएगी।
- (ख) समस्त उपभोक्ताओं में जल का साम्यापूर्व वितरण, जल विनियमन में मुख्य सिद्धांत होगा।
- (ग) कृषक संगठन जल निकालेगा और तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित भीतरी बहाव को मानीटर करेगा।
- (घ) किसी कृषक संगठन में प्रत्येक निकास के लिए एक बाराबन्दी अनुसूची (टर्नशेड्यूल) तैयार की जाएगी।
- (ङ.) कृषक संगठन, सक्षम प्राधिकारी की सहायता से कमाण्ड क्षेत्र में फसलवार क्षेत्र अभिलिखित करेगा।
- (च) कृषक संगठन मानिट्रिंग (अनुश्रवण) करने के प्रयोजन के लिए ऐसे यंत्रों को प्रतिष्ठापित करेगा जो कि उसकी अधिकारिता के भीतर अपेक्षित हो।

***11. लेखे/वित्त— 1.** कृषक संगठन, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या सहकारी बैंक में, अर्थात् जिला सहकारी सेन्ट्रल बैंक या मध्यप्रदेश राज्य शीर्ष सहकारी बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलेगा। यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति (चेयर पर्सन), प्रबंध समिति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के एक सदस्य और कृषक संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा खाते को संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा . कृषक संगठन, समुचित वाउचर और रसीदों के साथ रोकड़ बही (केश बुक) और व्यय के लेखाओं को संधारित करेगा।”

2. प्रत्येक व्यय, एक पावती (रसीद) या वाउचर द्वारा समर्थित होना चाहिए जो कि अध्यक्ष द्वारा भुगतान के लिए सम्यक् रूप से जारी किया जाएगा।
3. समस्त व्यय, वित्त उप समिति द्वारा एक माह में एक बार अनुमोदित किए जाएंगे।

4. लेखा रजिस्टर का संधारित किया जाना— प्रत्येक कृषक संगठन, एक लेखा रजिस्टर संधारित करेगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिलेख में कृषक संगठन का नाम, पता और मुद्रा रहेगी और मशीन क्रमांकित रहेगी, अर्थात् —

- क. रोकड़ बही
- ख. बिल रजिस्टर
- ग. आकस्मिक रजिस्टर
- घ. रसीद बुक और
- ड. चैक रजिस्टर

*** म.प्र. कृषक संगठन नियम 1999 के नियम 11 के उपनियम (1) में संशोधन — म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 272 दिनांक 1 मई 2001 को पेज से 34 देखें .**

12. अभिलेखों का संधारित किया जाना – प्रत्येक कृषक संगठन, अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित अभिलेखों से भिन्न, निम्नलिखित अभिलेख संधारित करेगा। आयुक्त /सरकार के अधिनियम/नियमों/निर्देशों की एक अद्यतन प्रति रखेगा—

(क) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा द्वारा निम्नलिखित मानचित्र संधारित किया जाएगा अर्थात् –

1. संथा की सीमाओं और अधिकारिता, संथा की सीमाओं के भीतर जल हस्तांतरण पद्धति को दर्शाते हुए एक मानचित्र।
2. कृषक संगठन संविधान नियम, 1999 के नियम 3 के उपनियम (6) में यथा विहित अनुक्रमांक के साथ अधिसूचित कमाण्ड क्षेत्र को दर्शाते हुए मानचित्र.

(ख) निम्नलिखित रजिस्टर संधारित किए जाएंगे, अर्थात्—

1. सम्पत्ति रजिस्टर और अभिलेख—कृषक संगठन में निहित संपत्तियों आस्तियों और दायित्वों जैसे भूमियां, भवन, नहर तट आदि का विवरण इन अभिलेखों में अंतर्विष्ट रहेगा –

एक. तालिका रजिस्टर (संघटक रजिस्टर) प्ररूप 2 में एक तालिका रजिस्टर, जलीय विवरण की संरचना के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जिसमें नहर और उनकी जलीय विशिष्टियां सम्मिलित हैं।

दो. रिक्त भूमि और भवनों का रजिस्टर प्ररूप 3 में,

तीन. प्रकीर्ण सम्पत्ति रजिस्टर, अन्य लघु सम्पत्तियां जैसे कि वृक्ष, घास आदि प्ररूप 4 में और

चार. मशीनों का रजिस्टर, कार्यरत और निष्प्रयोज्य मशीनों की विशिष्टियों की एक सूची देगा प्ररूप 5 में,

2. सदस्यता रजिस्टर और अभिलेख, कृषक संगठन संविधान नियम, 1999 के नियम 4 के उपनियम (1), (2) तथा (3) में सदस्य से संबंधित यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टर.

3. जल बहाव रजिस्टर और अभिलेख – प्रत्येक कृषक संगठन को तैयार की गई कार्य योजना पर आधारित जल की आपूर्ति की जाएगी। इन भीतरी

बहावों को प्रतिदिन कृषक संगठन द्वारा यथा विनिश्चय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों पर मानीटर करने की आवश्यकता है—

(एक) जलाशय गेज रजिस्टर: प्ररूप — 6 में

(दो) नहर गेज रजिस्टर प्ररूप 7 में

4. क्षेत्र और फसल रजिस्टर तथा अभिलेख — (एक) कमाण्ड क्षेत्र रजिस्टर : प्ररूप 8 में,

(दो) कृषक वार मांग रजिस्टर : प्ररूप 9 में,

5. संकर्म रजिस्टर और अभिलेख — (एक) प्रशासकीय मंजूरी की रजिस्टर प्ररूप—1 में

(दो) तकनीकी निर्बाधन का रजिस्टर: प्ररूप — 1 में,

6. नकद रजिस्टर और अभिलेख — (एक) रोकड़ बही प्ररूप—10 में,

(दो) रसीद बुक प्ररूप — 11 में

(तीन) बिल रजिस्टर प्ररूप—12 में

(चार) चेक मेमो रजिस्टर प्ररूप—13 में

(पांच) विशेष (शुल्क) फीस रजिस्टर प्ररूप 14 में

7. कार्यवृत्त रजिस्टर और अभिलेख — किसी साधारण निकाय सम्मिलन, प्रबंध समिति सम्मिलन, किसी उप समिति सम्मिलन की प्रत्येक कार्यवाही एक कार्यवृत्त बुक (मिनट बुक) में पृथक् से अभिलिखित की जाएगी।

13. शुल्कों का उद्ग्रहण और संग्रहण — 1. कृषक संगठन, सम्बद्ध समिति के साधारण निकाय एवं पारित संकल्प द्वारा किसी फीस का उद्ग्रहण कर सकेगा।

2. उपधारा (1) के अधीन कोई फीस कृषक संगठन के लिये निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु उद्ग्रहीत की जायेगी—

(क) प्रसुविधाएं उपलब्ध कराना या

(ख) विनिर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना

- (ग) कृषक संगठन की अत्यावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
 - (घ) कृषक संगठन की आस्तियों को तैयार करना, और
 - (ङ) प्रणाली में सुधार करना।
3. सक्षम प्राधिकारी साधारण निकाय द्वारा संकल्प पारित के पश्चात् उक्त नियम (दो) में यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राक्कलन तैयार करेगी और प्रबंध समिति तब भू-धारण या सदस्यों की मांग के अनुपात फीस के उद्ग्रहित करने का विनिश्चय करेगी। प्रबंध समिति अपने विनिश्चय के पश्चात् संबंधितों को मांग सूचना तामील करेगी।
 4. संगृहीत की गई समस्त फीस का सम्यक् रूप से लेखा-जोखा रखा जाएगा और संबंधित व्यक्ति को उसकी रसीद दी जाएगी।
 5. विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संग्रहीत की गयी फीस केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी—
 - (क) किसी सदस्य द्वारा भुगतान में व्यतिक्रम करने पर प्रबंध समिति व्यतिक्रमियों की एक सूची शोध राशि के साथ तैयार करेगी।
 - (ख) खण्ड (क) में इस प्रकार तैयार की गई व्यतिक्रम सूची वसूली के लिए जल संसाधन विभाग के उपयंत्री को दी जाएगी जिसकी अधिकारिता में किसी कृषक संगठन का कार्य क्षेत्र आता है।

14. वित्तीय संपरीक्षा — प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति और नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के तीन माह पश्चात् न हो प्रत्येक कृषक संगठन अपने लेखों की संपरीक्षा निम्नानुसार करवाएगा—

- (एक) प्रबंध समिति, एक संपरीक्षक को जिसे सामान्य संपरीक्षण कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, नियुक्त करेगी।
- (दो) इस प्रकार नियुक्त किया गया संपरीक्षक, कृषक संगठन के कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति होगा और जो लेखों का युक्तियुक्त ज्ञान रखता हो,
- (तीन) कृषक संगठन की प्रबंधन समिति द्वारा संपरीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन किया जाएगा।

(चार) इस प्रकार नियुक्त किया गया संपरीक्षक अपनी नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर प्राप्तियों और व्ययों के लेखे की छानबीन के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाएगा और संबंधित कृषक संगठन के अध्यक्ष को, लेखा विवरण और तुलन पत्र के साथ संपरीक्षक रिपोर्ट देगा।

(पांच) संपरीक्षा रिपोर्ट, साधारण निकाय को उसके सम्मिलन में उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(छह) कृषक संगठन के प्रबंध समिति, संपरीक्षा रिपोर्ट साधारण निकाय को प्रस्तुत करेगी और

(सात) यदि समस्त संव्यवहार दस लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक होता है तो कृषक संगठन लेखे की संपरीक्षा के लिए किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट की सेवाएं लेगा।

15. सक्षम प्राधिकारी के कृत्य— कृषक संगठन की प्रबंध समिति के कृत्यों को करते हुए अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी—

(क) प्रबंध समिति द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित होगा और चर्चा में सम्मिलित होगा लेकिन उसे मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा,

***(ख)** संधारण योजना तैयार करेगा ;

(ग) निष्पादन के लिए पहचाने गए संक्रमों के प्राक्कलन तैयार करेगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा विहित किए गए प्रतिमानों और नियमों के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

(घ) प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार संधारण संकर्मों को तकनीकी निर्बाधन देगा. तकनीकी निर्बाधन कार्य के लिए प्रशासनिक मंजूरी तक परिसीमित रहेगी।

*** म.प्र. कृषक संगठन नियम 1999 के नियम 15 के खण्ड (ख) में संशोधन , म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 731 दिनांक 5 दिसम्बर 2000 द्वारा किया गया । पेज क्रमांक 33**

- (ड.) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित जलीय विशिष्टियों के संदर्भ में सिंचाई पद्धति में कोई परिवर्धन या परिवर्तन न किया जाए।
- (च) जलीय विशिष्टियों के उल्लंघन में किसी कृषक संगठन द्वारा पद्धति में की गई तोड़-फोड़ या परिवर्तन को जल संसाधन विभाग के ध्यान में लाएगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के अनुसरण में कार्यवाही की गई है।
- (छ) प्रबंध समिति के सदस्य को पद्धति के तकनीकी विवरण उपलब्ध कराएगा।
- (ज) कार्य योजना को तैयार करने और अनुमोदन करने में, प्रबंध समिति की सहायता करेगा।
- (झ) जल पूर्ति और मौसमी स्थितियों पर आधारित रहते हुए, जल विनियम पर सलाह और सहायता देगा।
- (ञ) कृषक संगठन के लिए जल बजट तैयार करेगा।
- (ट) सिंचित क्षेत्रों के निर्धारण में सहायता देगा।
- (ठ) कृषक संगठन द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में नियुक्त किए गए किसी सहायक की प्रशिक्षण में सहायता करेगा।
- *(ड) विभिन्न रजिस्टर, दस्तावेज तथा लेखा कार्य संधारित करेगा; और"**
- (ढ) किए गए कार्य के लिए माप अभिलिखित करेगा और संकर्म उप समिति के अनुमोदन पर आधारित कृषक संगठन द्वारा बिल को पारित करेगा।

*** म.प्र. कृषक संगठन नियम 1999 के नियम 15 के खण्ड (ड) में संशोधन ,**

म.प्र. राज्य (असाधारण) क्रमांक 731 दिनांक 5 दिसम्बर 2000 द्वारा किया गया ।

पेज क्रमांक 33

प्ररूप-1

(नियम 12 (5) (एक) देखिए)

तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृति रजिस्टर

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

डब्ल्यू.ए.एस./डी.ए. एस./पी.ए.एस. /डब्ल्यू.टी.एस. /डी.टी.एस./पी. मंजूरी संख्या एवं वर्ष	मंजूरकर्ता	लेखा-शीर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलन की राशि	मंजूरी का दिनांक	आद्यक्षरित
1	2	3	4	5	6	7

डब्ल्यू.ए.एस.

जल उपभोक्ता संस्था की प्रशासकीय मंजूरी

डी.ए.एस.

वितरिका समिति की प्रशासकीय मंजूरी

पी.ए.एस.

परियोजना समिति की प्रशासकीय मंजूरी

डब्ल्यू.टी.एस.

सक्षम प्राधिकृत द्वारा उपभोक्ता संस्था की तकनीकी मंजूरी

डी.टी.एस.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा वितरिका समिति की तकनीकी मंजूरी

पी.टी.एस.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना समिति की तकनीकी मंजूरी

प्ररूप-2
(नियम 12(1) (एक) देखिए)
कार्य खण्डों का रजिस्टर

परियोजना का नाम जल उपभोक्ता संस्था / कृषक संगठन का नाम

अ नु क्र मां क	शीर्ष से दूरी	स्थिति दाया (आर) बाया (एल) आरपार	कार्य का नाम एवं विवरण			घटाये हुए स्तर (मीटर में)		विमाएं		किनारों का ढलान ए वं निकास की संख्या	सिंचित का योग्य क्षेत्र जल ग्रहण जल निकाय हेक्टर/वर्गमी टर	प्रवाह घन मीटर प्रति सेकेंड या क्षमता मिलीयन घनमी टर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			नहरे छोटी नहरे, एक्वाडक्ट या	तल (अ) नहर (ब) नाली	(अ) नहर का पूर्ण प्रवाह (ब) अधिकतम प्रवाह स्तर	(अ) नहर लाईनिंग का ऊपरी स्तर (ब) किनारे/पै रापिट स्तर (स) बाढ़ किनारे का स्तर	(अ) नहर तल की चौड़ाई/तल में गिरावट (ब) नाली के तल की चौड़ाई/तल में गिरावट	गहराई या ऊँचाई (अ) नहर (ब) किनारे की दीवार	किनारे चौड़ाई बाये दायें (अ) नहर (ब) बाढ़ बांध	आग्र एवं पुष्ट एवं ढलान (अ) नहर (ब) बाढ़ बन्ध	(अ) आयकट निम्न (ब) प्रवाह क्षेत्र	(अ) नहर पूर्ण जल स्तर पर (ब) नाली में अधिकतम प्रवाह स्तर	1. पुल तथा नियंत्रक के प्रकण में माप कालम। ब. गडर के नीचले तल तक की लिये जावें
			अधिमार्ग (सुपर पैसेज) तल में गिरावट नहर के तल में गिरान	तल (सिल)	अग्र (अ) तल (ब) पूर्ण प्रवाह	पुष्ट (अ) तल (ब) पूर्ण प्रवाह स्तर	लम्बाई (अ) निम्न तल (ब) ऊपरी तल	निकास द्वार / नीचे की ऊंचाई	कुल लम्बाई	निकास द्वार की संख्या	आयकट निम्न	पूर्ण प्रवाह स्तर	(2) संक्षिप्त नामवली एफ एस.एल. पूर्ण प्रवाह स्तर एवं एम. एफ.एल.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			स्लूस (जल निकासी द्वारा) या सायफन	तल या फर्श	(अ) नहर का अग्र तल/पृष्ठ का तल (ब) नाली का तल	(अ) अग्र/पृष्ठ पूर्ण प्रवाह तल (ब) नाली का अधिकतम प्रवाह स्तर	तल पर चौड़ाई	निकासी द्वारा की ऊंचाई	पाईप अथवा बेरल की पूर्ण लम्बाई	निकास द्वारा की संख्या	(अ) आयकट (1) मुख्य नहर (2) शाखा नहर	(अ) पूर्ण प्रवाह स्तर (1) मुख्य नहर (2) शाखा नहर (ब) नाली का अधिकतम प्रवाह स्तर	अधिकतम प्रवाह स्तर के लिये प्रयुक्त किया गया है
			अन्दरगमन बहिरगमन अतिरिक्त जल निकास द्वारा (एस्केप स्लूस)	शीर्ष या तल	अधिकतम प्रवाहस्तर (अ) ऊपर (ब) नीचे	किनारे का प्रभाव शीलस्तर (अ) नहर (ब) बाड़बंध	निकासद्वार की दीवार की चौड़ाई ऊपर नीचे	दीवार की ऊंचाई (निकास द्वारा की)	कुल लम्बाई	निकास द्वारा की संख्या	प्रवाह क्षेत्र	(अ) अधिकतम प्रवाह स्तर (ब) पूर्ण प्रवाह स्तर	—
			नियंत्रक और पुल	शीर्षस्तर या तल स्तर	पूर्ण प्रवाह स्तर ऊपर नीचे	(अ) प्लेटफार्म (ब) सड़क मार्ग	चौड़ाई (अ) निकास (ब) सड़कमार्ग	ऊंचाई (अ) निकास (ब) पैरापिट	कुल लम्बाई	(अ) निकास द्वारा की संख्या (ब) द्वार का प्रकार	जुड़े हुए ग्राम	पूर्ण प्रवाह स्तर	—

प्ररूप – 3
(नियम 12 (1)(तीन) देखिए)

भवन एवं भूमि रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा / कृषक संगठन का नाम

अनु. क्रमां क	ग्राम एवं अनुक्रमां क स्थान	भवन का प्रकार							भूमि					अभियु क्ति	किराया / वास्तविक नीलामी राशि		
		नाम विवरण	दीवार	फर्श	छ त	कुर्सी क्षेत्र वर्गमीट र	भूमि	मानक किराया	नहर नाली	सीमा (रीच)	सरल क्रमां क (सर्वे)	निस्तार	प्रकार गीली सूखी खरा ब पड़त		1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्ररूप – 4

(नियम 12 (1)(तीन) देखिए)

पौधे-घास-अन्य विविध सम्पत्ति का रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा / कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	विविध संपत्ति वस्तु क्रमांक	तालाब बांध / नहर से तक	सम्पत्ति												
			स्थान	वृक्ष की संख्या	वृक्षों के नाम	तना का घेरा एवं ऊंचाई	घास या	मछली	भू-पट्टी	अन्य	निम्नतर किराया / निर्धारित नीलामी राशि	1997	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्ररूप – 5
(नियम 12 (1)(चार) देखिए)
संयंत्र रजिस्टर

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	संयंत्र/मशीन का नाम	निर्माता एवं माडल	मशीन की अश्व शक्ति	क्रय वर्ष	मूल पुस्तकीय मूल्य	भाड़ा क्रय प्रमार्य किलो मी. प्रति घंटा	कार्यकरण दशा	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप – 6
(नियम 12 (3)(एक) देखिए)

जलाशय गैज एवं निस्सारण रजिस्टर

जलाशय/तालाब का नाम

एफ.टी.एल. एस.डब्ल्यू.एल. टी.बी.एल. जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

तारीख	जलाशय का स्तर प्रातः 8 बजे	क्षमता मि. घन मी.	स्लूस पर (1) स्लूस (2) पर										वाष्पीकरण		कुल बाहरी प्रवाह मि. क्यू. मी.	वर्षा मिमी	जलाशय में जल स्तर का घटना बढ़ना मीटर में	कुल जल संग्रहण कुल रिक्तता मि. क्यू.मी.	कुल आवक मि. क्यू. मी.	कुल जल उपयोग मि.क्यू. मी.	टिप्पणियां
			सामने की गेज रीडिंग	पृष्ठ गैज की	निकासी मार्ग का आकार	जल स्तर	प्रवाह		शीर्ष पर जल स्तर	निकास मार्ग एवं	क्यू. मी. प्रति सेकेण्ड	मि. क्यू. मी.	मीटर में	मि. क्यू. मी.							
							क्यूमेक	मि. क्यू. मी.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

प्ररूप – 7
(नियम 12 (3) (दो) देखिए)
नहर गैज—निस्सारण रजिस्टर

नाम—मुख्य नहर/शाखा तल की चौड़ाई जल उभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

प्रारंभ में तल की चौड़ाई अंत में पूर्ण निस्सारण गहराई

पूर्ण निस्सारण गहराई/गेज डिस्चार्ज गेज

डिस्चार्ज

तारीख	समय	गेज कृषक संगठन क्षेत्र प्रारंभ में	निस्सारण क्यू मी. प्रति सेकेण्ड	गेज कृषक संगठन क्षेत्र अंत में	निस्सारण क्यू मीटर प्रति सेकेण्ड	निस्सारण	
						क्यूमेक	मि.क्यू.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8

प्ररूप – 8
(नियम 12 (4) (एक) देखिए)

कमाण्ड क्षेत्र रजिस्टर

स्त्रोत का नाम जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	भूखातेदार का नाम / पिता का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कमाण्ड क्षेत्र का विस्तार	कुल	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

प्ररूप – 9
(नियम 12 (4) (दो) देखिए)

सिंचित क्षेत्र एवं मांग रजिस्टर

स्रोत का नाम जल उपभोक्ता संथा / कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	भू-खातेदार का नाम / पिता का नाम	सर्वे क्रमांक	घृति का विस्तार	वास्तविक सिंचित क्षेत्र	फसल का प्रकार	वाटरिंग की संख्या	जल भार निर्धारण	
							दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप – 10
(नियम 12 (6) (एक) देखिए)

रोकड़ बही

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

प्राप्ति पक्ष								भुगतान पक्ष							
प्राप्ति की तारीख	अस्थायी प्राप्ति की संख्या एवं तारीख (यदि कोई हो तो)	प्राप्त वाउचरों की संख्या	किससे प्राप्त हुआ	राशि	लेखा शीर्ष	प्राप्ति के ब्यौरे	तारीख सहित आद्य हस्ताक्षर	भुगतान की तारीख	वाउचर क्रमांक	कैसे भुगतान किया गया	नगद	चेक	लेखा शीर्ष	भुगतान के ब्यौरे	तारीख सहित आद्य हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

प्ररूप – 11
(नियम 12 (6) (दो) देखिए)

मूल प्रति
अस्थाई प्राप्ति रसीद
(कृषक संगठन की मोहर)

द्वितीय पक्ष
अस्थाई प्राप्ति रसीद
(कृषक संगठन की मोहर)

रसीद क्रमांक तारीख श्री निवासी रुपये (शब्दों में) प्राप्त कियें ।	रसीद क्रमांक तारीख श्री निवासी रुपये (शब्दों में) प्राप्त कियें ।
स्थान: तारीख:	स्थान: तारीख:
कृषक संगठन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	कृषक संगठन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप – 12
(नियम 12 (6) (तीन) देखिए)

बिल रजिस्टर

जल उपभोक्ता संथा/कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	प्रस्तुत करने की तारीख एवं जावक क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलन की लागत	स्वीकृति संदर्भ	बिल की राशि	माप पुस्तिका का क्रमांक तथा पैज क्रमांक	एजेन्सी का नाम	आद्य हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप – 13
(नियम 12 (6) (चार) देखिए)

चैक एवं मेमो रजिस्टर

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	चैक किसके नाम प्रदाय किया गया है	कार्य का नाम	चैक क्रमांक एवं तारीख	चैक की राशि	चैक पुस्तिका क्रमांक	बजट की राशि	शेष राशि	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप – 14
(नियम 12 (6) (पांच) देखिए)

विशेष शुल्क रजिस्टर

जल उपभोक्ता संस्था/कृषक संगठन का नाम

अनुक्रमांक	तारीख	विशेष शुल्क का विवरण	कालावधि	किसके प्राप्त किया	राशि	अस्थायी रसीद क्रमांक	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
व्ही.एस. वर्मा, सचिव

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 663 बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2000 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकत्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 43 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 7 के उपनियम (7) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय अर्थात्:-

“(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी निर्वाधन प्रदान करने की शक्तियां निम्नानुसार होंगी :-

3. विशेष मरम्मत :-

(क) कार्यपालन यंत्री	रु. 1,00,000.00 तक
(ख) अधीक्षण यंत्री	रु. 10,00,000.00 तक
(ग) मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्ति

4. सामान्य मरम्मत :-

(क) उपयंत्री (सक्षम प्राधिकारी)	रु. 20,000.00 तक
(ख) सहायक यंत्री	रु. 50,000.00 तक
(ग) कार्यपालन यंत्री	कृषक संगठन को उपलब्ध कराई गई निधि के भीतर पूर्ण शक्ति.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम.एल.विश्वकर्मा, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 731 मंगलवार,

दिनांक 5 दिसम्बर 2000 में प्रकाशित

जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2000

क्र. 32-1-99-मध्यम-इक्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 15 में, खण्ड (ख) तथा (ड) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए जाएं, अर्थात :-

“(ख) संधारण योजना तैयार करेगा :-

(ड) विभिन्न रजिस्टर, दस्तावेज तथा लेखा कार्य संधारित करेगा; और”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम.एल.विश्वकर्मा, उपसचिव,

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 272 मंगलवार, दिनांक 1मई 2001 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 1 मई, 2001

क्र. 32-1-99-मध्यम-इक्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए जाएं, अर्थात:-

“(1) कृषक संगठन, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में या सहकारी बैंक में, अर्थात जिला सहकारी सेन्ट्रल बैंक या मध्यप्रदेश राज्य शीर्ष सहकारी बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलेगा। यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति (चेयर पर्सन), प्रबंध समिति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट प्रबंध समिति के एक सदस्य और कृषक संगठन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा खाते को संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा . कृषक संगठन, समुचित वाऊचर और रसीदों के साथ रोकड़ बही (केश बुक) और व्यय के लेखाओं को संधारित करेगा।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम.एल.विश्वकर्मा, उपसचिव,

मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999

नियम क्रमांक एवं विषय सूचि	पेज क्रमांक
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ	1
2. परिभाषाएं	2
3. सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र का अंकन	3
4. भूधारक की सूची, मतदाता सूची तथा अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची तैयार करना	4
5. वितरक क्षेत्रों का अंकन	5
6. परियोजना क्षेत्रों का अंकन	6
7. निर्वाचन संचालित करने की प्रक्रिया	6
8. वापस बुलाना	6
9. आकस्मिक रिकवियां	7
प्ररूप क्रमांक एवं विषय सूचि	पेज क्रमांक
क. अधिसूचना	8-9
ख. प्ररूप 'क' के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर निर्णयों पश्चात् सूचना पत्र	10
ग. भू-धारियों की सूची	11
घ. सभी अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची	12
ड. नाम सम्मिलित करने पर आपत्ति	13
च. उपभोक्ता संथा की निर्वाचक नामावली में सम्मिलिती हेतु	14
छ. निर्वाचक नामावली में से प्रविष्टि निकालने हेतु आवेदन	15
ज. निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन हेतु सूचना	16
झ. घोषणा-पत्र	17
ञ. वितरिका समितियों के गठन हेतु वितरिका सिंचाई प्रणाली को अंकित करती सारणी	18
ट. परियोजना क्षेत्र की सिंचाई प्रणाली को अंकित करती सारणी	19
ठ. वापसी सूचना	20
ड. सत्यापन	21
संशोधन पत्रक	22-24

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 703 सोमवार,

दिनांक 18 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999

क्र. 32-1-99-मध्यम-इक्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999** हैं.
(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999;
 - (ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;
 - (ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
 - (घ) "कृषक संगठन" से अभिप्रेत है प्राथमिक स्तर पर जल उपभोक्ता संस्था द्वितीयक स्तर पर वितरिका समिति तथा परियोजना स्तर पर परियोजना समिति;
 - (ङ.) "सूचना" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न सूचना।

3. **सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र का अंकन** – (1) जिला कलेक्टर, अधिसूचना द्वारा अपने जिले के भीतर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन के कमाण्ड क्षेत्र को जलीय आधार पर प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य रूप में अंकित कर सकेगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उसे जल उपभोक्ता क्षेत्र घोषित कर सकेगा और इस उपनियम के अधीन संशोधित अधिसूचना प्ररूप (क) में सुभिन्न कृषक संगठन के नाम द्वारा प्रकाशित कर सकेगा।
- (2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संस्था किसी ग्राम के नाम से होगी जिसमें उसके सुभिन्न नाम से कमाण्ड क्षेत्र की वृहद सीमा स्थित है। यदि ऐसे ग्राम में एक से अधिक संस्था हैं, तो ऐसी संस्था सुभिन्न नाम में अंक जोड़ कर जानी जाएगी।
- (3) कलेक्टर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के लिये वितरण प्रणाली जैसे कमाण्ड क्षेत्र से संबंधित संरचना के साथ वृहद, लघु तथा निकास दर्शाते हुए नक्शे या स्केच तैयार करवाएगा, नक्शे या स्केच में ग्राम की सीमाएं, नालियां आयाकट सड़कें तथा समस्त संरचनाएं चिह्नित होंगी।
- (4) प्रत्येक वितरिका के अधीन सिंचित क्षेत्रों या सिंचित की जाने वाली योजनाएं लघु, सर्वे क्रमांकवार तैयार की जाएंगी।
- (5) प्रत्येक जल उपयोग क्षेत्र के लिए जलीय आधार पर अंकित होगा। जिसमें कमाण्ड क्षेत्र तथा सिंचाई प्रणाली के किसी सुभिन्न खण्ड द्वारा प्रत्येक के काम में आने वाले या नियंत्रित संरचना या उसके शीर्ष पर किसी यंत्र रचना के साथ उस कमाण्ड क्षेत्र के लिए जल की आवंटित या परिकल्पित मात्रा के प्रदाय किया जाना हो।
- (6) अंकित क्षेत्र में एक या अधिक वितरिकाओं या लघु या उप लघु या सीधे पाइप या निकास या उसके दो या अधिक संयोजन जो उसके कमाण्ड में आने वाले हो सकेंगे। इसमें सुभिन्न सीमांकित सीमा जिसमें नाली या बंध या अनकमाण्डेबिल भूमि भी होगी।
- (7) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में जिसमें तालाब, उपयोजन, जल सरणी, उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम), कुएं तथा प्रत्येक ऐसी अन्य लघु सिंचाई प्रणाली सम्मिलित है, एक जल उपभोक्ता क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।
- (8) वृहद तथा मध्यम सिंचाई प्रणाली की दशा में ऐसे जल उपयोग क्षेत्र एक से अधिक होंगे।

- (9) प्रशासनिक जीवन योग्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जल उपभोक्ता का क्षेत्र का कार्य क्षेत्र किसी राजस्व सर्किल के भीतर स्थित, जहां तक हो सके, किसी ग्राम या समीपस्थ ग्रामों की सीमा होगी।
- (10) जिला कलेक्टर, वृहद या मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट समसंख्यक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में यथा संभव समान रूप से विभक्त करेगा :—

1000 हेक्टर तक	4 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
1001 से 1500 हेक्टर तक	6 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
1501 से 2000 हेक्टर तक	8 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
2000 हेक्टर से अधिक	10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

और लघु सिंचाई परियोजना के संबंध में, यथा संभव, जल उपभोक्ता क्षेत्र को निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की ऐसी समसंख्या में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

200 हेक्टर तक	4 निर्वाचन क्षेत्र
201 से 400 हेक्टर तक	6 निर्वाचन क्षेत्र
401 से 600 हेक्टर तक	8 निर्वाचन क्षेत्र
601 से 2000 हेक्टर तक	10 निर्वाचन क्षेत्र

टिप्पणी :- सीधे पाइप निकासी से कमाण्ड क्षेत्र दो भागों में विभक्त नहीं होगा जबकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजित हुए हों।

- (11) कमाण्ड क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, जल उपभोक्ता क्षेत्र के मसौदे, नक्शे (मानचित्र) या स्कैच तैयार किये जाएंगे। प्ररूप “क” में प्रत्येक ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में स्थित भूमि के सर्वे क्रमांक में अन्तर्विष्ट ब्यौरे भूमि धारक को सूचना देने के लिए

ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के सूचना फलक पर ऐसे मानचित्र या स्कैच के साथ प्रदर्शित करेगा।

- (12) जल उपभोक्ता क्षेत्र या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भाग के अंकन के विरुद्ध आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, कार्यक्षेत्र में भूमि धारक द्वारा प्रदर्शन की तारीख को अपवर्जित करते हुए सात दिन की कालावधि भीतर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (13) जिला कलेक्टर, ऐसी आपत्तियां या सुझावों के प्राप्त होने के कारण दो दिन के भीतर संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जब कभी आवश्यक हो, उसके कारणों को सम्यक रूप से अभिलिखित करते हुए नक्शे (मानचित्र) या स्कैच में ऐसे परिवर्तन करेगा या उन्हें रूपान्तरित करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- (14) जिला कलेक्टर द्वारा, उपनियम (13) के अनुसरण में अंतिम नक्शा या स्कैच, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय में प्ररूप "ख" में शीघ्र प्रदर्शित किया जायगा।

4. **भू-धारक की सूची, मतदाता सूची तथा अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची तैयार करना:-** (1) जिला कलेक्टर, प्ररूप "ग" में अधिकार अभिलेख के आधार पर भू-धारकों की सूची तैयार करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से तैयार करवाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के आधार पर, वह प्ररूप "घ" में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची उन भू-धारकों को मिलाकर तैयार करेगा या तैयार करवाएगा जिन्होंने कि किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन कराने के लिये अधिसूचना जारी होने की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

- (2) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची, संबंधित ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (3) उपनियम (1) में उल्लिखित सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व, जिला कलेक्टर प्ररूप "च" में किसी नाम या नामों का सम्मिलित करने तथा प्ररूप "छ" में किसी नाम या नामों को हटाने के लिए उपनियम (2) के अन्तर्गत प्रदर्शित की गई सूची के लिए एक सप्ताह के भीतर प्ररूप-ड.

- में आपत्तियां आमंत्रित करेगा। आपत्तियों के प्राप्त होने के पश्चात, यदि कोई हो, जिला कलेक्टर एक सप्ताह के भीतर ऐसी समस्त आपत्तियों पर विचार करेगा तथा ऐसी प्रत्येक सूची के अंत में हटाये गये या सम्मिलित किए गये नामों को जोड़कर ऐसी सूची को अंतिम रूप देगा तथा उसकी अंतिम सूचना प्रारूप "ज" में सत्यापन के लिए प्रकाशित करेगा।
- (4) जल उपभोक्ता क्षेत्र में प्रत्येक भू-धारक का उक्त क्षेत्र में उसके भूमिधृति खाते को विचार में लाए बिना केवल एक मत होगा।
- (5) (एक) उन मामलों में जहां कि भू-धारक किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में भूमि रखता है तो भू-धारक प्राधिकृत अधिकारी को प्रारूप "झ" में यथा विनिर्दिष्ट घोषणा करके एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकल्प लेगा।
- (दो) उस मामलों में जहां कि भू-धारक द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसका मत आवंटित करेगा जिसमें भू-धारक भूमि को अधिकतम सीमा धारण करता है, जहां ऐसी भूमि इस प्रकार धारित है तो उसे दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित कर सकेगा।
- (6) उस नियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची, मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार पश्चात्पूर्ति निर्वाचन प्रारम्भ होने के 6 माह पूर्व पुनरीक्षित की जाएगी।

5. वितरक क्षेत्रों का अंकन :- (1) सरकार, जीवनक्षम कार्य को ध्यान में रखते हुए तथा जिला कलेक्टर के परामर्श से वृहद परियोजना के अन्तर्गत वितरिका समिति गठित करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों में प्रारूप "ज" में अधिसूचना द्वारा वितरक क्षेत्रों की ऐसी संख्या में कमाण्ड क्षेत्र अंकित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) एक वितरक क्षेत्र में समीपस्थ दो या अधिक जल उपभोक्ता क्षेत्र अन्तर्विष्ट हो सकेंगे।

(3) किसी वितरक क्षेत्र को अंकित करते समय जल उपभोक्ता क्षेत्र को उसके भागों में विभक्त या बांटा नहीं जाएगा।

6. **परियोजना क्षेत्रों का अंकन :-** (1) सरकार, जीवनक्षम कार्य को ध्यान में रखते हुए, तथा जिला कलेक्टर के परामर्श, से वृहद् सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत किसी परियोजना समिति या समितियों को गठित करने के प्रयोजन के लिए इन नियमों में प्ररूप "ट" में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक परियोजना क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र को अंकित करेगी।

(2) मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को एकल इकाई के रूप में माना जाएगा तथा परियोजना क्षेत्र के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

7. **निर्वाचन संचालित करने की प्रक्रिया :-** (1) कृषक संगठन के सभापति (चेयरपर्सन) या अध्यक्ष के पद का या सदस्यों का निर्वाचन कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा।

(2) कोई सदस्य जल उपभोक्ता संथा में एक में अधिक निर्वाचक पद धारण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के रूप में तथा प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हो जाता है, तो वह परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 15(पन्द्रह) दिन के भीतर, संबंधित सक्षम अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा ऐसे पदों में से एक पद त्याग देगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रहा जाएगा। सक्षम अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा वितरिका समिति के अध्यक्ष को, जहां कि ऐसी समिति विद्यमान हो, ऐसे पद त्यागनें या पद पर नहीं बने रहने के तथ्य की जानकारी शीघ्र देगा।

ऐसी आकस्मिक रिक्ति अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार भरी जायेगी।

8. **वापस बुलाना :-** (1) सक्षम प्राधिकारी, प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या अध्यक्ष या किसी सदस्य के संबंध में किसी कृषक संगठन से वापस बुलाने के लिए सूचना प्राप्त कर जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी को देगा।

(2) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य के संबंध में कुछ मतदाताओं के एक तिहाई मतदाताओं और वितरिका समिति या परियोजना समिति की प्रबंध

समिति के अध्यक्ष या सभापति (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य के संबंध में साधारण निकाय के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित वापस बुलाने की सूचना प्ररूप "ठ" में होगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करने पर प्ररूप "ड" में सूचना सम्यक सत्यापन करेगा।

(4) जिला कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित कृषक संगठन के मतदाताओं का या साधारण निकाय के सदस्यों का सम्मिलन करने के लिए सूचना के सत्यापन करने के पश्चात सात दिन के भीतर बुलाएगा।

(5) जब उपस्थित तथा मतदान करने वाले मतदाताओं के दो तिहाई बहुमत या मतदान करने वाली संस्था के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गये साधारण निकाय के सम्मिलन में वापस बुलाए जाने के लिए संकल्प के पक्ष में मतदान होता है तो संकल्प पारित किया गया समझा जाएगा।

9. आकस्मिक रिक्तियां :- किसी कृषक संगठन में कोई रिक्ति निरर्हता के कारण हुई हो या मृत्यु या पदत्याग/वापस बुलाने के कारण या किसी कारण से हुई है तो ऐसी रिक्ति निम्नलिखित रीति में भरी जाएगी :-

(क) (एक) यदि जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष पद में कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो वितरिका समिति की प्रबंध समिति जिसमें जल उपभोक्ता संस्था स्थित है, का अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष के रूप में वितरिका समिति के सदस्यों में से एक सदस्य का नामनिर्देशन करके भरी जाएगा।

(दो) यदि जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के किसी सदस्य की रिक्ति उद्भूत हुई हो तो वितरिका समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, उक्त निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें रिक्ति हुई है, भू-धारकों से किसी एक को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन कर भरी जाएगी।

(ख) (एक) यदि किसी वितरिका समिति के अध्यक्ष पद में कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो परियोजना समिति की प्रबंध समिति के चेयरपर्सन जिसमें वितरण क्षेत्र स्थित है, परियोजना समिति की प्रबंध समिति के एक सदस्य को वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशन कर भरी जाएगी।

(दो) यदि किसी वितरिका समिति की प्रबंध समिति के किसी सदस्य की रिक्ति उद्भूत होती है तो परियोजना समिति का चेयरपर्सन, वितरिका समिति के साधारण निकाय के सदस्यों से एक को सदस्य के रूप में नामनिर्देशन कर भरी जाएगी।

* (ग) (एक) यदि परियोजना समिति के चेयरपर्सन के पद में कोई रिक्ति उद्भूत हुई हो शीर्ष समिति या सरकार, परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों से एक को सभापति (चेयरपर्सन) के रूप में नामनिर्देशन कर भरी जाएगी।

(दो) यदि किसी परियोजना समिति की प्रबंध समिति के किसी सदस्य की कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो शीर्ष समिति या सरकार परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों से एक को सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करके भरी जाएगी।

(घ) यदि लघु सिंचाई परियोजनाओं की जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष की रिक्ति उद्भूत होती है तो प्रबंध समिति, निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक, प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

(ड.) यदि मध्यम/वृहद सिंचाई परियोजनाओं की जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष की रिक्ति उद्भूत होती है वितरिका समिति/परियोजना समिति गठित नहीं हुई है तो ऐसी दशा में प्रबंध समिति, निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने तक, प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

* मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम 1999 के नियम 9 के खण्ड (ग) के बाद जोड़ा गया। संशोधन —मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 663 दिनांक 18 अक्टूबर 2000 द्वारा किया गया। पेज 23.

*** प्रारूप “क”**

अधिसूचना

(नियम 3 का उप नियम (1) देखिए)

यतः सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को जलीय आधार पर जल उपभोक्ता क्षेत्रों में अंकित करता विनिश्चित किया गया है और यतः इस प्रकार से विभाजित किया गया जल उपभोक्ता क्षेत्र, जहां और जो प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम हो तक संभव हो सके, पुनः समान रूप से ऐसी सम संख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जल उपभोक्ता संस्थाओं को निर्मित करने के उद्देश्य से विभाजित किये जायेंगे।

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 1999) के नियम 3 के उपनियम (2) से (10) के अधीन मैं
..... कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला
/प्राधिकृत अधिकारी, एतद् द्वारा जल उपभोक्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अंकित करता हूं, और यह निदेशित करता हूं कि, विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शे एवं रेखाचित्रों को ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

नीचे दिए गये ब्यौरे के अनुसार अंकन के विरुद्ध ऐसी कोई आपत्तियां या दावे, ग्राम पंचायत जनपद पंचायत, कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित तारीख को छोड़कर 7 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे।

* मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम 1999 के प्रारूप “क” में संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 734 दिनांक 06 नवम्बर 1999 द्वारा किया गया । पेज 22

..... सिंचाई प्रणाली

..... जल उपभोक्ता संस्था ग्राम का नाम

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या तहसील का नाम.....

..... वृहद्/लघु का नाम.....

..... कुल कमाण्ड क्षेत्र, एकड़ में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

.....

अनुक्रमांक	स्लूस द्वार की स्थिति	कमाण्ड क्षेत्र		ग्राम का नाम
		खसरा क्रमांक	विस्तार (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत
अधिकारी जिला.....

प्रारूप “ख”

(नियम 14 (3) देखिए)

यतः तारीख को प्रदर्शित प्रारूप “क” के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया तथा उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया।

और यतः, यह समझा जाता है कि प्रारूप “क” में संशोधन आवश्यक समझे गये हैं और तदनुसार उनकी नीचे दी गई सारणी में, एतद्वारा पुनरीक्षित किया जाता है।

.....सिंचाई प्रणाली.....
जल उपभोक्ता संस्था ग्राम का नाम प्रादेशिक
 निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या तहसील का नाम.....
 वृहद/लघु का नाम
 कुल कमाण्ड क्षेत्र हेक्टर में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
 ...

(भाग क्रमांक)

क्रमांक	स्लूस द्वार की स्थिति	कमाण्ड क्षेत्र		ग्राम का नाम
		खसरा क्रमांक	विस्तार (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत
 अधिकारी जिला.....

..

प्रारूप “ग”

(नियम 4 (1) देखिए)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन्, 1999) के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन, मैं, ...तहसीलदार, तहसील..... का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण, नीचे दी गई सारणी के अनुसार भू-खातेदारों की सूची प्रकाशित करता हूँ। उक्त सूची के विरुद्ध कोई भी आपत्तियां या दावें मेरे समक्ष सूची प्रदर्शित होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर फाइल किये जा सकेंगे।

जल उपभोक्ता संस्था का नाम

ग्राम का नाम तहसील का नाम..... वृहद/लघु.....
.....का नाम

जिला.....

कुल कमाण्ड क्षेत्र

कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक (भाग क्र.).....

भू-धारियों की सूची

क्रमांक	भू-खातेदार का नाम एवं पिता का नाम	भूमि का विस्तार (हेक्टर में)	खसरा क्रमांक	ग्राम का नाम	उम्र
1	2	3	4	5	6

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

प्राधिकृत अधिकारी

जिला . / ज.उ.सं.....

प्रारूप “घ”

(नियम 4(1) देखिए)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन्, 1999) के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन, मैं, ...तहसीलदार, तहसील.....
.....तहसीलदार का प्राधिकृत अधिकारी होने से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रानुसार बनाई गई सभी मतदाताओं, जो भू-धारी है और जिन्होंने निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की गई इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को अट्ठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, की सूची नीचे विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष तथा प्रबंधन समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु इस प्रारूप में प्रदर्शित करता हूँ।

इस सूची के विरुद्ध कोई भी आपत्ति अधोहस्तक्षरकर्ता के समक्ष एक सप्ताह के भीतर विचार तथा अंतिम निर्णय हेतु फाइल की जा सकती हैं।

जल उपभोक्ता संस्था की मतदाता सूची

जल उपभोक्ता संस्था का नाम ग्राम का नाम
..... तहसील का नाम

जिला कुल कमाण्ड क्षेत्र कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र..
..... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक..... (भाग अनुक्रमांक).....

सभी अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची

अनुक्रमांक	मतदाता का नाम	पिता का नाम	आयु	ग्राम का नाम	भू-खातेदारी	
					खसरा क्र.	सीमा
1	2	3	4	5	6	

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

प्राधिकृत अधिकारी

जिला जल उपभोक्ता संस्था.

प्ररूप "ड."

(नियम 4(3) देखिए)

नाम सम्मिलित करने पर आपत्ति

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी

जल उपभोक्ता संस्था.....

महोदय,

मैं जल उपभोक्ता संस्था की निर्वाचक नामावली के अनुक्रमांक पर श्री के नाम को सम्मिलित करने पर निम्नलिखित कारणों से आपत्ति करता हूँ।

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

मेरा नाम इस जल उपभोक्ता संस्था की निर्वाचक नामावली में निम्नानुसार सम्मिलित किया जा चुका है।

नाम पूरा

पिता/माता/पति का नाम

अनुक्रमांक

आपत्तिकर्ता के

दिनांक

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(पूरा डाक का पता)

.....

मैं उसी निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में सम्मिलित हूँ, जिसमें (सूचि) आपत्ति किया गया नाम सम्मिलित है मेरा अनुक्रमांक उसमें हैं। मैं इस आपत्ति का समर्थ करता हूँ और प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

नाम (पूरा)

टिप्पण: कोई व्यक्ति, जो ऐसा अभिकथन करता है या घोषणा करता है जिसे वह मिथ्या होना जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन 1999) के उपबंधों के अधीन दण्डनीय हैं।

प्ररूप "च"
(नियम 4(3) देखिए)

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी

जल उपभोक्ता.....

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा नाम उपरोक्त जल उपभोक्ता संस्था की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाए।

1. नाम (पूरा).....
2. पिता माता/पति का नाम.....
3. मेरे निवास स्थान की विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:-
 - (क) मकान नम्बर :
 - (ख) गली/मोहल्ला :
 - (ग) नगर/ग्राम :
 - (घ) डाकखाना(पोस्टऑफिस) :
 - (ङ) पुलिस थाना/तहसील :
 - (च) जिला :
4. धारित भूमि की विशिष्टियां :
 - (क) खसरा क्रमांक :
 - (ख) सीमा :
 - (ग) ग्राम का नाम :
 - (घ) सिंचाई प्रणाली का नाम :

मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान विश्वास के अनुसार एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ—

- (1) कि मैं भारत का नागरिक हूँ।
- (2) कि मेरी उम्र प्रथम जनवरी/प्रथम जुलाई,.....को..... वर्ष माह थी।
- (3) कि मैं इस जल उपभोक्ता संस्था का उपरोक्त पते के स्थान पर जल उपभोक्ता हूँ।

स्थान :.....

दिनांक:.....

दावेदार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप "छ"

(नियम (3) देखिए)

निर्वाचक नामावली में से प्रविष्टि निकालने हेतु आवेदन

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी

जल उपभोक्ता संस्था,

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि.....जल उपभोक्ता संस्था की निर्वाचक नामावली के अनुक्रमांक पर प्रविष्टि* श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी/पुत्री..... से संबंधित नाम सूची में से निकाल दिया जाये क्योंकि उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई है/ इस जल उपभोक्ता संस्था में वह जल उपभोक्ता नहीं है/ उसका नाम पूर्व में ही मतदाता सूची के अनुक्रमांक पर सम्मिलित है, अतः वह निम्नलिखित कारणों से निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का पात्र नहीं है।

.....

.....

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम इस जल उपभोक्ता संस्था की नामावली के अनुक्रमांक पर नामांकित होने से मैं एक निर्वाचक हूँ।

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

(डाक का पूरा पता)

दिनांक :.....

.....

स्थान :.....

.....

टिप्पण: कोई व्यक्ति, जो ऐसा अभिकथन करता है या घोषणा करता है जिसे वह मिथ्या होना जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) के उपबंधों के अधीन दण्डनीय है।

*अनुपयुक्त शब्दों को काट दीजिए,

मैं उसी जल उपभोक्ता संस्था की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में सम्मिलित हूँ जिसके निकाले जाने के लिये दावेदार ने आवेदन दिया है, मेरा अनुक्रमांक उसमें हैं मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और अपने प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

नाम (पूरा).....

.....

.....

टिप्पण: कोई व्यक्ति, जो ऐसा अभिकथन करता है या घोषणा करता है जिसे वह मिथ्या होना जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) के उपबंधों के अधीन दण्डनीय हैं।

प्ररूप "ज"

(नियम 4 उप-नियम (3) देखिए)

निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन हेतु सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि, भू-धारियों की सूची, मतदाता सूची और जल उपभोक्ता संस्था के अन्य जल उपभोक्ताओं की सूची के प्रारूप में संशोधनों की सूची मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) के अनुसार तैयार की गई है और उक्त सूचियों की एक प्रति संशोधनों की सूचियों के साथ प्रकाशित कर दी गई है, और मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी

पद .

तारीख :

जिला

प्ररूप "झ"

(नियम 4 उप-नियम (5)(1) देखिए)

घोषणा

मैं सुपुत्र श्री
मकान नं. मोहल्ला ग्राम
..... का निवासी, आयु लगभग वर्ष, निम्नानुसार भूमि का धारक हूँ :-

खसरा क्रमांक	विस्तार क्षेत्र हेक्टर में	ग्राम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
1	2	3	4

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि, मैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक..... में मतदान करने का इच्छुक हूँ।

स्थान :

हस्ताक्षर.....

तारीख :

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,

.....जल उपभोक्ता क्षेत्र,

.....तहसील,

.....जिला

मैं जल उपभोक्ता संस्था का प्राधिकृत अधिकारी एतद्वारा
..... प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का श्री को निम्नलिखित कारणों से आवंटन करता हूँ।

1. आवेदक के निवेदन के आधार पर।
2. धारित भूमि के विस्तार के आधार पर।
3. अन्य।

प्राधिकृत अधिकारी

.....

अभिस्वीकृति

श्री से एक आवेदन का प्रपत्र जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विकल्प का प्रयोग करने हेतु प्राप्त हुआ।

प्राधिकृत अधिकारी

.....

प्ररूप “ ज”

(धारा 5 (1) देखिए)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 5 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट वितरिका समितियों को गठित करने के प्रयोजन हेतु वितरिका क्षेत्र.....
..... सिंचाई प्रणाली को अंकित करती है।

सारणी

.....सिंचाई प्रणाली

.....जिला

सारणी

अनुक्रमांक	वितरिका समिति का नाम	स्लूस द्वार की स्थिति	जल उपभोक्ता संथाओं के नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6

प्ररूप—“ट”

(धारा 7 (1) देखिए)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 7 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट परियोजना समितियों को गठित करने के प्रयोजन हेतु परियोजना क्षेत्र.....
..... सिंचाई प्रणाली को अंकित करती है।

सारणी

.....सिंचाई प्रणाली

.....जिला

सारणी

अनुक्रमांक	परियोजना समिति का नाम	स्लूस द्वार की स्थिति	वितरिका समिति/जल उपभोक्ता संथा के नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6

* मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम 1999 के प्ररूप “ट” में संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 348 दिनांक 27 जुलाई 2002 द्वारा किया गया। पेज 24

प्ररूप—“ठ”

(धारा 8 (2) देखिए)

अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति/जल उपयोग संथाओं/वितरिका समिति/परियोजना समिति, जो तहसील/तहसीलों जिला..... में स्थित हैं, मतदाताओं,/साधारण निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई का गठन करती है, हम लोगों ने प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य/उक्त जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के चेयरपर्सन में तत्क्षण विश्वास खो दिया है। हम उसे वापिस बुलाना प्रस्तावित करते हैं।

तदनुसार, यह निवेदन किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन उक्त जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के निम्नलिखित मतदाताओं/साधारण निकाय के सदस्यों का एक सम्मिलन बुलाया जाय और वापिस बुलाने का प्रस्ताव लाया जाय और वहां एक संकल्प पारित करने के प्रयोजन से मतदान किया जाय।

तारीख

अनुक्रमांक	नाम	ग्राम	मतदाता सूची में अनुक्रमांक संख्या	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

प्रति

प्राधिकृत/नामनिदिष्ट अधिकारी/तहसील/कलेक्टर कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट जिला

प्ररूप—“ड”

(धारा 8 (3) देखिए)

सत्यापन

मैं प्राधिकृत अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारी होने के कारण प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य, ...
..... तहसील.....जिला में स्थित जल उपभोक्ता
संस्था/वितरिका समिति/ परियोजना समिति के सभापति को वापिस बुलाने के प्रयोजन से वापिसी की
सूचना प्राप्त की है संबंधित मतदाता सूची /संबंधित साधारण निकाय की सूची के साथ वापसी सूचना पर
हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति के हस्ताक्षर को सत्यापित किया है और उसके दिये गये नामों को ठीक तथा सत्य
पाया है। तदनुसार इस मामले में और कार्यवाई करता हूँ।

प्राधिकृत नामनिर्दिष्ट अधिकारी

स्थान.....

जिला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 अनुसरण में, इस
विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999 का अंग्रेजी अनुवाद
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

संशोधन

भोपाल, दिनांक 06 नवम्बर, 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 6 नवम्बर, 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 734 शनिवार, दिनांक 6 नवम्बर 1999 में प्रकाशित)

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, राजस्व संभागों के समस्त आयुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर नियंत्रक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-"क" में,-

- (1) कोष्ठक, शब्द तथा अंक " (नियम 3 का उपनियम (दो) देखिए)" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक "(नियम 3 का उप नियम (1) देखिए)" स्थापित किए।
- (2) कोष्ठक, अंक तथा शब्द "नियम 3 के उपनियम (2) से (6)" के स्थान पर कोष्ठक अंक तथा शब्द "नियम 3 के उप नियम (2) से (10)" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 663 बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2000 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000

क्र. 32-1-99-मध्यम-इक्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 43 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000

क्र. 32-1-99-मध्यम-इक्तीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23, सन् 1999) की धारा 15 के साथ पठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जायें, अर्थात् :-

- (घ) यदि लघु सिंचाई परियोजनाओं की जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष की रिक्त उद्भूत होती है तो प्रबंध समिति, निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक, प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेंगी।
- (ड.) यदि मध्यम/वृहद सिंचाई परियोजनाओं की जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष की रिक्त उद्भूत होती है वितरिका समिति/परियोजना समिति गठित नहीं हुई है तो ऐसी दशा में प्रबंध समिति, निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने तक, प्रबंध समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम.एल. विश्वकर्मा, उपसचिव,

भोपाल दिनांक 18 अक्टूबर 2000

क्र. 32-1-99-मध्यम-इक्तीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2000 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम.एल. विश्वकर्मा, उपसचिव,

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 348 शनिवार, दिनांक 27 जुलाई 2002 में प्रकाशित)

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-“ट” में,—

- (1) कोष्ठक, शब्द तथा अंक “ (धारा 6 का (1) देखिए)” के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक “(धारा 7 (1) देखिए)” स्थापित किए जाए।
- (2) उद्देशिका में शब्द तथा अंक “धारा 6” के स्थान पर शब्द तथा अंक “धारा 7” स्थापित किया जाए।
- (3) सारणी में, कालम (4) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-

“वित्तिका समिति/जल उपभोक्ता संथा के नाम”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय गुप्ता , उपसचिव.

भोपाल दिनांक 27 जुलाई, 2002

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 27 जुलाई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय गुप्ता , उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
WATER RESOURCES DEPARTMENT**

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी
अधिनियम 1999 तथा संबंधित नियम

**MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME
KRISHKON KI BHAGIDARI ADHINIYAM, 1999
& RELEVANT RULES**

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

क्रमांक 579 बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 1999 में प्रकाशित

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 1999

क्र. 9965—इक्कीस—अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 12 अगस्त, 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.के.सिटोके, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 23 सन् 1999

म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999

धाराए	विषय सूचि	पेज नं.
	अध्याय – 1 प्रारंभिक	5
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	5
2.	परिभाषाएं	5
	अध्याय 2 – कृषकों का संगठन	10
3.	जल के उपभोक्ता क्षेत्र का अंकन और संस्था का गठन	10
4.	जल उपभोक्ता की प्रबंध समिति	11
5.	वितरक क्षेत्र का अंकन और वितरक समिति का गठन	12
6.	वितरिका समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन	13
7.	परियोजना क्षेत्र का अंकन तथा परियोजना समिति का गठन	13.14
8.	परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का निर्वाचन	15
9.	शीर्ष समिति	16
10.	वापिस बुलाने की प्रक्रिया	16
11.	कृषक के संगठन में उपसमिति का गठन	17
12.	कृषक संगठन का एक निगमित निकाय होगा	18
13.	कृषक संगठन में परिवर्तन	18
14.	अभ्यर्थी या सदस्य की निरर्हता	18

15.	रिक्तियों का भरा जाना	20
	अध्याय 3 – कृषक संगठन के उद्देश्य तथा कृत्य	21
16.	उद्देश्य	21
17.	जल उपभोक्ता संस्था के कृत्य	23
18.	वितरिका समिति के कृत्य	23
19.	परियोजना समिति के कृत्य	24
20.	फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति	25
21.	सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्य	25
	अध्याय 4 – संसाधन	25
22.	कृषक संगठन के संसाधन	25
	अध्याय 5 – अपराध तथा शास्तियां	26
23.	अपराध तथा शास्तियां	26
24.	अन्य विधियों के अधीन दंड वर्जित नहीं होगा	28
25.	अपराधों का शमन	28
	अध्याय 6 – विवादों का निपटारा	28
26.	विवादों का निपटारा	28
27.	अपील	29
	अध्याय 7 – प्रकीर्ण	29
28.	अभिलेख	29
29.	संपरीक्षा	30
30.	शोध्यों की वसूली	30
31.	सम्मिलन	30
32.	त्याग-पत्र	30
33.	नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति	31
34.	संक्रमणकालीन इंतजाम	31
35.	कृषक संगठन के आदेशों तथा दस्तावेजों का	32

अधिप्रमाणन	
36. अनौपचारिक या रिक्ति आदि द्वारा कृत्य का अविधिमान्य न होना	32
37. निधियों का निक्षेप तथा प्रशासन	32
38. निक्षेप निधि	32
39. बजट	32
40. सद्भावपूर्वक किये गये कार्य के लिये संरक्षण	33
41. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति	33
42. व्यावृत्ति	33
43. नियम बनाने की शक्तियां	33
म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 में विभिन्न संशोधन पत्रक	34 से 46
धारा 33 के अंतर्गत –नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति की अधिसूचना	47

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 23 सन् 1999

(मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999)

(दिनांक 12 अगस्त 1999 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण) में दिनांक 18 अगस्त 1999 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियम हो-

अध्याय-1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 है।
2. इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।
3. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं -(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- क. कृषकों के संगठन के संबंध में "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी सिंचाई प्रणाली के कमान्ड क्षेत्र से लगा हुआ भू-खण्ड जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करें।

ख. आयाकट सड़क से अभिप्रेत है सिंचाई और कृषि के प्रयोजन के लिए कृषकों के संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर की कोई सड़क किन्तु इसमें किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका निगम या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में निहित कोई सड़क सम्मिलित नहीं हैं।

ग. कमाण्ड क्षेत्र से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो या तो गुरुत्वाकर्षण संबंधी बहाव द्वारा या उद्वहन सिंचाई द्वारा या किसी सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त स्त्रोत के किसी अन्य तरीके से सिंचित हो या सिंचित किए जाने योग्य हो और उसमें ऐसा प्रत्येक क्षेत्र सम्मिलित है जो या तो आयाकट कहलाता हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य नाम से जाना जाता हो,

(घ) सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है धारा 21 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी,

(ङ.) वितरक प्रणाली में सम्मिलित हैं—

(एक) समस्त मुख्य नहरें, शाखा नहरें, वितरिकाएं और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति और वितरण के लिए सन्निर्मित लघु नहरें,

(दो) सिंचाई के लिए जल के वितरण से संबंधित समस्त संकर्म, संरचना और साधित्र और

(तीन) समस्त खेत, जलसरणियां और अन्य संबंधित जलसरणियां तथा किसी पाइप निकाय के अन्तर्गत की संरचनाएं

(च) किसी सिंचाई प्रणाली के संबंध में जल निकास प्रणाली में सम्मिलित है—

(एक) अपशिष्ट या अतिरिक्त जल के निस्सरण के लिए जल सरणियां चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों और उससे संसक्त या आनुषंगिक समस्त संकर्म,

(दो) किसी सिंचाई या वितरण से निस्तार जल—सरणियां और उससे संबंधित अन्य संकर्म किन्तु इसमें मैला हटाए जाने के लिए किए जाने वाले संकर्म सम्मिलित नहीं है,

- (तीन) समस्त संग्रहण नालियां और मुख्य नालियां जो खेत नालियों से अतिरिक्त जल को बहाने के लिए हैं, और
- (चार) समस्त खेत नालियां और पाइप निकासों के भीतर सम्बद्ध संरचनाएं,
- (छ) कृषकों का संगठन जहां कहीं भी वह आया हो, का अर्थ होगा और उसमें सम्मिलित हैं—
- (एक) प्राथमिक स्तर पर, समस्त जल उपभोक्ताओं से मिलकर बनने वाला, धारा 3 के अधीन यथा गठित जल उपभोक्ता संथा,
- (दो) द्वितीयक स्तर पर धारा 5 के अधीन यथा गठित वितरिका समिति, और
- (तीन) परियोजना स्तर पर, धारा 7 के अधीन यथा गठित परियोजना समिति
- (ज) खेत जलसरणी में सम्मिलित है विद्यमान जलसरणी या राज्य सरकार द्वारा या भू-धारकों द्वारा या पाइप निकास से जल प्राप्त करने और उसे वितरित करने वाले किसी अभिकरण द्वारा सन्निर्मित की जाने वाली जल सरणी या सरकारी या प्राइवेट स्वामियों से संबंधित खेतों की सिंचाई के लिए निकलने वाला कोई जलमार्ग,
- (झ) खेत नाली में सम्मिलित हैं, भूधृति से पाइप निकास के भीतर अपशिष्ट या अतिरिक्त जल के निस्तारण के लिए भू-धारक द्वारा या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उत्खनित या अनुरक्षित कोई जल सरणी और उसमें विद्यमान या सन्निर्मित की जाने वाली नालियां, विस्तार जल सरणियां और ऐसे ही अन्य संकर्म सम्मिलित हैं।
- (ञ) वित्तीय अभिकरण से अभिप्रेत है तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या निगमित कोई व्यवसायिक बैंक या कोई सहकारी सोसाइटी या कोई अन्य बैंक या संगठन जो कृषकों के संगठन के कार्य क्षेत्र के विकास के लिए धन उधार देता है,
- (ट) जलीय आधार से अभिप्रेत है एक या अधिक जलीय संरचनाओं जैसे हेडवर्क, वितरिकाएं, लघु नहरे, पाइप निकास और उसी प्रकार की जलीय संरचनाएं जो जीवनक्षम सिंचित क्षेत्र की पहचान करने के आधार हैं,

* (ठ) “सिंचाई प्रणाली” से अभिप्रेत है सिंचाई तथा सरकारी संसाधनों से समबद्ध अन्य उपयोग के लिए और सामुदायिक भागीदारी के साधनों द्वारा भी सृजित जल नियंत्रित करने हेतु ऐसी वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई प्रणाली जो जिला कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से अनुज्ञात हो और उसके अंतर्गत जलाशय, खुली मुख्य जलसरणी, उपयोजन प्रणाली, बंध (एनीकट), स्टाप डेम, उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम), तालाब, कुएं तथा उसी प्रकार के अन्य संसाधन सम्मिलित हैं तथा ऐसी सिंचाई प्रणाली जो 40 हैक्टर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती हो,

स्पष्टीकरण – (एक) “वृहद सिंचाई प्रणाली ” से अभिप्रेत है वृहद् सिंचाई परियोजना के अधीन 10000 हेक्टर से अधिक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली,

(दो) मध्यम सिंचाई प्रणाली से अभिप्रेत है मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन 2000 हेक्टेयर से अधिक और 10000 हेक्टर तक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली,

(तीन) लघु सिंचाई प्रणाली से अभिप्रेत है लघु सिंचाई परियोजना के अधीन 2000 हेक्टर तक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली ।

(ड) भू-धारी से अभिप्रेत है सिंचाई प्रणाली के अधिसूचित आयाकट क्षेत्र की भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1951 (क्रमांक 20 सन् 1959) अधीन अधिकारों के अभिलेख में अभिलिखित कोई भूमिस्वामी या कोई अभिधारी,

(ढ) संधारण से सिंचाई प्रणाली पर ऐसे संकर्मों का निष्पादन अभिप्रेत है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि स्तर के अनुसार तैयार की गई भौतिक प्रणाली कार्य क्षेत्र में भू-धारियों को जल के समुचित वितरण के लिए चल रही है।

(ण) कार्य योजना से अभिप्रेत है किसी सिंचाई प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई के विनियमन के लिए तैयार किये गये प्रदाय के तरीकों और प्रदाय की अवधि के ब्यौरे सहित सिंचाई के लिए वितरणों की अनुसूची

***मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड ठ ,में संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 232 दिनांक 26 अप्रैल 2003 में, द्वारा किया गया । पेज 39 एवं 40 .**

- (त) बाराबंदी से अभिप्रेत है प्रदाय का दिन, अवधि और समय उपदर्शित करते हुए किसी अनुमोदित अनुसूची के अनुसार क्रम से जल उपभोक्ताओं को जल के आबंटन का वितरण करने की पद्धति,
- (थ) किसी सिंचाई प्रणाली के संबंध में जल का आबंटन से अभिप्रेत है किसी कृषकों के संगठन द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में समय-समय पर अवधारित जल का बटवारा।
- (द) जल उपभोक्ता से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है किसी सरकारी सिंचाई स्रोत से कृषि, घरेलू ऊर्जा, गैर घरेलू वाणिज्यिक, औद्योगिक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग कर रहा कोई व्यक्ति या निगमित निकाय या कोई सोसाइटी,
- * (ध) नहर अधिकारी से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग के निम्नलिखित अधिकारी –

- क. मुख्य अभियन्ता
- ख. अधीक्षण यंत्री
- ग. कार्यपालन यंत्री
- घ. अनुविभागीय अधिकारी और
- ड. नहर डिप्टी कलेक्टर

(2).उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) में उनके लिए दिए गये हैं।

***मूल अधिनियम की धारा 2 (1) के खण्ड (ध) में संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण)**

क्र. 571 दिनांक 3 अक्टूबर 2001 द्वारा किया गया ,पेज 34 एवं 35 ।

अध्याय-2 कृषकों का संगठन

3. जल के उपभोक्ता क्षेत्र का अंकन और संथा का गठन –

* 1. “राज्य सरकार” अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जलीय आधार पर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा जो प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम हो, और अधिनियम के प्रयोजन के लिए जल उपभोक्ता क्षेत्र घोषित कर सकेगा:

परन्तु लघु और उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अधीन कमाण्ड क्षेत्र के संबंध में जहां तक संभव हो, सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र, एकल जल उपभोक्ता क्षेत्र हो सकेगा,

2. प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जो चार से कम लेकिन दस से अधिक नहीं होंगे, जैसा कि विहित किया जाए,
3. जल उपभोक्ताओं की एक संस्था होगी और प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र के लिए उपधारा (1) के अधीन अंकित उसके स्थानीय सुभिन्न नाम से जानी जाएगी,

**** 4** .प्रत्येक जल उपभोक्ताओं की संथा निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

क. “(एक) समस्त जल उपभोक्ता, जो किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में, भू-धारक हैं, ऐसे भू-धारकों की पत्नियां, जो भू-धारक नहीं हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भू-धारक समझी जाएंगी:

परन्तु जहां कोई स्वामी और अभिधारी दोनों ही ऐसी भूमि के संबंध में भूमि धारक हैं, वहां अभिधारी,”

***मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में संशोधन, म.प्र. राज्यपत्र (असाधारण) क्र. 55 दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा किया गया पेज 42 एवं 43**

****मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड क के उपखण्ड (1) में संशोधन, म.प्र. राज्यपत्र (असाधारण) क्र. 55 दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा किया गया पेज 42 एवं 43**

(दो) किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में समस्त अन्य जल उपभोक्ता,

*** (तीन)** तीन पदेन सदस्य जिनमें एक जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग से अमीन संवर्ग तथा एक उपयंत्री संवर्ग का होगा जो सरकारी विभागों तथा कृषक संथा के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और तीसरा सदस्य कृषि विभाग या आयाकट विभाग से होगा जो सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

ख. खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) से (तीन) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से जल उपभोक्ता संथा के साधारण निकाय का गठन होगा,

ग. खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन जल उपभोक्ता संथा के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य बनने के लिए पात्र कोई व्यक्ति केवल एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य बनने का पात्र होगा और वह अपने विकल्प का प्रयोग करेगा।

घ. खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में केवल विनिर्दिष्ट सदस्य को मत देने का अधिकार होगा।

4. जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति –

- (1). प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी, जिसमें एक अध्यक्ष और प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का एक सदस्य होगा।
- (2). जिला कलेक्टर, जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए विहित रीति में गुप्त मतदान पद्धति द्वारा सीधे निर्वाचन हेतु इन्तजाम करेगा।
- (3). जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति के सदस्यों के, विहित रीति में गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए भी इंतजाम करवाएगा।
- (4). यदि जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी जो कि साधारण: कृषकों के संगठन के क्षेत्र की निवासी होगी।

*मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपखण्ड (3) में संशोधन, म.प्र. राज्यपत्र (असाधारण) क्र. 571 दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 द्वारा किया गया पेज 34 एवं 35

***** (5).** प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, यदि पूर्व में वापिस न बुलाया गया हो, तो वे धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख में पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे :

परंतु प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का अवसान होने पर, यदि नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि में केवल एक बार वृद्धि, ऐसी वृद्धि, के लिये कारणों को अभिलेख पर रखते हुए ऐसे अवसान की तारीख से छह मास की कालावधि के लिय कर सकेगी। "

(6). प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संस्था की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

5. वितरक क्षेत्र का अंकन और वितरक समिति का गठन— (1). राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार दो या अधिक जल उपभोक्ता संस्था को समाविष्ट करते हुए सिंचाई प्रणाली के प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वितरिका क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2). प्रत्येक ऐसे वितरिका क्षेत्र के लिए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित किया जाए, एक वितरिका समिति होगी जो उसके स्थानीय सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

*** , ** , (3)** वितरिका क्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्था के समस्त अध्यक्ष , प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य जब तक कि वे ऐसे पद पर रहें, दो नामनिर्दिष्ट शासकीय सदस्यों से वितरिका समिति के साधारण निकाय का गठन होगा जिनमें से एक जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का सहायक यंत्री होगा जो विभिन्न विभागों, जल उपभोक्ता संस्था तथा वितरिका समिति के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और दूसरा सदस्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा जो कि कृषि या आयाकट विभाग से होगा।

*मूल अधिनियम की धारा 5 उपधारा (3) में संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 571 दिनांक 03 अक्टूबर, 2001 द्वारा किया गया । पेज 34 एवं 35

**मूल अधिनियम की धारा 5 उपधारा (3) में संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 55 दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा किया गया । पेज 42 एवं 43

***मूल अधिनियम की धारा 4 उपधारा (5) में संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 50 दिनांक 31 जनवरी 2006 द्वारा किया गया । पेज 45 एवं 46 ।

6. वितरिका समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन –

- (1). प्रत्येक वितरिका समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी।
- (2). जिला कलेक्टर, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के जो कि वितरिका समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से पांच से अधिक नहीं होंगे, गुप्त

मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए, ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए इंतजाम करेगा।

- (3). वितरिका समिति के प्रबंध समिति में यदि कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को, एक सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी जो कि सामान्यतया कृषकों के संगठन के क्षेत्र में निवासी होगी।
- (4). प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि प्रबंध समिति के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी।
- (5). प्रबंध समिति, वितरिका समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

7. परियोजना क्षेत्र का अंकन तथा परियोजना समिति का गठन – (1). राज्य

सरकार, अधिसूचना द्वारा और निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक ऐसे कमाण्ड क्षेत्र या उसके भाग को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए परियोजना क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा।

,(2) प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए जिसे उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित किया जाए एक परियोजना समिति होगी जो कि उसके सुभिन्न नाम से जानी जाएगी।

* ' ** ' *** (3). "(क) वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संस्थाओं के समस्त अध्यक्षों तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संस्थाओं के समस्त अध्यक्षों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से, जब तक वे ऐसे पद पर रहें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन होगा।"

(ख) परियोजना समिति में दो विनिर्दिष्ट सदस्यों होंगे जिनमें से एक सदस्य विभिन्न विभागों तथा कृषकों की संस्था के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेगा तथा वह वृहद् परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यपालन यंत्री होगा या मध्यम परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का सहायक यंत्री होगा और दूसरा सदस्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा जो कृषि विभाग से होगा, नामनिर्दिष्ट सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

*मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में संशोधन, म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 571 दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 द्वारा किया गया। पेज 34 एवं 35।

**मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 232 दिनांक 03 अप्रैल, 2003 द्वारा किया गया। पेज 38 एवं 39।

***मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड क के उपखण्ड (1) में संशोधन, म.प्र. राज्यपत्र (असाधारण) क्र. 55 दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा किया गया। पेज 41 एवं 42

8. परियोजना समिति के लिए प्रबंध समिति का निर्वाचन –

(1). प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

*** (2).** (एक) सभापति (चेयरपर्सन) तथा प्रबंध समिति, जिसमें परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, के गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए जिला कलेक्टर ऐसी रीति में व्यवस्था करवाएगा जैसी कि विहित की जाए।

(दो) वृहद परियोजना की परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्य, जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे जबकि मध्यम परियोजना का सभापति (चेयरपर्सन) जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्षों में से निर्वाचित किया जाएगा और मध्यम परियोजना की प्रबंध समिति के सदस्य जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्षों और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों में से होंगे।

(3). परियोजना समिति की प्रबंध समिति में यदि कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को एक सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी जो समान्यतया कृषकों के संगठन के क्षेत्र में निवासी होगी।

(4). प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) और सदस्यों की पदावधि प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की होगी।

(5) प्रबंध समिति, परियोजना समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी।

*मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्थान पर संशोधन म. प्र. राजपत्र क्रमांक 232 दिनांक 26 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया | पेज 41

9. शीर्ष समिति – 1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक शीर्ष समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् –

(एक) मंत्री, जल संसाधन विभाग सभापति (चेयर पर्सन)

(दो) परियोजना समिति के सभापति (चेयर पर्सन) में से पांच व्यक्ति,

(तीन) गैर-सरकारी संगठनों से दो व्यक्ति और

***(चार)** राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग से तीन अधिकारी जो मुख्य अभियंता या उसके समतुल्य से अनिम्न पद श्रेणी के न हों।

2. सदस्यों की संख्या में उतनी संख्या में वृद्धि की जा सकेगी जितनी की राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाए।

3. उपधारा (1) के अधीन गठित की गई समिति, ऐसी शक्तियों और ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगी जो—

क. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नीतियों को अधिकथित करने के लिए आवश्यक समझे।

ख. कृषकों के किन्हीं संगठनों को, ऐसे निर्देश देना जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनकी शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

10. वापस बुलाने की प्रक्रिया – 1. कृषकों के संगठन के, यथास्थिति, सभापति (चेयर पर्सन) या प्रबंध समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य को वापस बुलाने का प्रस्ताव, कृषक संगठन के सदस्यों की जो मतदान करने के हकदार हों, कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना जो कि विहित की जाए, किया जाएगा:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रस्ताव की कोई सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध प्रस्तावित करना चाहा गया है, के पद धारण करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं की जाएगी।

*मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड चार में संशोधन , म. प्र. राजपत्र क्रमांक 571 दिनांक 3 अक्टूबर 2001 द्वारा किया गया । पेज 34 एवं 35 ।

2. यदि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत या मतदान करने वाली संस्था के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों द्वारा समर्थित कोई प्रस्ताव इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए साधारण निकाय सम्मिलन में लाया जाता है तो यथास्थिति, जिला कलेक्टर या राज्य सरकार आदेश द्वारा उसे उसके पद से हटा सकेगी और रिक्ति को धारा 15 में विनिर्दिष्ट रीति में भरा जाएगा।

***11.कृषकों के संगठन में उपसमितियों का गठन —** कृषकों के संगठन की प्रबंध समिति, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संगठन में निहित समस्त या किन्हीं भी कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित उप-समितियों का गठन करेगी—

(एक) जल वितरण प्रबंध उप-समिति,

(दो) संकर्म उप-समिति

(तीन) नहर विवाद तथा अपराध उन्मूलन उप-समिति

(चार) संसाधन, वित्तीय संपरीक्षा तथा सामाजिक संपरीक्षा उप-समिति,

(पाँच) सिंचाई राजस्व वसूली सहकारिता उप-समिति, और

(छह) महिलाओं की भागीदारी उप-समिति

12. कृषक संगठन में उपसमिति का गठन — प्रत्येक कृषक संगठन अपने सुभिन्न नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस हैसियत से संविदाएँ कर सकेगा और ऐसी समस्त बातें, जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन हों जिसके लिए वह गठित किया गया था, कर सकेगा और वह उसके निगमित नाम से यथास्थिति, सभापति (चेयन पर्सन या अध्यक्ष के माध्यम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा:

परन्तु कृषकों के किसी भी संगठन को उसमें निहित सम्पत्ति को किसी भी रीति में अन्य संक्रांत करने की शक्ति नहीं होगी।

*मूल अधिनियम की धारा 11 , में संशोधन, म.प्र. राज्यपत्र (असाधारण) क्र. 55 दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा किया गया । पेज 42 एवं 43

13. कृषक संगठन में परिवर्तन — राज्य सरकार, कमाण्ड क्षेत्र में किसी कृषक संगठन के हित में अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार—

- क. किसी कृषक संगठन से किसी क्षेत्र को पृथक कर एक नया कृषक संगठन बना सकेगी।
- ख. किसी कृषक संगठन के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगी,
- ग. किसी कृषक संगठन के क्षेत्र को कम कर सकेगी,
- घ. किसी कृषक संगठन की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, या
- ड. किसी भूल की परिशुद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की किसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई पृथक्करण वृद्धि, कमी परिवर्तन या रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संभाव्यतः प्रभावित होने वाले संगठन को युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

14. अभ्यर्थी या सदस्य की निरर्हता —

1. भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को कोई अधिकारी या सेवक या राज्य सरकार की निधि से सहायता प्राप्त कर रही किसी संस्था का कोई कर्मचारी, प्रबंध समिति सभापति (चेयर पर्सन) या अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा।
2. कोई भी व्यक्ति जिसे किसी दंड न्यायालय द्वारा किन्हीं अपराधों जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, किसी प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अर्हित नहीं होगा।
3. किसी प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित होगा यदि निर्वाचन के लिए नामांकन की छानबीन के लिए नियत की गई तारीख को वह—

क. विकृत चित्त का है,

ख. एक दिवालिया या अनुमोचित दिवालिया न्यायनिर्णीत होने के रूप में आवेदक हो,

ग. भू-राजस्व या जल कर या प्रभार जो या तो राज्य सरकार को या कृषक संगठन को देय हो, का व्यतिक्रमी हैं,

घ. ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या कृषक संगठन के साथ की गई अस्तित्वयुक्त संविदा या उनके लिए किए जा रहे संकर्म में हितबद्ध हो—

परन्तु किसी व्यक्ति का ऐसा संविदा या संकर्म में कोई हित होना केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि उसमें उसका अंश या हित—

1. किस कम्पनी में मात्र अंश धारक के रूप में है लेकिन संचालक के रूप में न हो,
2. किसी स्थावर सम्पत्ति के पट्टों विक्रय या क्रय या इसी हेतु किसी करार में है, या
3. धन के उधार या केवल धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति के लिए किसी करार में है या
4. किसी ऐसे समाचार पत्र में है जिसमें कृषक संगठन के कार्यकलापों से संबंधित विज्ञापन अंतः स्थापित हों

स्पष्टीकरण — शंकाओं को दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है जहां किसी संविदा का पूर्व निर्वहन हो गया हो, तो वह मात्र इस आधार पर अस्तित्वयुक्त नहीं समझी जाएगी कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषक संगठन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने अपने भाग की संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन नहीं किया है।

ड. जल उपभोक्ता संस्था के गठन के पश्चात् कार्यक्षेत्र की भूमि का विक्रय कराने का अंतरण करने के कारण भूमिहीन व्यक्ति है,

च. शासकीय या अर्द्धशासकीय संगठन या स्थानीय निकाय में नियोजित है।

4. प्रबंध समिति का सभापति (चयर पर्सन) या अध्यक्ष या सदस्य पद पर बने रहने से भी निरर्हित हो जाएगा यदि वह —

क. लगातार तीन सम्मिलनों में, युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है।

ख. वह व्यक्ति जो उपधारा (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी निरर्हताओं में से कोई निरर्हता प्राप्त है तो वह तत्काल अपने पद पर नहीं रहेगा।

परन्तु खण्ड (क) के अधीन निरर्हता ऐसी महिला, जो गर्भावस्था की उन्नत अवस्था में है और प्रसव के पश्चात् तीन मास की कालावधि तक के मामले में लागू नहीं होगी।

5. जल उपभोक्ता संस्था का कोई सदस्य या किसी प्रबंध समिति का सभापति (चेयर पर्सन) या अध्यक्ष या सदस्य पद पर बने रहने से निरर्हित हो जाएगा यदि वह भू-धारक नहीं रह जाता/जाती है।

15. रिक्तियों का भरा जाना—

1. कोई रिक्ति जो या तो धारा 14 की उपधारा के अधीन निरर्हता के कारण हुई है या मृत्यु या पदत्याग के कारण या किसी कारण से हुई है ऐसी रिक्ति निम्नलिखित रीति में नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, अर्थात्!—

क. जल उपभोक्ता संस्था में किसी रिक्ति को विहित रीति में वितरिका समिति के प्रबंध समिति द्वारा नाम निर्देशन से भरा जाएगा।

ख. वितरिका समिति में किसी रिक्ति को विहित रीति से परियोजना समिति के प्रबंध समिति द्वारा नाम निर्देशन से भरा जाएगा।

ग. परियोजना समिति में किसी रिक्ति को विहित रीति में शीर्ष समिति द्वारा नामनिर्देशन से भरा जायेगा और

घ. शीर्ष समिति में किसी रिक्ति को विहित रीति में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन से भरा जायगा।

2. जिला कलेक्टर किसी रिक्ति को भरने के लिए ऐसी रिक्ति के होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर निर्वाचन कराने के लिये आवश्यक कदम उठाया,

3. उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित किए गए कृषक संगठन के किसी सदस्य या अध्यक्ष या सभापति (चेयर पर्सन) की पदाविध का अवसान उस समय हो जाएगा जबकि साधारण निर्वाचन में निर्वाचित हो जाने पर यदि वह मर गया होता।

अध्याय 3 कृषक संगठन के उद्देश्य तथा कृत्य

16. उद्देश्य — कृषक संगठन के उद्देश्य जल का उसके उपभोक्ताओं के बीच अभिवर्धन (प्रोन्नत) करना तथा जल के वितरण को सुनिश्चित करना, सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त अनुरक्षण करना, कृषि उत्पादों की वृद्धि करने के लिए जल का दक्षतापूर्ण तथा मितव्ययी उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण करना तथा कृषकों को उसमें शामिल करते हुए पारिस्थिति की संतुलन सुनिश्चित करना, जल बजट तथा कार्य योजना के अनुसार सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व की भावना को समझना होगा।

17. जल उपभोक्ता संथा के कृत्य — जल उपभोक्ता संथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् —

क. प्रत्येक सिंचाई सीजन के लिए, यथास्थिति, वितरिका समिति (डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी) या परियोजना समिति द्वारा यथा अनुमोदित हकदारी क्षेत्र, भूमि (मिट्टी) तथा फसल क्रम पर आधारित कार्ययोजना से संगत, वाराबंदी अनुसूची तैयार करना तथा उसे कार्यान्वित करना,

ख. प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर उसके कार्यक्षेत्र में, सिंचाई प्रणाली के अनुरक्षण के लिए एक योजना तैयार करना तथा समय-समय पर संथा (एसोसियेशन) की निधि से उसके कार्यक्षेत्र में, वितरिका प्रणाली तथा लघु और खेत नाली दोनों अनुरक्षण कार्यों को कार्यान्वित करना और कर्मचारिवृन्द जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियोजन और संधारण के प्रयोजन के लिए जल उपभोक्ता संथा के साथ, राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना,

ग. वाराबंदी अनुसूची की प्रणाली के अनुसार उसके कार्यक्षेत्र के अधीन विभिन्न पाइप निकास से जल के उपयोग को विनियमित करना,

घ. आबंटित किए गए जल के उपयोग में मितव्ययिता प्रोन्नत करना।

ड. भू-धारकों का एक रजिस्टर रखना, जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाए।

च. सहयोजित सदस्यों का एक रजिस्टर तैयार करना तथा रखना,

छ. कार्यक्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली की सूची (इनवेन्ट्री) तैयार करना तथा रखना।

ज. सिंचाई के लिए जल के बहाव का अनुश्रवण (मानीटर) करना,

झ. जल उपभोक्ताओं तथा सदस्यों के बीच उसके कार्यक्षेत्र में यदि कोई विवाद तो उसका निराकरण करना,

ञ. संसाधनों में वृद्धि करना,

*****(अ.अ.) केवल जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग की उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम)/नलकूप के कमाण्ड क्षेत्र के लिए सिंचाई जल दरों का निर्धारण करना, उसके सिंचाई प्रभागों को संग्रहित करना तथा वसूल करना और इस प्रकार संग्रहित या वसूल की गई रकम को, केवल जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग के पम्पस्, मोटर्स, पाइप लाईन्स, जैकवेल तथा उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम)/नलकूपों की नहर प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिये उपयोग करना जिसमें विद्युत् ऊर्जा प्रभागों का भुगतान भी सम्मिलित है।”

ट. लेखा रखना,

ठ. उसके लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा करना,

ड. प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहायता करना,

ढ. अन्य अभिलेखों को, ऐसी रीति में रखना, जैसी कि विहित की जाए,

ण. वित्तिका समिति तथा परियोजना समितियों के विनिश्चयों का पालन करना,

त. साधारण निकाय के सम्मिलनों को ऐसी रीति में संचालित करना, जैसी कि विहित की जाए,

थ. जल के नियमित बजट का संचालन करना तथा सामाजिक सामयिक संपरीक्षा ऐसी रीति में संचालित करना जैसी कि विहित की जाए,

*मूल अधिनियम की धारा 17 में खण्ड (अ) के पश्चात् , संशोधन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 210 दिनांक 03 मई 2002 द्वारा किया गया । पेज 37 एवं 38

18. वितरिका समिति के कृत्य— वितरिका समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी अर्थात् —

- क. प्रत्येक सिंचाई सीजन के आरंभ होने पर परियोजना समिति द्वारा तैयार की गई कार्य योजना से संगत उसके हकदारी क्षेत्र, भूमि (मिट्टी) फसल क्रम पद्धति पर आधारित कार्य योजना तैयार करना,
- ख. प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर उसके कार्यक्षेत्र के भीतर वितरिका तथा मध्यम नाली दोनों के अनुरक्षण के लिए एक योजना तैयार करना और समय-समय पर समिति की निधि से अनुरक्षण संकर्म निष्पादित करना और कर्मचारिवृन्द जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियमन और संधारण के प्रयोजन के लिए, वितरिका समिति के साथ, राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियां उपलब्ध कराना,
- ग. कार्यक्षेत्र में विभिन्न जल उपभोक्ता संथा (एसोसियेशन) के बीच उसके कार्यक्षेत्र के अधीन जल के उपयोग को विनियमित करना,
- घ. जल उपभोक्ता संथा (एसोसियेशन) के बीच उसके कार्यक्षेत्र में यदि कोई विवाद हो तो उसका निराकरण करना,
- ड. उसके कार्यक्षेत्र में जल उपभोक्ता संथा (एसोसियेशन) का रजिस्टर रखना,
- च. उसके कार्यक्षेत्र में सिंचाई प्रणाली जिसमें नाली सम्मिलित हैं, की सूची (इन्वेन्ट्री) रखना,
- छ. आबंटित किए गए जल के उपयोग में मितव्ययिता प्रोन्नत करना,
- ज. लेखा रखना,
- झ. वार्षिक संपरीक्षा कराना,
- ञ .अन्य अभिलेख रखना, जैसा कि विहित किए जाएं,
- ट. सिंचाई के लिए जल के बहाव का अनुश्रवण (मानीटर) करना,
- ठ. साधारण निकाय के सम्मिलनों को ऐसी रीति में संचालित करना जैसी कि विहित की जाए,
- ड. परियोजना समिति के विनिश्चयों का पालन करना,

ढ. जल के नियमित बजट का संचालन करना तथा सामाजिक सामयिक संपरीक्षा ऐसी रीति में संचालित करना जैसी कि विहित की जाए,

ण. प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहायता करना,

19.परियोजना समिति के कृत्य – परियोजना समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्

क. प्रत्येक सिंचाई सीजन के आरंभ में संपूर्ण परियोजना क्षेत्र के संबंध में उसके हकदारी क्षेत्र, मिट्टी तथा फसल क्रम पर आधारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का अनुमोदन करना।

ख. प्रत्येक फसल सीजन की समाप्ति पर उसके कार्यक्षेत्र के भीतर वृहद नाली को सम्मिलित करते हुए सिंचाई प्रणाली के अनुरक्षण के लिए योजना अनुमोदित करना और समय-समय पर समिति की निधि से अनुरक्षण संकर्म निष्पादित करना और कर्मचारिवृन्द जिसमें ऐसी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो सिंचाई पद्धति के विनियमन और संधारण के प्रयोजन के लिए परियोजना समिति के साथ राज्य सरकार द्वारा रखे गए हैं, के संधारण के लिए निधियाँ उपलब्ध कराना,

ग. उसके कार्य क्षेत्र में वितरिका समिति तथा जल उपभोक्ता संथा (एसोसियेशन) की सूची रखना,

घ. उसके कार्य क्षेत्र में वितरिका तथा जल-निकास प्रणाली की सूची रखना,

ड. वितरिका समिति में यदि कोई विवाद हो तो उसका निराकरण करना,

च. जल के उपयोग में मितव्ययिता प्रोन्नत करना,

छ. लेखा रखना,

ज. उसके लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा कराना,

झ. अन्य अभिलेखों को, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए रखना,

ञ .साधारण निकाय के सम्मिलन ऐसी रीति में, संचालित करना जैसी कि विहित की जाए, और

ट. जल का नियमित बजट बनवाना तथा सामाजिक सामयिक संपरीक्षा भी ऐसी रीति में संचालित करना जैसी कि विहित की जाए,

20.फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति — कृषक संगठन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समय-समय पर ऐसी फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करने जैसी कि विहित की जाए।

21.सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कृत्य — 1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जल संसाधन विभाग या किसी अन्य विभाग से ऐसा अधिकारी को, जैसा कि वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक कृषक संगठन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी विहित रीति में कृषक संगठन द्वारा किए गए समस्त विनिश्चयों के कार्यान्वयन तथा निष्पादन के लिए अपने-अपने कृषक संगठन के प्रति उत्तरदायी होगा और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी पेरामीटर के अनुसार कार्य निष्पादित हो गया हो,

अध्याय-4 संसाधन

22.कृषक संगठन के संसाधन— कृषक संगठन की निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्

—

- (एक) कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र में संग्रहित जलकर के शेयर के रूप में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा कमीशन,
- (दो) कार्यक्षेत्र के विकास के लिए ऐसी अन्य निधियां जो राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की जाएं,
- (तीन) उसके कार्यक्षेत्र में आर्थिक विकास क्रियाकलापों के किसी उपक्रम के लिए किसी वित्तीय अभिकरण के समुत्थापित संसाधन,
- (चार) सिंचाई प्रणाली से संलग्न संपत्तियां तथा आस्तियों से प्राप्त आय,

(पांच) सिंचाई प्रणाली के बेहतर प्रबंध के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए कृषक संगठन द्वारा संग्रहित की गई फीस,

(छह) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकम,

अध्याय-5 अपराध तथा शास्तियां

23.अपराध तथा शास्तियां – जो कोई भी किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निम्नलिखित में से कोई कार्य करेगा अर्थात्–

- क. किसी नहर को नुकसान पहुंचाएगा, उसे परिवर्तित करेगा या उसे बढ़ाएगा या उसमें बाधा डालेगा,
- ख. किसी नहर में के जल प्रदाय में जल के उस प्रवाह में जो कि उस नहर से उस नहर में होकर उस नहर के ऊपर या नीचे होता तो, हस्तक्षेप करेगा, वृद्धि करेगा या कमी करेगा,
- ग. किसी नदी या सरिता में के जल प्रवाह में ऐसा हस्तक्षेप करेगा या ऐसा परिवर्तन करेगा जिससे कि कोई नहर संकटापन्न हो जाए, उसे नुकसान पहुंचे या वह कम उपयोगी हो जाए,
- घ. किसी जलधारा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हुए या उस जलधारा का उपयोग करते हुए, उसके जल की बरबादी रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा या उस जलधारा में से पानी की प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करेगा या ऐसी जल का अप्राधिकृत रीति में उपयोग करेगा,
- ङ. सिंचाई के लिए अपने खेत में जल प्राप्त करते समय, ऐसे जल की बरबादी को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करेगा,
- च. किसी नहर के जल को इस प्रकार दूषित करेगा या गंदा करेगा कि जिससे उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए कि वह मामूली तौर से उपयोग में लाया जाता है उसकी उपयुक्तता में कमी आ जाए,
- छ. किसी ऐसे ग्राम में जिसमें मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्र. 3 सन् 1931)की धारा 36 के अधीन उद्घोषणा की गई हो, निवास कर रहा, स्थायी धारा अधिभोगी, खेतिहर या कृषि

श्रमिक होते हुए, नियत किए गए स्थान पर हाजिर होने में उपेक्षा करेगा या उसे आबंटित किए गए कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या उसकी उपेक्षा करेगा,

- ज. किसी नहर अधिकारी के प्राधिकार से लगाए गए किसी भूमि चिन्ह, तल-चिन्ह जलमापी या अन्य साचित्र को नष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा, विरूपित करेगा या हटाएगा,
- झ. किसी नहर के किन्हीं भी संकर्मों, तटों या जल सरणियों पर से या उसके आरपार पशुओं या यानों को उस दशा में गमन कराएगा जबकि ऐसा गमनाधिकार किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो,
- ञ. किसी नहर के तट या सीमा पर पशुओं को चरवाएगा या रस्सी से बंधवाकर रखवाएगा या जानते हुए और जानबूझकर उन्हें चरने देगा या रस्सी से बांध कर रखा जाने देगा किसी नहर अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो,
- ट. किसी नहर पर उगे हुए किसी वृक्ष, झाड़ी, घास या अन्य वनस्पति को हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा, या
- ठ. किसी नहर के तटों पर या उसकी जलसरणी में मल-मूत्र करेगा, वह कृषक संगठन द्वारा शिकायत की जाने पर —

(एक) खण्ड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों के संबंध में कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम या नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और जहां अपराध चालू रहने वाला अपराध हो वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान अपराध जारी रहा हो, बीस रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा, और

(दो) खण्ड (झ) से (ठ) तक में वर्णित अपराधों के संबंध में जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि वही व्यक्ति वैसे ही अपराध के लिए वाद में पश्चातवर्ती सिद्ध दोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

24.अन्य विधियों के अधीन दंड वर्जित नहीं होगा— इस अधिनियम की कोई बात, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी कृत्य या चूक के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने से निवारित नहीं करेगी;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित तथा दण्डित नहीं किया जाएगा।

25.अपराधों का शमन — 1.कृषक संगठन किसी व्यक्ति से या जिसके संबंध में एक युक्तियुक्त विश्वास अनुमित किया जा सकता है कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, या ऐसे अपराध के लिए प्रशमन स्वरूप धारा 23 के खण्ड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों की दशा में कम से कम एक हजार रुपये तथा धारा 23 के खण्ड (झ) से (ठ) में वर्णित अपराधों के लिए पांच सौ रुपये की धनराशि को स्वीकार कर सकेगा।

2. ऐसी धनराशि के संदाय पर, कृषक संगठन द्वारा इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई आगे भी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

अध्याय—6 विवादों का निपटारा

26.विवादों का निपटारा — 1.कृषक संगठन के गठन, प्रबंध शक्तियों या कृत्यों के संबंध में सदस्यों के बीच उद्भूत कोई विवाद या मतभेद कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

2.किसी सदस्य तथा जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति (एसोसियेशन) के बीच या दो या दो से अधिक जल उपभोक्ता संथा (एसोसियेशन) के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

3.किसी सदस्य तथा किसी वितरिका समिति की प्रबंध समिति या दो या दो से अधिक वितरिका समितियों के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

4. किसी सदस्य तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति या दो या दो से अधिक परियोजना समितियों के बीच उद्भूत कोई ऐसा विवाद या मतभेद शीर्ष समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

5. इस धारा के अधीन प्रत्येक विवाद या मतभेद का निपटारा विवाद या मतभेद के निर्दिष्ट किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा।

27. अपील — 1. जल उपभोक्ता संस्था (एसोसियेशन) की प्रबंध समिति द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी विवाद या मतभेद का कोई पक्षकार वितरिका समिति की प्रबंध समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

2. वितरिका समिति की प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चय या पारित किए गए आदेश से व्यथित मतभेद या विवाद का पक्षकार परियोजना समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

3. परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश से व्यक्ति मतभेद या विवाद को कोई पक्षकार शीर्ष (अपेक्स) समिति को अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

4. उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपील व्यथित व्यक्ति को विनिश्चय या आदेश की संसूचना के 15 दिन के भीतर की जाएगी।

5. इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील फाइल करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निपटाई जाएगी।

अध्याय—7 प्रकीर्ण

28. अभिलेख — 1. प्रत्येक कृषक संगठन अपने कार्यालय में निम्नलिखित लेख, अभिलेख तथा दस्तावेज रखेगा, अर्थात्—

क. कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र के मानचित्र के साथ जल संसाधन विभाग के परामर्श से तैयार की गई संरचना तथा वितरक जालों का मानचित्र।

ख. अस्तियों तथा दायित्वों का विवरण

ग. कार्यवृत्त पुस्तक

घ. प्राप्ति तथा संदायों को दर्शित करने वाली लेखा बही,

ड. कृषक संगठन द्वारा माल के संपूर्ण क्रय तथा विक्रय की लेखाबंदी

च. माप पुस्तकों का रजिस्टर, लेविल फील्ड बुक्स, कार्य आदेश तथा उसी प्रकार के दस्तावेज,

छ. संपरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट्स तथा जांच रिपोर्ट्स की प्रतियां,

ज. समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज जो समय-समय पर विहित किए जाए,

झ. स्टॉक रजिस्टर,

ञ. भूमिधारक के विवरणों के साथ उपभोक्ताओं की सूची

ट. शक्तियों का रजिस्टर,

2. कृषक संगठन के सदस्यों की जानकारी के लिए लेखाबहियां तथा अन्य अभिलेख खुले रहेंगे।

29. **संपरीक्षा** — प्रत्येक कृषक संगठन वर्ष में एक बार विहित रीति में अपने लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगा।

30. **शोध्यों की वसूली** — कृषक संगठन को शोध्य अथवा देय समस्त रकम भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी।

31. **सम्मिलन** — कृषक संगठन तथा उसकी प्रबंध समितियों का सम्मिलन ऐसे अन्तराल पर होगा उसकी प्रक्रिया, उसकी अध्यक्षता तथा गणपूर्ति इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जाए।

32. **त्यागपत्र** — 1. कृषक संगठन की प्रबंध समिति का सदस्य संबंधित प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) या अध्यक्ष को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।

2. जल उपभोक्ता संस्था (एसोसियेशन) की प्रबंध समिति का अध्यक्ष संबंधित वितरिका समिति के अध्यक्ष को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर, अपना पद त्याग सकेगा।
 3. वितरिका समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष संबंधित परियोजना समिति के सभापति (चेयर पर्सन) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।
 4. परियोजना समिति की प्रबंध समिति का सभापति (चेयर पर्सन) शीर्ष (अपेक्स) समिति के सभापति (चेयर पर्सन) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर या स्वयं पत्र निविदत्त कर अपना पद त्याग सकेगा।
 5. यथा उपरोक्त वर्णित त्यागपत्र उसकी स्वीकृति की तारीख से या उसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर, उनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रभावशील होंगे।
- *33. नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति** — 1. राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कृत्यों के पालन करने में सक्षम प्राधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों पर सामान्य नियंत्रण तथा अधीक्षण रखने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियंत्रक अधिकारी की जो राजस्व आयुक्त की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो नियुक्ति कर सकेगा।
2. नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ऐसे होंगे जो कि विहित किए जाएं।
- 34. संक्रमणकालीन इंतजाम** — सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी कृषक संगठन और उसकी प्रबंध समिति की शक्तियों को प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति तब तक के लिए कर सकेगी जब तक कि उस समय तक कृषक संगठन का गठन या पुनर्गठन नहीं हो जाता या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी प्रबंध समिति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेती।

* नियंत्रक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 734 शनिवार, दिनांक 6 नवम्बर 1999 को, पेज 47 में देखें।

- 35. कृषक संगठन के आदेशों तथा दस्तावेजों का अधिप्रमाणन—** कृषक संगठन की समस्त अनुज्ञाओं, आदेशों, विनिश्चयों तथा अन्य दस्तावेजों को कृषक संगठन के सभापति (चेयर पर्सन) या अध्यक्ष के या इस निमित्त प्रबंध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबंध समिति के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- 36. अनौपचारिकता या रिक्ति आदि द्वारा कृत्य का अविधिमान्य न होना—** कृषक संगठन की प्रबंध समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उक्त समिति के गठन में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।
- 37. निधियों का निक्षेप तथा प्रशासन—** 1. कृषक संगठन की प्रबंध समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उक्त समिति के गठन में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।
2. निधियों का उपयोजन इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा उपगत किए गए व्यय की पूर्ति करने के लिए ही किया जाएगा और अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।
- 38. निक्षेप निधि —** 1. कृषक संगठन की प्रबंध समिति उधार लिए गए धन के प्रतिसंदाय के लिए निक्षेप निधि का अनुरक्षण करेगी तथा निक्षेप निधि में प्रत्येक वर्ष इतनी रकम जमा करेगी जो इस प्रकार उधार लिए गए समस्त धन का नियत कालावधि के भीतर प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त हो।
2. निक्षेप निधि या उसका कोई भाग ऐसे ऋण के उन्मोचन में या उसके लिए उपयोजित किया जाएगा जिसके लिए कि ऐसी निधि सृजित की गई थी तथा जब तक पूर्ण रूप से ऐसे ऋण का उन्मोचन न हो जाए तब तक उसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजन नहीं किया जाएगा।
- 39. बजट —** कृषक संगठन की प्रबंध समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्रारूप में आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में समिति की प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय को दर्शाते हुए बजट तैयार करेगी तथा उसे कृषक संगठन के साधारण निकाय के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए, ऐसे रीति में जो कि विहित की जाए, रखेगी।

- 40. सद्भाव पूर्वक किये गये कार्य के लिए संरक्षण** – किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई हो या जिसका कि किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहिका संस्थित नहीं की जाएंगी।
- 41. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति** – 1. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी कृषक संगठन का प्रथम गठन या पुनर्गठन करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार कोई भी कार्य जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक हो उन्हें कर सकेगी।
2. उपधारा (1) के अधीन किए गए समस्त आदेश यथाशक्त शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।
- 42. व्यावृत्ति** – 1. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ग्राम पंचायत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम में विहित अधिकारों या सम्पत्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।
2. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जलाशय को लागू नहीं होगी।
- 43. नियम बनाने की शक्तियां** – 1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
2. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम यथाशक्त शीघ्र इसके बनाये जाने के पश्चात् विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।
-

(संशोधन)

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 571

बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2001 में प्रकाशित)

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2001

क्र. 6152-501 इक्कीस-अ (प्रा.)-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर.के.सिटोके, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 22 सन् 2001

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन)

अधिनियम, 2001

(दिनांक 26 सितम्बर, 2001 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. **संक्षिप्त नाम-** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 है।

2. **धारा 2 का संशोधन** — मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, उपधारा (1) के खण्ड (घ) में, शब्द “जल संसाधन विभाग” के स्थान पर, शब्द “जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग” स्थापित किए जाएं।
3. **धारा 3 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) में, शब्द जल संसाधन विभाग के स्थान पर, शब्द जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग स्थापित किए जाएं।
4. **धारा 5 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में, शब्द “जल संसाधन विभाग” के स्थान पर, शब्द “जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग स्थापित किए जाएं।
5. **धारा 7 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए अर्थात् —

“(3) वृहद् सिंचाई परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के समस्त अध्यक्षों तथा मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र के जल उपभोक्ता संथा के समस्त अध्यक्षों से जब तक वे ऐसे पद पर रहें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन होगा परियोजना समिति में दो नामनिर्दिष्ट सदस्य होंगे, जिसमें से एक सदस्य विभिन्न विभागों तथा कृषकों की संथा के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेगा तथा वह वृहद् परियोजना के लिये जन संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यपालन यंत्री होगा या मध्यम परियोजना के लिए जन संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का सहायक यंत्री होगा और दूसरा सदस्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा जो कृषि विभाग से होगा, नामनिर्दिष्ट सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।”
6. **धारा 9 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, खण्ड (चार) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात्—

“(चार) राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग से तीन अधिकारी जो मुख्य अभियन्ता या उसके समतुल्य पद से निम्न पद श्रेणी के न हों।”

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर, 2001

क्र. 6153-501-इक्कीस-अ (प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 22 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर.के.सिटोके, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 210 शुक्रवार,

दिनांक 3 मई 2002 में प्रकाशित)

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 2002

क्र. 3189-201-इक्कीस-अ(प्रा.) मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 अप्रैल 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आर.के.सिटोके, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 8 सन् 2002

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन)

अधिनियम, 2002.

(दिनांक 26 अप्रैल 2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 3 मई, 2002 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम —

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2002 हैं।
 2. यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. **धारा 17 का संशोधन** — मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 17 में, खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् —
- “(ज ज) केवल जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग की उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम)/नलकूप के कमाण्ड क्षेत्र के लिए सिंचाई जल दरों का निर्धारण करना, उसके सिंचाई प्रभागों को संग्रहित करना तथा वसूल करना और इस प्रकार संग्रहित या वसूल की गई रकम को, केवल जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग के पम्पस्, मोटर्स, पाइप लाईन्स, जैकवेल तथा उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम)/नलकूपों की नहर प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिये उपयोग करना जिसमें विद्युत् ऊर्जा प्रभागों का भुगतान भी सम्मिलित है।”

भोपाल, दिनांक 3 मई 2002

क्र. 3190—201—इक्कीस—अ(प्रा.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 8 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

आर.के.सिटोके, अतिरिक्त सचिव

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 232, शनिवार,

दिनांक 26 अप्रैल 2003 में प्रकाशित)

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2003

क्र. 2914-244-इक्कीस-अ (प्रा.) मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अखिलेश पंड्या, उपसचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 12 सन् 2003

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2003

(दिनांक 29 अप्रैल, 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 26 अप्रैल, 2003 को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. **संक्षिप्त नाम** — इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2003 हैं।
2. **धारा 2 का संशोधन** — मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम

से निर्दिष्ट है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात् –

“(ठ) “सिंचाई प्रणाली” से अभिप्रेत है सिंचाई तथा सरकारी संसाधनों से समबद्ध अन्य उपयोग के लिए और सामुदायिक भागीदारी के साधनों द्वारा भी सृजित जल नियंत्रित करने हेतु ऐसी वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई प्रणाली जो जिला कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से अनुज्ञात हो और उसके अंतर्गत जलाशय, खुली मुख्य जलसरणी, उपयोजन प्रणाली, बंध (एनीकट), स्टाप डेम, उद्वहन सिंचाई स्कीम (लिफ्ट इरीगेशन स्कीम), तालाब, कुएं तथा उसी प्रकार के अन्य संसाधन सम्मिलित हैं तथा ऐसी सिंचाई प्रणाली जो 40 हैक्टर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती हो,

स्पष्टीकरण –

(एक) वृहद सिंचाई प्रणाली से अभिप्रेत है वृहद सिंचाई परियोजना के अधीन 10000 हैक्टर से अधिक सिंचनयोग्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली,

(दो) मध्यम सिंचाई प्रणाली से अभिप्रेत हैं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन 2000 हैक्टर से अधिक और 10000 हैक्टर तक सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली।

(तीन) लघु सिंचाई प्रणाली से अभिप्रेत है लघु सिंचाई परियोजना के अधीन 2000 हैक्टर तक सिंचन योग्य कमाण्ड क्षेत्र सिंचाई प्रणाली।

3. **धारा 7 का संशोधन** – मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् –

“(3) (एक) वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संस्थाओं के समस्त अध्यक्षों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से, जब तक वे ऐसी पद पर रहे, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन होगा।

(दो) परियोजना समिति में दो विनिर्दिष्ट सदस्यों होंगे जिनमें से एक सदस्य विभिन्न विभागों तथा कृषकों की संस्था के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करेगा तथा वह वृहद परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यपालन यंत्री होगा या मध्यम परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का सहायक यंत्री होगा और दूसरा सदस्य सलाहकार के रूप में

कार्य करेगा जो कृषि विभाग से होगा, नामनिर्दिष्ट सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

4. **धारा 8 का संशोधन** — मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् —

“(2) (एक) सभापति (चेयरपर्सन) तथा प्रबंध समिति, जिसमें परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, के गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए जिला कलेक्टर ऐसी रीति में व्यवस्था करवाएगा जैसी कि विहित की जाए।

(दो) वृहद परियोजना की परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्य, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे जबकि मध्यम परियोजना का सभापति (चेयरपर्सन) जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से निर्वाचित किया जाएगा और मध्यम परियोजना की प्रबंध समिति के सदस्य जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों में से होंगे।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2005

क्र. 1180-44-इकतीस अ(प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पद दिनांक 11 फरवरी, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम.पी.नेमा, अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् 2005

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2004

(दिनांक 11 फरवरी, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण)" में दिनांक 25 फरवरी, 2005 को प्रथमवार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1.संक्षिप्त नाम .इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।

2.धारा 3 का संशोधन . मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) की धारा 3 में-

(एक) उपधारा (1) में, शब्द "जिला कलक्टर" के स्थान पर, शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किये जाएं,

(दो) उपधारा (4) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए अर्थात् –

"(एक) समस्त जल उपभोक्ता, जो किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में, भू-धारक हैं, ऐसे भू-धारकों की पत्नियां, जो भू-धारक नहीं हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भू-धारक समझी जाएंगी:

परन्तु जहां कोई स्वामी और अभिधारी दोनों ही ऐसी भूमि के संबंध में भूमि धारक हैं, वहां अभिधारी,"

3.धारा 5 का संशोधन . मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में , शब्द " अध्यक्ष " के पश्चात शब्द "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य " अंत स्थापित किए जाएं .

4.धारा 7 का संशोधन . मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में—

(एक) खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित नया खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् –

"(क) वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संस्थाओं के समस्त अध्यक्षों तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संस्थाओं के समस्त अध्यक्षों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों से, जब तक वे ऐसे पद पर रहें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन होगा।"

(दो) खण्ड (दो) को, खण्ड (ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए.

5.धारा 11 का संशोधन. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् –

11 .कृषकों के संगठन में उपसमितियों का गठन – कृषकों के संगठन की प्रबंध समिति, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संगठन में निहित समस्त या किन्हीं भी कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित उप-समितियों का गठन करेगी—

- (एक) जल वितरण प्रबंध उप-समिति,
- (दो) संकर्म उप-समिति
- (तीन) नहर विवाद तथा अपराध उन्मूलन उप-समिति
- (चार) संसाधन, वित्तीय संपरीक्षा तथा सामाजिक संपरीक्षा उप-समिति,
- (पाँच) सिंचाई राजस्व वसूली सहकारिता उप-समिति, और
- (छह) महिलाओं की भागीदारी उप-समिति

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2005

क्र. 1181-44-इकतीस अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम.पी.नेमा, अतिरिक्त सचिव

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2006

क्र.718-48-इक्कीस-अ(प्रा.)-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी, 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के ना मसे तथा आदेशानुसार

अखिलेश पंड्या, अपर सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन् 2006

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2005

(दिनांक 30 जनवरी, 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 31 जनवरदी, 2006 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

2. धारा 4 का संशोधन .मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 4 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्-

“(5) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, यदि पूर्व में वापिस न बुलाया गया हो, तो वे धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख में पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे :

परंतु प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदाविधि का अवसान होने पर, यदि नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदाविधि में केवल एक बार वृद्धि, ऐसी वृद्धि, के लिए कारणों को अभिलेख पर रखते हुए ऐसे अवसान की तारीख से छह मास की कालावधि के लिए कर सकेगी। ”

3. निरसन तथा व्यावृत्ति .(1) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधनों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2006

क्र. 711-48-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिलेश पंड्या, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 06 नवम्बर, 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-1-99-मध्यम-इकतीस, दिनांक 6 नवम्बर, 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

(मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 734 शनिवार, दिनांक 6 नवम्बर 1999 में प्रकाशित)

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर, 1999

क्रं. 32-1-99-मध्यम-इकतीस-मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, राजस्व संभागों के समस्त आयुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर नियंत्रक अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. वर्मा, सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 808-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 में, उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(10) जल उपभोक्ता संस्थाओं की प्रबंध समितियां निरंतर निकाय बनाई गई हैं जिनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होंगे, जल उपभोक्ता संस्थाओं में अपेक्षित संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है. वृहद तथा मध्यम सिंचाई प्रणाली की प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्था में बारह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे. लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या छह होगी. अतएव जिला कलक्टर प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को यथासंभव समान रूप से निम्नानुसार विभक्त करेगा, अर्थात् :—

(एक) वृहद अथवा मध्यम सिंचाई प्रणाली में बारह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में और;

(दो) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में छह प्रादेशिक क्षेत्रों में जहां तक बराबर हो :

परन्तु जहां प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जा रहा हो, वहां यथासंभव सीधे पाईप निकासी से कमाण्ड क्षेत्र को दो भागों में विभक्त नहीं किया जाएगा.”.

(2) नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) जिला कलक्टर, प्ररूप-ग में अधिकार अभिलेख के आधार पर भू-धारकों की सूची तैयार करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से तैयार करवाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के आधार पर, वह प्ररूप “घ” में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची उन भू-धारकों को मिलाकर तैयार करेगा या तैयार करवाएगा जिन्होंने कि किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन कराने के लिए जारी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो.”

(3) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“4-क प्रथम निर्वाचन के समय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की, पदावधि का नियत किया जाना.—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि निम्नानुसार नियत की जाएगी :—

(1) जल उपभोक्ता संस्थाओं की प्रबंध समितियां निरंतर निकाय होने के कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि नियत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथापि यह प्रयोग केवल प्रथम निर्वाचन तक सीमित रहेगा, अर्थात् :—

(क) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य एक बार के लिए निर्वाचित होंगे जिनमें से दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण हो जाने पर तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद पर छह वर्ष पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे;

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन कराने के पूर्व उनकी व्यक्तिगत पदावधि का निर्णय करने के लिए लॉट निकाला जाएगा और उसे यथास्थिति उसे प्ररूप-क 1 या क 2 में अभिलिखित किया जाएगा;

(ग) जल उपभोक्ता संस्था की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अपनी-अपनी पदावधि का विनिश्चय करने के लिए जिला कलक्टर, किसी अधिकारी को, पदाविहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो जहां तक हो सके, राज्य सरकार के तहसीलदार की श्रेणी से निम्न श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा। मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के प्ररूप-1 में सूचना के प्रकाशन के सात दिन पूर्व लॉट निकाले जाएंगे;

(घ) पश्चात्तुर्वर्तीय साधारण निर्वाचन में निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रों के समस्त सदस्यों की पदावधि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समान रूप से छह वर्ष होगी।

(2) प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि नियत करने के लिए लॉट निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) वृहद तथा मध्य सिंचाई प्रणालियों के लिए

(एक) समान आकार के सफेद कागज की चौकोर वर्ग की बारह पर्चियां तैयार की जाएंगी, तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 से 12 उपरोक्त पर्चियों के ऊपर लिखे जाएंगे। यह पर्चियां एक लॉट में रखी जाएंगी, जिसे इसके पश्चात् “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लॉट” कहा जाएगा;

(दो) समान आकार के सफेद कागज की चार चौकोर पर्चियां जिनमें से प्रत्येक पर, शब्द “दो वर्ष” लिखा होगा और ऊपर वर्णित के अनुसार मोड़ी जाएंगी। इसी प्रक्रिया के समान चार पर्चियां जिन पर शब्द “चार वर्ष” तथा चार और पर्चियां जिन पर शब्द “छह वर्ष” लिखे होंगे, तैयार की जाएंगी। मोड़ी गई ये समस्त बारह पर्चियां एक अन्य लॉट के रूप में रखी जाएंगी जो इसमें इसके पश्चात् “पदावधि लॉट” कहलाएगा;

- (तीन) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की विभिन्न पदावधियां नियत करने के लिए जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा यथानामनिर्दिष्ट तहसीलदार की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी प्रत्येक लॉट में पर्चियों को उलट पुलट करते हुए “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लॉट” से एक पर्ची उठाएगा और “पदावधि लॉट” में से भी एक पर्ची उठाएगा;
- (चार) जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा यथानामनिर्दिष्ट तहसीलदार की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी दो लॉटों से इस प्रकार उठाई गई पर्चियों को सूचीबद्ध करेगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और तदस्थानी पदावधि की ऊंचे स्तर में घोषणा करेगा. घोषणा के पश्चात् उठाई गई पर्चियों को पृथक् से रखा जाएगा;
- (पांच) यह सूचना प्ररूप-क 1 में साथ-साथ अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यपालन यंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का) तथा संबंधित उपयंत्री के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगे तथा उसके हस्ताक्षर से ऐसी प्रविष्टि अधिप्रमाणित करवाई जाएगी;
- (छह) जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त सदस्यों की पदावधि का विनिश्चय होने तक वही प्रक्रिया अपनाएगा.
- (ख) लघु सिंचाई प्रणाली के लिए—
- (एक) सफेद कागज की समान आकार की छह चौकोर पर्चियां तैयार की जाएंगी. उपरोक्त पर्चियों पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की 1 से 6 तक संख्या लिखी जाएगी. पर्चियां एक तरफ से मोड़ दी जाएंगी मुड़ी हुई पर्चियां एकल “लॉट” में रखी जाएंगी, जो इसमें इसके पश्चात् “प्रादेशिक निर्वाचन लॉट” कहा जाएगा;”
- (दो) “पदावधि लॉट” में “दो वर्ष” लिखी हुई दो पर्चियां होंगी अन्य दो पर्चियां शब्द “चार वर्ष” लिखी हुई होंगी तथा शेष दो पर्चियां शब्द “छह वर्ष” लिखी हुई होंगी;”
- (तीन) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों के निर्णय के लिए जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी वृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली की दशा में उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जो ऊपर यथाविनिर्दिष्ट है;
- (चार) यह सूचना प्ररूप-क-2 में साथ-साथ अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यपालन यंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का) तथा संबंधित उपयंत्री के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगे तथा उसके हस्ताक्षर से ऐसी प्रविष्टि अधिप्रमाणित करवायी जाएगी.

टिप्पणी.—(1) ‘लाट्स’ निकालने के लिए तैयार की गई पर्चियां गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय बनाए रखने के लिए हर तरह से एक समान हों और किसी भी दशा में कोई भी यह न पहचान पाए कि यह पर्ची इस विशिष्ट निर्वाचन क्रमांक की है.

(2) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की पदावधि का निर्धारण कार्यपालन यंत्री की उपस्थिति अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी) तथा संबंधित उपयंत्री की उपस्थिति में जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से पूर्व किया जाएगा;

(3) जल उपभोक्ता संस्था के समस्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पदावधि का निर्धारण किया जाएगा भले ही निर्वाचन के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पद भरे न गए हों;

(4) यह सम्पूर्ण प्रयोग जल उपभोक्ता संस्थाओं को निरंतर निकाय बनाने की अवधारणा की शुरुआत के पश्चात् चयनित सदस्यों के प्रथम समूह तक सीमित होगी.

4-ख जल उपभोक्ता संथाओं में एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध प्रतिबंध.—यदि कोई व्यक्ति, विभिन्न जल उपभोक्ता संथा क्षेत्रों से एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य के रूप में चयनित होता है, तो वह अन्य पदों से त्यागपत्र देकर अपनी पसंद के केवल किसी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पद धारण कर सकेगा.

(4) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“7. निर्वाचन कराने के लिए प्रक्रिया.—

- (1) कृषक संगठन के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/ प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) अथवा अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
- (2) यदि कृषक संगठन की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो सामान्य रूप से कृषक संगठन के क्षेत्र की निवासी हो.

(5) नियम 9 में, खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- (च) (क) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए, ऐसी रिक्ति होने के पंद्रह दिन के भीतर सभापति, प्रबंध समिति की एक विशेष बैठक बुलाएगा जो प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक ऐसे जल उपभोक्ता को नामनिर्दिष्ट करेगी.

जो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो. तथापि, ऐसा व्यक्ति ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं के दौरान जल उपभोक्ता संथा में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा.

- (ख) नामनिर्दिष्ट सदस्य तभी तक उस पद पर बना रहेगा जब तक कि आकस्मिक रिक्ति पर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाता.

(6) विद्यमान प्ररूप-क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

प्ररूप—“क”

[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]

यतः, यह विनिश्चित किया गया है कि सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को जलीय आधार पर और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य रूप में जल उपभोक्ता क्षेत्रों में अंकित किया जाए;

और यतः इस प्रकार से विभाजित किए गए जल उपभोक्ता क्षेत्रों को, क्रमशः वृहद/ लघु अथवा मध्यम सिंचाई प्रणाली के संबंध में जहां तक संभव हो सके, जल उपभोक्ता संथाओं के गठन के प्रयोजन के लिए बारह/ छह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से और विभाजित किया जाएगा.

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) के नियम 3 के उपनियम (2) से (6) के अधीन में कलक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी जिला / प्राधिकृत अधिकारी, एतद्वारा जल उपभोक्ता क्षेत्रों को बारह/ छः प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अंकित करता हूं और यह निदेश देता हूं कि विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शे तथा आरेख ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाएं.

नीचे दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार अंकन के विरुद्ध ऐसी कोई आपत्तियां या दावे, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित तारीख को छोड़कर 7 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे.

..... सिंचाई प्रणाली
जल उपभोक्ता संथा

ग्राम का नाम

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या बारह/ छह

तहसील का नाम

वृहद् /मध्यम/ लघु परियोजनाओं का नाम

कुल कमाण्ड क्षेत्र, हेक्टर में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

(भाग संख्या)

अनुक्रमांक	स्लूस द्वार की स्थिति	कमाण्ड क्षेत्र		ग्राम
		सर्वे क्रमांक	विस्तार (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जो लागू न हो उसे काट दें.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/ प्राधिकृत अधिकारी
जिला

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन

(वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली)

प्ररूप—क-1

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पहचान तथा पदावधि का निर्धारण (लॉट द्वारा)

जल उपभोक्ता संथा का नाम जल उपभोक्ता संथा का कोड क्रमांक जिला

अनुक्रमांक		पदावधि (वर्ष में)	
टी.सी. क्रमांक		वर्षों की संख्या	शब्दों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

(1)	(2)	(3)	(4)
10			
11			
12			

गवाह हस्ताक्षर

.....

1. कार्यपालन यंत्री/ उपखण्ड अधिकारी जल संसाधन विभाग पूरा नाम

.....

2. जल संसाधन विभाग का उपयंत्री पूरा नाम

हस्ताक्षर

.....

जिला कलक्टर
अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी

.....

पूरा नाम

स्थान :
दिनांक :

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन
(लघु सिंचाई प्रणाली)

प्ररूप—क-2

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पहचान तथा पदावधि निर्धारण (लॉट द्वारा)

जल उपभोक्ता संथा का नाम जल उपभोक्ता संथा का कोड क्रमांक जिला

अनुक्रमांक	टी.सी. क्रमांक	पदावधि (वर्ष में)	
		वर्षों की संख्या	शब्दों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

गवाह हस्ताक्षर

.....

1. कार्यपालन यंत्री/ उपखण्ड अधिकारी जल संसाधन विभाग पूरा नाम

.....

2. जल संसाधन विभाग का उपयंत्री पूरा नाम

हस्ताक्षर

.....

जिला कलक्टर
अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी

.....

पूरा नाम

स्थान :
दिनांक :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 808-2014-म-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 808-2014-म-इकतीस, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

Bhopal, the 1st December 2014

No.808-2014-म-XXXI.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organisation Constitution Rules, 1999, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 3, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(10) The Managing Committees of Water Users Associations are made a continuous bodies with one third of the member of the Territorial Constituency shall retire on completion of every two years, it is essential to form the required number of territorial constituencies in each of the Water Users Associations. There shall be twelve territorial constituencies in each Water Users Association of Major and Medium irrigation systems. In respect of Minor irrigation systems, the number of territorial constituencies shall be six. Hence the District Collector shall divide each of the Water user area, namely:—

- (i) in a Major or Medium irrigation system into twelve territorial constituencies as far as possible equally and;
- (ii) into six territorial constituencies as far as possible equally in respect of minor irrigation systems:

Provided that the Command Area under a direct pipe outlet as far possible shall not be bifurcated while dividing territorial constituencies.”.

(2) In rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The District Collector shall prepare or cause to be prepared by the authorized officer, the list of land holders on the basis of record of rights, in form-C on the basis of the list as so prepared, he shall prepare or caused to be prepared territorial constituency-wise voters list in Form-D, consisting of those landholders who have completed eighteen years of age as on the dated of issue of notification for conducting elections in water user's area for electing the member of the Territorial constituency of the Water User's Association”.

(3) After rule 4, the following rules shall be inserted, namely :—

“4-A Fixing the tenure of members of Territorial Constituencies at the time of first election.—

In accordance to provision of sub-section (3) of Section 4 of the Principal Act, the tenure of the members of Territorial Constituencies shall be fixed as below:—

- (1) the Managing Committees of Water Users Associations being continuous bodies, the following procedure shall be adopted for fixing the tenures of members of Territorial Constituencies. However this exercise is limited to the first election, only—
 - (a) the members of the Territorial Constituencies shall be elected for at one time out of which 1/3rd of the members thereof shall retire on the completion of two years, another 1/3rd members shall retire after completion of four years term and the remaining 1/3rd members shall retired after completion of six years in office;

- (b) to decide their individual tenure, lots shall be drawn before the conduct of election of members of Territorial Constituencies is taken up and shall be recorded in Form-A1 or A2 as the case may be;
 - (c) to District Collector shall designate or nominate by order an officer who shall be as far as possible be a Gazetted Officer of the State Government not below the rank of Tehsildar to decide the individual tenure of Territorial Constituencies of each Water User's Association, lots shall be drawn 7 days in advance before the date of publication of notice in Form-1 of Madhya Pradesh Farmers Organization Election Rules, 2014;
 - (d) all members of Territorial Constituencies elected in the ordinary elections held subsequently, shall have tenure of six years uniformly as per the provisions of the Act.
- (2) The following procedure shall be adopted to draw lots with regard to the fixing of tenure of the members of Territorial Constituencies elected in the first election.

(a) For Major and Medium Irrigation Systems—

- (i) Twelve identical square chits of white paper of equal size shall be prepared. Thereafter, the Territorial Constituency numbers from 1 to 12 shall be written on the above chits. These chits shall be kept in a single lot hereinafter called the "Territorial Constituency lot";
- (ii) four identical square chits of white paper of equal size on which the words "two years" shall be written on each and rolled as described above. In a similar procedure four chits with the words "four years" and four more chits with the words "six years" shall be prepared. All these twelve rolled chits shall be kept as another lot, hereinafter called "Tenure lot";
- (iii) to fix different tenures for the members of the Territorial Constituencies, the District Collector or an Officer not below the rank of Tehsildar as nominated by District Collector shall pick out one chit from the "Territorial Constituency lot" and shall also pick one chit from the "Tenure lot" after thorough shuffling of chits in each lot;
- (iv) the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by the District Collector shall enroll the chits so picked from the two lots and shall announce aloud the number of the Territorial Constituency and corresponding tenure. The picked up chits, after announcement, shall be kept separately;
- (v) this information shall be simultaneously recorded in Form-A1 and the signatures of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned may be obtained as witness and authenticate such entry with his signature;
- (vi) the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by the District Collector shall follow the same procedure till the tenures of all the members of the Territorial Constituencies are decided upon.

(b) For Minor Irrigation System :—

- (i) Six identical square chits of white paper of equal size shall be prepared. The Territorial Constituency numbers from 1 to 6 shall be written on the above chits. The chits shall be rolled along one side of the square chit so prepared. The rolled chits shall be kept in a single lot, hereinafter called the "Territorial Constituency lot";

- (ii) in the “**Tenure lot**” there shall be two chits containing the words as “**two years**”. Another two chits containing the words as “**four years**” and the balance two chits containing the words as “**six years**”;
- (iii) for deciding of the Territorial Constituency members, the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by District Collector shall adopt the same procedure as specified above, in the case of Major and Medium Irrigation Systems;
- (iv) this information shall be simultaneously recorded in Form-A2 and the signature of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned may be obtained as witness and authenticate such entry with his signature.

Note.—(1) The chits prepared for drawing lots shall be truly identical in all respects to maintain secrecy and principle of natural justice and in no case no one shall be able to identify and particular chit with a particular Territorial Constituency number.

- (2) The fixing of tenures of the Territorial constituency members shall be taken up in the presence of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned before the election of Territorial Constituencies of Water User's Associations.
- (3) Tenures shall be fixed for all the Territorial Constituencies in a Water Users Association, even though the posts of Territorial Constituencies are not filled up after elections.
- (4) This whole exercise is limited to the first batch of elected members after the introduction of the concept of Water Users Associations, being continuous bodies.

4-B. Restriction against holding more than one post Water User's Associations.—If any person elected as the member of Territorial Constituency form more than one Territorial Constituency from different Water Users Association areas, he can hold only one Territorial Constituency post of his choice, resigning the other posts.”

(4) For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

“7. Procedure for conducting Election.—

- (1) The election of the office of Chairperson or the President and members of Territorial Constituencies/ Managing Committee of Farmer's Organization shall be conducted in accordance with the provision of Farmer's organization Election rule, 2014.
- (2) If the Managing Committee of Farmer's Organization does not have a woman member, the Managing Committee shall nominate a women as a member who shall ordinary be a resident of farmer's Organization area.

(5) In Rule 9, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

- (f) (a) To fill a vacancy of a Territorial Coinstituency member, the President shall convene a special meeting of the Managing Committee, which shall nominate a Water User, who is a voter in that territorial constituency, to act as a member of managing committee, with in fifteen days from the date of occurrence of such vacancy. However, such person is not eligible for election for the post of President in Water Users Association during the period of such transitional arrangements.

(b) The nominated member continues to hold the post only till a member of the territorial constituency is elected in the casual vacancy.

(6) For the existing Form-A, the following Forms shall be substituted, namely :—

“FORM “A”

[See sub-rule (2) of rule 3]

WHEREAS, it has been decided to delineate the entire command area into Water Users' Areas on hydraulic basis and which are found to be administratively viable;

AND WHEREAS, the water users' areas as so divided shall be further divided in to twelve/six number of territorial constituencies equally as for as possible for the purpose of forming the Water Users' Associations in respect of Major/Medium or Minor Irrigation Systems respectively;

NOW THEREFORE under sub-rule (2) to (6) of rule 3 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), I the Collector and District Magistrate of District/Authorised Officer hereby Delineate Water Users 'Area into twelve/six territorial constituencies, and direct that the maps and sketches indicating the various Water Users' Areas and the territorial constituencies shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and on the notice board of the office of the Janpad Panchayat.

Any objections or claims against the delineation detailed below may be filed before the authorised officer within seven days excluding the date of display on the notice board of the office of Gram Panchayat or the Janpad Panchayat.

..... Irrigation System.
.....Water Users' Association,

Name of the Village Total Nos. of Territorial Constituencies twelve/six
Name of the Tehsil Name of the major/minor Total Command
area in Hectare Territorial constituency No.

(Part No.)

Sl. No.	Location of Off-Take-Sluice	Command Area		Village
		Survey No.	Extent in hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Collector and District Magistrate/Authorised Officer.

Strike out which ever is not applicable District.

Election Territorial constituency Members

(Major and Medium Irrigation Systems)

FORM-A1

Identification and Fixing of tenure of Territorial Constituency Members (By Lots)

Name of Water User's Association Code of
Water User's Association District

S.No. (1)	T. C. No. (2)	Tenure (Years)	
		No. of Years (3)	In Words (4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Witness Signature

Signature

1. Executive Engineer/Sub-Division Officer
of Water Resources Department
Full Name

District Collector
or an Officer nominated by him
Full Name

2. Sub-Engineer
of Water Resources Department
Full Name

Place :

Date :

Election Territorial Constituency Members
(Minor Irrigation Systems)

FORM-A2

Identification and Fixing of Tenure of Territorial Constituency Members (By Lots)

Name of Water User's Association Code of
Water User's Association District

S.No. (1)	T. C. No. (2)	Tenure (Years)	
		No. of Years (3)	In Words (4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Witness Signature

Signature

1. Executive Engineer/Sub-Division Officer
of Water Resources Department
Full Name.

District Collector
or an Officer nominated by him
Full Name.

2. Sub-Engineer
of Water Resources Department
Full Name.”.

Place :

Date :

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. S. DHAKAD, Secy.

(2)

कार्यालय आयुक्त
कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय
जल संसाधन विभाग, भोपाल

क्रमांक /I/1/पी-एक्ट/पी.आई.एम./2013

भोपाल, दिनांक /07/2013

प्रति,

मुख्य अभियंता (समस्त)
जल संसाधन विभाग,
.....

विषय:- म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) की धारा 8 का संपूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 20.6.2013 से प्रभावशील किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत म.प्र. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम 2013, जिसे म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 198, दिनांक 26 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम की धारा-8 के उपबंध को विभागीय अधिसूचना क्रमांक 32-18-2013-म.-31-619 दिनांक 20.06.2013 को संपूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 20.6.2013 से प्रभावशील किया गया है।

उक्त संशोधित अधिनियम की धारा-8 "अध्याय 4.-क नियंत्रण" से संबंधित है, इसमें कृषक संगठन के अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों द्वारा अनियमितता की स्थिति में कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है, अतः आप अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र की प्रति अग्रेषित करने का कष्ट करें एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित करें कि वे अपने कार्यक्षेत्रधीन जल उपभोक्ता संस्थाओं के सक्षम प्राधिकारियों एवं अध्यक्षों को इसकी एक-एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(राजेश श्रीवास्तव)

आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय
जल संसाधन विभाग, भोपाल

प.क. 354 /I/1/पी-एक्ट/पी.आई.एम./2013

भोपाल, दिनांक 4 /07/2013

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल
3. सदस्य अभियांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल।
5. संचालक, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, स्वारा भवन, भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. संचालक, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल को पत्र एवं संलग्नों को विभाग के बेवसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(राजेश श्रीवास्तव)

आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास संचालनालय
जल संसाधन विभाग, भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2013—ज्येष्ठ 30, शक 1935

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. 32-18-2013-म-इकतीस-619.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 20 जून, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंध संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रवृत्त होंगे.

No. 32-18-2013-M-XXXI-619.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (No. 23 of 2013), the State Government, hereby, appoints 20th day of June, 2013 as the date on which the provisions of Section 8 of the said Act, shall come into force in whole of the Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013—वैशाख 6, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. 2822-142-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 अप्रैल 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१३

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ४ का स्थापन.
४. धारा ५ का संशोधन.
५. धारा ६ का स्थापन.
६. धारा ७ का संशोधन.
७. धारा ८ का संशोधन.
८. अध्याय ४ क का अंतःस्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१३

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक २५ अप्रैल, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २६ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और मध्यप्रदेश राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात्, मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा ३ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(२) प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जो लघु सिंचाई प्रणाली के मामले में छह और वृहद् तथा मध्यम सिंचाई प्रणालियों के मामले में बारह होंगे.”

धारा ४ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति.

“४ (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्था के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो उनके अपने-अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, धारा ३ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित धारा ३ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति एक अभंग निकाय होगी, जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे.

(३) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि, यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरहित नहीं किया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम निर्वाचन में, समस्त प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्य एक बार में निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सेवानिवृत्त होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन प्रारंभ होने के पूर्व लॉट डालकर विनिश्चित किया जाएगा.

(४) जिला कलक्टर, किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति में व्यवस्था कराएगा.

- (५) जिला कलक्टर, विहित रीति में, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों में से प्रबंध समिति के एक अध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था करेगा.
- (६) यदि उपधारा (४) और (५) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो विहित रीति में नया निर्वाचन कराया जाएगा.
- (७) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, यदि उसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल पूरा होने तक जो भी पूर्वतर हो, पद पर रहेगा.
- (८) साधारण निर्वाचन के पश्चात् बनाई गई समस्त जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अध्यक्ष की पदावधि भी उसी समय समाप्त हो जाएगी जबकि वह उस समय समाप्त होती यदि वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुआ होता.
- (९) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी."

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (३) में, शब्द "और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य" का लोप किया जाए. धारा ५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ६ का स्थापन.

"६. (१) प्रत्येक वितरिका समिति के लिए, वितरिका समिति के साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक प्रबंध समिति होगी.

वितरिका समिति की प्रबंध समिति का निर्वाचन.

(२) जिला कलक्टर, वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इंतजाम करेगा.

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन कराए गए निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जाता है तो यथाविहित रीति में नए निर्वाचन कराए जाएंगे.

(४) यदि वितरिका समिति की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणतः कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(५) वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्व में ही उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो या जब तक उन्हें हटाया न गया हो या निरर्हित न किया गया हो, धारा ५ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि की सहविस्तारी होगी.

(६) प्रबंध समिति, वितरिका समिति की शक्ति का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी."

६. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ७ का संशोधन.

"(३) वृहद् सिंचाई परियोजना के परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के समस्त अध्यक्षों तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना क्षेत्र के जल उपभोक्ता संथा के समस्त अध्यक्षों से जब तक

वे ऐसे पद पर रहें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन होगा जिसमें दो नामनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे जिसमें से एक विभिन्न विभागों तथा कृषकों के संगठन के बीच समन्वयक के रूप में कृत्य करेगा तथा वह वृहद् परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का कार्यपालन यंत्री होगा या मध्यम परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग का सहायक यंत्री होगा और दूसरा सदस्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा जो किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग से होगा। नामनिर्दिष्ट सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।”

धारा ८ का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (१), (२) और (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(१) प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी, जो परियोजना समिति के लिए साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(२) (क) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों से सभापति (चेयरपर्सन) के गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए जिला कलक्टर ऐसी रीति में व्यवस्था करवाएगा जैसी कि विहित की जाए।

(ख) वृहद् परियोजनाओं की परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे जबकि मध्यम परियोजनाओं के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(ग) यदि खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन कराए गए निर्वाचन में सभापति (चेयरपर्सन) निर्वाचित नहीं होता है तो यथाविहित रीति में नये निर्वाचन कराए जाएंगे।

(४) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों की पदावधि के पूर्व अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि उसे वापस नहीं बुलाया जाता या हटाया नहीं जाता या निरहित नहीं कर दिया जाता है तो धारा ७ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि सहविस्तारी होगी।”

अध्याय ४ क का
अंतःस्थापन.

८. मूल अधिनियम में, अध्याय ४ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, जिसमें धारा २२ क से २२ झ तक अंतर्विष्ट है, अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“अध्याय ४ क

नियंत्रण

परिभाषा.

२२ क. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, परियोजना समिति की दशा में संभागीय आयुक्त; वितरिका समिति की दशा में जिला कलक्टर और जल उपभोक्ता संथा की दशा में उपखंड अधिकारी राजस्व.

कृषक संगठन के
पदाधिकारियों और
अधिकारियों अथवा
सेवकों का लोक
सेवक होना.

२२ ख. कृषक संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी तथा उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

कृषक संगठन के
मामलों की जांच.

२२ ग. राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, समय-समय पर, कृषक संगठनों द्वारा संधारण या निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों की जांच करवा सकेगा.

२२ घ. (१) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से किसी कृषक संगठन द्वारा पारित किसी संकल्प, जारी आदेश, प्रदान की गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या किसी कृत्य के निर्वहन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय में,—

आदेशों आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति.

- (क) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कृत्य, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधिक्य में है या किसी विधि के प्रतिकूल है; या
- (ख) ऐसे संकल्प अथवा आदेश का निष्पादन या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का प्रवर्तन में बने रहना, या ऐसे कृत्य के किए जाने से किसी धन की हानि, दुर्व्ययन अथवा दुरुपयोजन कारित होना संभाव्य है या कृषक संगठन में निहित किसी संपत्ति को नुकसान कारित कर सकता है.

(२) समुचित प्राधिकारी द्वारा जब भी उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया जाए वह तुरन्त तथा किसी भी स्थिति में आदेश की तारीख से दस दिन के अपश्चात् राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आदेश की प्रति इसे किए जाने के कारणों के विवरण के साथ अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे अपास्त कर सकेगा, पुनरीक्षित कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा अथवा यह निदेश दे सकेगा कि यह उपांतरण सहित या बिना किसी उपांतरण के स्थायी रूप से या ऐसी कालाधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे निरंतर प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु उपधारा (१) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश की राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए अधिकारी द्वारा संबंधित कृषक संगठन को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पुष्टि नहीं की जाएगी, उसे अपास्त, पुनरीक्षित या परवर्तित नहीं किया जाएगा.

२२ ड (१) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, कृषक संगठन के ऐसे किसी पदाधिकारी को निलंबित कर सकेगा—

कृषक संगठनों के पदाधिकारियों का निलंबन.

- (क) जिसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित कर दिए गए हों; या
- (ख) जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उपेक्षा या वित्तीय अनियमितता के लिए धारा २२ ग के अधीन कोई जांच प्रारंभ की गई हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा निलंबन का आदेश दस दिन की अवधि के भीतर परियोजना समिति की दशा में राज्य सरकार को, वितरिका समिति की दशा में संभागीय आयुक्त को और जल उपभोक्ता संथा की दशा में जिला कलक्टर को रिपोर्ट किया जाएगा और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन होगा जिन्हें कि पारित करना, यथास्थिति, राज्य सरकार / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर उचित समझे और यदि निलंबन के आदेश की ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से ९० दिन के भीतर राज्य सरकार / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर द्वारा पुष्टि नहीं की जाती तो वह निष्प्रभावी हो गया समझा जाएगा.

(३) कृषक संगठन की प्रबंध समिति के, यथास्थिति सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष और सदस्यों के उपधारा (१) के अधीन निलंबित किए जाने की दशा में, संबंधित कृषक संगठन का सक्षम प्राधिकारी तुरन्त किन्तु संबंधित प्राधिकारी से जानकारी प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अपश्चात् कृषक संगठन का विशेष सम्मिलन बुलाएगा तथा सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रबंध समिति का यथास्थिति, सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष, सदस्य का, अस्थायी रूप से पद धारण करने के लिए निर्वाचित करेंगे तथा प्रबंध समिति के सदस्य, यथास्थिति, और ऐसा स्थानापन्न सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्य उस अवधि के दौरान जिसके कि लिए ऐसा निलंबन जारी रहता है, यथास्थिति, प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या अध्यक्ष या सदस्य प्रबंध समिति के समस्त कृत्यों का निर्वहन तथा समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

(४) कोई ऐसा व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन निलंबित किया गया है, वह ऐसे किसी अन्य कृषक संगठन के सभापति (चेयरपर्सन) / अध्यक्ष, प्रबंध समिति के सदस्य के पद से भी तुरन्त निलंबित हो जाएगा, जिसका कि वह एक सदस्य या पदाधिकारी है तथा ऐसा व्यक्ति अपने निलंबन के दौरान अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने से भी निरहित होगा.

कृषक संगठन के पदाधिकारियों का हटाया जाना—

२२ च. (१) राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी, धारा २२ ग के अधीन संस्थित की गई ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह किसी भी समय करना आवश्यक समझे, संबंधित कृषक संगठन के किसी पदाधिकारी को हटा सकेगा—

(क) यदि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उपेक्षा का दोषी पाया गया हो;

(ख) यदि उसका पद पर बना रहना जन हित में अवांछनीय हो गया है;

परन्तु किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर नहीं दे दिया जाता कि उसे क्यों न उसके पद से हटा दिया जाए:

परन्तु यह और कि जांच में अंतिम आदेश, संबंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना के जारी किए जाने की तारीख से ९० दिन के भीतर पारित किया जाएगा और जहां लंबित मामले का विनिश्चय ९० दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो वहां समुचित प्राधिकारी, अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को लिखित में समस्त तथ्यों की जानकारी देगा और जांच के निपटारे के लिए समय बढ़ाने हेतु निवेदन करेगा किन्तु ऐसा समय ३० दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा.

(२) ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसे कृषक संगठन का, जिसका कि वह सदस्य है, सदस्य नहीं रह जाएगा और ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन छह वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित होने से भी निरहित हो जाएगा.

हानि, दुर्व्ययन और दुर्विनियोग के लिए अध्यक्ष / सभापति (चेयरपर्सन) का दायित्व.

२२ छ. (१) कृषक संगठन का प्रत्येक अध्यक्ष / सभापति (चेयरपर्सन), सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक उस कृषक संगठन के, जिसका कि वह एक पक्षकार रह चुका हो, किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्ययन या दुर्विनियोग के लिए जो कि कदाचार या अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा कारित हुई हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और ऐसी हानि, दुर्व्ययन या दुर्विनियोग की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित राशि समुचित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगी:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(२) यदि संबंधित व्यक्ति रकम का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसी रकम भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी और संबंधित कृषक संगठन की निधि में जमा की जाएगी.

अभिलेख, वस्तुएं और धन वसूल करने की शक्ति.

२२ ज. (१) जहां समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि कृषक संगठन से संबंधित कोई अभिलेख या वस्तु या धन किसी व्यक्ति ने अप्राधिकृत रूप से अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ है तो वह लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तु या धन, कृषक संगठन को, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में, जिसे कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, तत्काल परिदत्त कर दिया जाए या उसका भुगतान कर दिया जाए.

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन निदेशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तु का परिदान या धन का भुगतान करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता है तो समुचित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और ऐसे प्ररूप में वारंट के साथ, जैसा कि विहित किया जाए, तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए उसे सिविल जेल में परिरुद्ध किए जाने के लिए भेज सकेगा.

(३) समुचित प्राधिकारी—

(क) ऐसे किसी धन को वसूल करने के लिए निदेश-दे सकेगा कि ऐसा धन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाए; और

(ख) ऐसे किसी अभिलेख या वस्तुओं को वसूल करने के लिए तलाशी वारंट जारी कर सकेगा और उसके संबंध में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका कि प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय ७ के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विधिपूर्वक किया जाता है।

(४) उपधारा (१) या (२) या (३) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए।

(५) ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ होने से छह वर्ष तक की कालावधि के लिए किसी कृषक संगठन का सदस्य होने से निरहित हो जाएगा।

२२ झ. (१) राज्य सरकार के अधिकारी अर्थात् जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास विभाग के उपखण्ड अधिकारी, कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी, कृषक संगठन के कार्यो तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा और निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को या समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई कर सकेगा।

(२) कृषक संगठन के पदाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा चाही गई समस्त जानकारीया तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए आबद्ध होंगे।”

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्र. 2823-142-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 23 OF 2013

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013.

TABLE OF CONTENTS.

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 3.
3. Substitution of Section 4.
4. Amendment of Section 5.
5. Substitution of Section 6.
6. Amendment of Section 7.
7. Amendment of Section 8.
8. Insertion of Chapter IV A.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 23 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

[Received the assent of the Governor on the 25th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th April, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty – fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and for different areas of the State of Madhya Pradesh.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(2) Every water users' area shall be divided into territorial constituencies, which shall be six in case of minor irrigation system and twelve in case of major and medium irrigation systems.”.

Substitution of section 4.

3. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Managing Committee of Water Users' Association.

“4. (1) There shall be a Managing Committee for each Water Users' Association comprising members of the territorial constituencies as specified in sub-section (2) of section 3 elected directly by the water users' as specified in sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (4) of section 3 from their respective territorial constituencies.

(2) The Managing Committee for Water Users' Association shall be a continuous body, with one third of its elected members retiring every two years as specified in sub-section (3).

(3) The term of office of the members of the territorial constituencies shall, if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act, be six years from the date of appointment of the competent authority under sub-section (1) of section 21:

Provided that at the first election, all the territorial constituency members shall be elected at one time, out of which one third of the members thereof shall retire on the completion of two years, another one third members shall retire after completion of four years and the remaining one third shall retire after completion of six years in office and their terms of retirement shall be decided before the commencement of first election of the members of the territorial constituencies by drawal of lots.

(4) The District Collector shall cause arrangements for the election of a Managing Committee consisting of one member from each of the territorial constituency of a water users' area by the method of secret ballot in the manner prescribed.

- (5) The District Collector shall also cause arrangements for election of a President of the Managing Committee from amongst the members of the Managing Committee of the water users' association, in the manner prescribed.
- (6) If, at an election held under sub-sections (4) and (5), the President or the members of the territorial constituencies of water users' association are not elected, fresh election shall be held in the manner prescribed.
- (7) The President of the Managing Committee of water users' association shall, if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act, be in office for a period of two years from the date of election or his tenure as member of territorial constituency, whichever is earlier.
- (8) The term of office of the President, and the members of Managing Committee of all the water users' associations formed subsequent to ordinary election, shall also expire at the time at which it would have expired, if he had been elected at the ordinary election.
- (9) The Managing Committee shall exercise the powers and perform the functions of the water users' association."

4. In Section 5 of the principal Act, in sub-section (3), the words "and the territorial constituency members" shall be omitted.

Amendment of Section 5.

5. For Section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 6.

"6 (1) There shall be a Managing Committee for every Distributory Committee, consisting of all members of the General Body of Distributory Committee.

Election of managing committee of Distributory Committee.

(2) The District Collector shall cause arrangements, in such manner as may be prescribed for the election by the method of secret ballot of the President, from amongst the members of the Managing Committee of the Distributory Committee.

(3) If, at an election held under sub-section (2), the President is not elected, fresh elections shall be held as prescribed.

(4) If the Managing Committee of the Distributory Committee does not have a woman member, the Managing Committee shall co-opt a woman as a member who shall ordinarily be a resident of the farmers' organisation area.

(5) The term of office of the President and the Members of the Managing Committee of the Distributory Committee shall, if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act earlier, be coterminous with the term of General Body specified in sub-section (3) of Section 5.

(6) The Managing Committee shall exercise the powers and perform the functions of the Distributory Committee."

6. In Section 7 of the principal Act, for sub section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 7.

"(3) All the Presidents of the Distributory Committee of the project area of major irrigation projects and all the Presidents of the Water Users' Associations of the project area of medium irrigation projects, so long as they hold such office, shall constitute the general body of the Project Committee including two nominated members, one of whom shall act as coordinator between various departments and Farmers' Organizations and who will be an Executive Engineer of the Water

Resources Department or Narmada Valley Development Department for Major Projects or an Assistant Engineer of the Water Resources Department or Narmada Valley Development Department for Medium Projects and second member will act as an adviser who will be from the Farmers Welfare and Agriculture Development Department. The nominated member shall not have right to vote.”.

Amendment of Section 8.

7. In section 8 of the principal Act, for sub-sections (1), (2) and (4), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

- “(1) There shall be a Managing Committee, for every Project Committee, consisting of all members of General Body of the Project Committee.
- (2) (a) The District Collector shall cause arrangements in such manner as may be prescribed for the election by the method of secret ballot of Chairperson from amongst the members of Managing Committee of the Project Committee.
- (b) The Chairperson of the Project Committee of Major Projects shall be elected amongst the Presidents of Distributory Committee of the project area while the Chairperson of Medium Projects shall be elected amongst the Presidents of Water Users’ Association of the project area.
- (c) If, at an election held under clause (a) and (b), the Chairperson is not elected, fresh elections shall be held in prescribed manner.
- (4) The term of office of the Chairperson and the members of the Managing Committee of Project Committee shall, if not recalled or removed or disqualified under the provisions of the Act earlier, be coterminous with the term of General Body specified in sub-section(3) of Section 7.”.

Insertion of Chapter IV A.

8. In the principal Act, after Chapter IV, the following Chapter containing sections 22 A to 22 I shall be inserted, namely:—

“CHAPTER IV A CONTROL

Definition.

22 A. For the purpose of this Chapter “Appropriate Authority” means Division Commissioner in case of Project Committee, District Collector in case of Distributory Committee and Sub-Divisional Officer Revenue in case of Water Users’ Association.

Office bearers and officers or servant of Farmers’ Organization to be public servant.

22.B. Every office bearer of Farmers’ Organization and every officer or servant thereof shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Inquiry into affairs of Farmers’ organization

22 C. The State Government or Appropriate Authority may, from time to time, cause an inquiry to be made on matters relating to maintenance or construction works by a Farmers’ Organization.

Power to suspend execution of orders etc.

22 D. (1) The State Government or Appropriate Authority may, by an order in writing and for reasons to be stated therein, suspend the execution of any resolution passed, order issued, license or permission granted, or prohibit the performance of any act by a Farmers’ Organization, if in its opinion,—

- (a) such resolution, order, license, permission or act is in excess of the powers conferred by this Act or is contrary to any law; or
- (b) the execution of such resolution or order, or the continuance in force of such license or permission or the doing of such act is likely to cause loss, waste or misapplication of any money or damage to any property vested in the Farmers’ Organization.

(2) Whenever an order is made by the Appropriate Authority under sub-section (1), it shall forthwith and in no case later than ten days from the date of order, forward to the State Government or an officer nominated by the State Government for this purpose, copy of the order with the statement of reasons for making it, and the State Government or the officer nominated by it may confirm, set aside, revise or modify the order or direct that it shall continue to be in force with or without modification permanently or for such period as may be deemed fit:

Provided that no order of the appropriate authority passed under sub-section (1) shall be confirmed, set aside, revised or modified by the State Government or the officer nominated by it without giving the Farmers' Organization concerned a reasonable opportunity of being heard against the proposed order.

22 E. (1) The State Government or Appropriate Authority may suspend any office bearer of a Farmers' Organization—

Suspension of office bearer of Farmers' Organizations.

(a) against whom charges have been framed in any criminal proceeding under any law for the time being in force; or

(b) against whom an enquiry has been initiated under section 22 C for serious negligence in discharge of duty under this Act or financial irregularities.

(2) An order of suspension by an Appropriate Authority under sub-section (1) shall be reported to the State Government in case of Project Committee, Divisional Commissioner in case of Distributory Committee and District Collector in case of water users' association within a period of ten days and shall be subject to such orders as the State Government/ Divisional Commissioner/ District Collector, as the case may be, may deem fit to pass and if the order of suspension is not confirmed by the State Government/Divisional Commissioner/District Collector, as the case may be, within 90 days from the date of receipt of such report it shall be deemed to have been vacated.

(3) In the event of the Chairperson/President, members of Managing Committee, of Farmers' Organization, as the case may be, is suspended under sub-section (1), the competent authority of the concerned Farmers' Organization shall cause to call a special meeting of the Farmers' Organization immediately, but not later than fifteen days from the date of receipt of information from concerning authority and the member shall elect from amongst themselves, a person to hold the office of Chairperson/President, members of Managing Committee, temporarily, as the case may be, and such officiating Chairperson/President and members of Managing Committee, shall perform all the duties and exercise all the powers of Chairperson or President, members of Managing Committee, as the case may be, during the period for which such suspension continues.

(4) A person who has been suspended under sub-section (1) shall also forthwithstand suspended from the office of Chairperson / President, members of Managing Committee, of any other Farmers' Organization of which he is a member or office bearer and such person shall also be disqualified for being elected under the Act during his suspension.

22 F. (1) The State Government or Appropriate Authority may, after such inquiry initiated under section 22 C as it may deem fit to make at any time, remove an office bearer of the concerned Farmers' Organization—

Removal of office bearers of Farmers' Organization.

(a) if he has been found guilty of serious negligence in the discharge of his duties under this Act;

(b) if his continuance in office is undesirable in the interest of the public:

Provided that no person shall be removed unless he has been given an opportunity to show cause why he should not be removed from his office:

Provided further that the final order in the inquiry shall be passed within 90 days from the date of issue of show cause notice to the concerned office bearer and where

8-7-2013
12.50 Pm

the pending case is not decided within 90 days, the appropriate authority shall inform all facts to his next senior officer in writing and request for extension of time for disposal of enquiry but such extension of time shall not be more than 30 days.

(2) A person who has been removed under sub-section (1) shall forthwith cease to be a member of any such Farmers' Organization of which he is a member and such person shall also be disqualified for a period of six years to be elected under this Act.

**Liability of
President/
Chairperson for
loss, waste and
misappropriation.**

22 G. (1) Every President /Chairperson, member, office-bearer, officer or servant of Farmers' Organization shall be personally liable for loss, waste or misapplication of any money or other property of the Farmers' Organization to which he has been a party or which has been caused by him by misconduct or gross neglect of his duties and the amount required for reimbursing such loss, waste, or misapplication shall be recovered by the Appropriate Authority:

Provided that no recovery shall be made under this section unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) If the person concerned fails to pay the amount, such amount shall be recovered as arrears of land revenue and credited to the funds of the Farmers' Organization concerned.

**Power to recover
records, articles
and money.**

22 H. (1) Where the Appropriate Authority is of the opinion that any person has unauthorizedly in his custody any record or article or money belonging to the Farmers' Organization, he may, by written order, require that the record or article or money be delivered or paid forthwith to the Farmers' Organization, in the presence of such officer as may be appointed by the concerning authority in this behalf.

(2) If any person fails or refuses to deliver the record or article or pay the money as directed under sub-section (1), the Appropriate Authority may cause him to be apprehended and may send him with a warrant in such form as may be prescribed, to be confined in a civil jail for a period not longer than thirty days.

(3) The Appropriate Authority may—

(a) for recovering any such money direct that such money be recovered as an arrear of land revenue ; and

(b) for recovering any such record or articles issue a search warrant and exercise all such powers with respect thereto as may lawfully be exercised by a Magistrate under the provisions of Chapter VII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

(4) No action under sub-section (1) or (2) or (3) shall be taken unless a reasonable opportunity has been given to the person concerned to show cause why such action should not be taken against him.

(5) A person against whom an action is taken under this section shall be disqualified to be member of any Farmers' Organization for a period of six years commencing from the initiation of such action.

**Inspection of
works of
Farmers'
Organization.**

22 I. (1) The officer of the State Government namely, concerned Sub-Divisional Officer, Executive Engineer and Superintending Engineer of the Water Resources Department or NarmadaValley Development Department or any other Officer of the State Government duly authorized by the State Government may inspect the works and records of Farmers' Organization and shall submit inspection report regarding irregularities found in inspection to the State Government or Appropriate Authority, who can take punishable action as per the provision of this Act.

(2) The office bearers and competent authority of Farmers' Organization shall be bound to provide all information and records demanded by inspecting officer."



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 जुलाई 2013—श्रावण 7, शक 1935

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 32-18-2013-मध्यम-इकतीस-763.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में,

(एक) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) सामान्य कार्य और संधारण संकर्म की पहचान-भागीदारिता वाक-श्रू.—सभापति (चेयरपर्सन)/अध्यक्ष, प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र के भीतर भागीदारिता वाक-श्रू आयोजित करेंगे और उन समस्त खतरनाक प्रभाव क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें कि उपरोक्त सूची के अनुसार मरम्मत की तुरन्त आवश्यकता है. सक्षम अधिकारी, हाथ में लिए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची तैयार करने में कृषक संगठन की सहायता करेगा.”

(दो) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(7) तकनीकी निर्बाधन. (क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी निर्बाधन देने के लिए शक्तियां निम्नानुसार हैं :—

(एक) विशेष मरम्मत—

(क) कार्यपालन यंत्री	रुपये 1,00,000/- तक
(ख) अधीक्षण यंत्री	रुपये 10,00,000/-तक
(ग) मुख्य अभियंता	पूर्ण शक्ति

- (दो) सामान्य परम्मत—
- | | |
|---------------------------------|--|
| (क) उपयंत्री (सक्षम प्राधिकारी) | रुपये 20,000/- तक |
| (ख) सहायक यंत्री | रुपये 50,000/-तक |
| (ग) कार्यपालन यंत्री | कृषक संगठन को उपलब्ध कराई गई निधि के भीतर पूर्ण शक्ति. |
- (ख) सक्षम प्राधिकारी, अपने से निम्नतर प्राधिकारी में निहित तकनीकी निर्बाधन प्रदान कर सकेगा.
- (ग) सक्षम प्राधिकारी, नियमों से अनुलग्न प्ररूप-1 में तकनीकी निर्बाधन के रजिस्टर में समस्त तकनीकी निर्बाधन अभिलिखित करेगा.
- (घ) तकनीकी निर्बाधन प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होगा.
- (ङ) जल उपभोक्ता संस्था, वितरिका समिति और परियोजना समिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी खण्ड (क) में उल्लिखित वित्तीय शक्तियों के अनुसार उसके नियंत्रणाधीन किसी समुचित अधिकारी द्वारा दी जाने वाली तकनीकी निर्बाधन कारित करवायेगा. ''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. चौबे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 32-18-2013-मध्यम-इकतीस-763.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 32-18-2013-मध्यम-इकतीस-763, दिनांक 29 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. चौबे, सचिव.

Bhopal, the 29th July 2013

No. 32-18-2013-MIDIUM-XXXI-763.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Mc Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmer's Organisation Rules, 1999, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 7,—

- (i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) **Identification of normal operation and maintenance works participatory walk-through.**—The Chirperson/President along with the Managing Committee members shall organise a participatory walk-through within the area of operation of the Farmers' Organisation and identify all the critical reaches, which need immediate repair as listed out above. The competent authority shall assist the Farmers' Organisation in preparation of detailed list of works to be undertaken.”;

(ii) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) **Technical clearance.**—(a) The powers for giving technical clearance by the Competent Authority shall be as follows :—

(i) Special repairs—

(a) Executive Engineer	Upto Rs. 1,00,000/-
(b) Superintending Engineer	Upto Rs. 10,00,000/-
(c) Chief Engineer	Full power

(ii) Ordinary repair—

(a) Sub-Engineer (Competent Authority)	Upto Rs. 20,000/-
(b) Assistant Engineer	Upto Rs. 50,000/-
(c) Executive Engineer	Full power within the funds provided to Formers Organisation.

(b) A Competent Authority may accord technical clearance vested in a authority lower than him.

(c) The Competent Authority, shall record all the technical clearances in the register of technical clearance in Form-I appended to the rules.

(d) The technical clearance shall not exceed the administrative approval.

(e) In respect of a Water User Association, Distributory Committee and Project Committee, the Competent Authority may cause the technical clearance to be given by an appropriate officer under his control as per the financial powers mentioned in clause (a)."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. G. CHOUBEY, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014—अग्रहायण 4, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्र. 32-18-2014-म-31-793.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तारीख 25 नवम्बर, 2014 उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम की धारा 1 से 7 के उपबंध संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त होंगे.

No. 32-18-2014-म-31-793.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me krishkon ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (No. 23 of 2013), the State Government, hereby, appoints 25th November, 2014 as the date on which the provisions of section 1 to 7 of the said Act shall come into force in Whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 807-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 11 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) कृषक संगठन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सहकारी बैंक यथा—

जिला सहकारी सेन्ट्रल बैंक या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में अपने नाम से एक खाता खोलेगा. खाता यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति (चेयरपर्सन) द्वारा तथा प्रबंध समिति द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य द्वारा तथा लघु, मध्यम और वृहद् सिंचाई परियोजनाओं की जल उपभोक्ता संथा तथा वृहद् सिंचाई परियोजना की वित्तिका समिति तथा मध्यम सिंचाई परियोजना की परियोजना समिति की दशा में सहायक अभियंता द्वारा जबकि वृहद् सिंचाई परियोजना की परियोजना समिति के लिए कृषक संगठन से संबंधित कछार मुख्य अभियंता द्वारा यथानामनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री द्वारा खाते को संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा. कृषक संगठन का सक्षम प्राधिकारी समुचित वाउचर तथा प्राप्तियों के साथ रोकड़ बही (कैश बुक) और व्यय लेखाओं को संधारित करेगा.

(2) नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“16. अभिलेख, वस्तुएं तथा धन वसूलने की शक्ति.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 22 ज की उपधारा (2) के अधीन यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1)

के अधीन निदेशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तु का परिदान या धन का भुगतान करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता है तो समुचित प्राधिकारी उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और प्ररूप 15 में वारंट के साथ, तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए उसे सिविल जेल में परिरुद्ध किए जाने के लिए भेज सकेगा.

(3) प्ररूप 14 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाए, अर्थात् :—

प्ररूप—15

(नियम 16 देखिए)

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, अधिनियम, 1999
(क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 22 ज की उपधारा (2) के अधीन वारंट

प्रति,

..... कारावास का भारसाधक अधिकारी,

यतः श्री पुत्र श्री निवासी से, जो जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/ परियोजना समिति से संबंधित पदाधिकारी/ अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/ सहायक अभियंता/ कार्यपालन अभियंता की हैसियत से उक्त जल उपभोक्ता संस्था/ वितरिका समिति/ परियोजना समिति का अभिलेख या धन, उसे पद से हटाए जाने/ निलंबन किए जाने/ पदत्याग किए जाने/ सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् भी अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अभिलेख या धन जल उपभोक्ता संस्था/ वितरिका समिति/ परियोजना समिति को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए लिखित आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा अपेक्षित किया गया है किन्तु वह इस प्रकार निदेशित अभिलेख या वस्तु को परिदत्त करने में या धन संदत्त करने में असफल रहा है या उससे इंकार कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार किया गया है तथा अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष लाया गया है, यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त को अपनी अभिरक्षा में लें तथा उसे तीस दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अथवा उक्त अभिलेख परिदत्त किए जाने तक या उक्त धन संदत्त किए जाने तक उसे सिविल जेल में परिरुद्ध रखें. न्यायालय एतद्वारा, उक्त के इस वारंट के अधीन परिरोध के दौरान जीवन निर्वाह के लिए मासिक भत्ते की दर रुपये प्रतिदिन नियत करता है.

आज तारीख 20. . को मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मुद्रा द्वारा दिया गया.

अनुसूची

जो लागू न हो उसे काट दें

समुचित प्राधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 807-2014-म-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 807-2014-म-इकतीस, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

Bhopal, the 1st December 2014

No.807-2014-म-XXXI.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organisation Rules, 1999, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rules 11, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Farmers' Organisation shall open an account in a Nationalised Bank or a Co-operative Bank namely, the District Co-operative Central Bank or the Madhya Pradesh State Apex Co-operative Bank in its name. The account shall be operated jointly by the President or Chairperson, as the case may be, and one member as nominated by the Managing Committee and Assistant Engineer in case of Water User Association of minor, medium and major irrigation project, Distributory Committee of major irrigation project and Project Committee of medium irrigation project, while Executive Engineer for Project Committee of major irrigation project as nominated by basin Chief Engineer related to the farmers organization. The Competent Authority of the Farmers Organization shall maintain the cash book and accounts of expenditure with appropriate vouchers and receipts.

(2) After rule 15, the following rule shall be inserted, namely:—

“16. **Power to recover records, articles and money.**—Sub-section (2) of Section 22H of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), if any person fails or refuse to deliver the record or article or pay the money as directed under sub-section (1), the Appropriate Authority may cause him to be apprehended and may send him with a warrant in Form 15, to be confined in civil Jail for a period not longer than thirty days.

(3) After Form-14, the following Form shall be added, namely:—

FORM—15
(See Rule 16)

Warrants under the sub-section (2) of Section 22-H of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999)

To,

The Officer-in-charge of the Jail at

Whereas Shri Son of Shri resident of who in his capacity as an office bearer/officer/competent authority/Assistant Engineer/Executive Engineer concerned of the Water User Association (WUA)/Distributory Committee/Project Committee in his custody the record or money belonging to the said Water User Association/ Distributory Committee/ Project Committee after his removal/suspension/resignation/retirement from his office, has been required by a written order No. dated to deliver or pay the record or money specified in the Schedule below forthwith to the Water User Association/Distributory Committee/Project Committee but has failed or refused to deliver the record or article or pay the money so directed has been apprehended and brought before the Court in custody. This is to require you to receive the said in to your custody and detain him in confinement in a Civil Jail for a period not longer than thirty days or till he delivers up the said record or pays the said money. The Court does hereby fix per diem as the rate of the monthly allowance for the substance of, the said during his confinement under this warrant.

Given under my hand and the seal of this Court this day of 20 . . .

SCHEDULE

(Strike out which is not applicable)

Appropriate Authority

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. S. DHAKAD, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 808-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 में, उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(10) जल उपभोक्ता संस्थाओं की प्रबंध समितियां निरंतर निकाय बनाई गई हैं जिनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होंगे, जल उपभोक्ता संस्थाओं में अपेक्षित संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है. वृहद तथा मध्यम सिंचाई प्रणाली की प्रत्येक जल उपभोक्ता संस्था में बारह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे. लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या छह होगी. अतएव जिला कलक्टर प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को यथासंभव समान रूप से निम्नानुसार विभक्त करेगा, अर्थात् :—

(एक) वृहद अथवा मध्यम सिंचाई प्रणाली में बारह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में और;

(दो) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में छह प्रादेशिक क्षेत्रों में जहां तक बराबर हो :

परन्तु जहां प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जा रहा हो, वहां यथासंभव सीधे पाईप निकासी से कमाण्ड क्षेत्र को दो भागों में विभक्त नहीं किया जाएगा.”.

(2) नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) जिला कलक्टर, प्ररूप-ग में अधिकार अभिलेख के आधार पर भू-धारकों की सूची तैयार करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से तैयार करवाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के आधार पर, वह प्ररूप “घ” में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची उन भू-धारकों को मिलाकर तैयार करेगा या तैयार करवाएगा जिन्होंने कि किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन कराने के लिए जारी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो.”

(3) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“4-क प्रथम निर्वाचन के समय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की, पदावधि का नियत किया जाना.—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि निम्नानुसार नियत की जाएगी :—

(1) जल उपभोक्ता संस्थाओं की प्रबंध समितियां निरंतर निकाय होने के कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि नियत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथापि यह प्रयोग केवल प्रथम निर्वाचन तक सीमित रहेगा, अर्थात् :—

(क) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य एक बार के लिए निर्वाचित होंगे जिनमें से दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण हो जाने पर तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद पर छह वर्ष पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे;

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन कराने के पूर्व उनकी व्यक्तिगत पदावधि का निर्णय करने के लिए लॉट निकाला जाएगा और उसे यथास्थिति उसे प्ररूप-क 1 या क 2 में अभिलिखित किया जाएगा;

(ग) जल उपभोक्ता संस्था की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अपनी-अपनी पदावधि का विनिश्चय करने के लिए जिला कलक्टर, किसी अधिकारी को, पदाविहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो जहां तक हो सके, राज्य सरकार के तहसीलदार की श्रेणी से निम्न श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा। मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के प्ररूप-1 में सूचना के प्रकाशन के सात दिन पूर्व लॉट निकाले जाएंगे;

(घ) पश्चात्तुर्वर्तीय साधारण निर्वाचन में निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रों के समस्त सदस्यों की पदावधि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समान रूप से छह वर्ष होगी।

(2) प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि नियत करने के लिए लॉट निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) वृहद तथा मध्य सिंचाई प्रणालियों के लिए

(एक) समान आकार के सफेद कागज की चौकोर वर्ग की बारह पर्चियां तैयार की जाएंगी, तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 से 12 उपरोक्त पर्चियों के ऊपर लिखे जाएंगे। यह पर्चियां एक लॉट में रखी जाएंगी, जिसे इसके पश्चात् “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लॉट” कहा जाएगा;

(दो) समान आकार के सफेद कागज की चार चौकोर पर्चियां जिनमें से प्रत्येक पर, शब्द “दो वर्ष” लिखा होगा और ऊपर वर्णित के अनुसार मोड़ी जाएंगी। इसी प्रक्रिया के समान चार पर्चियां जिन पर शब्द “चार वर्ष” तथा चार और पर्चियां जिन पर शब्द “छह वर्ष” लिखे होंगे, तैयार की जाएंगी। मोड़ी गई ये समस्त बारह पर्चियां एक अन्य लॉट के रूप में रखी जाएंगी जो इसमें इसके पश्चात् “पदावधि लॉट” कहलाएगा;

- (तीन) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की विभिन्न पदावधियां नियत करने के लिए जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा यथानामनिर्दिष्ट तहसीलदार की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी प्रत्येक लॉट में पर्चियों को उलट पुलट करते हुए “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लॉट” से एक पर्ची उठाएगा और “पदावधि लॉट” में से भी एक पर्ची उठाएगा;
- (चार) जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा यथानामनिर्दिष्ट तहसीलदार की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी दो लॉटों से इस प्रकार उठाई गई पर्चियों को सूचीबद्ध करेगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और तदस्थानी पदावधि की ऊंचे स्तर में घोषणा करेगा. घोषणा के पश्चात् उठाई गई पर्चियों को पृथक् से रखा जाएगा;
- (पांच) यह सूचना प्ररूप-क 1 में साथ-साथ अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यपालन यंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का) तथा संबंधित उपयंत्री के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगे तथा उसके हस्ताक्षर से ऐसी प्रविष्टि अधिप्रमाणित करवाई जाएगी;
- (छह) जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त सदस्यों की पदावधि का विनिश्चय होने तक वही प्रक्रिया अपनाएगा.
- (ख) लघु सिंचाई प्रणाली के लिए—
- (एक) सफेद कागज की समान आकार की छह चौकोर पर्चियां तैयार की जाएंगी. उपरोक्त पर्चियों पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की 1 से 6 तक संख्या लिखी जाएगी. पर्चियां एक तरफ से मोड़ दी जाएंगी मुड़ी हुई पर्चियां एकल “लॉट” में रखी जाएंगी, जो इसमें इसके पश्चात् “प्रादेशिक निर्वाचन लॉट” कहा जाएगा;”
- (दो) “पदावधि लॉट” में “दो वर्ष” लिखी हुई दो पर्चियां होंगी अन्य दो पर्चियां शब्द “चार वर्ष” लिखी हुई होंगी तथा शेष दो पर्चियां शब्द “छह वर्ष” लिखी हुई होंगी;”
- (तीन) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों के निर्णय के लिए जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी वृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली की दशा में उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जो ऊपर यथाविनिर्दिष्ट है;
- (चार) यह सूचना प्ररूप-क-2 में साथ-साथ अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यपालन यंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का) तथा संबंधित उपयंत्री के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगे तथा उसके हस्ताक्षर से ऐसी प्रविष्टि अधिप्रमाणित करवायी जाएगी.

टिप्पणी.—(1) ‘लाट्स’ निकालने के लिए तैयार की गई पर्चियां गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय बनाए रखने के लिए हर तरह से एक समान हों और किसी भी दशा में कोई भी यह न पहचान पाए कि यह पर्ची इस विशिष्ट निर्वाचन क्रमांक की है.

(2) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की पदावधि का निर्धारण कार्यपालन यंत्री की उपस्थिति अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी) तथा संबंधित उपयंत्री की उपस्थिति में जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से पूर्व किया जाएगा;

(3) जल उपभोक्ता संस्था के समस्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पदावधि का निर्धारण किया जाएगा भले ही निर्वाचन के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पद भरे न गए हों;

(4) यह सम्पूर्ण प्रयोग जल उपभोक्ता संस्थाओं को निरंतर निकाय बनाने की अवधारणा की शुरुआत के पश्चात् चयनित सदस्यों के प्रथम समूह तक सीमित होगी.

4-ख जल उपभोक्ता संस्थाओं में एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध प्रतिबंध.—यदि कोई व्यक्ति, विभिन्न जल उपभोक्ता संस्था क्षेत्रों से एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य के रूप में चयनित होता है, तो वह अन्य पदों से त्यागपत्र देकर अपनी पसंद के केवल किसी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पद धारण कर सकेगा.

(4) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“7. निर्वाचन कराने के लिए प्रक्रिया.—

- (1) कृषक संगठन के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/ प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) अथवा अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
- (2) यदि कृषक संगठन की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो सामान्य रूप से कृषक संगठन के क्षेत्र की निवासी हो.

(5) नियम 9 में, खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- (च) (क) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए, ऐसी रिक्ति होने के पंद्रह दिन के भीतर सभापति, प्रबंध समिति की एक विशेष बैठक बुलाएगा जो प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक ऐसे जल उपभोक्ता को नामनिर्दिष्ट करेगी.

जो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो. तथापि, ऐसा व्यक्ति ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं के दौरान जल उपभोक्ता संस्था में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा.

- (ख) नामनिर्दिष्ट सदस्य तभी तक उस पद पर बना रहेगा जब तक कि आकस्मिक रिक्ति पर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाता.

(6) विद्यमान प्ररूप-क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

प्ररूप—“क”

[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]

यतः, यह विनिश्चित किया गया है कि सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को जलीय आधार पर और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य रूप में जल उपभोक्ता क्षेत्रों में अंकित किया जाए;

और यतः इस प्रकार से विभाजित किए गए जल उपभोक्ता क्षेत्रों को, क्रमशः वृहद/ लघु अथवा मध्यम सिंचाई प्रणाली के संबंध में जहां तक संभव हो सके, जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन के प्रयोजन के लिए बारह/ छह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से और विभाजित किया जाएगा.

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) के नियम 3 के उपनियम (2) से (6) के अधीन में कलक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी जिला / प्राधिकृत अधिकारी, एतद्वारा जल उपभोक्ता क्षेत्रों को बारह/ छः प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अंकित करता हूं और यह निदेश देता हूं कि विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शे तथा आरेख ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाएं.

नीचे दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार अंकन के विरुद्ध ऐसी कोई आपत्तियां या दावे, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित तारीख को छोड़कर 7 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे.

..... सिंचाई प्रणाली
जल उपभोक्ता संथा

ग्राम का नाम

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या बारह/ छह

तहसील का नाम

वृहद् /मध्यम/ लघु परियोजनाओं का नाम

कुल कमाण्ड क्षेत्र, हेक्टर में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

(भाग संख्या)

अनुक्रमांक	स्लूस द्वार की स्थिति	कमाण्ड क्षेत्र		ग्राम
		सर्वे क्रमांक	विस्तार (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जो लागू न हो उसे काट दें.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/ प्राधिकृत अधिकारी
जिला

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन

(वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली)

प्ररूप—क-1

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पहचान तथा पदावधि का निर्धारण (लॉट द्वारा)

जल उपभोक्ता संथा का नाम जल उपभोक्ता संथा का कोड क्रमांक जिला

अनुक्रमांक		पदावधि (वर्ष में)	
(1)	टी.सी. क्रमांक (2)	वर्षों की संख्या	शब्दों में
		(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

(1)	(2)	(3)	(4)
10			
11			
12			

गवाह हस्ताक्षर

.....

1. कार्यपालन यंत्री/ उपखण्ड अधिकारी जल संसाधन विभाग पूरा नाम

.....

2. जल संसाधन विभाग का उपयंत्री पूरा नाम

हस्ताक्षर

.....

जिला कलक्टर
अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी

.....

पूरा नाम

स्थान :
दिनांक :

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन
(लघु सिंचाई प्रणाली)

प्ररूप—क-2

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पहचान तथा पदावधि निर्धारण (लॉट द्वारा)

जल उपभोक्ता संथा का नाम जल उपभोक्ता संथा का कोड क्रमांक जिला

अनुक्रमांक	टी.सी. क्रमांक	पदावधि (वर्ष में)	
		वर्षों की संख्या	शब्दों में
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

गवाह हस्ताक्षर

.....

1. कार्यपालन यंत्री/ उपखण्ड अधिकारी जल संसाधन विभाग पूरा नाम

.....

2. जल संसाधन विभाग का उपयंत्री पूरा नाम

हस्ताक्षर

.....

जिला कलक्टर
अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी

.....

पूरा नाम

स्थान :
दिनांक :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 808-2014-म-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 808-2014-म-इकतीस, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. धाकड़, सचिव.

Bhopal, the 1st December 2014

No.808-2014-म-XXXI.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organisation Constitution Rules, 1999, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 3, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(10) The Managing Committees of Water Users Associations are made a continuous bodies with one third of the member of the Territorial Constituency shall retire on completion of every two years, it is essential to form the required number of territorial constituencies in each of the Water Users Associations. There shall be twelve territorial constituencies in each Water Users Association of Major and Medium irrigation systems. In respect of Minor irrigation systems, the number of territorial constituencies shall be six. Hence the District Collector shall divide each of the Water user area, namely:—

- (i) in a Major or Medium irrigation system into twelve territorial constituencies as far as possible equally and;
- (ii) into six territorial constituencies as far as possible equally in respect of minor irrigation systems:

Provided that the Command Area under a direct pipe outlet as far possible shall not be bifurcated while dividing territorial constituencies.”.

(2) In rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The District Collector shall prepare or cause to be prepared by the authorized officer, the list of land holders on the basis of record of rights, in form-C on the basis of the list as so prepared, he shall prepare or caused to be prepared territorial constituency-wise voters list in Form-D, consisting of those landholders who have completed eighteen years of age as on the dated of issue of notification for conducting elections in water user's area for electing the member of the Territorial constituency of the Water User's Association”.

(3) After rule 4, the following rules shall be inserted, namely :—

“4-A Fixing the tenure of members of Territorial Constituencies at the time of first election.—

In accordance to provision of sub-section (3) of Section 4 of the Principal Act, the tenure of the members of Territorial Constituencies shall be fixed as below:—

- (1) the Managing Committees of Water Users Associations being continuous bodies, the following procedure shall be adopted for fixing the tenures of members of Territorial Constituencies. However this exercise is limited to the first election, only—
 - (a) the members of the Territorial Constituencies shall be elected for at one time out of which 1/3rd of the members thereof shall retire on the completion of two years, another 1/3rd members shall retire after completion of four years term and the remaining 1/3rd members shall retired after completion of six years in office;

- (b) to decide their individual tenure, lots shall be drawn before the conduct of election of members of Territorial Constituencies is taken up and shall be recorded in Form-A1 or A2 as the case may be;
 - (c) to District Collector shall designate or nominate by order an officer who shall be as far as possible be a Gazetted Officer of the State Government not below the rank of Tehsildar to decide the individual tenure of Territorial Constituencies of each Water User's Association, lots shall be drawn 7 days in advance before the date of publication of notice in Form-1 of Madhya Pradesh Farmers Organization Election Rules, 2014;
 - (d) all members of Territorial Constituencies elected in the ordinary elections held subsequently, shall have tenure of six years uniformly as per the provisions of the Act.
- (2) The following procedure shall be adopted to draw lots with regard to the fixing of tenure of the members of Territorial Constituencies elected in the first election.

(a) For Major and Medium Irrigation Systems—

- (i) Twelve identical square chits of white paper of equal size shall be prepared. Thereafter, the Territorial Constituency numbers from 1 to 12 shall be written on the above chits. This chits shall be kept in a single lot here in after called the "Territorial Constituency lot";
- (ii) four identical square chits of white paper of equal size on which the words "**two years**" shall be written on each and rolled as described above. In a similar procedure four chits with the words "**four years**" and four more chits is the words "**six years**" shall be prepared. All these twelve rolled chits shall be kept as another lot, hereinafter called "Tenure lot";
- (iii) to fix different tenures for the members of the Territorial Constituencies, the District Collector or an Officer not below the rank of Tehsildar as nominated by District Collector shall pick out one chit from the "**Territorial Constituency lot**" and shall also pick one chit from the "**Tenure lot**" after thorough shuffling of chits in each lot;
- (iv) the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by the District Collector shall enroll the chits so picked from the two lots and shall announce aloud the number of the Territorial Constituency and corresponding tenure. The picked up chits, after announcement, shall be kept separately;
- (v) this information shall be simultaneously recorded in Form-A1 and the signatures of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned may be obtained as witness and authenticate such entry with his signature;
- (vi) the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by the District Collector shall follow the same procedure till the tenures of all the members of the Territorial Constituencies are decided upon.

(b) For Minor Irrigation System :—

- (i) Six identical square chits of white paper of equal size shall be prepared. The Territorial Constituency numbers from 1 to 6 shall be written on the above chits. The chits shall be rolled along one side of the square chit so prepared. The rolled shall be kept in a single lot, hereinafter called the "**Territorial Constituency lot**";

- (ii) in the “**Tenure lot**” there shall be two chits containing the words as “**two years**”. Another two chits containing the words as “**four years**” and the balance two chits containing the words as “**six years**”;
- (iii) for deciding of the Territorial Constituency members, the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by District Collector shall adopt the same procedure as specified above, in the case of Major and Medium Irrigation Systems;
- (iv) this information shall be simultaneously recorded in Form-A2 and the signature of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned may be obtained as witness and authenticate such entry with his signature.

Note.—(1) The chits prepared for drawing lots shall be truly identical in all respects to maintain secrecy and principle of natural justice and in no case no one shall be able to identify and particular chit with a particular Territorial Constituency number.

- (2) The fixing of tenures of the Territorial constituency members shall be taken up in the presence of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned before the election of Territorial Constituencies of Water User's Associations.
- (3) Tenures shall be fixed for all the Territorial Constituencies in a Water Users Association, even though the posts of Territorial Constituencies are not filled up after elections.
- (4) This whole exercise is limited to the first batch of elected members after the introduction of the concept of Water Users Associations, being continuous bodies.

4-B. Restriction against holding more than one post Water User's Associations.—If any person elected as the member of Territorial Constituency form more than one Territorial Constituency from different Water Users Association areas, he can hold only one Territorial Constituency post of his choice, resigning the other posts.”

(4) For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

“7. Procedure for conducting Election.—

- (1) The election of the office of Chairperson or the President and members of Territorial Constituencies/ Managing Committee of Farmer's Organization shall be conducted in accordance with the provision of Farmer's organization Election rule, 2014.
- (2) If the Managing Committee of Farmer's Organization does not have a woman member, the Managing Committee shall nominate a women as a member who shall ordinary be a resident of farmer's Organization area.

(5) In Rule 9, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

- (f) (a) To fill a vacancy of a Territorial Coinstituency member, the President shall convene a special meeting of the Managing Committee, which shall nominate a Water User, who is a voter in that territorial constituency, to act as a member of managing committee, with in fifteen days from the date of occurrence of such vacancy. However, such person is not eligible for election for the post of President in Water Users Association during the period of such transitional arrangements.

(b) The nominated member continues to hold the post only till a member of the territorial constituency is elected in the casual vacancy.

(6) For the existing Form-A, the following Forms shall be substituted, namely :—

“FORM “A”

[See sub-rule (2) of rule 3]

WHEREAS, it has been decided to delineate the entire command area into Water Users' Areas on hydraulic basis and which are found to be administratively viable;

AND WHEREAS, the water users' areas as so divided shall be further divided in to twelve/six number of territorial constituencies equally as for as possible for the purpose of forming the Water Users' Associations in respect of Major/Medium or Minor Irrigation Systems respectively;

NOW THEREFORE under sub-rule (2) to (6) of rule 3 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), I the Collector and District Magistrate of District/Authorised Officer hereby Delineate Water Users 'Area into twelve/six territorial constituencies, and direct that the maps and sketches indicating the various Water Users' Areas and the territorial constituencies shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and on the notice board of the office of the Janpad Panchayat.

Any objections or claims against the delineation detailed below may be filed before the authorised officer within seven days excluding the date of display on the notice board of the office of Gram Panchayat or the Janpad Panchayat.

..... Irrigation System.
.....Water Users' Association,

Name of the Village Total Nos. of Territorial Constituencies twelve/six
Name of the Tehsil Name of the major/minor Total Command
area in Hectare Territorial constituency No.

(Part No.)

Sl. No.	Location of Off-Take-Sluice	Command Area		Village
		Survey No.	Extent in hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Collector and District Magistrate/Authorised Officer.

Strike out which ever is not applicable District.

Election Territorial constituency Members

(Major and Medium Irrigation Systems)

FORM-A1

Identification and Fixing of tenure of Territorial Constituency Members (By Lots)

Name of Water User's Association Code of
Water User's Association District

S.No. (1)	T. C. No. (2)	Tenure (Years)	
		No. of Years (3)	In Words (4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Witness Signature

Signature

1. Executive Engineer/Sub-Division Officer
of Water Resources Department
Full Name

District Collector
or an Officer nominated by him
Full Name

2. Sub-Engineer
of Water Resources Department
Full Name

Place :

Date :

Election Territorial Constituency Members
(Minor Irrigation Systems)

FORM-A2

Identification and Fixing of Tenure of Territorial Constituency Members (By Lots)

Name of Water User's Association Code of
Water User's Association District

S.No. (1)	T. C. No. (2)	Tenure (Years)	
		No. of Years (3)	In Words (4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Witness Signature

Signature

1. Executive Engineer/Sub-Division Officer
of Water Resources Department
Full Name.

District Collector
or an Officer nominated by him
Full Name.

2. Sub-Engineer
of Water Resources Department
Full Name.”.

Place :

Date :

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. S. DHAKAD, Secy.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 809-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश में कृषक संगठन के चुनाव हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम
अध्याय-एक

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 है.

(2) ये नियम ऐसी जल उपभोक्ता संस्थाओं को लागू होंगे जिन्होंने अपने निर्वाचन की अवधि पूर्ण कर ली है तथा ऐसी जल उपभोक्ता संस्थाओं को लागू नहीं होंगे जिनके निर्वाचन की अवधि का इन नियमों के प्रारंभ पर अवसान नहीं हुआ है.

(3) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999);
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;
- (ग) “जिला निर्वाचन अधिकारी” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिये जिले का कलक्टर;
- (घ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ङ) “रिटर्निंग अधिकारी” से अभिप्रेत है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी,

(च) "मतदाता सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची।

अध्याय—दो

3. निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र.— (1) अधिनियम की धारा 33 के अधीन नियुक्त किया गया राजस्व संभाग का आयुक्त, उसकी अधिकारिता के भीतर निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजन के लिए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी होगा।
 - (2) जल उपभोक्ता संथा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों तथा कृषक संगठन के अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन संचालित किए जाएंगे।
 - (3) जिला कलक्टर, जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा। इन नियमों के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा भी उसकी अधिकारिता के भीतर किया जा सकेगा, जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए।
 - (4) जिले का अपर कलक्टर, अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा। जिले में यथास्थिति, तहसीलदार या अनुविभागीय (सब-डिवीजनल) अधिकारी (राजस्व), उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा।
 - (5) अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी और उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं। जिला निर्वाचन प्राधिकारी उस क्षेत्र की किसी जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति या परियोजना समिति के प्रत्येक निर्वाचन के बारे में इन नियमों के अधीन उसमें निहित की गई शक्तियों में से किसी भी शक्ति का जिले में किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए अपर जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा।
4. निर्वाचनों का संचालन — संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के सामान्य अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों, जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों

के निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्यों के संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

5. निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति — प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य तथा जल उपभोक्ता संस्था और वितरिका समिति के अध्यक्ष के स्थानों को भरने के लिए और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के पदों को भरने के लिए प्रत्येक निर्वाचन के लिए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो यथा संभव राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी होगा जो तहसीलदार की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।

6. सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति — जिला निर्वाचन प्राधिकारी, किसी निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी होगा।

7. सहायक निर्वाचन अधिकारी के कृत्य — निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु कोई भी सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के ऐसे किन्हीं कृत्यों को, जो नामनिर्देशन की समीक्षा से संबंधित है तब तक नहीं करेगा जब तक कि निर्वाचन अधिकारी उक्त कृत्य का पालन करने से अपरिहार्यतः निवारित न किया जाए।

8. निर्वाचन अधिकारी के साधारण कर्तव्य — किसी भी निर्वाचन में, निर्वाचन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह समस्त ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन उपबंधित की गई रीति में निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हों।

9. निर्वाचनों के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था — जिला निर्वाचन प्राधिकारी, ऐसे निदेशों के अध्वधीन रहते हुए, जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं, उतने मतदान केन्द्र उपलब्ध कराएगा, जितने कि निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों और मतदान केन्द्रों और उन क्षेत्रों या

मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए उन्हें कमशः उपलब्ध कराया गया है, दर्शाते हुए एक सूची ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा, जैसा कि निर्वाचन प्राधिकारी निदेश दे।

मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति – (1) जिला निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे अन्य मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, किन्तु यह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया गया है या जो अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है :

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है या अन्यथा कार्य कर रहा है, भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए मतदान का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया मतदान कार्मिक या इस नियम के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी भी किसी अन्य निर्वाचक पद हेतु, जिसके लिए कि साथ-साथ निर्वाचन सम्पादित किया जाना है, मतदान संचालित करा सकेगा।

(2) मतदान अधिकारी, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे ऐसा निदेशित किया जाए तो इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि कोई पीठासीन अधिकारी बीमारी के कारण या अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहता है तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा, जिसे कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी किसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, किया जाएगा।

- (4) पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र पर लोक व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान निष्पक्ष रीति में सम्पन्न हो।

अध्याय—तीन

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य तथा अध्यक्ष का निर्वाचन

11. निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना :— (1) अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् और जल उपभोक्ता संथा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की अवधि का अवसान होने पर या मृत्यु, त्याग-पत्र या वापिस बुलाने पर या निरर्हित होने पर या यथास्थित, ऐसे पद की रिक्ति होने पर जल उपभोक्ता संथा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन किया जाएगा।

(2) संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देशों के अध्यक्षीन रहने हुए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में तथा अनुकूल इस निमित्त जारी किए जाएं, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुरूप जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए प्ररूप 1 में सूचना प्रकाशित करेगा।

(3) व्यतिक्रमी सूची, प्ररूप 1 में सूचना के प्रकाशन की तारीख के 15 दिन अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी।

स्पष्टीकरण, व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) के अधीन उससे शोध्य किसी राशि का 3 वर्ष या अधिक कालावधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी होने पर जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्ररूप -2 में, हिन्दी भाषा में, सार्वजनिक सूचना देगा जो मुख्य स्थानों पर ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें।

(5) निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए नियत तारीखें, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होंगी:—

(क) नामनिर्देशन-पत्र भरने की अंतिम तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के पश्चात्, चार दिन से पूर्व की और दस दिन के पश्चात् की नहीं होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

(ख) नामनिर्देशन-पत्रों की जांच की तारीख, नामनिर्देशन-पत्र भरने की अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन की होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

- (ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तथा समय नामनिर्देशन-पत्रों की जांच के लिए नियत दिन के बाद आने वाले तीसरे दिन के अपरान्ह 3.00 बजे के पश्चात् का नहीं होगा, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;
- (घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको कि मतदान किया जाएगा, वह तारीख या उन तारीखों में से प्रथम तारीख ऐसी तारीख होगी जो अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात् से दसवें दिन से पूर्व की नहीं होगी;
- (ङ) मतदान, नियत दिन को पूर्वान्ह ठीक 8.00 बजे प्रारंभ होगा और अपरान्ह 2.00 बजे समाप्त होगा। मतदान के ठीक बाद, मतगणना प्रारंभ होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

12. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की प्रथम चुनाव के समय पदावधि का निर्धारण करना.— अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 के नियम 4क में विहित रीति में नियत किया जाएगा।

13. जल उपभोक्ता संथाओं में एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध निर्बंधन.— मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 के नियम 4ख के अधीन एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध निर्बंधन का एक उपबंध होगा।

14. विशेष निर्वाचन कार्यक्रम.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्वाचन प्रक्रिया में कोई व्यवधान होता है या किसी न्यायालय के आदेशों के कारण या लेखबद्ध किए जाने वाले अन्य वैध कारणों से निर्वाचन कार्यक्रम को परिवर्तित किया जाना हो तो निर्वाचन प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह या तो सामान्यतः या विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा के संबंध में निर्वाचन कार्यक्रम को, नियम 11 के उपनियम (5) को ध्यान में लाए बिना, इस प्रकार परिवर्तित करें, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे और निर्वाचन अधिकारी उसे प्रभावी करेगा :

परन्तु जहां नामनिर्देशन से प्रारंभ होने वाले निर्वाचन कार्यक्रम इस नियम के अधीन पुनः अधिसूचित किया गया जाता है तो पूर्व में किए गए नामनिर्देशन अग्राह्य हो जाएंगे और नियम 17 के अधीन जमा राशि यदि कोई हो, लौटा दी जाएगी।

15. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन.— (1) कोई भी व्यक्ति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों तथा जल उपभोक्ता संथा ओर वितरिका समिति के अध्यक्ष और परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के पद को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित है। प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए प्ररूप-3 में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 20 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 29 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 38 में होगा और अभ्यर्थियों और उनके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के लिए प्ररूप 3 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए, प्ररूप 20 में,

वितरिका समिति के लिए प्ररूप 29 में तथा परियोजना समिति के लिए प्ररूप 38 में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करके और नियत तारीख को या उसके पूर्व विनिर्दिष्ट समय के बीच अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी, नाम निर्देशन-पत्र पर घोषणा पर, हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों या जल उपभोक्ता संस्था, वितरिका समिति के अध्यक्ष और परियोजना समिति के सभापति के पद के अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक वे व्यक्ति होंगे जिनके नाम क्रमशः उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जल उपभोक्ता संस्था, वितरिका समिति या परियोजना समिति की विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हों।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी, पृथक् नामनिर्देशन-पत्र पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) किसी अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचक पद के लिए एक से अधिक प्रस्तावकों द्वारा अलग-अलग रूप से एक पृथक् नामनिर्देशन प्ररूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र नहीं भरे जाएंगे।

16. नामनिर्देशन-पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं—

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी, नियत तारीख को या उसके पूर्व या तो स्वयं या उसके प्रस्तावक द्वारा प्ररूप-3 में सम्यक् रूप से पूर्ण और अभ्यर्थी द्वारा और प्रस्तावक के रूप में संबंधित जल उपभोक्ता संस्था के पात्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र नियम 11 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान और स्थान पर प्राधिकृत निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर, निर्वाचन अधिकारी उन्हें तत्काल उस क्रम में जमाएगा जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हैं और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 3 में, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था के लिये प्ररूप 20 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप-29 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप-38 में यथा उपबंधित रसीद देगा और निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति इस बात से स्वयं का समाधान कर लेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथा प्रविष्ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम तथा उनका संख्यांक, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम तथा संख्यांक के अनुरूप ही है, जहां आवश्यक हो वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि नामनिर्देशन प्ररूप को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिससे वह निर्वाचक नामावली के अनुसार हो सके।

(3) निर्वाचन अधिकारी, जब वह मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का निर्वचन कर रहा हो तो वह केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देगा, किन्तु नामनिर्देशन की छानबीन पर उसे औपचारिक रूप से स्वीकृत या नामजूर करते समय वह अपने द्वारा अंगीकृत निर्वचन को उसके लिए कारण देते हुए अभिलिखित करेगा।

17. (क) प्रतिभूति निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क.—

(1) कोई भी पात्र अभ्यर्थी जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य, जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष, वितरिका समिति के अध्यक्ष, परियोजना समिति के सभापति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, वो नीचे दी गई सारणी में यथा उल्लेखित नामनिर्देशन शुल्क जमा कर संबंधित चुनाव अधिकारी से नाम निर्देशन प्ररूप प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण:—

कृषक संगठन के विभिन्न पदों के लिए विहित उपरोक्त फीस उस विशिष्ट पद के लिए है तथा प्रत्येक के लिए पृथक होगी।

सारणी

(नियम-17 देखिए)		
सारणी : कृषक संगठन में प्रतिभूति निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क		
	कृषक संगठन में पद	प्रतिभूति निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क
(क)	जल उपभोक्ता संस्था (बृहद, मध्यम, और लघु सिंचाई प्रणाली) (एक) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य (दा) अध्यक्ष	रुपए 200 (दो सौ रुपए मात्र) रुपए 300 (तीन सौ रुपए मात्र)
(ख)	वितरिका समिति (बृहद सिंचाई प्रणाली) (एक) एक अध्यक्ष	रुपए 500 (पांच सौ रुपए मात्र)
(ग)	परियोजना समिति (मध्यम सिंचाई प्रणाली) (एक) सभापति	रुपए 1000 (एक हजार रुपए मात्र)
(घ)	परियोजना समिति (बृहद सिंचाई प्रणाली) (एक) एक सभापति	रुपए 2000 (दो हजार रुपए मात्र)

टिप्पण— चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों से प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त समस्त नामनिर्देशन शुल्क की राशियां अनिवार्य रूप से चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट इत्यादि में न लेकर केवल नगद राशि में ही चुनाव अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाएंगी।

(ख) पावती पुस्तिका

(एक) पावती पुस्तिका मुद्रण की रीति.—

(क) नामनिर्देशन शुल्क की प्राप्ति की पावती प्ररूप-46 में प्रतिलिपि में होगी।

- (ख) प्रत्येक पावती पुस्तिका बीस मूल पावती तथा बीस प्रतिलिपि पावती ए-4 साइज कागज में प्रति शीट दो पावती जिले के लिए निरन्तर अनुक्रमांक के साथ मुद्रित की जाएगी।
- (ग) प्रत्येक पावती पुस्तिका में प्राप्तियों का सारांश, निर्वाचन अधिकारी ओर जिला निर्वाचन प्राधिकारी को निदेश और निर्वाचन में लड़ने अभ्यर्थी को नाम निर्देशन शुल्क के ब्यौरे पावती रसीद में छापने के निर्देश भी दिए जाएंगे।
- (घ) सभी पत्र पिन से/सिलाई से पुस्तिका के मुद्रित कवर पेज के साथ आदर्श पावती पुस्तिका के अनुसार होंगे।
- (ङ) प्रत्येक पावती पुस्तिका, पुस्तिका संख्याएं अर्थात् निरन्तर अनुक्रमांकों के साथ होगी।
- (दो) **पावती पुस्तिका का प्रदाय एवं उपयोग:-**
- (क) पावती पुस्तिका कृषक संगठन में प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी को पर्याप्त संख्या में प्रत्येक निर्वाचन के लिए प्रदाय की जाएगी।
- (ख) एक निर्वाचन में आंशिक उपयोग की गई पावती पुस्तिकाएं अन्य निर्वाचन में प्रदाय नहीं की जाएगी।
- (ग) कोई भी पावती पुस्तिका मुद्रण में किसी त्रुटि की दशा के सिवाय निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों में नामनिर्दिष्ट किया गया हो वहां उससे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क का प्रतिदाय.-

यदि उस निमित्त नियत किये गये समय के भीतर कोई नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप किया गया है या ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसका नामनिर्देशन रद्द हो गया है या यदि वह नियम 20 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, सम्बन्ध में जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि उस व्यक्ति को तत्काल लौटा दी जाएगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो और यदि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कोई प्रतिभूति निक्षेप की राशि, जो उसके द्वारा जमा की गई हो उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दी जाएगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं की गई हो तो उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो।

- (3) यदि कोई अभ्यर्थी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप जमा किया जा चुका हो, निर्वाचित नहीं होता है और उसे मतदान में प्राप्त वैध मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतदान में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या के अष्टमांश (1/8) से अधिक नहीं है तो उसकी प्रतिभूति निक्षेप सरकार को समपहत हो जाएगी।
- (4) किसी अभ्यर्थी के संबंध में किया गया प्रतिभूति निक्षेप यदि उसे उपनियम (3) के अधीन समपहत नहीं किया गया है तो वह यथास्थिति अभ्यर्थी को या उस व्यक्ति को, जिसने

कि उसकी ओर से उसे जमा किया हो, नियम 54 के अनुसार निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन के भीतर लौटा दिया जाएगा।

- (5) उपनियम (4) के अधीन किसी व्यक्ति को लौटाए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वैध प्रतिनिधि को लौटाया जाएगा।
- (6) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् एक आदेश पारित करेगा कि क्या उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप वापिस किया जाएगा या समपहृत किया जाएगा। संबंधित जल उपभोक्ता संस्था का सक्षम प्राधिकारी, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप किया है या उसके वैध प्रतिनिधि को प्रतिभूति निक्षेप लौटा देगा, यदि ऐसा प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदेय है, उप नियम (2) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण की दशा में, निर्वाचन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप जमा किया है ऐसे समपहरण के लिए कारणों को देते हुए एक आदेश संसूचित करेगा।
- (7) यथास्थिति, जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/परियोजना समिति में जमा निर्वाचन प्रतिभूति निक्षेप, आक्षेप फीस आदि के मुद्दे प्राप्त की गई रकमों, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों में उपबंधित किसी कारण के लिए संबंधित व्यक्ति को किए गए किन्हीं प्रतिदायों की कटौती करने के पश्चात् सरकारी खाते में विप्रेषित की जाएगी।

18. नामनिर्देशनों का प्रकाशन .- उक्त प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख पर, नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट समय का अवसान होने के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, प्राप्त किए गए समस्त नामनिर्देशनों की एक सूची, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 4 में, जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 21 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 30 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप-39 में हिन्दी भाषा में उसके कार्यालय में एक सूचना सहित प्रकाशित करेगा कि विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर नामनिर्देशन पत्र जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे।

19. नामनिर्देशन-पत्रों की जांच.- (1) नामनिर्देशन की जांच के लिए नियत की गई तारीख पर अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा कि नियम 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित हो सकेगा। कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होने के लिए हकदार नहीं होगा। तथापि निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्तियों को उसकी सहायता करने के लिए प्रवेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे। निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की जांच करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी तब नामनिर्देश-पत्रों की जांच करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों पर जो कि किसी नाम निर्देशन पर की जाए विनिश्चय करेगा और या तो ऐसी

आपत्ति पर या स्व-प्रेरणा से संक्षिप्त जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) कि अभ्यर्थी, अधिनियम की धारा 14 के अधीन, यथास्थिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित हैं; या
- (ख) कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या दोनों के नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं या है; या
- (ग) कि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक नियम 15 या 17 के किन्हीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है; या
- (घ) कि नामनिर्देशन-पत्र में अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप सही नहीं है :

परन्तु निर्वाचन अधिकारी लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि या ऐसी कमी, जो सारवान स्वरूप की नहीं है के आधार पर नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकार नहीं करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए उसके कारणों का एक संक्षिप्त वितरण लेखबद्ध करेगा। जांच, यथा समय नियम, 18 के अधीन इस निमित्त नियत की गई तारीख को पूर्ण की जाएगी और कार्यवाहियों का कोई भी स्थगन किसी अभ्यर्थी को उसकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध उद्भूत किए गए प्रतिविरोध का खण्डन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के सिवाय सामान्यतया अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए यथास्थिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/ जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति में प्रवृत्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति का तब तक एक निर्वाचक है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह अधिनियम में उल्लिखित किसी निरर्हता के अध्यधीन है।

(5) समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की जांच और उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित विनिश्चय को अभिलिखित करने के अव्यवहित पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची, यथास्थिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 5 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 22 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 31 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 40 में अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा।

20. अभ्यर्थिता वापस लेना.— (1) कोई भी अभ्यर्थी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्ररूप 6 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 23 में, वितरिका समिति के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 32 में और परियोजना समिति के सभापति (चैयरपर्सन) के लिए प्ररूप 41 में स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा और ऐसी सूचना ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, उसके नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में नामनिर्देशनों की जांच के लिए नियत किए गए दिन के उत्तरवर्ती तीसरे दिन अपराह्न 3 बजे तक और जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति और परियोजना समिति के मामले में उसी तारीख को अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 1.30 बजे के मध्य किसी भी समय, न कि उसके पश्चात्, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो, निर्वाचन अधिकारी को परिदत्त करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा। निर्वाचन अधिकारी वापसी की सूचना और उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान की विशुद्धता के बारे में स्वयं का समाधान होने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 6 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष हेतु प्ररूप 23 में, वितरिका समिति सभापति (चैयरपर्सन) के लिए प्ररूप 32 में, परियोजना समिति के लिए प्ररूप 41 में, उपबंधित किए गए अनुसार उसके लिए रसीद देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन वापसी की सूचना प्राप्त होने पर यथाशक्य शीघ्र, यथास्थिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 7 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिये प्ररूप 24 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 33 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 42 में वापसी की सूचना प्रकाशित करवाएगा।

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापिस ले ली है, उसी निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी के रूप में वापसी को रद्द करने या पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

21. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.— (1) निर्वाचन अधिकारी, नामनिर्देशनों की जांच के दो दिन पश्चात्, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 8 में, और उसी दिन जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 25 में वितरिका समिति के लिये प्ररूप 34 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 43 में हिन्दी भाषा में ऐसे व्यक्तियों की, जिनके नामनिर्देशन अस्वीकृत नहीं किये गये हैं और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं ली है एक सूची तैयार करेगा और उसके कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा।

(2) सूची में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में वर्णक्रम के अंतर्विष्ट होंगे और उन्हें उनके नामनिर्देशन पत्र के अनुसार किया जाएगा और यदि मतदान आवश्यक पाया गया तो उसमें उप नियम (3) के अधीन उन्हें आवंटित सुभिन्न चिन्ह भी विनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) यदि मतदान आवश्यक समझा जाए तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं, एक सुभिन्न चिन्ह न्यस्त करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां कोई चिन्ह उपनियम (3) के अधीन अभ्यर्थी को न्यस्त किया जाए, वहां ऐसे अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्वाचन अधिकारी

द्वारा ऐसे न्यस्त किये गये चिन्ह से संबंधित सूचना तत्काल दी जाएगी और उसका प्रतिरूप (स्पेसीमेन) प्रदान किया जाएगा

22. निर्विरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा — (1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा।

(2) यदि विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट एक ही अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थी को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 9 में, जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 27 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 36 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 45 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

23. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु.— यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान होने पर, मतदान प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारंभ की जाएंगी, मानो कि नया निर्वाचन हो :

परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में कोई नया नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो कि मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट रहा था:

परन्तु यह और भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने के पूर्व नियम 20 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना दे दी है, ऐसे प्रत्यादिष्ट होने के पश्चात् निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये अपात्र होगा।

24. अभिकर्ताओं की नियुक्ति.— (1) (क) किसी जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद के किसी निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी, किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में उसे दो प्रतियों में निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करते हुये दी जायेगी जो नियुक्ति में उसके अनुमोदन के प्रमाण स्वरूप उसकी एक प्रति पर अपनी मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर करके एक प्रति निर्वाचन अभिकर्ता को वापस करेगा।

(ख) निर्वाचन अभिकर्ता, निर्वाचन से संबंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा, जैसा कि इन नियमों के द्वारा या उसके अधीन एक निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने के लिये प्राधिकृत हों।

(2) (क) ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में एक अभिकर्ता और एक रिलीफ अभिकर्ता होगा।

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 11 में की जायेगी और मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने के लिये मतदान अभिकर्ता को सौंपी जायेगी।

(ग) किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने उप नियम (2) के अधीन उसकी नियुक्ति का दस्तावेज सम्यक् रूप से पूर्ण करते हुए और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करके, पीठासीन अधिकारी को परिदत्त न कर दिया हो।

(घ) कोई मतदान अभिकर्ता, मतदान से संबंधित से कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत हों।

(3) (क) प्रत्येक अभ्यर्थी मतगणना के लिये नियत स्थान या स्थानों पर उतनी संख्या में मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा जो कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 में दो प्रतियों में की जायेगी जिसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना अभिकर्ता को, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मतगणना के लिये नियत किये गये समय के एक घण्टे अपश्चात् उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) मतगणना अभिकर्ता, मतों की गणना के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा उनके अधीन प्राधिकृत किए जाएं।

(4) (क) प्रत्येक निर्वाचन में, जहां कि मतदान हो, ऐसे निर्वाचन में निर्वाचन लड़नेवाला प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(ख) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी स्वयं या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसा कोई कार्य या बात कर सकेगा जो कि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता, यदि नियुक्त किया जाता तो इन नियमों द्वारा या उनके अधीन करने के लिये प्राधिकृत होता, या वह कोई ऐसा कार्य या बात करने में किसी मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सहायता कर सकेगा।

(5) जहां कोई कार्य या बात, मतदान या मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किये जाने के लिए इन नियमों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है तो इस प्रयोजन के लिये नियत किये गये समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति, यदि कार्य या बात सम्यक् रूप से अन्यथा कर दी गई है, किये गये कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं करेगी।

25. मतदान.— (1) यदि मतदान किया जाना हो तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक पीठासीन अधिकारियों को तुरन्त नियुक्त करेगा और उनकी सेवाओं के लिये सरकार द्वारा नियत किये गये पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगा। निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के लिये इतनी संख्या में मतदान अधिकारी की व्यवस्था करेगा जितने कि आवश्यक हों, और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचकों की पहचान करने के लिये पीठासीन अधिकारी की सहायता करने हेतु एक या अधिक पहचान अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी यह देखेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से संचालित हों और उस उद्देश्य के लिये एक समय में प्रवेश दिये जाने के लिये निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करने के लिये मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखेगा और –

- (क) अभ्यर्थियों और मतदान प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में नियुक्त किया गया एक मतदान अभिकर्ता,
- (ख) कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस या अन्य लोक सेवक,
- (ग) मतदान अधिकारी और ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश दें,
- (घ) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
- (ङ) निर्वाचक के साथ उसकी गोद में का बालक, और
- (च) ऐसा व्यक्ति जो किसी दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथ है जो कि बिना सहायता के नहीं चल सकता, को छोड़कर समस्त व्यक्ति अपवर्जित रहेंगे।

(3) जहां कोई महिला निर्वाचक परदा करने के कारण, उप नियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये पहचान अधिकारी द्वारा पहचानी न जा सके तो उससे अपने किसी निकटतम नातेदारों द्वारा पहचाने जाने की अपेक्षा तब तक की जा सकेगी, जब तक कि वह अपनी पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी का अन्यथा समाधान नहीं कर देती है।

स्पष्टीकरण – यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति इस उप नियम के अर्थ के अंतर्गत निकटतम नातेदार है या नहीं तो इसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

26. मताधिकार :- समस्त निर्वाचक, नियमों के अधीन उपलब्ध कराये गये मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगे।

27. मतदान केन्द्र की व्यवस्था :- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे :-

- (क) मतदान क्षेत्र सुसंगत मतदाता सूची में उन निर्वाचकों का अनुक्रमांक, जो मतदान केन्द्र पर, मतदान के हकदार हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो इस प्रकार हकदार मतदाताओं का विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना :
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, उनके, अनुक्रमांक और उन्हें दिये गये चिन्ह; और
- (ग) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक प्रकोष्ठ अन्तर्विष्ट होंगे जिसमें निर्वाचक मतदान करेंगे।

टिप्पणी : मतदान केन्द्र में संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मतदाताओं को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था होनी चाहिए :

(2) जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाच क्षेत्र के सदस्यों के लिए मतदान बूथ पर एक मतपेटी होगी।

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचक नामावली या उसके ऐसे भाग की प्रतियों के साथ जिनमें मतदान के हकदार निर्वाचकों के नाम अन्तर्विष्ट हों पर्याप्त संख्या में मतपेटियाँ और ऐसे अन्य कागज तथा मतपत्रों पर चिन्ह लगाने हेतु निर्वाचकों के लिये आवश्यक वस्तुएं, स्टेशनरी और प्ररूप, जो आवश्यक समझे जाएं, उपलब्ध करायेगा।

28. मतपेटियों का तैयार किया जाना.— (1) जहां मतपेटी सुरक्षित रखे जाने के लिये पेपर सील का उपयोग किया जाता हो, वहां पीठासीन अधिकारी, पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं के, जो कि उस पर हस्ताक्षर करने की वांछा करें, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् मतपेटी में उसके लिये नियत स्थान में इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील चिपकायेगा और तब सुनिश्चित करेगा और ऐसी रीति में पेटी को सुरक्षित करके सील करेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये स्थान खुला हो।

(3) किसी मतपेटी को सुरक्षित रखने के लिये उपयोग में लाई गई सील ऐसी रीति में लगाई जायेगी कि पेटी बंद हो जाने के पश्चात बिना सील तोड़े उसका खोला जाना संभव नहीं हो।

(4) जहां पेपर सील का उपयोग मतपेटी सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक नहीं है, वहां पीठासीन अधिकारी ऐसी रीति में मतपेटी सील कर सुनिश्चित करेगा कि उसमें मत डालने के लिये स्थान खुला हो और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो उन्हें सील लगाने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(5) किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग की गई प्रत्येक मतपेटी के भीतर तथा बाहर दोनों तरफ लेबिल के साथ निम्नलिखित चिन्हित होगा :

(क) मतदान केन्द्र का वर्णन,

(ख) मतपेटी का अनुक्रमांक (केवल मतपेटी के बाहरी तरफ लेबिल पर मतपत्र के एक ओर भरा जायेगा), और

(ग) मतदान की तारीख,

(6) पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतपेटी खाली है और उपनियम (5) में निर्दिष्ट लेबिल है।

(7) मतपेटी तब बन्द की जाएगी, सील की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं की नजर में रखी जाएगी।

(8) पीठासन अधिकारी, मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मतदान अभिकर्ता तथा उपस्थित अन्य को मतदान के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली मतदाता सूची की यथा स्थिति चिह्नित प्रति या चिन्हित प्रतियां प्रदर्शित करेगा।

29. मतपत्र का प्ररूप.— (1) प्रत्येक मतपत्र उससे संलग्न प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) के साथ होगा और उक्त मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, निर्देश दें।

(2) प्रत्येक मतपत्र किसी निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व :—

(क) मुद्रांकित होगा और उसके पीछे ऐसे ब्यौरे लिखे होंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ख) मतदान केन्द्र का नाम तथा क्रमांक,

(ग) जल उपभोक्ता संस्था का नाम, ... एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

(घ) पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पीछे पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे।

30. मतपत्र का जारी किया जाना.— (1) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी किया जाता है उसके अव्यवहित पूर्व पीठासीन अधिकारी, —

(क) मतदाता सूची में यथा कथित रूप से निर्वाचक का क्रमांक, नाम तथा विवरण आहूत करेगा, और

(ख) उसके प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की मतदाता सूची का क्रमांक रिकार्ड करेगा तथा उक्त प्रतिपर्ण पर उक्त निर्वाचक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा या अंगूठे का निशान लगवाएगा:

परन्तु कोई मतपत्र निर्वाचक को तब तक परिदत्त नहीं किया जायेगा तब तक कि वह उक्त मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है या अंगूठे का निशान नहीं लगा देता है।

(2) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी प्रत्येक मामले में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के नीचे लाइन खींचेगा तथा जहां निर्वाचक कोई महिला वहां महिला निर्वाचक के नाम के बांये हाथ की तरफ भी सही (✓) का निशान लगायेगा।

(3) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसके बाएं हाथ की तर्जनी (फोर फिंगर) की त्वचा और नाखून की जड़ के बीच के कोर पर अलोप्य स्याही से चिन्ह लगायेगा।

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक को जारी किये गये मतपत्रों का अनुक्रमांक नोट नहीं करेगा।

31. निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना तथा मतदान की प्रक्रिया.— (1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 30 के अधीन या इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन मतपत्र जारी किया जाता है, मतदान केन्द्र के भीतर गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिये इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा—

(2) निर्वाचक यथास्थिति मतपत्र को प्राप्त कर, शीघ्र —

(क) मतदान प्रकोष्ठ में जायेगा,

(ख) मत पत्र पर उक्त प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये साधन से अभ्यर्थी को जिसको कि वह मत देने का आशय रखता हो, आवंटित चिन्ह पर या उसके पास निशान अंकित करेगा,

(ग) मतपत्र या मतपत्रों को पहले खड़ा और उसके बाद आड़ा इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त बना रहे,

(घ) मुड़ा हुआ मतपत्र विनिर्दिष्ट मतपेटी में डालेगा, और

(ङ) दिये गये निकास द्वारा मतदान केन्द्र छोड़ेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी असम्यक विलम्ब के मत डालेगा।

(4) किसी भी निर्वाचक को मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश की अनुज्ञा नहीं होगी जबकि कोई दूसरा निर्वाचक उसके भीतर हों।

(5) यदि ऐसा निर्वाचक जिसको मतपत्र जारी किया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी इंकार करता है तो उसे जारी किया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके निर्देश के अधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) पीठासीन अधिकारी मतपत्र वापस लेने के पश्चात् उसके पीछे शब्द “रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित” को अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे समस्त मतपत्रों को एक पृथक् लिफाफे में रखा जायेगा जिसके ऊपर शब्द “मतपत्र—मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित” अंकित रहेंगे।

(7) किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिये ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन ऐसा मतपत्र वापस लिया गया है दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत की, यदि कोई हो, गणना नहीं की जाएगी।

32. दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाता.— (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धत्व या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र पर चिन्ह पहचानने तथा उस पर निशान लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक की इच्छानुसार मतपत्र पर उसका मत रिकार्ड करेगा, उसे इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त रहे और मतपेटी में उसे डालेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन कार्य करते समय गोपनीयता का पालन करेगा और प्रत्येक ऐसे दृष्टांतों का संक्षिप्त रिकार्ड रखेगा किन्तु उस रीति को जिसमें कोई मत दिया गया इसमें उपदर्शित नहीं किया जायेगा।

33. महिला निर्वाचकों को सुविधाएं.— महिला निर्वाचकों को संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार विशेष सुविधाएं दी जा सकेंगी।

34. निर्वाचकों की पहचान.— जब कोई व्यक्ति स्वयं मतदान के लिये उपस्थित होता है और उसे मतपत्र प्रदान किये जाने से पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी स्वप्रेरणा से और यदि किसी अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित में से या तो एक या दोनों प्रश्न कर सकेगा :—

(एक) क्या आप निम्नलिखित रूप में नामांकित व्यक्ति हैं (नामावली से समस्त प्रविष्टि पढ़कर).

(दो) क्या आपने वर्तमान निर्वाचन में इस मतदान केन्द्र पर या किसी अन्य मतदान केन्द्र पर पूर्व में मतदान किया है ? और व्यक्ति को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह उससे पूछे गये प्रश्न या प्रश्नों के बिना शर्त उत्तर, ऐसे प्रश्नों में से प्रथम सकारात्मक और द्वितीय नकारात्मक में नहीं दे देता। इसमें उल्लिखित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में पाया जाता है, मतपत्र दिये जाने हेतु हकदार होगा।

35. निविदत्त मत — (1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट मतदाता दर्शाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसे मतदाता के रूप में पूर्व में ही मतदान कर लिये जाने के पश्चात् मतपत्र के लिये आवेदन करता है तो वह अपनी पहचान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर, जैसा कि पीठासीन अधिकारी पूछे, निम्नलिखित उपबंध के अधीन रहते हुए मतपत्र को (इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट" है) उसी रीति में, जैसा कि कोई अन्य मतदाता चिन्हित करें, चिन्हित करने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किया जाने के पूर्व प्ररूप 13 में की सूची में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा।

(3) निविदत्त मतपत्र मतदान में उपयोग में लाए गए, मतपत्र के समान होगा, सिवाय इसके कि यह :—

(क) मतदान केन्द्रों में उपयोग के लिए जारी किए गए मतपत्रों के बंडल के नीचे से उत्तरोत्तर मामलों में क्रमवार लिया जाएगा ; और

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के हाथ से तथा अपने हस्ताक्षर से शब्द "निविदत्त मतपत्र" सहित उसके पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा।

(4) निर्वाचक, मतदान प्रकोष्ठ में निविदत्त मतपत्र देने के पश्चात् और उसके मोड़कर मतपेटी में डालने के स्थान पर पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशिष्टतया रखे गए एक लिफाफे में रखेगा।

36. पहचान को चुनौती.— (1) कोई भी मतदान अभिकर्ता, कोई विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान को चुनौती, पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक ऐसी चुनौती के लिये दस रुपये की राशि नकद में पहले जमा करने पर दे सकेगा।

(2) इस प्रकार जमा किये जाने पर पीठासीन अधिकारी :—

(क) चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण की शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) मतदाता सूची में सुसंगत प्रविष्टि पूर्णतः पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ही है ;

(ग) प्ररूप 14 में आपत्ति किये गये मतों की सूची में उसके नाम तथा पते की प्रविष्टि करेगा; और

(घ) उससे अपेक्षा करेगा कि वह उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करे या अंगूठे का निशान लगाए।

(3) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् चुनौती के बारे में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिये :—

(क) चुनौती के सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु चुनौतीकर्ता और उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान के सबूत की साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा :

(ख) उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन हेतु कोई भी आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा तथा शपथ पर उसके उत्तर की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) चुनौतीकर्ता तथा किसी अन्य व्यक्ति को, जो साक्ष्य देना चाहता हो, शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी यह समझता है कि चुनौती संस्थित नहीं हुई है तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मत देने के लिये अनुज्ञात

करेगा तथा यदि वह समझता है कि चुनौती सुस्थित हो चुकी है, तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मतदान करने से वंचित कर देगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावनापूर्ण नहीं दी गई है तो वह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप, सरकार को समपहत हो जायेगा और किसी अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे चुनौतीकर्ता को वापस कर देगा।

37. प्रतिरूपण के विरुद्ध संरक्षण.— (1) प्रत्येक निर्वाचक जिसकी पहचान के बारे में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसकी बांयी तर्जनी का निरीक्षण किये जाने की तथा अलोप्य स्याही से उस पर निशान लगाए जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) किसी निर्वाचक की बांयी तर्जनी के संबंध में इस नियम में किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि जहां निर्वाचक की बांयी तर्जनी नहीं है वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी अन्य उंगली से ही और ऐसे मामले में, जहां उसके दोनों हाथों की उंगलियां नहीं हैं वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसकी बांयी या दाईं भुजा से, जो भी वह रखता हो, है।

(3) पीठासीन अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मतदान करने के लिये मतपत्र देने से इंकार कर दें, यदि मतपत्र के लिये आवेदन करते समय ऐसे व्यक्ति को उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अलोप्य स्याही का निशान पूर्व से ही लगा है।

38. खराब तथा वापिस किया गया मतपत्र — (1) ऐसा निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र के प्रति आवश्यकता की है, पीठासीन अधिकारी को अपना मतपत्र परिदत्त करने पर और उसकी अनवधानता से उसका समाधान हो जाने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकेगा और इस प्रकार वापस किये गये मतपत्र तथा ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा "खराब रद्द किया गया" चिन्हित किया जायेगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् विनिश्चय करता है कि उसका उपयोग नहीं करना है तो वह पीठासीन अधिकारी को उसे वापस कर देगा और इस प्रकार वापस किया हुआ मतपत्र तथा मतपत्र का प्रतिपर्ण, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा "वापस किया गया रद्द किया गया" चिन्हित किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) तथा उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त मतपत्र, एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे।

39. मतदान बंद किया जाना और मतदान के पश्चात् मतपेटियों और लिफाफों को सील करना.— (1) पीठासीन अधिकारी, नियम 11 के उपनियम (5) के खण्ड (ड.) के अधीन मतदान बन्द करने के लिये नियत किये गये समय पर मतदान को बन्द कर देगा और उसके पश्चात् मतदान केन्द्र में किसी भी निर्वाचक को प्रवेश नहीं देगा :

परन्तु मतदान बन्द होने के पूर्व उपस्थित समस्त निर्वाचकों को मत देने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई निर्वाचक मतदान बन्द होने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित था तो यह पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, मतदान के बन्द होने के पश्चात् मतपेटी के दीर्घ (स्लिट) को बन्द करेगा और जहां मतपेटी में दीर्घ छिद्र को बन्द करने के लिये कोई यांत्रिकी युक्ति नहीं है तो वह दीर्घ छिद्र को सील करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को अपनी मुद्रा लगाने के लिये अनुज्ञान करेगा। उसके पश्चात् मतपेटी को सील बन्द किया जायेगा तथा उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

(4) जहां प्रथम मतपेटी पूरी भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग किया जाना आवश्यक हो तो दूसरी मतपेटी का उपयोग करने से पूर्व प्रथम पेटी बन्द की जायेगी, उसे सील किया जायेगा और उसे सुरक्षित रखा जायेगा जैसा कि उप नियम (3) में यथा उपबंधित हैं

(5) इस नियम के पूर्वगामी उपबंध किसी मतदान केन्द्र के ऐसे पीठासीन अधिकारी को लागू नहीं होंगे जिसको संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी ने निर्देश जारी कर उपनियम (6) के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये हैं।

(6) किसी ऐसे मतदान केन्द्र में, जैसा कि उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये, पीठासीन अधिकारी, मतदान बन्द होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र —

(क) उस मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों में के समस्त मतपत्रों को, उनकी जांच या उसकी गणना किये बिना तथा मतपत्र की गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखते हुये उपस्थित मतदान अभिकर्ता को यह प्रदर्शित करने के पश्चात् कि थैला या लिफाफा (कवर) खाली है, कपड़े के थैले या क्लार्क लाइन कवर में अंतरित करेगा; और

(ख) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को, प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने हेतु तथा उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिये वह खाली रखी गई है, अनुज्ञात करेगा।

(7) उपस्थित मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान बन्द होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निम्न को पृथक् पैकेटों में रखेगा और अपनी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा सहित, जैसा कि उनकी मुद्रा लगाने के लिये विनिश्चय किया जाए, सील करेगा :

(एक) निविदत्त मतपत्र,

(दो) बिना उपयोग किये मतपत्र,

(तीन) खराब तथा वापस किये गये मतपत्र,

- (चार) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति,
- (पांच) निविदत्त मतदाताओं की सूची,
- (छह) नियम 36 के उपनियम (2) में उल्लिखित विवरण या विवरणों सहित उन मतों की सूची, जिनके संबंध में चुनौती दी गई है,
- (सात) उपयोग किये गये मतपत्रों के प्रतिपर्ण, और
- (आठ) नियम 31 के अधीन मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किये गये मतपत्र।

(8) प्रत्येक पेकेट को क्रमांकित किया जाएगा तथा उसमें उसकी विषय वस्तु, निर्वाचन तथा मतदान केन्द्रों के विवरण की बाबत एक टिप्पण होगा। जहां मतदान केन्द्र पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है, वहां पीठासीन अधिकारी प्ररूप 15 में विवरण सहित "निरंक" रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

40. मतपत्रों, मतपेटियों, पैकेटों आदि का लेखा.— (1) पैकेटों के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपेटियों में मतपत्रों तथा अप्रयुक्त, खराब, वापिस किये गये तथा निविदत्त मतपत्रों की संख्या दर्शाते हुए प्ररूप 15 में दिया गया एक पृथक् विवरण संलग्न होगा। पीठासीन अधिकारी तब निर्वाचन अधिकारी को ऐसे स्थान पर निम्नलिखित परिदत्त करेगा या करवाएगा, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें :

- (क) मतपेटियां या यथास्थिति, नियम 37 में निर्दिष्ट थैलियां (बैग्स) या लिफाफें,
- (ख) मतपत्रों का लेख या लेखे,
- (ग) नियम 37 में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट या सीलबन्द पैकेटों के सेट, और
- (घ) मतदान में उपयोग में लाये गये समस्त अन्य कागज-पत्र।

(2) निर्वाचन अधिकारी, समस्त मतपेटियों, पैकेट तथा अन्य कागज-पत्र के सुरक्षित परिवहन के लिये यथोचित इन्तजाम करेगा और उनको तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जब तक कि मतों की गिनती शुरू नहीं हो जाती है।

41. मतपेटियों को खोलने की जांच तथा मतों की गणना — (1) (क) मतगणना, इस निमित्त नियम किये गये दिन तथा स्थान और समय पर शुरू की जायेगी।

(ख) निर्वाचन अधिकारी, मतदान के लिये नियत की गई तारीख के कम से कम तीन दिन पूर्व या तारीखों के प्रथम दिन, स्थान या स्थानों, जहां कि मतों की गिनती होनी है और वह तारीख तथा समय, जिसको गणना शुरू होगी, तथा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में उसकी सूचना देगा :

परन्तु यदि निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से यह पाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस प्रकार तारीख, समय तथा स्थान या स्थानों या उनमें से किसी को, प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को इसकी लिखित सूचना देकर परिवर्तित कर सकेगा।

(ग) मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी ऐसी संख्या में गणना सहायकों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह मतों की गणना करने में अपनी सहायता के लिये आवश्यक समझे;

(घ) सिवाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में उसकी सहायता के लिये नियुक्त किया है प्रत्येक अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि को, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया है उपस्थित होने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया है या कोई भी व्यक्ति, जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन से सम्बद्ध है मतों की गणना में सहायता के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) (क) निर्वाचन अधिकारी, एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग की गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोल सकेगा या खुलवायेगा तथा ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और प्ररूप 15 में मतपत्र के भाग दो में लेखा अभिलिखित करेगा।

(ख) यथापूर्वोक्त अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और प्ररूप 15 के भाग एक की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की कुल संख्या में से उसकी मद 4 में यथादर्शित रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या और उसकी मद 5 में यथादर्शित पत्रों की संख्या घटाकर आई संख्या के बीच के फर्क यदि कोई हो को भी प्ररूप 15 के भाग 2 में अभिलिखित किया जायेगा।

(ग) मतगणना के लिये किसी मतपेटी को खोलने से पूर्व, वहां उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को पेपर सील या ऐसी अन्य सील का जो उस पर लगी हो तथा उनका समाधान करने के लिए कि मतपेटी, जैसी की तैसी दशा में है, निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) निर्वाचन अधिकारी इस बात से स्वयं का समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटी के साथ किसी भी प्रकार से वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

(ङ.) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ हुई है तो वह उस मतपेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा तथा उस मतदान केन्द्र के संबंध में नियम 46 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, यथासाध्य मतों की गणना निरंतर चालू रखेगा तथा किन्हीं आवश्यक अन्तरालों के दौरान, जिनके दौरान मतगणना स्थगित की जाए, निर्वाचन से

संबंधित मतपत्रों, पैकेटों तथा अन्य दस्तावेजों को, उसकी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा, जैसी कि उन पर लगाने की वांछा की जाए, के अधीन रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी रखवाएगा।

42. गणना के लिये नियत स्थान पर प्रवेश.— पीठासीन अधिकारी मतगणना के नियत स्थान पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश अपवर्जित करेगा —

- (क) ऐसे व्यक्ति जो गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों के रूप में ज्ञात हों, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिये नियुक्त करें;
- (ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- (ग) निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक; और
- (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधि जिसे अभ्यर्थियों द्वारा लिखित में गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो।

43. मतपत्रों का रद्द किया जाना — (1) ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के, यदि कोई हों, अध्वधीन रहते हुए जैसे कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्रवार की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपत्र को रद्द कर देगा —

- (क) यदि उस पर कोई चिन्ह या लिखावट है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके; या
- (ख) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं है जिससे मत उपदर्शित हो, उस पर और कहीं चिन्ह लगा है या मतपत्र में स्पष्टतः अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी के चिन्ह के पास या इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से कोई चिन्ह लगा है ; या
- (ग) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया गया है ; या
- (घ) यदि उस पर मत उपदर्शित करते हुए कोई निशान ऐसी रीति में दिया गया है जो यह शंकास्पद बनाता हो कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है ; या
- (ङ.) यदि वह एक नकली मतपत्र है ; या
- (च) यदि वह ऐसा क्षतिग्रस्त या बिगड़े स्वरूप में है जिससे वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न की जा सके ; या
- (छ) यदि उसका अनुक्रमांक या उसकी डिजाइन, यथास्थिति, उस मतपत्र के अनुक्रमांक या डिजाइन से भिन्न है जो विशिष्ट मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिये प्राधिकृत किया गया है ; या

- (ज) यदि उस पर दोनों सुभेदक चिन्ह नहीं है तथा हस्ताक्षर, नहीं है जो नियम 29 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए :

परन्तु जहां निर्वाचन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित कोई ऐसी त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की गलती या असफलता के कारण हुई है, जो मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के कारण निरस्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि मतपत्र केवल ऐसे आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि मत उपदर्शित करता हुआ निशान अस्पष्ट या एक से अधिकवार लगाया गया है, यदि उस तरीके से, जिससे मतपत्र पर निशान लगाया गया है, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मत दिया गया है।

- (3) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतपत्र को निरस्त करने से पूर्व उपस्थित प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को मतपत्र का निरीक्षण करने हेतु युक्ति-युक्त अवसर अनुज्ञात करेगा, किन्तु उसको इसे या अन्य मतपत्र का प्रयोग करने को अनुज्ञात नहीं करेगा।

- (4) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतपत्र पर जिसको वह निरस्त करता है, शब्द "निरस्त" तथा निरस्त करने का आधार संक्षिप्त रूप में या तो स्वयं के हाथ से या रबर स्टाम्प द्वारा प्रष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा।

- (5) इन नियम के अधीन निरस्त किए गए समस्त मतपत्र एक साथ बांधें जायेंगे।

- (6) प्रत्येक मतपत्र की गणना जो इस नियम के अधीन निरस्त नहीं किए गए हैं, एक अधिमान्य मत के रूप में की जाएगी :

परन्तु ऐसे कवर, जिनमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट हों, खोले नहीं जाएंगे और किसी ऐसे मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

- (7) किसी जल उपभोक्ता संस्था में उपयोग की गई समस्त मतपेटियों में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों की गणना पूर्ण होने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम-पत्रक (रिजल्ट शीट) में प्रविष्टियां करेगा तथा विशिष्टियों की उद्घोषणा करेगा।

- (8) मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय केवल जांच के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

44. मतों की पुनर्गणना.— (1) नियम 43 के उपनियम (7) के अधीन की गई ऐसी उद्घोषणा के बाद, कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता, निर्वाचन अधिकारी को मतों की या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना करने के लिए उन आधारों को कथित करते हुए जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करे आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे आवेदन किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी, मामले को विनिश्चित करेगा तथा आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उसे पूर्णतः निरस्त कर सकेगा, यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता हो।

(3) उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा तथा उसके लिये कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यदि निर्वाचन अधिकारी, मतों की पुनर्गणना या तो पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात करने का उपनियम (2) के अधीन विनिश्चय करता है तो वह —

(क) नियम 42 तथा 43 के अनुसार पुनर्गणना के लिये इन्तजाम करेगा ;

(ख) ऐसी पुनर्गणना के बाद प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक में आवश्यक सीमा तक संशोधन करेगा ;

(ग) उसके द्वारा इस प्रकार किए गये संशोधनों की उद्घोषणा करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या की उद्घोषणा कर दिये जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक पूर्ण करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद और या द्वितीय पुनर्गणना के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किये जाएंगे।

45. मतों का बराबर होना.— यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर होना पाया जाता है तथा उनमें से कोई अभ्यर्थी एक मत की बढ़त से निर्वाचित घोषित हो सकता है, तो निर्वाचन अधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तुरंत विनिश्चय करेगा मानो कि जिसको लाट निकलता है उसने अतिरिक्त मत प्राप्त किया था।

46. मतों की गणना के समय विघ्न .— (1) यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पूर्व किसी समय किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर उपयोग किये गये मतपत्र, निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा से अविधिमान्यतः ले लिये जाएं या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिए जाए या खो जाएं अथवा इस सीमा तक क्षतिग्रस्त या बिगाड़ दिये जाएं कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके तो निर्वाचन अधिकारी मामले की रिपोर्ट संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल करेगा।

(2) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, समस्त तात्त्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् या तो, —

(क) मतों की गणना को रोकने का निदेश दे सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान कराने के लिए दिन तथा समय नियत कर सकेगा तथा इस प्रकार नियत तारीख और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे; या

(ख) यदि यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नवीन मतदान का परिणाम, किसी भी रीति में निर्वाचन को प्रभावित नहीं करेगा निर्वाचन अधिकारी का ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि निर्वाचन को फिर से चालू करने तथा पूर्ण करने के लिए और उस निर्वाचन के जिसके संबंध में मतों की गणना की गई है, आगे संचालन और पूर्ण करने के लिए समुचित समझे।

(3) इन नियमों तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्ध किसी तथा प्रत्येक ऐसे नए मतदान को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान को लागू होते हैं

47. उपयोग किये गये मत-पत्रों को सीलबन्द किया जाना.— प्रत्येक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्र तथा निरस्त मतपत्र उसके पश्चात् पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधे जाएंगे और अलग-अलग बांधे गए बंडल, पृथक्-पृथक् पैकेट में होंगे जो निर्वाचन अधिकारी की मुद्रा सहित सीलबन्द होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के, उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता चाहे तो उस पर उनकी मुद्रा लगा सकते हैं तथा इस प्रकार सीलबन्द पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित होंगी, अर्थात् —

(क) मतदान केन्द्र का क्रमांक, वार्ड का क्रमांक/जल उपभोक्ता संस्था/जनपद पंचायत का नाम ; तथा

(ख) मतगणना की तारीख।

48. मतपत्रों का कपड़े के थैलों (बैग) में अंतरण.— नियम 42, 43, तथा 47 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, मतपत्रों की गणना और उन मतों के संबंध में लागू होंगे जिनका नियम 39 के उपनियम (6) के अधीन मतपेटियों से कपड़े के थैलों में या क्लाय लाइन कवर में अन्तरण किया गया है :

परन्तु उक्त नियमों में मतपेटी के संबंध में प्रत्येक निदेश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे थैले या लिफाफे के प्रति संदर्भ है जिसमें मतपेटी की अंतरवस्तु अंतरित की गई है।

49. नए मतदान की दशा में मतों की गणना.— (1) यदि नियम 54 के उपनियम (7) के अधीन नया मतदान किया जाता है तो निर्वाचन अधिकारी, उस मतदान के पूर्ण होने के पश्चात्, ऐसी तारीख और समय तथा स्थान पर, जो कि उसके द्वारा इस निमित्त नियत किया गया है और जिसके लिये अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पूर्व में सूचना दे दी गई हो, मतों की गणना पुनः प्रारंभ करेगा।

(2) ऐसी और गणना में, जहां तक हो सके, नियम 40 और 47 के उपबन्ध लागू होंगे।

50. परिणाम की घोषणा.— (1) नियम 45 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए जहां तक वे किसी विशिष्ट मामले में लागू होते हो, निर्वाचन अधिकारी :—

- (क) प्ररूप 17 में ऐसे अभ्यर्थी की, जिसे कि सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त हों, (नियम 43 के अधीन निर्वाचित होना) घोषणा करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी और जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा; और
- (ख) प्ररूप 16 में निर्वाचन के परिणाम की प्रविष्टियां पूर्ण करेगा तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक (शीट) की प्रतियां, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को फीस का भुगतान करने पर, जो कि अन्य सरकारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रभारित की जाती है, प्रदाय की जाएंगी, प्ररूप 17 की प्रतियां भी प्रत्येक प्रति के लिए दस रुपये का भुगतान करने पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएंगी। जिला निर्वाचन प्राधिकारी या निर्वाचन अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर ऊपर निर्दिष्ट प्रमाणित प्रतियां जारी करेगा।

51. निर्वाचन प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना.— यथास्थिति, नियम 22 के अधीन या नियम 52 के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी यथाशक्यशीघ्र, ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप 18 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा तथा अभ्यर्थी से इसकी उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की हुई अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा और अभिस्वीकृति, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करते हुए जिला निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल भेजेगा।

52. परिणामों का प्रकाशन.— निर्वाचन अधिकारी, संबंधित जल उपभोक्ता संस्था के कार्यालय में सूचना पटल पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना सम्यक् रूप से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा।

53. मतपत्रों का निपटारा.— (1) संभागीय निर्वाचन अधिकारी, परिणामों की घोषणा के पश्चात्, विवरणी की एक प्रति संबंध सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उन मतपत्रों के, जिनकी गणना की हुई हो, जो निरस्त हों या निविदत्त हों, पैकेट सौंपेगा। यह पैकेट खोले नहीं जाएंगे और निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के सिवाय, उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण नहीं किया जाएगा या उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, पैकेट और मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां एक वर्ष के भीतर वापस करेगा और इसके पश्चात् जब तक कि निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये उन्हें नष्ट करवा देगा।

54. आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन.— (1) जहां किसी मतदान केन्द्र पर की कार्यवाहियां किसी बलवा अथवा खुली हिंसा या अन्य कारण से गंभीररूप से बाधित या अवरुद्ध हो या जहां बड़ी संख्या में निर्वाचक, किसी मतदान केन्द्र पर किसी दैवीय घटना, जैसे बाढ़ या अग्नि के कारण मतदान करने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ हों वहां पीठासीन अधिकारी, जिला

निर्वाचन प्राधिकारी के आदेशों की प्राप्ति के लंबित रहने तक मतदान रोकेंगा। इस तथ्य की सूचना कि मतदान इस प्रकार रोक दिया गया है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर उपस्थित व्यक्तियों को तुरंत दी जायेगी।

(2) जहां कोई पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान को रोकता है तो वह नियम 39 तथा 40 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा तथा परिस्थितियों की एक विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त भेजेगा जो उसे अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल अग्रेषित करेगा।

(3) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी उस पर यह आदेश करेगा कि –

(क) मतदान केन्द्र पर मतदान उतने घंटों के लिये चालू किया जाये जितने समय के लिए वह पूर्व अवसर पर नहीं हुआ था बशर्ते कि 50 प्रतिशत मतदाताओं से अधिक ने अपने मत न डाले हों ; या

(ख) पूर्व अवसर पर मतदान केन्द्र पर की गई मतदान की कार्यवाही को अनदेखा किया जाये और ऐसे मतदान केन्द्र पर उतने पूर्ण घंटों के लिये नया मतदान कराया जाये, जितना कि यह पूर्व अवसर पर किया गया होता ; और

(ग) इस उपनियम के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित किसी आदेश में, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी –

(एक) वह तारीख जिसको तथा वह समय, जिसके बीच, यथास्थिति, अनुवर्ती मतदान या नया मतदान किया जाएगा ; और

(दो) वह तारीख जिसको कि तथा वह स्थान और समय जिस पर कि नियम 49 के अधीन निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना प्रारम्भ करेगा ; और

(तीन) निर्वाचन अधिकारी द्वारा, खण्ड (एक) के अधीन मतदान की तारीख, स्थान तथा समय नियत करने की घोषणा का सम्बंधित मतदान क्षेत्र में व्यापक प्रचार, ऐसी रीति में, जैसा कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, किया जाएगा।

(5) (क) जहां कोई आदेश उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन मतदान के जारी रखने के लिये पारित किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी नियम 25 के उपनियम (1) के अधीन नई कार्यवाही करेगा तथा इस उपनियम के अधीन नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारी को, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त पैकेट वापस कर देगा।

(ख) पीठासीन अधिकारी, अनुवर्ती मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्तियों की उपस्थित में, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, पैकेट खोलेगा और उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में उसके लिए नियत किए गये समय पर ऐसा मतदान प्रारंभ करेगा।

(ग) अनुवर्ती (कंटीन्यूएशन) मतदान में पीठासीन अधिकारी केवल ऐसे निर्वाचकों को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा जिन्होंने पूर्व अवसर पर मतदान नहीं किया हो।

(घ) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे निर्वाचन में डाले गये मतों की गिनती तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अनुवर्ती मतदान या नया मतदान पूर्ण नहीं हो जाता।

(ङ) निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां कि अनुवर्ती मतदान होना है, सीलबन्द पैकेट, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति अन्तर्विष्ट हो, मतपेटी तथा ऐसी अन्य सामग्री, जो कि मतदान के लिये अपेक्षित हो, प्रदान करेगा।

(6) जहां उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन नया मतदान कराया जाने का कोई आदेश पारित किया जाता है वहां निर्वाचन अधिकारी, नियम 25 के उपनियम (1) के अधीन नए सिरे से कार्यवाही करेगा तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सभी दृष्टि से, संबंधित मतदान केन्द्रों पर इस प्रकार नया मतदान कराया जायेगा मानों कि ऐसे मतदान केन्द्र पर वह प्रथम बार कराया जा रहा हो।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम के अधीन आने वाले मामलों में कोई नया नामनिर्देशन नहीं होगा।

(7) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपनियम (3) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व या ऐसा आदेश जारी होने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु अनुवर्ती नया मतदान प्रारंभ होने के पूर्व यथास्थिति, किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य से स्वयं का समाधान हो जाने पर, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को उस तथ्य की सूचना देगा, निर्वाचन के संबंध में आगे की समस्त कार्यवाहियां रोक देगा और सभी दृष्टि से, निर्वाचन की ऐसी कार्यवाहियां नए सिरे से शुरू करेगा जैसी कि नए निर्वाचन के लिए की जाती है :

परन्तु उन शेष अभ्यर्थियों के मामले में, नए नामनिर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि मतदान रोके जाने के समय नामनिर्दिष्ट हो चुके थे।

55. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.— जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य या अध्यक्ष के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, इन नियमों तथा उनके अधीन किये गये आदेशों के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करके भरी जायेगी।

56. कतिपय मामलों में सरकार की शक्ति.— यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में, नियमों के अधीन की गई जांच से संसक्त से अन्यथा किसी भी निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में विवादों का विनिश्चय करने के लिए या अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह प्रश्न सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

57. कतिपय मामलों में तारीख आदि नियत करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति.— इन नियमों के पूर्ववर्ती उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार या संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विशिष्टतया किसी जल उपभोक्ता संथा के मामले में नामनिर्दिशेन फाइनल किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन संबंधी कार्यवाही या उससे संबंधित या उससे संबंधित

सभी या उसके किसी भी चरण के लिये इन नियमों द्वारा उनके अधीन विनिर्दिष्ट या नियत की गई तारीखों तथा कालावधि से भिन्न तारीखें नियत करने के लिये, सशक्त कर सकेगा।

अध्याय — चार

58. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों, के विशेष सम्मिलन में, अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में किया जाएगा, जिसका निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।

(2) जल उपभोक्ता संथा के सभी प्रादेशिक सदस्यों से मिलकर गठित होने वाली प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

(3) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कुल पचास प्रतिशत पद भर जाने की दशा में, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन अधिकारी द्वारा जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा।

(4) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के परिणामों की घोषणा के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित 7 दिन के भीतर, निर्वाचन के स्थान पर, नीचे यथाविहित रीति में उपस्थित होंगे :—

(क) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा उसे जनपद पंचायत के सूचना पटल पर निर्वाचन के लिए सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।

(ख) निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 19 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जाएगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में भेजी जाएगी।

(ग) निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा कराया जायेगा तथा एक दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :—

(एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति—पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक

(दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नाम निर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपराह्न 12.30 से अपराह्न 1.00 बजे तक

(तीन) नाम निर्देशनों की वापसी—अपराह्न 1.00 से अपराह्न 1.30 तक

(चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन—अपराह्न 2.00 बजे

(पांच) निर्वाचन की दशा में मतदान— अपराह्न 3.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक

(छह) मतगणना तथा परिणाम की घोषणा— मतदान के तत्काल बाद :

परंतु नाम निर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया नियम 15 से 21 के अनुसार होगी।

- (घ) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा। यदि केवल एक विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 27 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।
- (ङ) यदि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से कुछ सदस्य नियत समय में स्थल पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो भी अध्यक्ष के पदों का निर्वाचन उपस्थित सदस्यों द्वारा ही निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित किया जायेगा।
- (च) यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कोई भी सदस्य अपने निर्धारित समय पर नहीं आते हैं या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का केवल एक ही सदस्य आता है, तब निर्वाचन अधिकारी 30 मिनट तक उस स्थल पर इंतजार करेगा और इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष से पदों को अधिनियम की धारा 15 के अधीन आगामी निर्वाचन के होने तक आकस्मिक रिक्तियों के रूप में घोषित करेगा और प्ररूप 47 में अभिलिखित करेगा और इसे जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पद कुल पदों के पचास प्रतिशत से कम भरे जाते हैं तो इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।
- (छ) इस अवधि तक, आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाएंगी या यदि इस तरह की व्यवस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 34 के अनुसार जारी रखा जा सकेगा।
- (ज) यदि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य विशेष बैठक में उपस्थित होते हैं, परंतु निर्धारित समय में अध्यक्ष का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो उपखण्ड (च) के अधीन यथाउल्लिखित प्रक्रिया ही अनुसरण किया जाएगा।
- (5) निर्वाचन की दशा में मतपत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में, प्ररूप 26 में, हिन्दी भाषा में तैयार किये जायेंगे जो जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष पद के लिये तैयार किए जायेंगे तथा निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित किए गए अनुसार संचालित किया जाएगा।
- (6) मतदान की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिये गये मतों की गणना करने की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा

अभ्यर्थियों को प्ररूप 27 में निर्वाचित घोषित करेगा और अभ्यर्थी जिसने अध्यक्ष पद के लिये दिये गये मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त किये हैं, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करेगा।

(7) दो अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थित में लाट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(8) निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार पर अपने आद्यक्षर सहित अनुप्रमाणित कर हस्ताक्षर करेगा तथा कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहु संख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पटल पर भी एक सूचना अपने हस्ताक्षर से, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी दी जाएगी जो जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित हुआ है।

(9) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से नियम 58 के अधीन बुलाए गए विशेष सम्मिलन की तारीख में, परिवर्तन का समय-समय पर निदेश दे सकेगा तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय – पांच

59. वितरिका समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष का निर्वाचन, धारा 5 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।

60. प्रत्येक वितरिका समिति की एक प्रबंध समिति होगी जो उसके साधारण निकाय के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।

61. निर्वाचन कराया जाना.—

(1) वितरिका समिति के गठन के लिए एक विशेष बैठक में वितरिका समिति की पदावधि पूर्ण होने पर या रिक्तियों के, जो या तो मृत्यु, त्यागपत्र, वापस बुलाया जाना या अन्य कारणों से, होने पर निर्वाचन कराए जाएंगे।

(2) बैठक का कोरम नीचे वर्णित किए गए अनुसार होगा,—

- (क) वितरिका समिति के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कराए जाने के लिए कोई भी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि वितरिका समिति के कम से कम कुल सदस्यों के आधे सदस्य उपस्थित न हो जो कि निर्वाचन में मत देने के लिए अधिकृत हो ।

स्पष्टीकरण:—

- जहां वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या विषम अंकों में आती है, तो पचास प्रतिशत की गणना करने के लिए उस संख्या को अगली उच्चतर संख्या में परिवर्तित कर दिया जाए
- (ख) यदि वितरिका समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करने के लिए प्रथम विशेष बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य गण वितरिका समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो एक द्वितीय एवं अंतिम बैठक, पहली बैठक के दिनांक से स्पष्ट 5 दिन के समय के अंतराल के बाद के दिनांक पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) यदि द्वितीय एवं अंतिम बैठक आयोजित करने पर भी आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य गण वितरिका समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष के पद को अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्वाचन होने तक आकस्मिक रिक्त घोषित करेगा एवं प्ररूप 47 में दर्ज करेगा एवं उसे जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करेगा।
- (घ) ऐसे समय तक, आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाएं, या यदि ऐसी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान हैं, तो वे व्यवस्थाएं अधिनियम की धारा 34 के अनुसार निरंतर बनाये रखी जाएंगी।

62. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा उसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर, निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।

63. निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 19 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों को, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में भेजी जाएगी।

64. निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा कराया जायेगा तथा एक दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :

(एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति—पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक

(दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपराह्न 12.30 से अपराह्न 1.00 बजे तक

(तीन) नामनिर्देशनों की वापसी अपरान्ह 1.00 से अपरान्ह 1.30 तक

(चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 2.00 बजे

(पांच) निर्वाचन की दशा में मतदान अपरान्ह 3.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक

(छह) मतगणना तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद:

परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया नियम 15 से 21 के अनुसार होगी।

65. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जायेगा। यदि केवल एक ही विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 36 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

66. निर्वाचन की दशा में मतपत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में प्ररूप 35 में हिन्दी भाषा में तैयार किये जाएंगे जो अध्यक्ष के पद के लिये तैयार किए जाएंगे तथा निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित रूप से संचालित किया जाएगा।

67. मतदान की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिये गये मतों की गणना करने की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा अभ्यर्थी जिसने अध्यक्ष पद के लिए दिए गए मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, वितरिका समिति के अध्यक्ष के पद पर प्ररूप 36 में निर्वाचित घोषित करेगा।

68. दो अभ्यर्थियों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लाट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

69. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार को अपने आद्यक्षर सहित अनुप्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहु संख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर भी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन व्यक्ति का नाम कथित करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना भी प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी जो वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है दी जाएगी।

70. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से नियम 59 के अधीन बुलाए जाने वाले विशेष सम्मिलन की तारीख

में, परिवर्तन का समय-समय पर निदेश दे सकेगा तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय — छह

71. परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) का निर्वाचन.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट सभापति का निर्वाचन धारा 7 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में, अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में होगा। निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।

72. प्रत्येक परियोजना समिति की एक प्रबंध समिति होगी जो उसके साधारण निकाय के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।

73. निर्वाचन कराया जाना.—

- (1) परियोजना समिति के गठन के लिए एक विशेष बैठक में परियोजना समिति की पदावधि पूर्ण होने पर या रिक्तियों के जो या तो मृत्यु, त्यागपत्र, वापस बुलाया जाना या अन्य कारणों से होने पर निर्वाचन कराए जाएंगे।
- (2) बैठक का कोरम नीचे वर्णित किए गए अनुसार होगा:—
 - (क) परियोजना समिति के सभापति पद के लिए निर्वाचन कराए जाने के लिए कोई भी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक की परियोजना समिति के कम से कम कुल सदस्यों के आधे सदस्य उपस्थित न हो जो कि निर्वाचन में मत देने के लिए अधिकृत हों।

स्पष्टीकरण:—

जहां परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या विषम अंको में आती है, तो पचास प्रतिशत की गणना करने के लिए उस संख्या को अगली उच्चतर संख्या में परिवर्तित की जाएगी।

- (ख) यदि परियोजना समिति के अध्यक्ष को निर्वाचन करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य परियोजना समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो एक द्वितीय एवं अंतिम बैठक, पहली बैठक के दिनांक से स्पष्ट 5 दिन के समय के अंतराल के बाद के दिनांक पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) यदि द्वितीय एवं अंतिम बैठक आयोजित करने पर भी आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य गण परियोजना समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष के पद को अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्वाचन होने तक आकस्मिक रिक्त घोषित करेगा एवं प्रपत्र 47 में दर्ज करेगा और उसे जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करेगा।

(घ) ऐसे समय तक, आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं या यदि ऐसी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान हैं, तो वे व्यवस्थाएं अधिनियम की धारा 34 के अनुसार निरंतर बनाये रखी जाएंगी।

74. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा इसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।

75. निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुये प्ररूप 37 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जाएगी और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में दी जाएगी।

76. निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा और एक ही दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :—

- (एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक
- (दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 12.30 से अपरान्ह 1.00 बजे तक
- (तीन) नामनिर्देशनों की वापसी अपरान्ह 1.00 से अपरान्ह 1.30 तक
- (चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 2.00 बजे
- (पांच) विरोध की दशा में मतदान अपरान्ह 3.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक
- (छह) मतों की गिनती तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद:

परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया निर्वाचन नियम के अध्याय तीन के नियम 15 से 21 के अनुसार होगी।

77. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा। यदि एक ही विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 45 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और एक प्रति संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

78. निर्वाचन की दशा में, प्रबंध समिति के सभापति के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हिन्दी भाषा में वर्णक्रमानुसार नाम अन्तर्विष्ट करते हुए मतपत्र प्ररूप 44 में तैयार किए जाएंगे और निर्वाचन, इस प्रकार संचालित कराए जाएंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।

79. मतदान पश्चात् निर्वाचन अधिकारी प्रबंध समिति के सभापति के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दिए गए मतों की गणना की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा उस अभ्यर्थी

को जिसे प्रबंध समिति में सभापति पद के लिए दिए गए मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, उस परियोजना समिति के सभापति के पद पर प्ररूप 45 में निर्वाचित घोषित करेगा।

80. दो अभ्यर्थियों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लॉट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

81. निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार को अनुप्रमाणित करते हुए अपने आद्याक्षर सहित हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना भी प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति ऐसे अभ्यर्थी को भी जो परियोजना समिति के सभापति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है, दी जाएगी।

82. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचित अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से, नियम 59 के अधीन बुलाए गए विशेष सम्मिलन की तारीख में परिवर्तन का समय-समय पर निर्देश दे सकेगा और जिला निर्वाचन प्राधिकारी और संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय—सात

83. निर्वाचन याचिका फाइल करने की रीति, समय—सीमा तथा फीस.—निर्वाचन के परिणाम या इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित कोई व्यक्ति, समय—सीमा के भीतर उसके लिए, सम्यक् रूप से फीस का भुगतान करके, नीचे यथा उल्लिखित अधिकारियों को एक निर्वाचन याचिका फाइल कर सकेगा—

(एक) जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को फाइल की जाएगी।

(दो) वित्तिका समिति तथा परियोजना समिति के अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका संबंधित जिले के कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को फाइल की जाएगी।

(तीन) याचिका ग्रहण करने के लिये तीस दिन की कालावधि की संगणना, मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से की जाएगी जिसमें असफल रहने पर याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी।

(चार) उक्त याचिका फाइल करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा फीस रुपये 200/— संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को जमा की जाएगी और तत्पश्चात्

यह फीस कार्यपालन यंत्री द्वारा शीर्ष 0702-01 (राजस्व प्राप्तियाँ) के अधीन प्रेषित की जाएगी जो किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगी तथा समपहत हुई समझी जाएगी।

(पांच) संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अंतिम तथा याचिकाकर्ता पर आबद्धकर होगा तथा किसी भी दशा में कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।

(छह) किसी निर्वाचन के पूर्ण होने और निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की दशा में, ऊपर यथा उल्लेखित समस्त ऐसे मामलों में निर्वाचन याचिका फाइल करने के लिये समय सीमा, निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से तीस दिन की होगी।

परन्तु कोई याचिका तीस दिन की विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता, संबंधित अधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर याचिका प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था तथा कोई याचिका मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से छह मास की कालावधि से परे ग्रहण नहीं की जाएगी।

84. निरसन तथा व्यावृत्ति — (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त मध्य प्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

(2) इस निरसन के होते हुए भी, ऐसी विद्यमान जल उपभोक्ता संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुसार, जिनकी अवधि का इन नियमों के प्रारंभ पर अवसान नहीं हुआ है, यह समझा जायेगा कि निरसित नियमों के सम्बन्धित उपबंध प्रवर्तन में हैं।

प्ररूप 1

(नियम 11 (2) देखिए)

जल उपभोक्ता संस्था (संस्थाओं) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना
जिला में

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला में जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा :

(एक) नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे—

(क) तारीख को

(ख) समय बजे से बजे के बीच

(दो) नामनिर्देशन पत्रों की जांच की तारीख

(तीन) अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख

(चार) मतदान की तारीख

(पांच) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की गणना की तारीख

(छह) परिणामों की घोषणा एवं प्रकाशन

संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी/

जिला निर्वाचन प्राधिकारी.

प्ररूप 2

(नियम 11(4) देखिए)

.....जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि –

- (1) जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन किया जाना है।
- (2) नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को, तारीख से तक 10.30 बजे पूर्वान्ह से 5.00 बजे अपरान्ह के मध्य परिदत्त किये जा सकते हैं।
- (3) नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (4) नामनिर्देशन पत्रों की जांच (स्थान) पर तारीख को बजे की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में को अपरान्ह 3 बजे के पूर्व परिदत्त की जा सकती है।
- (6) निर्वाचन कराये जाने की दशा में मतदान तारीख को 8.00 बजे पूर्वान्ह से 2.00 बजे अपरान्ह तक कराया जाएगा।
- (7) मतदान समाप्ति के पश्चात् मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके तुरन्त पश्चात् परिणाम घोषित किये जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 3

(नियम 15(1) देखिए)

जल उपभोक्ता 'संथा'

नामनिर्देशन-पत्र

1. जल उपभोक्ता संथा के कार्यालय का नाम
2. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम
4. पिता अथवा पति का नाम
5. निर्वाचक नामावली में अनुक्रमांक
6. आयु
7. लिंग
8. व्यवसाय तथा पता
9. प्रस्तावक का पूरा नाम
10. निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक का अनुक्रमांक
11. प्रस्तावक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं निर्वाचन हेतु पात्र हूँ एवं निर्वाचन में खड़ा होने का इच्छुक हूँ तथा ऊपर दशाई गई मेरी आयु सही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त घोषणा का मेरे (ब्लॉक अक्षरों में अधिकारी का नाम) समक्ष श्री द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिसे श्री ग्राम द्वारा मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना गया।

ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर, जो मंडल राजस्व अधिकारी के पद से नीचे की श्रेणी का न हो। (निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अनुक्रमांक):

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे प्रस्तुत किया गया(व्यक्ति का नाम)

स्थान, तारीख तथा समय

निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने हेतु का निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय.

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को नियम 8 के अनुसार समझा दिया है और नियमानुसार विनिश्चय करता हूँ:

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

नामनिर्देशन-पत्र की प्राप्ति और जांच की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक

जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के निर्वाचन के लिए/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से (निर्वाचन हेतु) अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र मुझे स्थान, ... तारीख, ... समय अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को (समय) (स्थान) पर की जाएगी।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 4

(नियम 18 देखिए)

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के सदस्य पद हेतु
..... (तारीख) को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	आयु	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का मतदाता सूची क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को पूर्वान्ह/अपरान्ह (स्थान) पर की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख :

या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

(नियम 19(5) देखिए)

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

जिले का नाम

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन.

आबंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)
1.		
2.		
3.		
4.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 6

(नियम 20 (1) देखिए)

नाम वापसी की सूचना

..... जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद हेतु निर्वाचन प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं, ... उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमानतः नामनिर्देशित अभ्यर्थी, एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

स्थान:

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मेरे कार्यालय में (नाम) श्री द्वारा (तारीख) को (समय) दी गई।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

(नियम 20(2) देखिए)

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

..... जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज उसकी/उनकी अभ्यर्थिता वापस ली.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	आवंटित चिन्ह (3)
1		
2		
3		
4		

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

प्ररूप 8

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... जल उपभोक्ता संस्था (डब्ल्यू.यू.ए.) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)
1.		
2.		
3.		
4.		

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 9

(नियम 22(2) देखिए)

निर्वाचन नियमों के नियम 22(2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियमों के नियम 22(2) के अनुसार मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र .. सदस्य के पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ।

नाम :

पता:

स्थान :

तारीख: निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 10

(नियम 24(1)(क) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

..... जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं उक्त निर्वाचन में जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा को आज तारीख से उक्त निर्वाचन हेतु अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

स्थान :

तारीख : अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं, उक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं एतद्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूँ।

स्थान :

तारीख : निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 11

(नियम 24(2)(ख) देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र..... सदस्य हेतु निर्वाचन

मैं, ... अभ्यर्थी/श्री

जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद्वारा को
 के मतदान हेतु नियत में स्थित मतदान केन्द्र
 क्रमांक पर उपस्थित होने हेतु मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ,

अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं, एतद्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूँ।

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

(नियम 24(3)(ख) देखिए)

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

..... जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं, ... एक अभ्यर्थी/श्री

जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को
(स्थान) पर मतगणना में उपस्थित रहने हेतु मेरे मतगणना
 अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूँ।

मतगणना अभिकर्ताओं के नाम

मतगणना अभिकर्ताओं के पते

1.

2.

3.

अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं/हम मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हैं।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 13

(नियम 35(2) देखिए)

निविदत्त मतपत्रों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक / अनुभाग क्रमांक जल उपभोक्ता संस्था का नाम	निविदत्त मतपत्र का अनुक्रमांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर या मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान	वह व्यक्ति जो पूर्व में ही मतदान कर चुका है, उसको जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान :

तारीख :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 14

(नियम 34(2)(ग) देखिए)

चुनौती दिए गए मतों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन.

अनुक्रमांक	मतदाता सूची में क्रमांक / अनुभाग क्रमांक जल उपभोक्ता संस्था का नाम	निर्वाचक का नाम	चुनौती दिए गये व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान एवं उसका पता	चुनौती देने वाले का नाम	पहचान करने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यदि कोई हो तो	मतदान अधिकारी का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त होने पर चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान:

तारीख :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 15

(नियम 40(1) देखिए)

भाग-1

मतपत्र लेखा

जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

तथा नाम

जल उपभोक्ता संस्था

अनुक्रमांक से तक

कुल संख्या

1. प्राप्त मतपत्र
2. उपयोग नहीं किए गए मतपत्र
(अर्थात् जो मतदाताओं को प्रदाय नहीं किये गये)
(क) मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित
(ख) मतदान अधिकारी के हस्ताक्षरों के बिना
कुल* (क + ख)
3. *मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र (1-2=3)
4. मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र जो मतपेटी में नहीं डाले गये
क. नियम 22 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र.
ख. अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र.
ग. निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग किये गये मतपत्र.
कुल* (क + ख + ग)
5. *मत पेटी में पाये जाने वाले मतपत्र
(3-4 = 5)

* (क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है .)

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग-2

मतगणना का परिणाम

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए वैध मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

दो. — निरस्त किये गये मतपत्र

तीन. — योग

क्या मद क्रमांक तीन के सामने दर्शाये गए मतपत्रों की कुल संख्या भाग-एक के मद क्रमांक 5 के सामने दर्शाये गए योग के अनुरूप हैं, अथवा इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क जानकारी में आया है.....

स्थान:

तारीख:

मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

* शब्द जो लागू न हों उन्हें काट दें.

प्ररूप 16

(नियम 44(5) तथा 50(1)(ख) देखिए)

अन्तिम परिणाम पत्रक

(मतदान केन्द्र पर मतदान के परिणाम के अभिलेखन हेतु उपयोग किया जाए)

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या				वैध मतों की कुल संख्या	निरस्त किये गये मतों की कुल संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
		क	ख	ग	घ				

मतदान केन्द्रों पर दर्ज किये गये मतों की कुल संख्या.

डाक मतपत्र पर दर्ज किये गये मतों की संख्या.

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 17

(नियम 50(1)(क) देखिए)

(जब किसी स्थान के लिए निर्वाचन होना हो, तब निर्वाचन में उपयोग के लिये)

निर्वाचन नियमों के नियम 50 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के नियम 52 के अनुसरण में मैं, घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए।

जल उपभोक्ता संस्था की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य।

नाम

पता

.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

शब्दों को जो लागू न हों दें.

प्ररूप 18

(नियम 51 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मैं, ... जल उपभोक्ता संस्था के लिये निर्वाचन अधिकारी, प्रमाणित करता हूँ कि (दिवस) 20 को मैंने श्री को जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य कमांक पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और उसके प्रमाण स्वरूप मैंने उसे यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।

.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप 19

(नियम 58 (4)(ख), 63 देखिए)

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की सूचना

जल उपभोक्ता संथा की सिंचाई प्रणाली

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि --

1. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को किया जाएगा।
2. नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख) को पूर्वान्ह 11.00 से 12.00 अपरान्ह के मध्य (स्थान) पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं।
3. नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टे पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को अपरान्ह 12.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे के मध्य (स्थान) में की जाएगी।
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (तारीख) को 1.00 अपरान्ह से 1.30 अपरान्ह के मध्य में दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को 15.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. गणना, मतदान-पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ की जाएगी और परिणाम उसके तुरन्त बाद घोषित कर दिए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 20

(नियम 15(1) देखिए)

जल उपभोक्ता संस्था

नामनिर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम :
(क) जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष
2. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके लिए वह सदस्य निर्वाचित हुआ है
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता या पति का नाम
5. आयु :
6. लिंग :
7. (क) व्यवसाय :
- (ख) स्थायी पता :
- अस्थायी पता :
8. प्रस्तावक का पूरा नाम :
9. जल उपभोक्ता संस्था : जिसके लिये वह अध्यक्ष घोषित किया गया
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूँ कि मैं पात्र हूँ और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूँ.

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे (व्यक्ति)

द्वारा में तारीख और समय पर प्रस्तुत किया गया।

निर्वाचन अधिकारी या

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय

मैंने, इस नामनिर्देशन पत्र की जांच की और निम्नानुसार विनिश्चय करता हूँ :

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी

नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु पावती और जांच हेतु सूचना

(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध
समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी श्री
का नाम निर्देशन पत्र मुझे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा
..... (तारीख) (समय) को दिया गया.

सभी नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को
(समय) स्थान में की जाएगी।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 21

(नियम 18 देखिए)

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद के लिए तारीख
..... को प्राप्त नामनिर्देशनों की सूची

जल उपभोक्ता संथा

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.30 बजे अपरान्ह से 1.00
बजे अपरान्ह के बीच (स्थान) में की जाएगी।

.....

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 22

(नियम 19 (5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नामनिर्देशनों की सूची

जल उपभोक्ता संथा का नाम

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

.....
निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

प्ररूप 23

[नियम 20(1) देखिए]

अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

..... जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

मैं, ... उपरोक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के रूप में एतद्वारा सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं

स्थान:

.....

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा तारीख को (दिनांक) में परिदत्त की गई।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को साँपे जाने के लिये)

जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 24

(नियम 20 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 25

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

स्थान

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 26

[नियम 58(5) देखिए]

मतपत्र

..... जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के लिए मतपत्र
मतदाता का अनुक्रमांक

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

..... जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

अभ्यर्थी का नाम हिन्दी में वर्णक्रमानुसार

खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाये

1. नाम
2. नाम
3. नाम
4. नाम
5. नाम
6. नाम

☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. जल उपभोक्ता संस्था का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 27

(नियम 58 (4)(घ) देखिए)

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

नियम 58 (6) के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी को जल उपभोक्ता संस्था की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु, सम्यक् रूप से, निर्वाचित किया जाता है।

नाम:

पता:

स्थान:

तारीख:

.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 28

(नियम 75 देखिए)

..... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन की सूचना

सिंचाई प्रणाली की वितरिका समिति

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि -

1. सिंचाई प्रणाली की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को किया जाएगा।
2. नामनिर्देशन पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख)..... को पूर्वाह्न 11.00 से 12.00 अपराह्न के मध्य (स्थान) पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं।
3. नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.00 अपराह्न से 1.00 अपराह्न के मध्य (स्थान) में की जाएगी।
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (तारीख) को अपराह्न 1.00 से 1.30 अपराह्न के मध्य (स्थान) में दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को 15.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. मतगणना, मतदान पूर्ण होने पर प्रारंभ की जाएगी और उसके तुरन्त बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 29

(नियम 15(1) देखिए)

वित्तिका समिति

नामनिर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम :
(क) अध्यक्ष, प्रबंध समिति
2. जल उपभोक्ता संस्था का नाम, जिसके लिये वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ है
.....
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता या पति का नाम :
5. आयु :
6. लिंग :
7. (क) व्यवसाय
(ख) स्थायी पता
अस्थायी पता
8. प्रस्तावक का पूरा नाम :
9. जल उपभोक्ता संस्था जिसके लिए वह अध्यक्ष घोषित किया गया है
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूं कि मैं पात्र हूं और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूं

.....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे व्यक्ति
द्वारा स्थान में तारीख और समय प्रस्तुत किया गया।

.....
निर्वाचन अधिकारी या
अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय
मैंने, इस नामनिर्देशन पत्र की जांच की और निम्नानुसार विनिश्चय (डीकोड) करता हूं
तारीख निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु पावती और जांच हेतु सूचना

(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक वितरिका समिति की प्रबंध समिति
के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी श्री का
नामनिर्देशन पत्र मुझे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा
..... (तारीख) (समय) पर दिया गया।

सभी नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को
(समय) स्थान में की जाएगी।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 30

(नियम 18 देखिए)

..... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद के लिये

तारीख को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

वितरिका समिति

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक की जल उपभोक्ता संथा का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.30 बजे अपरान्ह से 1.00 बजे अपरान्ह के बीच (स्थान) में की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 31

(नियम 19 (5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

वितरिका समिति का नाम

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	जल उपभोक्ता संस्था का नाम, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 32

(नियम 20(1) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन

मैं, ... उपरोक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी
एतद्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ

स्थान:

.....

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा
तारीख को (स्थान) (समय) पर परिदत्त की गई.

.....

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

..... परियोजना की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री
..... द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में
..... द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 33

(नियम 20 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 34

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 35

(नियम 66 देखिए)

मतपत्र

..... वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु मतपत्र

मतदाता का अनुक्रमांक

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

..... वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के वर्णक्रमानुसार

खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाएं

1. नाम
2. नाम
3. नाम
4. नाम
5. नाम
6. नाम

☐
☐
☐
☐
☐
☐

4. वित्तिका समिति का नाम
5. मतदान की तारीख
6. मतदान का स्थान

.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 36

(नियम 65 तथा 67 देखिए)

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

नियम 65 तथा 67 के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु, सम्यक् रूप से, निर्वाचित किये गये।

नाम:

पता:

स्थान

.....

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 37

(नियम 75 देखिए)

..... की प्रबंध समिति के सभापति के लिए निर्वाचन की सूचना

सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि —

1. सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को कराया जायेगा।
2. नामनिर्देशन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख) को (स्थान) पर पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं।
3. नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप अधोहस्ताक्षकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को(स्थान) 12.00 अपराहन् से 1.00 बजे अपराहन् के मध्य की जाएगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना तारीख को (स्थान) में अपरान्ह 1.00 बजे से अपराहन् 1.30 बजे के मध्य दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराये जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को अपराहन् 3.00 बजे से अपराहन् 5.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. मतगणना, मतदान पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ की जाएगी एवं परिणाम उसके तुरन्त बाद घोषित कर दिये जाएंगे।

स्थान:

तारीख

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 38

(नियम 15(1) देखिए)

परियोजना समिति

नामनिर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम :

प्रबंध समिति का सभापति

2. जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति का नाम जिसके लिए वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित

4. पिता अथवा पति का नाम

5. आयु :

6. लिंग :

7. (क) व्यवसाय :

(ख) स्थायी पता :

अस्थायी पता :

8. प्रस्तावक का पूरा नाम :

9. उस जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति का नाम, जिसके लिए वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है

10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पात्र हूँ एवं निर्वाचन में खड़ा होना चाहता हूँ

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे श्री (व्यक्ति)
द्वारा तारीख एवं समय को (स्थान) में प्रस्तुत किया गया।

.....
निर्वाचन अधिकारी या अन्य

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय
मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र का परीक्षण किया तथा निम्नानुसार विनिश्चय करता हूँ

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन-पत्र के लिए पावती और जांच हेतु सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक श्री का ..
..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के
सभापति के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का नामनिर्देशन-पत्र
मुझे (तारीख) को (समय) अभ्यर्थी/प्रस्तावक
द्वारा दिया गया।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की जांच तारीख को (समय) ...
..... (स्थान) पर की जाएगी।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

*प्ररूप 39

(नियम 18 देखिए)

..... परियोजना समिति के सभापति पद के लिये (तारीख) को
प्राप्त नामनिर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संस्था / वितरिका समिति का नाम तथा क्रमांक	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक की जल उपभोक्ता संस्था / वितरिका समिति का नाम तथा क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन-पत्रों की जांच तारीख को अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह
1.00 बजे के मध्य (स्थान) में की जाएगी.

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

*प्ररूप 40

(नियम 19(5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नामनिर्देशनों की सूची

परियोजना समिति का नाम

.....परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति का
निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	उस जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति का नाम तथा क्रमांक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 41

(नियम 20(1) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा दी गई अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति का निर्वाचन

मैं, ... उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से
नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी, एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ

स्थान :

.....

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा
तारीख को (समय) पर दी गई।

तारीख:

.....

निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के पद निर्वाचन हेतु
अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे
कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर
दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 42

(नियम 20 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 43

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के लिए निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 44

(नियम 78 देखिए)

मतपत्र

..... परियोजना समिति

प्रबंध समिति के सभापति के लिये मतपत्र

मतदाता का अनुक्रमांक

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

..... परियोजना समिति

प्रबंध समिति के सभापति के लिये मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

अभ्यर्थी का नाम
हिन्दी में वर्णक्रमानुसार

1. नाम
2. नाम
3. नाम
4. नाम
5. नाम
6. नाम

पंजीयन क्रमांक

खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम
के सामने (✓) चिन्ह लगाएं

☐
☐
☐
☐
☐
☐

1. परियोजना समिति का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 45

(नियम 79 देखिए)

निर्वाचन नियमों के नियम 73 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियम के नियम 73 के अनुसरण में, मैं यह घोषणा करता हूँ कि परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के पद के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया जाता है।

नाम :

पता :

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-46
(नियम 17(1)(ख))
(मूल प्रति)
नकद प्राप्ति

अनुक्रमांक

तारीख

श्री/श्रीमती/कु०.....

(जल उपभोक्ता संस्था का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पूरा नाम)

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ग्राम

तहसील(जिला) से पद के

(अभिलेखानुसार जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/परियोजना समिति का पूरा नाम)

निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन शुल्क के रूप में रुपए (रुपए मात्र)
प्राप्त किए।

हस्ताक्षर

(निर्वाचन अधिकारी)

रुपए

(सुधार, यदि कोई हों, निर्वाचन अधिकारी से प्रमाणित करवाए जाएंगे)

.....कृपया यहां से काटें.....

प्ररूप-46

(द्वितीय प्रति)
नकद प्राप्ति

अनुक्रमांक

तारीख

श्री/श्रीमती/कु०.....

(जल उपभोक्ता संस्था का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पूरा नाम)

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ग्राम

तहसील(जिला) से पद के

(अभिलेखानुसार जल उपभोक्ता संस्था/वितरिका समिति/परियोजना समिति का पूरा नाम)

निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन शुल्क के रूप में रुपए (रुपए मात्र)
प्राप्त किए।

हस्ताक्षर

(निर्वाचन अधिकारी)

रुपए

(सुधार, यदि कोई हों, निर्वाचन अधिकारी से प्रमाणित करवाए जाएंगे)

प्ररूप 47

(नियम 58,59,73 देखिए)

कृषक संगठन में आकस्मिक रिक्तियों की घोषणा

मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के *नियम 58 *नियम 59 *नियम 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए:-

मैं निर्वाचन अधिकारी (कृषक संगठन का नाम) निम्नलिखित पद या पदों के आकस्मिक रूप से रिक्त होने की घोषणा करता हूँ क्योंकि निम्नलिखित कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सदस्य अपने संबंधित कार्यकारिणी की विशेष बैठक में दिनांक..... ..को निम्न कारणों से निर्वाचन करने में असफल रहे हैं।

(क) *कोरम पूरा न होने पर (जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति और परियोजना समिति के निर्वाचनों के लिए लागू)

(ख) *सदस्यों में आम सहमति के न बनने पर।

(ग) *किसी भी सदस्य के उपस्थित न होने कारण।

(घ) *केवल एक सदस्य के उपस्थित होने पर।

(ङ) *जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के पचास प्रतिशत से कम होने पर।

(च) पद का नाम

(एक) (दो)

कृषक संगठन का नाम

ग्राम..... तहसील.....

जिला

हस्ताक्षर

स्थान

पूरा नाम

तारीख / / 20

(स्वच्छ अक्षरों में) (निर्वाचन अधिकारी)

*जो लागू न हों उसे काट दें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.धाकड़)
सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्रमांक 809/2014/प्र/31 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 809/2014/प्र/31 दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.धाकड़)
सचिव.

Bhopal, the 1. December, 2014

No. 809/2014/प्र/31 In exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following rules for the elections of Farmers' Organization in Madhya Pradesh, namely:-

RULES CHAPTER-I

1. **Short title, application and Commencement.**-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Farmers' Organization Election Rules, 2014.

(2) These Rules shall apply to such water users' Association who have completed their term of election and shall not apply to such water users' Associations whose term of election has not expired at the commencement of these rules.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means The Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999);
 - (b) "competent authority " means the Authority appointed under section 21 of the Act;
 - (c) "District Election Officer" means the Collector of the District to conduct the election under these rules;

- (d) "forms" means the Forms appended to these rules;
- (e) "Returning Officer" means an officer appointed by the District Election Officer;
- (f) "voter list" means the list prepared under sub-rule (1) of rule 4 of the Madhya Pradesh Farmers' Organisation Constitution Rules, 1999.

CHAPTER-II

3. **Administrative Machinery for the Conduct of elections.-** (1) The Commissioner of a revenue division appointed under Section 33 of the Act shall be Divisional Election Authority for the purpose of conducting elections within their respective jurisdiction.
 - (2) The elections of members of Territorial Constituency of the Water Users' Association and President/ Chairperson of the Farmers' Organisation shall be conducted under the superintendence, direction, control of the District Election Authority.
 - (3) The District Collector shall be the District Election Authority. The functions of the Divisional Election Authority under these rules may also be performed by the District Election Authority within his jurisdictions, as may be authorized by Divisional Election Authority.
 - (4) The Additional Collector of the District shall be the Additional District Election Authority. The Tehsildar or the Sub-divisional Officer (Revenue), as the case may be, in the district shall be the Deputy District Election Authority.
 - (5) The Additional District Election Authority and the Deputy District Election Authority shall perform such of those functions, as may be assigned to them by the District Election Authority. The District Election Authority may authorize in writing, the Additional District Election Officer or the Deputy Election Authority to exercise in any local area in the District in regard to any Water Users' Association, the Distributory Committee or the Project Committee in that area any of the powers vested in him under these rules.
4. **Conduct of elections.-** Subject to the general superintendence, direction and control of the Divisional Election Authority, the district Election Authority shall be responsible for the conduct, co-ordination and supervisory of all

works in connection with the conduct of elections of the members of the Territorial Constituencies, President of Water Users' Association, Distributory Committee and the Chairperson of the Project Committee.

5. **Appointment of an Election Officer.-** For every election to fill the seats of member of Territorial Constituency, President of Water Users' Association and the Distributory Committee, and for the office of the Chairperson of the Project Committee, the District Election Authority shall designate or nominate by order an officer as an Election Officer, who shall be as far as possible be a Gazetted Officer of the State Government or of a local authority not below the rank of a Tehsildar.

6. **Appointment of Assistant Election Officer.-** The District Election Authority may appoint one or more persons as Assistant Election Officers to assist any Election Officer:

Provided that every such person shall be an officer of the State Government or of a local authority.

7. **Functions of an Assistant Election Officer.-** Every Assistant Election Officer shall subject to the control of the Election Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Election Officer:

Provided that no Assistant Election Officer shall perform any functions of the Election Officer, which relate to the scrutiny of nominations papers unless the Election Officer is unavoidably prevented from performing the said functions.

8. **General duty of an Election Officer.-** It shall be the general duty of the Election Officer at any election to do all such acts and things as may be necessary for conducting the election in the manner provided under the Act and under these Rules or orders made thereunder.

9. **Arrangement of polling stations for elections.-** The District Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the Election Authority, provide as many polling stations as are necessary for the conduct of elections and shall in such manner as the Election Authority may direct a list

showing the polling stations and the areas or groups of voters for which they have been provided respectively.

10. **Appointment of Presiding Officer for polling station.-** (1) The District Election Authority or any officer authorized by him shall appoint a Presiding Officer for each polling station and such other polling officers as he thinks necessary but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about election:

Provided that if a polling officer is absent, the Presiding Officer may appoint any person who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about the election to be the Polling Officer and inform the Election Officer accordingly:

Provided further that the polling personnel appointed for the conduct of poll for member of the Territorial Constituencies of Water Users' Association, any other officer authorized by him in this behalf under this rule may also conduct the poll for any other elective office for which the election is conducted simultaneously.

(2) A polling officer shall, if so directed the Presiding Officer, perform all or any of the functions of a presiding officer under these rules.

(3) If a Presiding Officer owing to illness or due to unavoidable cause, absents from the polling station his functions, shall be performed by such Polling Officer, as has been authorized by the Election Officer to perform such function during any such absence.

(4) It shall be the general duty of the Presiding Officer at the polling station to keep and maintain public order thereat, and to see that the poll is taken in a fair manner.

CHAPTER-III

ELECTION OF MEMBER OF THE TERRITORIAL CONSTITUENCY AND PRESIDENT OF WATER USERS' ASSOCIATION

11. Public Notice of Election- (1) The election shall be held for the purpose of constituting a Water Users' Association after the commencement of the Act and on the expiration of the term of the members of Territorial Constituencies of Water Users' Association or on vacancy in such office either by death, resignation or recall or disqualified, as the case may be.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the Divisional Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the State Government in pursuance of and in consonance with the provisions of the Act in this behalf, publish a notice in Form-1, for conducting the election of the members of the Territorial Constituency of the Water Users' Association in accordance with the provisions of the Act, and rules and Orders made thereunder.

(3) The defaulter list shall be displayed 15 days in advance before the date of publication of this notice in Form-1.

Explanation.—'Defaulter' means a person who has not paid any sum due by him under the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) for a period of three years or more.

(4) On the issue of the notice under sub-rule (2), the Election Officer shall give public notice of the elections for members of Territorial Constituencies Water Users' Association, in Form-2 in Hindi language which shall be published at prominent places and in such manner as the Election Officer may direct.

(5) The dates fixed for the various stages of the election shall be, subject to the following conditions, namely:-

- (a) The last date for making nominations shall not be earlier than the fourth day and not later than the tenth day after the publication of the notice referred to in sub-rule (2), whether or not it is a public holiday;
- (b) The date for the scrutiny of nominations shall be the day immediately following the last date for making nominations whether or not it is a public holiday;
- (c) The last date and time for withdrawal of the candidature shall not be later than 3.00 p.m. of the third day succeeding the day appointed for scrutiny of the nominations, whether or not it is a public holiday;

- (d) The date or dates on a poll shall be taken, which or first of which shall be a date not earlier than the tenth day after the last date for withdrawal of the candidature;
- (e) The poll shall commence on the day fixed at 8.00 a.m. and shall be closed by 2.00 p.m. soon after the polling is over, counting shall commence and the results shall be declared on the same day.

12. Fixing the tenure of members of Territorial Constituencies at the time of first election.- In accordance to the proviso to sub-section (3) of section 4 of the Act the tenure of the members of Territorial Constituencies shall be fixed in a manner prescribed in rule 4A of Madhya Pradesh Farmers Organization Constitution Rules, 1999.

13. Restriction against holding more than one post in Water Users' Associations: There shall be a provision for restriction against holding more than one post under Rule 4 B of Madhya Pradesh Farmers Organization Constitution Rules, 1999.

14. Special Election Programme.— Notwithstanding anything contained in these rules, where the election process is interrupted or the election programme has to be altered on account of the orders of any Court of Law or for other valid reasons to be recorded in writing, it shall be competent for the Election Authority either generally or in respect of specified Water Users' Association to alter the election programme as he thinks fit, in the circumstances of the case without having regard to sub-rule (5) of rule 11 and the Election Officer shall give effect to the same :

Provided that where the election programme is re-notified under this rule commencing from the making of nominations, the nominations already made shall be disregarded and the deposits, if any, made under rule 17 shall be refunded.

15. Nomination of Candidates.—(1) Any person may be nominated as a candidate to fill the office of members of the Territorial Constituencies and President of Water Users' Association and Distributory Committee, Chairperson of Managing Committee of Project Committee, if he is qualified

to be chosen to fill the seat under the provisions of the Act. Every nomination paper shall be in Form-3, for Territorial Constituencies member, in Form 20 for President of Water Users' Association, in Form-29 for the Distributory Committee and in Form-38 for the Project committee and shall be presented on or before the date appointed, by the candidate or by his proposer in person in Form-3 for Territorial Constituencies member, in Form 20 for president of Water Users' Association, in Form-29 for the distributory Committee and in Form-38 for the Project Committee, between the hours specified (in sub-rule (5) of rule 11) duly signed by the candidate and by the proposer. The candidate shall sign the declaration on the nomination paper.

- (2) A candidate for the office of member of Territorial Constituencies or President of Water Users' Association, Distributory Committee and Chairperson of Project Committee and his proposer shall be such persons whose names are registered in the voters' list for that Particular Territorial Constituency of Water Users' Association, Distributory Committee or Project Committee respectively.
- (3) Each candidate shall be nominated on a separate nomination paper.
- (4) A candidate may be nominated by more than one proposer separately for the same elective office in a separate nomination form:

Provided that not more than four nominations shall be filed by or on behalf of a candidate.

16. Presentation of nomination paper and requirements of valid nomination.—(1) On or before the date appointed, each candidate either in person or, by his proposer deliver to the authorized election officer, during the time and the place specified in the notice issued under rule 11, a duly completed nomination paper in Form-3 and signed by the candidate and an eligible voter of the concerning Water Users' Association as proposer.

(2) On receiving nomination paper, the Election Officer shall forthwith number of the nomination paper serially in the order in which it is presented and give a receipt as provided in Form-3 for territorial constituency, in Form 20 for President of Water Users' Association, in Form-29 for the Distributory Committee and Form-38 for Project Committee and the election officer or such

other authorized person shall satisfied himself that the name and number of the candidate and his proposer, as entered in the nomination paper, are the same as those entered in the electoral roll. Whether necessary, he shall direct that the nomination form be amended so as to be in accordance with the electoral roll.

(3) The Election Officer may while interpreting an entry in the voters' list overlook the clerical or printing errors, only, but he shall record the interpretation adopted by him, together with the reasons thereof, while making the formal acceptance or rejection on scrutiny of a nomination.

17. (a) Security Deposit/Nomination fee-

(1) Any eligible candidate who is desirous of contesting for the post of the member of the Territorial Constituency, President of Water Users Association, President of Distributory Committee, Chairman of Project Committee shall pay a nomination fee as mentioned hereunder in the table and obtain the nomination form from the Election Officer concerned.

Explanation: The above fees prescribed for various posts in Farmers Organizations, are exclusive for that post and are independent of each other.

Table

(see rule 17) Table: Security Deposit/ Nomination fee in Farmer Organization		
	Posts in Farmers Organisation	Security Deposit/ Nomination Fees
(a)	Water Users Associations (Major, Medium and Minor Irrigation Systems) (i) Member of Territorial Constituency (ii) President	Rs. 200 (Rupees two hundred only) Rs. 300 (Rupees three hundred only)
(b)	Distributory Committees (Major Irrigation Systems) (i) President	Rs. 500 (Rupees five hundred only)
(c)	Project Committees (Medium Irrigation Systems) (i) Chairman	Rs. 1000 (Rupees one thousand only)
(d)	Project Committees (Major Irrigation Systems) (i) Chairman	Rs. 2000 (Rupees two thousand only)

Note:- All amounts to be received from the contesting candidates towards security deposit nomination fee shall compulsorily be in cash only and no cheque or demand draft etc, shall be accepted by the Election Officer.

(b) Receipt book

- (i) Method of Printing of receipt books.-
 - (a) the receipt for acknowledgment the nomination fee shall be in Form-46 in duplicate.
 - (b) each receipt book shall contain twenty original receipts and twenty duplicate receipts printed in A4 Size paper (two receipts per sheet) with continuous serial numbers for the district.
 - (c) each receipt book shall also contain an abstract of collections, instructions to Election Officer and District Election Authority and also instructions for printing of receipt books along with details of nomination fee payable by the contesting candidates.
 - (d) all the sheets shall be pinned/stitched in booklet form with printed cover page, as per model receipt book.
 - (e) each receipt book shall contain book numbers i.e. with continuous serial numbers.
- (ii) Issue and use of receipt book.-
 - (a) receipt book shall be issued in sufficient numbers to each Election Officer for every election in Farmers Organization. The Election Officer shall use the next receipt book only after completion of current receipt book.
 - (b) Receipt book partly used in one election shall not be issued for another election.
 - (c) No receipt shall be cancelled by the Election Officer, except in the case of any defects in printing:

Provided that where a candidate has been nominated in more than one nomination paper, not more than one security deposit shall be required to be made.

(2) Refund of Deposit/Nomination Fee.-

If no nomination paper is received within the time appointed in that behalf, in respect of any person by whom/or whose behalf the security deposit referred to in sub-rule (1) has been made or if the nomination of any such person is rejected, or if he withdraws his candidature in the manner and within the time specified in sub-rule (1) of rule 20, the security deposit shall be returned immediately to the person by whom it made and if any candidate dies before commencement of the poll, any such security deposit if made by him shall be returned to his legal representative, if not made by the candidate, shall be returned to the person by whom it was made.

- (3) If a candidate by whom or on whose behalf the security deposit referred to in sub-rule (1) has been made, is not elected and the number of valid votes polled to him does not exceed one eighth of the total number of valid votes polled by all the candidates, the security deposit shall be forfeited to the Government.
- (4) The security deposit made in respect of a candidate shall, if it is not forfeited under sub-rule (3) be returned to the candidate or to the person who has made the security deposit on his behalf, as the case may be, within thirty days after publication of the result of election in accordance with rule 54.
- (5) A security deposit required to be returned to any person under sub-rule (4) shall, if such person is dead, be returned to his legal representative.
- (6) Notwithstanding anything contained in this rule immediately after publication of the result of election, the Election Officer or the person authorised by the District Election Authority in this behalf, 'shall pass an order as to whether a security deposit made under sub-rule (1) shall be refunded or forfeited. The Competent Authority of the concerning Water Users' Association shall within thirty days from the date of publication of the result, return the security deposit to the person who made the security deposit or to his legal representative when such security deposit is refundable. In the case of forfeited of security deposit under sub-rule (2), the Election Officer shall communicate an order to the person concerned who made the security deposit by giving the reasons for such forfeiture.

- (7) The amounts received towards election security deposit etc., credited to the Water Users' Association / Distributory Committee /Project Committee, as the case may be, the fund shall be remitted to Government Account by the concerning Competent Authority after deducting any refunds made to the concerned person for any reason provided under these rule.

18. Publication of Nominations.—Immediately after expiration of the time specified for receipt of the nomination papers on the date fixed for that purpose, the Election Officer or such other authorised person shall publish at his office in Hindi language a list in Form-4 for territorial constituency member, in Form 21 for President of for Water Users' Association, in Form-30 for Distributory Committee and in Form-39 for Project Committee of all the nominations received, with a notice that the nomination papers shall be taken up by the Election Officer for scrutiny at the specifying place, the date and time.

19. Scrutiny of Nomination Papers.—(1) On the date appointed for scrutiny of the nominations, the candidates, the proposer of each candidate and one other person duly authorized in writing by each candidate, may attend at such time and place as may be specified under rule 18. No other person shall be entitled to be present. The Election Officer may, however, admit such other persons as he thinks fit to assist him. The Election Officer give such persons all reasonable facilities to examine the nomination papers of all the candidates.

(2) The Election Officer shall then examine the nomination papers and shall decide on all the objections which may be made to any nomination and may either on such objection or on his own motion after summary enquiry as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds, namely :

- (a) that the candidate is disqualified for election as Member of Territorial Constituency, President of Water Users' Association/Distributory Committee, and Chairperson of Project Committee as the case may be, under Section 14 of the Act; or
- (b) that the name of the candidate or of his proposer or both is or are not registered in the voters' list; or

- (c) that the candidate or his proposer has failed to comply with any of the provisions of rule 15 or 17; or
- (d) that the signature or the thumb impression of the candidate or the proposer in the nomination paper is not genuine :

Provided that the Election Officer shall not reject any nomination paper on the ground of mere clerical or printing error or any defect which is not of a substantial character.

(3) The Election Officer shall endorse on each nomination paper, his decision, accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, he shall record in writing brief statement of his reasons for such rejection. The scrutiny shall as far as practicable, be completed on the date appointed in this behalf under rule 18 and no adjournment of the proceedings shall ordinarily be permissible except to provide an opportunity to a candidate to rebut any contention raised against his candidature.

(4) For the purpose of this rule, a certified copy of an entry in the voters' list in force of a Territorial Constituencies/Water Users' Association/Distributory Committee/ Project Committee, as the case may be, shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for the Water Users Association/Distributory Committee/ Project Committee, unless it is proved that he is subject to any disqualification mentioned in the Act.

(5) Immediately after all the nomination papers have been scrutinized and the decision regarding accepting or rejecting the same have been recorded, the Election Officer shall prepare a list of validly nominated candidates, and affix it on the notice board of his office in Form 5 for territorial constituency member, in Form 22 for President of Water Users' Association, in Form 31 for Distributory Committee and in Form 40 for Project Committee as the case may be.

20. **Withdrawal of Candidature.**—(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing in Form 6 for territorial constituency member, in form 23 for President of Water Users' Association, in Form 32 for President

of Distributory Committee and in Form 41 for Chairperson of Project Committee, signed by him and delivered to the Election Officer either by such candidate in person or by his proposer or by his election agent at any time after the presentation of his nomination paper and not later than 3.00 p.m. of the third day succeeding the day appointed for scrutiny of the nominations in case of Territorial Constituency and between 1.00 p.m. to 1.30 p.m. of the same date in case of WUA Distributory Committee and Project Committee, whether or not it is public holiday. The Election Officer shall give a receipt for the same as provided in Form 6 for territorial constituency member, in Form 23 for President of Water Users Association, in Form 32 for President of Distributory Committee, in Form 41 for Chairperson of Project Committee on being satisfied as to the genuineness of the notice of withdrawal and the identity of the person delivering it.

(2) The Election Officer on receiving a notice of withdrawal under sub-rule (1) shall, as soon as may be, cause a notice of the withdrawal to be published in Form 7 for territorial constituency member, in Form 24 for President of Water Users' Association, in Form 33 for Distributory Committee and in Form 42 for Project Committee, as the case may be.

(3) A candidate who has withdrawn his candidature under sub-rule (1) shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election.

21. **Publication of list of contesting candidates.** (1) Two days after scrutiny of the nominations, the Election Officer shall prepare in Hindi language a list in Form 8 for territorial constituency member, in form 25 for President of Water Users' Association, and on the same day in Form 34 for Distributory Committee and in Form 43 for Project Committee of persons whose nominations have not been rejected and who have not withdrawn their candidature and affix it on the notice board of his office.

(2) The list shall contain the names of the candidates in alphabetical order in Hindi and shall describe them as in their nomination paper and if poll is found to be necessary it shall also specify the distinctive symbols allotted to them under sub-rule (3).

(3) If a poll is found to be necessary, the Election Officer shall assign to each candidate subject to such directions as may be issued by the Divisional Election Authority in that behalf, a distinctive symbol,

(4) In every case where a symbol is assigned to a candidate under sub-rule (3) such candidate of his election agent shall be informed forthwith regarding the symbol so assigned and be supplied with a specimen thereof by the election officer.

22. Declaration of Result of Uncontested Candidate—(1) If number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted.

(2) If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 9 for member of Territorial Constituting President of Water Users' Association, in Form 27 for President of W.U.A. in Form 36 for Distributory Committee and in Form 45 for Project Committee and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

23. Death of Candidate Before poll.- If a contesting candidate dies and a report of his death is received before commencement of the poll, the Election Officer shall after being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and election proceedings shall be started afresh in all respects as if it is a new election:

Provided that no fresh nomination, shall be necessary in the case a candidate who stood validly nominated at the time of countermanding of the poll:

Provided further that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under rule 20 before the countermanding of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election of after such countermanding.

24. Appointment of agents.-(1) (a) A candidate at an election to the member of Territorial Constituencies of a Water Users Association, may appoint any one person to be his election agent. Such appointment shall be given in Form 10 by forwarding the same in duplicate to the Election Officer who shall return one

copy thereof to the election agent after affixing therein his seal and signature in token of his approval of the appointment.

(b) An election agent may perform such functions in connection with the election as are authorized by or under these rules to be performed by an election agent.

(2) (a) The number of polling agents that may be appointed by a contesting candidate of his election agent, shall, in respect of each polling station, be one agent and a relief agent.

(b) Every such appointment shall be made in Form 11 and shall be handed over to the polling agent for production at the polling station.

(c) No polling agent shall be admitted into the polling station unless he has delivered to the Presiding Officer the instrument of the appointment under sub-rule (2) after duly completing and signing. Before the Presiding Officer the declaration contained thereon.

(d) A polling agent may perform such functions in connection with the poll are authorized by or under these rules.

(3) (a) Each candidate may appoint such number of counting agents at the place or places fixed for counting as may be specified by the District Election Authority.

(b) Every such appointment shall be made in Form 12 in duplicate, one copy of which shall be forwarded to the Election Officer while the other copy shall be made over to the counting agent for production before the Election Officer not later than one hour before the time fixed for counting.

(c) A counting agent may perform such functions in connection with counting of votes as are authorized by or under these rules.

(4) (a) At every election where a poll is taken, each contesting candidate at such election and his election agent shall have a right to be present at any polling station.

(b) A contesting candidate himself or his election agent may do any act of thing which any polling agent or the counting agent of such contesting candidate if appointed, would have been authorized by or under these rules so to do, or may assist any polling agent or counting agent or such contesting candidate in doing any such act or thing.

(5) Where any act or thing is required or authorised by or under these rules to be done in the presence of the polling or counting agents, the non attendance of any such agent or agents at the time and place appointed for the purpose shall not, if the act of thing is otherwise duly done, invalidate the act or thing done.

25. Voting.— (1) If poll has to be taken, the Election Officer shall appoint forthwith one or more presiding officers at each polling station and may pay the remuneration as fixed by the Government for their services. The Election Officer shall provide for each Presiding Officer such number of Polling Officers as may be necessary and also if necessary appoint one or more identifying officers to assist the presiding Officer in identifying the electors.

(2) The Presiding Officer shall see that the election is fairly conducted and to that end keep order at the polling station to regulate the number of electors to be admitted at one time, and shall exclude all persons other than,-

- (a) the candidates, and at each booth one polling agent at a time of each candidate appointed in writing by the candidate.
- (b) the police or other public servants on duty;
- (c) Polling officers and such persons as the presiding officers may from time to time admit for the purpose of identifying electors;
- (d) persons authorised by Government;
- (e) a child in arms accompanying an elector; and
- (f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help

(3) Where a woman elector cannot be identified by the identifying officers appointed under sub-rule (1) by reason of her observing purda, she may be

required to be identified by any of her near relatives unless she otherwise satisfied the Presiding Officer of her identity.

Explanation: If any question arises as to whether a person is or is not a near relative within the meaning of this sub-rule be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

26. Right to vote. — All electors voting shall vote in person at the polling station as provided under the rules.

27. Arrangements of polling station — (1) Outside each polling station there shall be displayed prominently-

- (a) a notice specifying the polling area, the serial number of electors in relevant voters' list who are entitled to vote at the polling station and when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled;
- (b) copy of the list of contesting candidates with the serial numbers and the symbols assigned to them; and
- (c) each of the polling station shall contain one compartment in which electors are to cast their votes.

Note : the polling station should be able to accommodate voters by the Divisional Election Authority.

- (2) There shall be one ballot box in the polling booths for the member of the Territorial Constituency of Water Users' Association
- (3) The Election Officer shall provide at each polling station sufficient number of ballot boxes, together with copies of the electoral roll or such part thereof, may as contain the names of the electors entitled to vote at the station, and such other papers, and articles necessary for electors to mark the ballot papers, stationery and forms as may be necessary.

28. Preparation of ballot boxes.—(1) Where a paper seal is used for securing a ballot box, the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such candidates their election agents or the polling agents present as are desirous of affixing the same.

- (2) The Presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefore in the ballot box and shall secure and seal the box in such manner that the slit for the insertion of ballot paper therein remains open.
 - (3) The seals used for securing a ballot box shall be affixed in such manner that after the box has been closed it is not possible to open it without breaking the seal.
 - (4) Where it is not necessary to use paper seals or securing the ballot boxes, the Presiding Officer shall secure and seal the ballot box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open and shall allow the polling agents present to affix, if they so desire, their seals.
 - (5) Every ballot box used at a polling station shall bear label both inside and outside marked with-
 - (a) the description of the polling station;
 - (b) the serial number of the ballot box (to be filled in at the one of the polls on the label outside the ballot box only); and
 - (c) the date of poll.
 - (6) Immediately before the commencement of the poll the Presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that the ballot box is empty and bears the labels referred to in sub-rule(5).
 - (7) The ballot box shall be closed, sealed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and polling agents.
 - (8) Immediately before commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the polling agents and other present the marked copy or, as the case may be, marked copies of the voters' list to be used during the poll.
29. **Form of ballot paper.**—(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached and the said ballot paper and the counterfoil shall be in such form as the Divisional Election Authority may, by order, direct.
- (2) Every ballot paper shall, before issue to an elector, be
 - (a) Stamped or shall be written on its back such of the details as may be specified by the Divisional Election Authority;
 - (b) Name and number of the polling station;

- (c) Name of the Water User Association and number of Territorial Constituencies;
- (d) signed in full on its back by the Presiding Officer.

30. **Issue of Ballot Papers.**—(1) Immediately before any ballot paper is issued to an elector the Presiding Officer shall-

- (a) call upon the number, name and description of the elector as stated in the voter list, and
- (b) record on its counterfoil the voters' list number of the elector as entered in the marked copy of the voters' list and obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said counterfoil:

Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counter-foil of that ballot paper.

(2) The Presiding Officer or Polling Officer, as the case may be, shall underline the entry relating to the elector in the marked copy of the voters' list with him in every case and where the elector is a female shall put a (√) mark also on the left hand side of the name of the female elector.

(3) The Presiding Officer or Polling Officer, as the case may be, shall apply the indelible mark on the rid between the skin and the root of the nail of left-hand forefinger to him.

(4) No person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to any elector.

31. **Maintenance of Secrecy of voting by Electors and Voting Procedure.**—(1)

Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 30 or under any other provisions of these rules shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereafter laid down.

(2) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith-

- (a) proceed to the voting compartment,

- (b) make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near the symbol allotted to the candidate for whom he intends to vote,
 - (c) fold the ballot paper vertically first and thereafter horizontally so as to conceal vote,
 - (d) insert the folded ballot paper into the specified ballot box; and
 - (e) leave the polling station by the exit provided.
- (3) Every elector shall vote without undue delay.
- (4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.
- (5) If an elector to whom a ballot paper has been issued refuses, after warning given by Presiding Officer to observe the procedure laid shown in sub-rule (2) the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the Presiding Officer or Polling Officer under the direction of the Presiding Officer.
- (6) After the ballot paper has been taken back, the Presiding Officer shall record on its back the word "Cancelled voting procedure violated" and put his signature below these words and all such papers shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers-voting procedure violated".
- (7) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable and the vote, if any recorded on such ballot paper shall not be counted.
- 32. Blind and Infirm Voters.**—(1) If owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognize the symbols on the ballot paper or to make thereon, the Presiding Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector, fold it so as to conceal the vote and insert it into the ballot-box.

- (2) While acting under this rule, the Presiding Officer shall observe secrecy and shall keep a brief record of each such instances but shall not indicate therein the manner in which any vote has been given.
- 33. Facilities to Women Electors.**—Special facilities in accordance with the instructions, if any, issued by Divisional Election Authority in that behalf may be accorded to women elector.
- 34. Identification of Electors.**— When a person presents himself to vote and at any time before a ballot paper is supplied to him, the Presiding Officer may of his own accord and shall, if so required by a candidate or his polling agent, put to such person either one or both of the following questions,-
- (i) Are you the person enrolled as follows (reading the whole entry from the roll)?
 - (ii) Have you already at the present election at this polling station or at any other polling station? And the person shall not be supplied with a ballot paper unless he gives an unqualified answer to the question or questions put to him/her in the affirmative to the first and in the negative to the second or such questions except as mentioned herein, every person whose name is found on the voters' list shall be entitled to be supplied with a ballot paper.
- 35. Tendered Votes.**—(1) If a person representing himself to be particular elector, applies for a ballot paper after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be entitled, subject to the following provisions to mark ballot paper (hereinafter in these rules referred to as a "Tendered Ballot Paper") in the same manner as any other elector.
- (2) Every such person, shall before being supplied with a tendered ballot paper, sign his name against entry relating to him in a list in Form-13.
 - (3) A tendered ballot paper shall be the same as the ballot paper used at the polling except that shall be-
 - (a) taken serially from the bottom of the bundle of ballot papers issued for use at the polling stations in successive cases; and

(b) endorsed on the back with the words "Tendered Ballot Paper" by the Presiding Officer in his hand and signed by him.

(4) The elector, after making a tendered ballot paper in the voting compartment and folding it, shall instead of putting it into the ballot box, give it to the Presiding Officer, who shall place it in a cover specifically kept for the purpose.

36. Challenging of Identity.—(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of Ten rupees in cash with the Presiding Officer for each such challenge.

(2) On such a deposit being made, the Presiding Officer shall, —

- (a) warn the person challenged of the penalty impression;
- (b) read the relevant in the voters' list in full and ask him whether he is the person referred to in the entry;
- (c) enter his name and address in the list of challenger votes in form-14; and
- (d) require him to put his signature or thumb impression in the list.

(3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose.—

- (a) require the challenger to produce evidence in proof of the challenge and the person challenged to produce evidence in proof of his identity;
- (b) put the person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and enquire him to answer them on oath; and
- (c) administer on oath to the challenger and any, other person offering to give evidence.

(4) If after the enquiry the Presiding Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person, challenged to vote and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to the Government and in any other case he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

37. Safeguards against Impersonation.—(1) Every. Elector about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or polling Officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall in case where the elector has his left forefinger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall, in case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefingers or any other finger of his right hand, and shall in case where all his fingers of both hands are missing, be construed as a reference in such extremity of his left or right arms as he possesses.

(3) The Presiding Officer shall be at liberty to refuse to deliver ballot paper to any person for voting at the polling station if at the time such person applies for a ballot paper has already an indelible ink mark referred in sub-rule (1) and (2). -

38. Spoilt and Returned ballot Papers.—(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot may, be delivering it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertence, be given another ballot paper and the ballot paper so returned and the counterfoil of, such ballot paper shall be marked as "Spoilt Cancelled" by the Presiding Officer.

(2) If an elector after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer and the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper shall be marked as "Returned Cancelled" by the Presiding Officer.

(3) All ballot paper cancelled under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

39. Closing of poll and sealing of Ballot Boxes and covers after poll.-(1) The Presiding Officer shall close the polling station at the hour appointed for closing under clause (e) of sub-rule (5) of rule 11 and shall not thereafter admit any elector into a polling station :

Provided that all elector present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

- (2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed it shall be decided by the Presiding Officer and his decision thereon shall be final.
- (3) The Presiding Officer of each polling station as soon as practicable after the close of the poll shall close the slit of ballot box and where the box does not contain any mechanical devise for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any polling agent present to affix his seal. The ballot box shall thereafter be sealed and secured.
- (4) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first ballot box getting full, the first box shall be closed, sealed and secured as provided in sub-rule (3) before another ballot box is put into use.
- (5) The foregoing provisions of this rule shall not apply to a Presiding Officer of a polling station to whom Divisional Election Authority has issued a direction asking him to proceed in accordance with sub-rule (6).
- (6) At any such polling station as may be specified under sub-rule (5) as soon as practicable, after the close of poll, the Presiding Officer shall-
 - (a) transfer all the ballot papers, contained in the ballot boxes used at that polling station, without examining or counting them and due regard to the secrecy of the ballot, into a cloth bag or cloth lined cover after demonstrating to the polling agents present that the bag or cover is empty; and
 - (b) allow the polling agent present to inspect each ballot box and demonstrate to them that it has been emptied.

- (7) The Presiding Officer of each polling station, as soon as practicable after the close of the poll, shall in the presence of any candidate or polling agents who may be present make up the following into separate packets and seal with his own seal and the seals of such candidates or agents as may decide to affix their seals
- (i) the tendered ballot papers;
 - (ii) the unused ballot papers;
 - (iii) the spoilt and returned ballot papers;
 - (iv) the marked copy of the electoral roll;
 - (v) the tendered voters' list;
 - (vi) the list of challenged votes with the statement or statements mentioned in sub-rule (2) of rule 36;
 - (vii) counterfoils of used ballot papers; and
 - (viii) the ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 31.
- (8) Each packet shall be numbered and shall bear a note as to its contains, description of the election and the polling stations. Where no vote has been recorded at any polling station, the Presiding Officer shall submit a 'Nil' report together with the statement in Form-15.
- 40. Account of Ballot Papers, Ballot Boxes, packet etc.**-(1) the packets shall be accompanied by a statement in a separate cover in Form-15, made by the Presiding Officer showing the number of ballot papers, in the ballot boxes and unused, spoilt, returned and tendered ballot papers. The Presiding Officer shall deliver or cause to be delivered to the election Officer at such place as the Election Officer may direct,-
- (a) the ballot boxes or, as the case may be, the bags or covers referred to in rule 30;
 - (b) the ballot paper account or accounts;
 - (c) sealed packets or sets of sealed packets referred to in rule 39;

- (d) all other papers used at the poll.
- (2) The Election Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until commencement of the counting of votes.
41. **Scrutiny of opening of ballot boxes and counting of votes-**(1) (a) The counting of votes shall commence on the day and at the place and hour appointed in this behalf.
- (b) the Election Officer shall at least three days before the date or the first of the dates, fixed for the poll appoint the place or places where the counting of votes will be done and the date and time at which the counting will commence and shall give notice of the same in writing to each candidate or his election agent:
- Provided that, if for any reason the election officer finds it necessary to do so, he may alter the date, time and place or places so fixed, or any of them, after giving notice of the same in writing to each candidate or his election agent.
- (c) votes shall be counted by or under the supervision of the Election Officer. The Election Officer shall appoint such number of counting assistants as may be necessary to assist him in counting of votes.
- (d) each candidate, election agent of each candidate, and one representative of each candidate authorised in writing by the candidate shall have a right to be present except such person or persons as Election Officer may appoint to assist him in counting votes. No person shall be appointed to assist in counting the votes, who has been employed by or on behalf of any candidate or any person whatsoever connected with the election of a candidate.
- (2) (a) the Election Officer shall open, or cause to be opened, simultaneously the ballot box or boxes used at more than one polling station and shall have the total number of ballot papers found in such box or boxes counted and recorded in Part II of Ballot Paper Account in Form-15;

- (b) Discrepancy, if any, between the total number of such ballot papers recorded as aforesaid and the total number of ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I of the Form-15 minus the number of ballot papers cancelled as shown in item 4 thereof and the number of papers as shown in item 5 thereof, shall also be recorded in Part II of Form-15;
 - (c) Before any ballot box is opened for counting of votes the counting agents presents thereat shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that the ballot box is intact;
 - (d) The Election Officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with in any way;
 - (e) If the Election Officer is satisfied that any ballot box has in fact been tempered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid in rule 46 in respect of that polling station.
- (3) The Election Officer shall, as far as practicable, precede continuously, with the counting of votes, and shall, during any necessary intervals during which the counting has to be suspended. Ballot papers, packets and other documents relating to the election under his own seal and seals of such candidates or agents as may desire to affix them and shall cause adequate precautions to be taken for their safe custody.
- 42. Admission to the place fixed for counting.**—The Presiding Officer shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except-
- (a) such persons to be known as counting supervisors and-counting assistants as he may appoint to assist him in the counting;
 - (b) persons authorised by the Government;
 - (c) public servants on duty in connection with the election; and
 - (d) candidates, their election agents and one representative of each candidate appointed in writing by the candidates as counting agents.

- 43. Rejection of ballot papers.**—(1) Subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Divisional Election Authority in this behalf, the ballot papers shall be counted polling station wise.
- (2) the election officer shall reject a ballot paper;
- (a) if it bears any mark of writing by which the elector can be identified; or
- (b) if it bears no mark at all to indicate the vote, it bears a mark elsewhere thereon or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made otherthan with the instrument supplied to the purpose; or
- (c) if votes are given on it is favour of more than one candidate; or
- (d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful as to which candidate the vote has been given, or
- (e) if it is a spurious ballot paper; or
- (f) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
- (g) if it bears a serial number or is of a design, different from the serial numbers or, as the case may be, design of the ballot papers authorised for use at the particular polling station; or
- (h) if it does not bear both the distinguishing mark and the signature which it should have borne under the provisions of sub-rule (2) of rule 29:

Provided that where the Election Officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (g) or clause (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a Presiding Officer or Polling Officer the ballot paper shall not be rejected merely by the reason of such defect:

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be given for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

- (3) Before rejecting and ballot paper under sub-rule (1), the Election Officer shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.
- (4) The Election Officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.
- (5) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.
- (6) Every ballot paper which is not rejected under this Rule shall counted as one valid vote:

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper shall be counted.

- (7) After counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used in a Water Users' Association have been completed, the Election Officer shall make the entries in a result sheet in Form 16, and announce the particulars.
 - (8) The decision of the Election Officer as to the validity of a ballot paper shall be final subject to security only.
- 44. Recount of votes.--**(1) After such announcement has been made under sub-rule (7) of rule 43, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the Election Officer for recounting of the votes either wholly or in part stating the grounds on which he demands such recount.
- (2) On such an application being made the Election Officer shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject in wholly if it appears to him, to be frivolous or unreasonable.
 - (3) Every decision of the Election Officer under sub-rule (2) shall be in writing and contain the reason thereof.
 - (4) If the Election Officer decide under sub-rule (2) to allow a recount of the votes either wholly or in part he shall -
 - (a) arrange for the recounting in accordance with Rule 42 and 43;

- (b) amend the result sheet in Form 16 to the extent necessary after such recount; and
 - (c) announce the amendments so made by him.
- (5) After the total number of votes polled by each candidate has been announced under sub-rule (4), the Election Officer shall complete and sign the Result Sheet in Form 16 and no application for a further or second recount shall be entertained thereafter.
- 45. Equality of votes.**—If, after the counting of the votes is completed an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will lead to any of those candidates being declared elected, the Election Officer shall forthwith decide between those candidates by lot, and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received the additional vote.
- 46. Disturbances at the time of counting of votes.**—(1) If at any time before the counting of votes is completed and ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the Election Officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with, to such an extent that the result of the poll at that polling station or place can not be ascertained, the Election Officer forthwith report the matter to the Divisional Election Authority.
- (2) Thereupon, the Divisional Election Authority after taking all material, circumstances in to account, either -
- (a) direct that the counting of votes shall be stopped, declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as he, may deem fit; or
 - (b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place shall not, in any way, affect the result of the election, issue such directions to the Election Officer as may deem proper for the resumption and completion of the election and for further conduct and completion of the election in relation to which the votes have been counted.

- (3) The provisions of these rules and any rules or orders made thereunder shall apply to any and every such fresh poll as they apply to the original poll.

47. Sealing of used ballot papers.—The valid ballot papers of each candidate and the rejected ballot papers shall thereafter be bundled separately and the several bundles made up into a separate packet which, shall be sealed with the seals of the Election Officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals, thereon, and on the packets be sealed shall be recorded the following particulars namely-

- (a) the number of the polling station, number of ward/name of Water User Association / Janpad Panchayat; and
- (b) the date of counting.

48. Transfer of ballot papers to cloth bags.—The provisions of Rules 42, 43 and 47 shall apply so far as may be in relation to counting of ballot papers and votes, which have been transferred from ballot boxes to cloth bags or cloth lined covers under sub-rule (6) of Rule 39:

Provided that every reference in the said rules to a-ballot box, shall be construed as a reference to a bag or cover to which the contents of a ballot box have been transferred.

49. Counting of votes in case of fresh poll.—(1) If a fresh poll is held under sub-rule (7) of Rule 54, the Election Officer shall after completion of the poll recommence the counting of votes on the date and at the time and place which have been fixed by him- in that behalf and for which notice has been previously given to the candidates or their election agents.

- (2) The provisions of rules 40 and 47, shall apply so far as may be to such, further counting.

50. Declaration of Result.—(1) The Election Officer shall, subject to the provisions of rule 45, in so far as they apply to any particular case;

- (a) declare in Form 17 the candidate to whom the largest number of valid votes have been given (to be elected under Rule 43 and send signed

copies thereof to the Divisional Election Authority and the District Election Authority; and

(b) complete the entries of the result of election in Form 16 and send signed copies thereof to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

(2) Copies of result sheet in Form 16 shall be supplied to the contesting candidates on payment of fee as charged for supply of certified copies of other Government records, copies of Form 17 shall also be supplied to the contesting candidate on payment of rupees ten for each copy. The District Election Authority or Election Officer on receipt of an application shall issue the certified copies referred to above.

51. Grant of Election Certificate-As soon as may be, after a candidate has been declared by the Election Officer under rule 22 or as the case may be under rule 52, to be elected, the Election Officer shall grant such candidate a certificate of election in Form 18, and obtain from the candidate an acknowledgement of its receipt duly signed by him and immediately send the acknowledgement by a registered post to the District Election Authority under intimation to the Divisional Election Authority.

52. Publication of Results:—The Election Officer shall publish on the notice Board in the office of the Water Users' Association concerned a notification signed by him, stating the name of the candidate duly elected.

53. Disposal of ballot papers. (1) The Divisional Election Officer shall, after declaring the results forward a copy of the return of the competent authority concerned and shall hand-over to the officer authorised by the Election Authority the packets of ballot papers, whether counted, rejected or tendered. These packets shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced except under the orders of an authority competent to decide election disputes.

(2) The Officer so authorised shall return packets and the marked copies of the voters' list for a year and shall then, unless otherwise directed by the

orders of an authority competent to decide election disputes, cause them to be destroyed.

54. **Adjournment of poll in emergencies.**—(1) Where the proceedings at any polling station are seriously interrupted or obstructed by any riot or open violence or other wise or where a large number of electors are unable to attend the poll at a polling station by reason of an Act of God, such as flood or fire, the Presiding Officer shall stop the poll, pending receipt of the orders of the District Election Authority. The fact that the poll has been so stopped shall be immediately announced by the Presiding Officer to the persons present at the polling stations.
- (2) Where a presiding Officer stops a poll under sub-rule (1), he shall observe the procedure laid down in Rules 39 and 40 and forthwith make a full report of the circumstances to the Election Officer, who shall forward the same expeditiously with his remarks thereon, if any to the Division Election Authority.
- (3) The Divisional Election Authority shall thereupon order-
- (a) that the poll continued at the polling station for the number of hours for which it was not held on the previous occasion provided that not more than 50% of the voters have cast their votes; or
 - (b) that the proceedings at the poll held at the polling station on the previous occasion be ignored and that a fresh poll be held at such polling station for the full number of hours for which it should have been held on the previous occasion; and
 - (c) any order passed by the Divisional Election Authority under this sub-rule shall be final.
- (4) An order passed under sub-rule (3), the particular shall contain-
- (i) the date on which, and the hours between which the continuation poll or the fresh-poll, the case may be as, shall be held; and
 - (ii) the date on which and the place and hour at which the Election Officer, will commence the counting of votes under rule 49; and

- (iii) be given wide publicity in the polling area concerned by the Election Officer, in such manner as the District Election Authority may direct, announcing the date, place and hour of polling fixed under clause (i).
- (5) (a) where an orders is passed under clause (a) of sub-rule (3) for the continuation of the poll, the Election Officer shall proceed afresh under sub-rule (1) of rule-25 and return to the Presiding Officer appointment under that sub-rule all the packets received by him under sub-rule (2) of this rule.
- (b) the Presiding Officer shall open the packets just before commencement of the continuation poll in the presence of such persons as may present at the polling station and commence such poll precisely at the hour fixed therefore in the order passed by the Divisional Election Authority under clause (a) of sub-rule (3).
- (c) at the continuation poll, the Presiding Officer shall allow only such electors to vote as did not vote in the previous occasion.
- (d) the Election Officer shall not count votes cast at such election until such continuation poll or fresh poll has been completed.
- (e) the Election Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station, at which such continuation poll is held with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll, ballot-boxes and such-other material required for the poll.
- (6) Where an order is passed under clause (b) of sub-rule (3) for holding a fresh poll the Election Officer shall proceed afresh under sub-rule (1) of Rule 25 and a fresh poll shall be held at the polling station concerned in accordance with the provisions of these rules in all respects as if, it is being held at such polling station for the first time.

Explanation.- There shall be no fresh nominations in case falling under this sub-rule.

- (7) Notwithstanding anything contained in this rule, if a candidate dies at any time before orders are passed by the Divisional Election Authority under sub-rule (3) or at any time after the passing of such orders but before commencement of the continuation poll, as the case may be, the Election Officer shall upon being

satisfied of the fact of the death of the candidate intimate such fact to the Divisional Election Authority, stop all further proceedings in connection with the election and start election proceedings afresh in all respects as if for a new election:

Provided that no fresh nomination shall be necessary in the case of the remaining candidates who stood nominated at the time when the poll was stopped.

55. **Filling up of-casual vacancies.**— Any casual vacancy of Member of Territorial Constituencies of a Water Users' Association shall be filled up with in a period of thirty days from the date of occurrence of such vacancy on issue of a notification by the Divisional Election Authority following the provisions of these rules and orders made thereunder.
56. **Power of Government in certain cases.**— If any question arises to the interpretation of these rules otherwise than in connection with an enquiry held under these rules for the decision of disputes as to the validity of an election or in removing any difficulty in giving effect to the provisions of the Act, the question shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
57. **Power of Election Officer to fix dates etc, in certain cases—** Notwithstanding anything in these foregoing provisions of these rules, the Government or the Divisional Election Authority may, before the filing of nominations in the case of any Water Users' Association, in particular empower the Election Officer to fix dates and period other than those specified or fixed by or under these rules for all or any of the stages of the election proceedings connected therewith.

CHAPTER-IV

58. **Election of the President of the managing committee of water Users Association**

- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the members specified in sub-section (5) of section 4 of the Act, shall be held in the office of

the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Managing Committee of the Water Users Association specified in sub-section (1) of section 4 thereof the Election Officer shall be the Collector or any Gazetted officer of the Government authorised by the District Election Authority.

- (2) There shall be a managing Committee for every Water Users Association consisting of all Territorial members of the Water Users Association.
- (3) Special meeting of members of the Territorial Constituencies of Water Users Association shall be held by the Election Officer to elect the President in case fifty percent of total Territorial Constituency posts are filled up.
- (4) The elected members of Territorial Constituencies shall be present at the venue of election within 7 days as directed by the Election Officer, after the declaration of the results of Territorial Constituency members of the Water Users Association for electing the President a manner as prescribed below.-

- (a) the Election Officer shall display the voters' list for the purpose of the election, and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.
- (b) the notice of election giving the date, place and time of the election in Form 19 shall be displayed in Hindi language and sent to the members of the Managing Committee of Water Users Association specified in sub-section (1) of section 4 of the Act atleast two clear days in advance of the date of election of the members under sub-section (5) of section 4 of the Act, by-the Election Officer
- (c) The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The Programme shall be as follows:

(i)	Receipt of Nominations-	11.00 A. M. to 12.00 Noon
(ii)	Scrutiny of nominations and publication of final list of nominations	12:30 P.M. to 1.00 P.M.
(iii)	Withdrawal of nominations	1.00 P.M. to 1.30 P.M.
(iv)	Publication of final list of contestants	2.00 P.M.
(v)	Elections in the event of contest	3.00 P.M. to 5.00 P.M.
(vi)	Counting and declaration of results-	Immediately after the poll:

Provided that the procedure for filling of nominations shall be according to rules 15 to 21.

- (d) If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 27 and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority;
 - (e) Even if some of the elected members of Territorial Constituencies are not present at the venue by the appointed time, the election to the posts of President shall be held with the members present, as per schedule;
 - (f) If none of the members of Territorial Constituencies turns up at the appointed time or only one member of Territorial Constituency turns up, the Election Officer shall wait at the venue for 30 minutes and if there is no change in the situation, the Election Officer shall declare the posts of President as casual vacancies until the elections are held for these posts under Section 15 of the Act and record in Form 47 and same shall be submitted to District Election Authority. If the Territorial Constituency posts filled by election are less than fifty percent of the total posts, the same procedure shall be followed.
 - (g) Till such time, necessary transitional arrangements shall be made or if such arrangements are already in existence, the same may be continued as per Section 34 of the Act;
 - (h) If the members of Territorial Constituencies, though present in the special meeting fail to elect the President within the scheduled time, the same procedure as mentioned under sub-clause (f) shall be followed.
- (5) In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 26 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of President of the Water User Association and the election shall be conducted as directed by the Divisional Election Authority.
- (6) At the end of the poll, the Election Officer shall arrange forthwith the counting of votes polled for the contesting candidates for President of the Managing

Committee and declare the candidates as elected in Form 27, and the candidate who secured the highest number of votes polled, for the post of President, as elected to the post of President of that Water Users Association.

- (7) In the event of equality of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.
- (8) Immediately after the declaration of the result of the election, the Election officer shall prepare a record of the proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as a President of the Water Users' Association as specified under subsection (5) of section 4 of the Act and send a copy of such notice of the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as president of Water User Association.
- (9) Notwithstanding anything contained in these rules, Election Officer may for sufficient reason to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 58 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

Chapter - V

59. **Election of President of the distributory committee-** Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the president specified in sub-section (2) of section 6 of the Act, shall be held in the office of the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Distributory Committee specified in sub-section (3) of section 5 thereof. The Election Officer shall be the Collector or any Gazetted officer of the Government authorised by the District Election Authority.

60. There shall be a Managing Committee for every Distributory Committee consisting of all members of the General Body of Distributory Committee.

61. **Holding of elections.-**

(1) Elections shall be held in a special meeting for the purpose of constituting Distributory Committees and on expiration of the term of the Distributory Committees or on vacation of such office or offices either by death, resignation, recall or for any other reasons.

(2) The quorum for the meeting shall be as described below,-

(a) No meeting for the conduct of election to the post of the President of a Distributory Committee shall be held, unless there shall be present at the meeting at least one-half of the total members of the Distributory Committee, who are entitled to vote at the election;

Explanation: Where the strength of the members of the Managing Committee of the Distributory Committee is an odd number, for the purpose of reckoning the fifty percent strength, it shall be rounded off to the next higher number.

(b) If the required quorum is not achieved for the first special meeting to elect the President of the Distributory Committee or if members present failed to elect the President though the quorum is achieved, a second and final meeting shall be held after a clear gap of **five days** from the date of the first meeting;

(c) If the required quorum is not achieved even in the second and final meeting also or if the members present failed to elect the President though the quorum is achieved, the Election Officer shall declare the posts of President as casual vacancies until the elections are held for these posts under Section 15 of the Act and record in Form-47 and the same shall be submitted to the District Election Authority;

(d) Till such time, necessary transitional arrangements shall be made or if such arrangements are already in existence, the same may be continued as per section 34 of the Act.

62. The Election Officer shall display the voters' list for the purpose of the election, and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.
63. The notice of election giving the date, place and time of the election in Form 19 shall be displayed in Hindi language and sent to the members of the Distributory Committee specified in sub-section (3) of section 5 of the Act atleast two clear days in advance of the date of election of the members under sub-section (2) of section 6 of the Act, by the Election Officer.
64. The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The Programme shall be as follows:
- (i) Receipt of Nominations- 11.00 A. M. to 12.00 Noon
 - (ii) Scrutiny of nominations 12:30 P.M. to 1.00 P.M.
and publication of final
list of nominations
 - (iii) Withdrawal of nominations 1.00 P.M. to 1.30 P.M.
 - (iv) Publication of final list
of contestants 2.00 P.M.
 - (v) Elections in the event of
contest 3.00 P.M. to 5.00 P.M.
 - (vi) Counting and declaration of results- Immediately after the poll:

Provided that the procedure for filling of nominations shall be according to rules 15 to 21.

65. If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 36 and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.
66. In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 35 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of President and the election shall be conducted as directed by the Divisional Election Authority.

67. At the end of the poll, the Election Officer shall arrange forthwith the counting of votes polled for the contesting candidates for President of the Managing Committee and declare the candidates as elected in Form 36 and the candidate who secured the highest number of votes polled for the post of president, as elected to the post of President of that Distributory Committee.
68. In the event of equality of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.
69. Immediately after the declaration of the result of the election, the Election officer shall prepare a record of the proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as a President of the Distributory Committee as specified under subsection (2) of section 6 of the Act and send a copy of such notice of the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as president of the Distributory Committee.
70. Notwithstanding anything contained in these rules, Election Officer may for sufficient reason to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 59 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

Chapter- VI

71. **Election of Chairperson of the Project Committee** — Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the Chairpersons specified in clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 8 of the Act, shall be held in the office of the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Project Committee specified in sub-section (3) of section 7 thereof, the

Election Officer shall be the Collector or any Gazetted Officer of the Government authorised by the District Election Authority.

72. There shall be a Managing Committee, for every Project Committee, consisting of all members of General Body of Project Committee.

73. Holding of elections.-

(1) Elections shall be held in a special meeting for the purpose of constituting Project Committees and on expiration of the term of the Project Committees or on vacation of such office or offices either by death, resignation, recall or for any other reasons.

(2) The quorum for the meeting shall be as described below:

(a) No meeting for the conduct of election to the post of the Chairperson of a Project Committee shall be held, unless there shall be present at the meeting at least one-half of the total members of the Project Committee, who are entitled to vote at the election.

Explanation: Where the strength of the members of the Managing Committee of the Project Committee is an odd number, for the purpose of reckoning the fifty percent strength, it shall be rounded off to the next higher number.

(b) If the required quorum is not achieved for the first special meeting to elect the Chairperson of the Project Committee or if members present failed to elect the Chairperson though the quorum is achieved, a second and final meeting shall be held after a clear gap of **five days** from the date of the first meeting;

(c) If the required quorum is not achieved even in the second and final meeting also or if the members present failed to elect the Chairperson though the quorum is achieved, the Election Officer shall declare the posts of Chairperson as casual vacancies until the elections are held for these posts under Section 15 of the Act and record in Form-47 and the same shall be submitted to the District Election Authority;

(d) till such time, necessary transitional arrangements shall be made or if such arrangements are already in existence, the same may be continued as per section 34 of the Act.

74. The Election Officer shall display the voters' list for the purpose of election and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.
75. The notice of election giving the date, place and time of the election shall be displayed in Form 37 in Hindi language and sent to the members of the Project Committee specified in sub-section (3) of section 7 of the Act atleast two clear days in advance of the date of election of the members under clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 8 of the Act, by the Election Officer.
76. The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The programme shall be as follows;
- | | | |
|-------|--|-----------------------------|
| (i) | Receipt of Nominations- | 11.00 A. M. to 12.00 Noon |
| (ii) | Scrutiny of nominations
and publication of final
list of nominations | 12.30 P.M. to 1.00 P.M. |
| (iii) | Withdrawal of nominations | 1.00 P.M. to 1.30 P.M. |
| (iv) | Publication of final list of
contestants | 2.00 P.M. |
| (v) | Elections in the event of contest | 3.00 P.M. to 5.00 P.M. |
| (vi) | Counting and declaration of results | Immediately after the poll: |

Provided that the procedure for filling of nominations shall be according to rules 15 to 21 in Chapter-III of the Election rules.

77. If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 45 and send a copy to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.
78. In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 44 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of Chairperson of the managing Committee, and the election shall be conducted as specified by the divisional Election Authority.

79. At the end of the poll, the Election Officer shall arrange forthwith, the counting of votes polled for the contesting candidates for Chairperson of the Managing Committee and declare the candidates as elected in Form 45, and the candidate who secured the highest number of votes polled, for the post of Chairperson as elected to the post of Chairperson of that Project Committee.
80. In the event of equality of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.
81. Immediately after the declaration of the result of the election, the Election Officer shall prepare a record of the Proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as Chairperson of the Project Committee as specified under sub-section (2) of section 8 of the Act and send a copy of such notice to the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as Chairperson of the project committee.
82. Notwithstanding anything contained in these rules, the Election Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 59 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

Chapter- VII

83. Manner, time limit and fee for filling of the election petition.-

Any person aggrieved by the result or procedure of election so adopted, may file an election petition, duly paying the fee thereof with in the time limit and to Officers as mentioned below:

- (i) Dispute regarding election of Water Users Association's President, and member of Territorial Constituency the petition shall be filed with Sub-Divisional Officer (Revenue).

- (ii) Dispute regarding election of Distributory Committee and Project Committees' President/Chairperson, the petition shall be filed with Collector (District Magistrate) of concerned District.
- (iii) From the date of declaration of polling result, a period of thirty days shall be reckoned to entertain the petition, failing which the petition shall not be entertained.
- (iv) For filing the said petition, a fee of Rs. 200/- shall be deposited by the appellant to the concerned Executive Engineer, Water Resources Department and thereafter this fee shall be remitted by Executive Engineer under the Head 0702-01 (Revenue Receipts), which shall not be refundable in any case and shall be deemed as forfeited.
- (v) The decision so awarded by the concerning officer, shall be final and binding on the petitioner and in case no appeal shall be entertained.
- (vi) In the event of completion of any election and declaration of election results, the time limit to file the election petition in all such cases as mentioned above, shall be thirty days from the date of declaration of election results:

Provided that any petition may be entertained after the prescribed period of thirty days if the petitioner satisfies the concerning officer that he had sufficient cause for not preferring the petition within such period and no petition shall be entertained beyond a period of six months from the date of declaration of election results.

84. **Repeal and saving.-** (1) The Madhya Pradesh Farmer's Organisation Election rule, 1999 which are in force before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, as per the requirement of existing Water Users' Association whose term has not been expired on the commencement of these rules, it shall be deemed that the concerning provisions of repealed rules are in force.

FORM 1

[See Rule 11(2)]

Notice For The Election Of The Member Of
 The Territorial Constituency..... Of The
 Water Users' Association (S).....
 in District.

It is hereby notified that the elections to the members of the Territorial Constituencies of the Water Users' Associations in District shall be conducted as per the following:

- (i) Nomination papers shall be presented:
 - (a) on (date)
 - (b) Time..... between to hours
- (ii) Date of scrutiny of nomination papers
- (iii) Date of withdrawal of candidature
- (iv) Date of polling
- (v) Date of counting of votes by the Election Officer.
- (vi) Declaration and publication of results.

Divisional Election Authority / District Election Authority

FORM 2

[See Rule 11(4)]

Notice For The Election For Member Of The Territorial Constituency..... Of
 The Water Users Association

Notice is hereby given that-

- (1) An election to be held for election of the Member of the Territorial Constituency of the water Users Association.
- (2) Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the undersigned between 10.30 A.M. and 5.00 P.M. from to(date).

- (3) Forms of nomination papers may be obtained at the place and time aforesaid.
- (4) The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) on Date at(hrs)
- (5) Notice of withdrawal candidature may be delivered by a candidate or his proposer or his Election agent to the undersigned at office before 3.00 P.M. on the.....
- (6) In the event of election being contested the poll will be taken on..... between the 8.00 A.M. to 2.00 P.M.
- (7) Counting will commence after the Poll is over and results declared immediately thereafter.

ELECTION OFFICER

FORM 3

[See Rule 15(1)]

Water Users' Association'

NOMINATION PAPER

1. Name of the Office of the WUA.
2. Number of the territorial constituency.
3. Full name of the candidate
4. Father's or husband's name.
5. Serial number of candidate in the electoral roll
6. Age
7. Sex
8. Occupation and address
9. Full name of the proposer
10. Serial number of proposer in the electoral roll
11. Signature of the proposer;

Candidates' Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election and my age as shown above is correct.

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

The above declaration is solemnly affirmed before me (name of the officer in block letters) by..... who is personally known to me (who has been identified to my satisfaction-by of

Signature of village administrative officer or any other officer not below the rank of a mandal revenue officer (Endorsement by the Election Officer or other authorised person serial number):

This nomination paper was presented to me (person) at..... (date and hour).....

Signature of the election officer
or other authorised person

Decision of election officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have explained this nomination paper in accordance with Rule 8 and decide as follows:

Election Officer

Date:

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination Paper The nomination Paper of a candidate for election of the Member of the Territorial Constituency of the water user association , territorial constituency No..... was delivered to me at (hour) an date) by the

Candidate/Proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hour on..... (date) at(Place).

Date:

SIGNATURE OF ELECTION OFFICER

FORM 4
(See Rule 18)

LIST OF NOMINATIONS FOR MEMBERS OF TERRITORIAL CONSTITUENCY

No..... RECEIVED ON (DATE)

OF..... WATER USERS ASSOCIATION

S. No. of Nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Age	Occupation and Address	Voters List No. of Candidate	Name of the Proposer	Voters List No. of Proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny at AM/PM.
on..... the date at (Place)

Place

Date:

Signature of the election officer
or other authorised person

FORM 5

[See Rule 19(5)]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

Name of District

Number of territorial constituency of Water User's Association

Election to the member of the Territorial Constituency of Water User
Association

S. No. Allotted	Name of the candidate	Address of the Candidate
(1)	(2)	(3)

1.

2.

3.

4.

Date:

Place:

Signature of Election officer

FORM 6

[See Rule 20 (1)]

NOTICE OF WITHDRAWAL

Election to the Member of Territorial Constituency No..... of Water
User Association.....

To,

The Election Officer,

I, ... a candidate validly nominated at the above election
do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date:

Signature of Candidate

This notice was delivered to my office at..... (Hours) on.....
..... (date) by (name) .

Date:

Signature of Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be-handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by..... a candidate at the election to
the Member of the Territorial Constituency. of WUA..... as delivered to
me by the at my office at (hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

FORM 7

[See Rule 20 (2)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
WUA.....

Notice is hereby given that the following validly nominated candidate/
candidates at the above election withdraws/withdraw his candidature/their candidature
today.

S. No.	Name of the candidate	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		

Date:

Place:

Signature of Election officer

FORM 8

[See Rule 21(1)]

NOTICE OF CONTESTING CANDIDATE

**Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
WUA.....**

S. No. Allotted	Name of the candidate	Address of the Candidate
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		

Date:

Place:

Signature of Election officer

FORM 9

[See Rule 22 (2)]

**DECLARATION OF THE RESULTS OF ELECTION UNDER RULE 22(2) OF
THE ELECTION RULES**

In accordance with rule 22 (2) of the Election rules, I declare that the following candidate has been duly elected for the Member of the Territorial Constituency No.....of Water Users Association

Name

Address

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 10

[See Rule 24(1) (a)]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

(To be submitted in two copies)

Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
WUA.....

To,

The Election Officer,

I a candidate at the above election for the post of the member of Territorial Constituency of Water User Association do hereby appoint of my election agent from this day at the above election.

Place:

Date:

Signature of Candidate

I accept the above appointment

Signature of Election Agent

I, hereby accept and approve the above appointment.

Place:

Date:

Signature of the Election Officer

FORM 11

[See Rule 24(2) (b)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

**Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
Water User's Association.....**

I, ... a candidate/ the election agent of
..... who is a candidate at the above election do hereby appoint
..... as a Polling Agent to attend polling station No.
..... fixed for the poll at

Signature of candidate election agent

I, hereby accept and approve the above appointment.

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 12

[See Rule 24(3)(b)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

(To be submitted in duplicate)

Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of WUA

To,

The Election Officer,

I, ... a candidate the election agent of
..... who is a candidate at the above election do hereby appoint the
following persons as may counting agent to attend the counting of votes at
.....

Name of the counting Agent	Address of the counting Agents
1.	
2.	
3.	

Signature of candidate election agent

I/We agree to act as such counting agents.

Signature of the agent

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 13

[See Rule 35 (2)]

LIST OF TENDERED BALLOT PAPERS

Polling station No Territorial Constituency No.
 WUA Election to the Member of
 the Territorial Constituency of the WUA.

S.No.	Name of the Elector	No. in the Voters List / Section No. Name of WUA	Serial No. of Tendered Ballot Paper	Signature of Elector or thumb impression of person tendering vote	Serial No. of Ballot paper issued to the person who has already voted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place:

Date:

Signature of Presiding Officer

FORM 14

[See Rule 36 (2)(c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Polling station No. Territorial Constituency No.
 WUA Election to the Member of
 the Territorial Constituency of the WUA.

S.No.	No. in the Voters List/Section No. Name of WUA	Name of the Elector	Signature or thumb impression of the person challenged and his address	Name of challenger	Signature or thumb impression of identifier, if any	Order of the Polling Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place:

Date:

Signature of Presiding Officer

FORM 15

[See Rule 40 (1)]

PART-I

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to the Member of the Territorial Constituency of WUA

No. and name of the polling station Territory Consistency No.

WUA

S.Nos. Total No.

From To

1. Ballot papers received

2. Ballot papers unused

(i.e. not issued to voters)

(a) with the signature of polling Officer

(b) without the signature of Polling Officer

Total* (A+B)

3. * Ballot papers used at the Polling station (1-2=3)

4. Ballot papers used at the Polling stations but not inserted into the Ballot Box.)

(a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 22.

(b) Ballot papers cancelled for other reasons.

(c) Ballot papers used as tendered ballot papers.

Total* (A+B+C)

5. * Ballot papers to be found in the ballot box

(3 - 4 = 5)

* Strike Numbers need not be given.

Signature of the Presiding Officer

Part - II

RESULT OF COUNTING

S.No.	Name of Candidate	Name of Valid Votes Cast
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

II. Rejected Ballot Papers

III. Total

Whether the total number of ballot papers shown against item No. III above tally with the total shown against item No. 5 of Part-I or any discrepancy noticed between these two totals

Place :

Date:

Signature of Counting Supervisor

Place:

Date:

Signature of Election Officer.

* Strike of the words which are not applicable.

FORM 16

[See Rule 44 (5) and 50 (1) (b)]

FINAL RESULT SHEET

(To be used for recording the result of voting at Polling Station)

**Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
the WUA.....**

S.No.	Polling station No.	Name of valid votes cast in favour of				Total No. of valid votes	Total No. of rejected votes	Total	No. of Tendered Votes
		A	B	C	D				

Total No of votes recorded at Polling Stations.

Number of votes recorded on Postal Ballot Papers.

Place:

Date:

Signature of Election Officer.

FORM 17

[See Rule 50(1) (a)]

(For use in election when the seat is contested)

DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER RULE 52

In accordance with rule 52 of the Madhya Pradesh Farmers' Organisation Election Rules, 2014. I declare that the following candidates has been duly elected to the Member of the Territorial Constituency No.....of the WUA.....

Member, Territorial Constituency of WUA.....

Name

Address

.....

Signature of Election Officer.

Strike off the words which are not applicable.

Form 18

(See Rule 51)

CERTIFICATE OF ELECTION

I, ... election Officer for the Water User Association certify that on the (day) of 20 I have declared Shri to have duly elected to the Member of the Territorial Constituency No.....of the WUA..... and that in token thereof, I have granted to him this certificate of election.

.....

Signature of Election Officer

Seal

FORM 19

(See Rule 58(4)(b), 63)

**NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE
MANAGING COMMITTEE OF****WATER USERS ASSOCIATION OF IRRIGATION SYSTEM.....**

Notice is hereby given that -

1. An election will be held for electing the President of the Managing Committee of Water Users Association Irrigation system on (Date).
2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer or file before the undersigned between 11.00 A.M. and 12.00 Noon on (date) at (Place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) of Date between 12.00 P.M. to 1.00 P.M.
5. Notice of withdraw of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 1.00 P.M. to 1.30 P.M. on the at
6. In the event of election being held, the poll will be taken on (Date) between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 20

[See Rule 15 (1)]

WATER USERS ASSOCIATION.....

Nomination Paper

1. Name of the Office:
President of the Managing Committee of Water User Association.....
2. Number of the Territorial Constituency for which he is elected as Member
3. Full name including surname of the candidate:
4. Father's or Husband's name:
5. Age:
6. Sex:
7. (a) Occupation :
(b) Address Permanent :
Address Temporary :
8. Full name of the proposer :
9. Territorial Constituency for which he is declared as Member:
10. signature of the Proposer : (Name in Capital Letters)
Date

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election.

.....

Signature of the Candidate

(Name in Capital Letters)

This nomination paper was presented to me by -----
(person) at Date and Hour.

.....

Signature of the Election Officer

or other Authorised Person.

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper. I have examined this nomination paper and decode as follows :

.....

.....

Date :

Signature of Election Officer.

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper The Nomination Paper of a candidate for Election of President of the Managing Committee of the Water Users Association was delivered to me at (hour) on (Date) by the Candidate/Proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hour)

..... on (date) at (place)

Date

Signature of Election Officer.

FORM 21

(See Rule 18)

LIST OF NOMINATIONS RECEIVED ON (DATE) FOR

THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF

THE MANAGING COMMITTEE OF

WATER USERS ASSOCIATION

S.No. Nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Name of WUA	Occupation and address	S. No. in Voters List	Name of the Proposer	Number of Territorial Constituency of the proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M,
on the..... date
at (place)

Place

Date : Signature of Election Officer
or other authorised person.

FORM 22
(See Rule 19 (5))

LIST OF VALID NOMINATIONS AFTER SCRUTINY

Name of the Water Users Association
Election of President of the Managing Committee of
..... Water Users Association

S.No. Allotted	Name of Candidate	Number of the Territorial Constituency he represents
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date : Signature of Election Officer
Form 23

[See Rule 20 (1)]

Notice of withdrawal given by the candidate

Election of President of the
managing committee of Water Users Association.....

I, ... being a candidate validly nominated at the above
election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date: Signature of the candidate

This notice was delivered to me at my office at
 (hours) on (date) by
 (name)

Date:

Signature of Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by..... a candidate at the election
 President of Managing Committee of WUA..... as delivered to me by the
 at my office at (hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

Form 24

[See Rule 20 (2)]

NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

**Election of the office of the President of the managing
 committee of Water Users Association.....**

S.No.	Name of the candidate	Date of which withdrawal notice delivered
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 25

[See Rule 21 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

Election of the President of the managing
committee of Water Users Association.....

S.No. (1)	Name of the Candidate (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 26

[See Rule 58(5)]

BALLOT PAPER

..... Water Users Association

Ballot paper for President of the Managing Committee

S.No. of the Voter

R. No. Signature / Thumb Impression

..... Water Users Association

Ballot Paper for President of the Managing Committee

R. No.

R.No.

name of the Candidate in Hindi
in Alphabetical Order.

Put (✓) mark against one name only
in the box space provided.

1. Name

☐

2. Name

☐

3.	Name	☐
4.	Name	☐
5.	Name	☐
6.	Name	☐

1. Name of Water Users Association
2. Date of poll
3. Place of Poll

.....
Signature of the Election Officer

Form 27

(See Rule 58(4)(d))

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION

In accordance with rule 58 (6) I declare that the following candidate(s) has / have been duly elected for the office of the President of WATER USERS ASSOCIATION

Name:

Address:

Place:

Date:

.....
Signature of Election Officer

Form 28

(See Rule 75)

NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE MANAGING COMMITTEE OF

DISTRUBUTORY COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

Notice is hereby given that -

1. An election will be held for electing the President of the Managing Committee of Distributory Committee Irrigation System on (date).

2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer or file before the undersigned between 11.00 A.M. and 12.00 Noon on (date) at (Place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) of Date between 12.00 PM to 1.00 PM.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 1.00 PM to 1.30 PM on the at
6. In the event of election being held, the poll will be taken on (Date) between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place:

Date:

Signature of Election Officer

Form 29
(See Rule 15(1))

DISTRUBUTORY COMMITTEE.....

Nomination Paper

1. Name of the Office :
 - a) President of the Managing Committee
2. Name of the Water Users Association for which he is elected as President.....
3. Full name including surname of the candidate.....
4. Father's or Husband's Name:
5. Age :
6. Sex:
7. (a) Occupation:
 - (b) Address permanent :
 - Address Temporary:

8. Full name of the proposer:
9. Water Users Association for which he is declared as President
10. Signature of the Proposer:

(Name in Capital Letters)

Date

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election.

.....
 Signature of the candidate
 (name in capital letters)

This nomination paper was presented to me by

..... (person) at Date and Hour.

.....
 Signature of the Election officer
 or other authorised person

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper and decode as follows:

.....

Date:

Signature of Election Officer.

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper The
 nomination paper of a candidate for Election of President of the
 Managing Committee of the DISTRUBUTORY COMMITTEE was delivered to me at
 (hour) on (date) by the Candidate /
 proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at
 (hours) on (date) at (place).

Date:

Signature of Election Officer

Form 30

(See Rule 18)

List of nominations received on (Date) for
the office of the President of the managing committee of

DISTRUBUTORY COMMITTEE

S.No. of Nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Name of WUA	Occupation and address	S. No. in Voters List	Name of the Proposer	Name of WUA of the proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M,
on the..... date
at (place)

Place

Date :

Signature of Election Officer
or other authorised person.

Form 31

(See Rule 19(5))

List of valid nominations after scrutiny

Name of Distributory Committee

Election of President of the Managing Committee of
..... Distributory Committee

S.No. Allotted (1)	Name of Candidate (2)	Name of the Distributor Committee he represents (3)
1.		
2.		
3.		

4.		
5.		

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 32

[See Rule 20(1)]

Notice of Withdrawal Given by the Candidate

Election of President of the Managing Committee of Distributory Committee

I, ... being a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date: Signature of the Candidate

This notice was delivered to me at my office at
 (hours) on (date) by
 (name)

Date:

Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by..... a candidate at the election of President of Managing Committee of the Distributory Committee of..... Project as delivered to me at..... my office at (hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

Form 33

(See Rule 20(2))

NOTICE INTIMATION THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

Election of office of the President of Managing Committee of Distributory Committee

S.No. (1)	Name of Candidate (2)	Name of which withdrawal notice delivered (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

.....

Date :

Signature of Election Officer

Form 34

[See Rule 21(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

**Election to the President of the Managing Committee of Distributory
Committee**

S.No. (1)	Name of Candidate (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 35

(See Rule 66)

BALLOT PAPER

..... DISTRIBUTORY COMMITTEE

Ballot Paper for President of the managing Committee

S.No. of the Voter

R. No.

Signature / Thumb Impression

..... Distributory Committee

Ballot paper for President of the managing Committee

R. No.

R.

No.

name of the Candidate in Hindi
in alphabetical Order

Put (✓) mark against one name only
in the box space provided.

1. Name

☐

2. Name

☐

3. Name

☐

4. Name

☐

5. Name

☐

6. Name

☐

1. Name of Distributory Committee

2. Date of poll

3. Place of Poll

.....
Signature of the Election Officer

Form 36

(See Rule 65 and 67)

Declaration of the Result of Election

In accordance with Rule 65 and 67, I declare that the following candidate(s)
has/have been duly elected for the Office of President of Managing Committee of
Distributory Committee.

Name :

Address:

Place:

Date:

.....
Signature of Election Officer

Form 37

(See Rule 75)

**NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE CHAIRPERSON OF
THE MANAGING COMMITTEE OF**

PROJECT COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

Notice is hereby given that -

1. An election will be held for electing the Chairperson of the Managing Committee of project Committee Irrigation System on (date).
2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer or file before the undersigned between 11.00 A.M. and 12.00 Noon on (date) at (Place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) of Date between 12.00 PM to 1.00 PM.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 1.00 PM to 1.30 PM on the at
6. In the event of election being held, the poll will be taken on (Date) between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place:Date:

Signature of Election Officer

*Form 38

(See Rule 15(1))

Project Committee

Nomination Paper

1. Name of the Office :
Chairperson of the Managing Committee
2. Name of the Water Users Association / Distributory Committee for which he is elected as President
3. Full name including surname of the candidate
4. Father's or Husband's Name:
5. Age :
6. Sex:
7. (a) Occupation:
(b) Address permanent :
Address temporary:
8. Full name of the proposer:
9. Name of the Water Users Association/ Distributory Committee for which he is elected as President
10. Signature of the Proposer:

(Name in Capital Letters)

Date

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election.

.....

Signature of the Candidate

(name in capital letters)

This nomination paper was presented to me by

..... (person) at date and hour.

.....

Signature of the Election officer

or other authorised person

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper and decode as follows:

.....

Date:

Signature of the Election officer

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper The nomination paper of a candidate for Election of chairperson of the Managing Committee of the project Committee was delivered to me at (hour) on (date) by the Candidate / proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hours) on (date) at (place).

Date:

Signature of the Election officer

*Form 39

(See Rule 18)

List of nominations received on (Date) for the office of the chairperson of the managing committee of Project Committee

S.No. of nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Name and number of Water Users Association / Distrubutory Committee	Occupation and address	S. No. in Voters List	Name of the Proposer	Name and number of W.U.A. / D.C. of the Proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M, on the date at (place)

Place

Date :

Signature of election Officer
or other authorised person.

*Form 40

(See Rule 19(5))

List of valid nominations after scrutiny

Name of Project Committee

**Election of Chairperson of the Managing Committee of
Project Committee**

S.No. Allotted (1)	Name of Candidate (2)	Name and number of Water Users Association/ Distributory Committee he represents (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 41

[See Rule 20(1)]

Notice of Withdrawal Given by the Candidate

Election of Chairperson of the Managing Committee of Project
Committee

I, ... being a candidate validly nominated at the above
election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date: Signature of the Candidate

This notice was delivered to me at my office at
(hours) on (date) by (name)

Date:

Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by.....a
candidate at the election of Chairperson of the Managing Committee of.....
Project Committee as delivered to me by the.....at my office at
(hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

Form 42

(See Rule 20(2))

NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

Election of office of the Chairperson of the Managing Committee of
..... Project Committee

S.No. (1)	Name of Candidate (2)	Name of which withdrawal notice delivered (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 43

[See Rule 21(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

Election to the Chairperson of the Managing Committee of
.....Project Committee

S.No. (1)	Name of Candidate (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 44

(See Rule 78)

BALLOT PAPER

..... Project Committee

Ballot paper for Chairperson of the managing Committee

S.No. of the Voter

.....

R. No.

Signature / Thumb Impression

..... Project Committee

Ballot paper for Chairperson of Managing Committee

R. No.

R.No.

name of the Candidate in Hindi

Put (✓) mark against one name only

in alphabetical Order

in the box space provided.

1.	Name :	☐
2.	Name:	☐
3.	Name:	☐
4.	Name:	☐
5.	Name:	☐
6.	Name:	☐

-
1. Name of Project Committee
 2. Date of poll
 3. Place of Poll

.....
Signature of the Election Officer

Form 45

(See Rule 79)

Declaration of the result of Election under rule 73 of Election Rules

In accordance with Rule 73 of the Election Rule, I declare that the following candidate(s) has/have been duly elected for the Office of the Chairperson of the Managing Committee of Project Committee.

Name :

Address:

Place:

Date:

.....
Signature of Election Officer

Form – 46
(Rule 17(1) (B))
(Original Copy)
CASH RECEIPT

S.No.

Date

20

Received the sum of Rs.....(Rupees.....Only) form

Shri/Smt/Kum.....

..

(Full name of WUA Contesting candidate)

Son/Wife/dauther of Sri

towards the **nomination fee** for the election to the post of.....

in

(Full name of WUA/DC/PC as per records)

in(Village)of.....(Tahsil).....

.....(District)

Signature.....

(Election Officer)

Rs.

[Corrections if any, shall be attested by the Election Officer]

.....please cut here.....

Form – 46

(Duplicate Copy)
CASH RECEIPT

S.No.

Date

20

Received the sum of Rs.....(Rupees.....Only)form

Sri/Smt/Kum.....

(Full name of WUA Contesting candidate)

Son/Wife/dauther of Sri

towards the nomination fee for the election to the post of.....

in

(Full name of WUA/DC/PC as per records)

in(Village)of.....(Tahsil)

.....(District)

Signature.....

(Election Officer)

Rs.

[Corrections if any, shall be attested by the Election Officer]

Form – 47

(See rule)

Declaration of Casual Vacancies in
Farmers Organisations

In exercise of the powers conferred under the *Rule 55 *Rule 56 * Rule 67 of the Madhya Pradesh Farmers Organisation Election Rules 2014.

I....., the Election Officer for the

(name of the farmers organization)

declare the following post or posts as Casual Vacancies, because the members of the Managing Committee of the following farmers organization have failed to elect their respective office bearer(s) in the special meeting held on /.... /20... for the following reasons.

- (a) *Lack of quorum (applicable WUA /DC/PC election)
- (b) * No consensus among members
- (c) *None of the Members turned up
- (d) *Only one Member turned up
- (e) *The strength of elected members of WUA/DC/PC is less than 50% of the total strength.
- (f) Name of the Post

(i)(ii)

Name of Farmers Organisation.....

Village.....Tahsil.....

District.....

Place:

Signature.....

Date: /.... /20...

Full Name

(in Capital) (Election Officer)

*Strike off whichever is not applicable

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. S. DHAKAD, Secy.